अष्टम माला, खंड 1, अंक 1

शुक्रवार 18 जनवरी, 1985

28 पौष 1906 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पहला सत्र
(आठवीं लोक सभा)

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

18 जनवरी, 1985/28 पौष, 1906 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पंक्ति 10

विषय सूची, पृष्ठ (iv), "पुन:स्थापित" के स्थान पर "पुर:स्थापित" पढ़िये।

विषय सूची, पृष्ठ iv, नीचे से पंक्ति 2, "श्री शोभनिद्रीसवराव" के स्थान पर "श्री शोभनाद्रीश्वर राव" पढ़िये।

पृष्ठ 31, पंक्ति 15, "क्ज़" के स्थान पर "कर्ज़" पढ़िये।

पृष्ठ 84, पंक्ति 4, "101वां प्रतिवेद" के स्थान पर "101वां प्रतिवेदन" पढ़िये।

पृष्ठ 92, नीचे से पंक्ति 3, "माननीय सदस्य" से पहले "एक" पढ़िये।

पृष्ठ 126, पंक्ति 16, "रामचन्द्रन" के स्थान पर "रामचन्द्र" पढ़िये।

प्राक्कथन

आठवीं लोक सभा के लोक सभा वाद-विवाद का यह पहला खण्ड है। सातवीं लोक सभा के अवसान तक लोक सभा वाद-विवाद के दो संस्करण निकाले जाते थे ; (एक) मूल संस्करण जिसमें सभा की कार्यवाही का विवरण उन्हीं भाषाओं में छापा जाता था जिनमें वह सभा में सम्पन्न हुई हों, पर जो भाषण क्षेत्रीय भाषाओं में दिए जाते थे उनका अंग्रेजी या हिन्दी अनुवाद सम्मिलित किया जाता था और उर्दू में दिए गए भाषणों को देवनागरी लिपी में छापा जाता था, पर साथ ही उन भाषणों को प्रकोष्ठकों में फारसी लिपि में भी छापा जाता था; और (दो) हिन्दी संस्करण जिसमें हिन्दी में सम्पन्न हुई कार्यवाही को मूल रूप में, उर्दू में दिए गए भाषणों को देवनागरी लिपि में तथा अंग्रेजी में हुई कार्यवाही का एवं क्षेत्रीय भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद छापा जाता था।

2. आठवीं लोक सभा के प्रथम सत्र में, लोक सभा की सामान्य प्रयोजन समिति के निर्णय के अनुसार, "लोक सभा वाद-विवाद" के दो संस्करण प्रकाशित किए जा रहे हैं; (एक) अंग्रेजी संस्करण जिसमें अंग्रेजी में सम्पन्न कार्यवाही मूल रूप में और हिन्दी या किसी क्षेत्रीय भाषा में हुई कार्यवाही का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित होगा; और (दो) हिन्दी संस्करण अपने वर्तमान रूप में, पर उर्दू भाषणों को देवनागरी लिपि में छापने के साथ उन्हें फारसी में प्रकोष्ठकों में भी छापा जाएगा।

3. इसके अलावा लोक सभा की कार्यवाही का मूल संस्करण भी केवल रिकार्ड और संदर्भ के लिए तैयार किया जा रहा है जिसकी सजिल्द प्रतियां संसद् ग्रन्थालय में रखी जा रही हैं।

4. अंग्रेजी और हिन्दी दोनों संस्करणों में एक समुचित संकेत दिया जा रहा है, जो यह दर्शायेगा कि कार्यवाही का कौन सा अंश–विशेष मूल रूप में अंग्रेजी/हिन्दी में है और कौन सा अनूदित है।

5. आशा है कि अंग्रेजी और हिन्दी के ये अलग-अलग संस्करण सदस्यों एवं रुचि रखने वाले अन्य लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे।

नई दिल्ली;
जनवरी, 1985

सुभाष कश्यप,
महासचिव।

विषय-सूची

अष्टम माला, खण्ड 1, पहला सत्र, 1985/1906 (शक)

अंक 4, शुक्रवार, 18 जनवरी, 1985/28 पौष, 1906 (शक)

विषय	पृष्ठ
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	1–11
निधन संबंधी उल्लेख	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 1 से 3	12–21
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	
तारांकित प्रश्न संख्या : 4 से 16	22–39
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1 से 29	39–64
सभा पटल पर रखे गए पत्र	67–82
विधेयकों पर अनुमति	83
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	84
98वां प्रतिवेदन, 99वां प्रतिवेदन, 100वां प्रतिवेदन तथा 101वां प्रतिवेदन	
याचिका समिति	
इक्कीसवां प्रतिवेदन	84
सभापति तालिका	84
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1984–85	85
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1982–83	85
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (पंजाब), 1984–85	85
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल), 1984–85	85
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल), 1982–83	85

*किसी नाम पर अंकित †चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
यूनियन कार्बाइड के भोपाल स्थित कारखाने के भंडार से जहरीली गैस से रिसाव के परिणामस्वरूप मानव और पशु जीवन की भारी क्षति के बारे में वक्तव्य ।	
श्री वीरेन्द्र पाटिल	86–89
केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की दो किस्तों का भुगतान किए जाने तथा कुटुम्ब पेंशनभोगियों समेत पेंशनभोगियों को महंगाई राहत देने के बारे में वक्तव्य	
श्री जनार्दन पुजारी	89–94
सभा का कार्य	90
विधेयक—पुनः स्थापित	
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक	94
कलकत्ता भूमिगत रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अस्थायी उपबन्ध विधेयक	95
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1984 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण	95
श्री अशोक सेन	
कलकत्ता भूमिगत रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अस्थायी उपबन्ध अध्यादेश, 1984 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला विवरण	95
श्री बंसी लाल	
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	96–143
प्रो० एन० जी० रंगा	96
श्री बी० आर० भगत	104
श्री अमल दत्त	111
गरीबी समाप्त करने के लिए उपायों के बारे में संकल्प	144–162 व 163–178
प्रो० मधु दण्डवते	144
श्री राम प्यारे पनिका	153
श्री बड्डे सोभाने प्रसिवराव	155
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	159

विषय	पृष्ठ
श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी	163
श्री डी० बी० पाटिल	168
श्री मूल चन्द डागा	171
श्री गदाधर साहा	173
श्री हरीश रावत	177
राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकर गतिविधियों के संबंध में की गई गिरफ्तारियों के बारे में वक्तव्य	163
श्री राजीव गांधी	163

लोक सभा

शुक्रवार, 18 जनवरी, 1985/28 पौष, 1906 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

श्री बीजू पटनायक (केन्द्रपाड़ा)

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी (मालदा)

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ)

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे श्री समीनुद्दीन, वर्तमान लोक सभा के सदस्य 24 भूतपूर्व सदस्यों, दो भूतपूर्व मंत्रियों तथा लोक सभा के एक भूतपूर्व सचिव अर्थात् श्री विश्वनाथ राय, डा० बी० वी० केसकर, सर्वश्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट, लछमन सिंह, भोला पासवान शास्त्री, स्वामी ब्रह्मानन्द, सर्वश्री, गौरीशंकर कक्कड़, आर० बी० स्वामीनाथन, नरेन्द्र कुमार सांघी, मृत्युंजय प्रसाद, सोमनाथ लाहिरी, डा० (श्रीमती) टी० एस० सुन्दरम रामचन्द्रन, सर्वश्री बादशाह गुप्त, एम० एन० कौल, यू० एम० त्रिवेदी, वाई० बी० चव्हान, एम० एन० गोविन्दन नायर, प्रमौतकार, बसन्तकुमार दास, रतन लाल मालवीय, अशोक मेहता, प्रेम चन्द वर्मा, प्रताप सिंह नेगी, सरदार रणजीत सिंह, सर्वश्री धर्मवीर, प्यारे लाल कुरील तालिब तथा मदन लाल शुक्ल के दुःखद निधन की सदन को सूचना देनी है।

श्री सुमीनुद्दीन हाल के चुनावों में बिहार के गोड्डा निर्वाचन क्षेत्र से इस सभा के लिए चुने गए थे। वे इससे पहले 1980–84 के दौरान सातवीं लोक सभा के सदस्य तथा 1957–67 के दौरान बिहार विधान सभा के भी सदस्य रहे ।

वह पेशे से कृषक थे और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया।

वह एक सुप्रसिद्ध शिक्षाविद तथा सामाजिक कार्यकर्त्ता थे, उन्होंने स्कूलों के संगठन में बहुत ही रुचि ली। वह बहुत से कल्याण संगठनों से सम्बद्ध थे।

वह एक योग्य संसदविज्ञ थे। उन्होंने सदन की कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग लिया और सभा-पटल पर रखे जाने वाले पत्रों संबंधी समिति के सदस्य रहे ।

श्री समीनुद्दीन का निधन 5 जनवरी 1985 को 74 वर्ष की आयु में बिहार के भागलपुर स्थान में हुआ ।

श्री विश्वनाथ राय उत्तर प्रदेश से 1952–77 के दौरान पहली से पांचवीं लोक सभा के सदस्य रहे । वर्ष 1970–71 के दौरान वह केन्द्र सरकार में श्रम, रोजगार एवं पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री रहे ।

वह वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा 1932 में और फिर 1940–46 के दौरान जेल गये ।

एक कृषक के नाते वह वर्ष 1966–67 के दौरान उत्तर प्रदेश सिंचाई आयोग तथा जिला बोर्ड, देवरिया के अतिरिक्त अन्य विभिन्न संगठनों से संबद्ध रहे ।

वह एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्त्ता थे । स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जिन लोगों ने परेशानियां सही उन्हें तथा उनके परिवारों को उन्होंने सहायता पहुंचाई । उन्होंने हिन्दी की कई किताबें भी लिखीं ।

श्री विश्वनाथ का निधन 78 वर्ष की आयु में वाराणसी में 27 अगस्त, 1984 को हो गया ।

डा० बी० वी० केसकर उत्तर प्रदेश से 1947–64 के दौरान संविधान सभा, अस्थाई संसद तथा प्रथम और द्वितीय लोक सभा के सदस्य रहे ।

एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी डा० केसकर ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल गए ।

डा० केसकर ने स्वतंत्रता से पहले व स्वतंत्रता के पश्चात् केन्द्रीय मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण विभागों को सम्भाला । उन्हें दस वर्ष की लम्बी अवधि तक सूचना एवं प्रसारण मंत्री बने रहने का गौरव प्राप्त रहा । भारतीय शास्त्रीय संगीत के हिमायती रहे । और उन्हीं के अथक प्रयासों से शास्त्रीय संगीत का रेडियो कार्यक्रमों में समुचित मान्यता दी गई ।

डा० केसकर 'नेशनल बुक ट्रस्ट आफ इण्डिया' तथा अन्य संगठनों से संबद्ध रहे ।

उन्होंने काफी स्थानों का भ्रमण किया । श्री केसकर 1950 में "यूनाइटेड नेशन्स जनरल एसेम्बली" में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के सदस्य थे तथा उन्होंने 1948 में अन्तर संसदीय संघ के 37वें अधिवेशन में सरकारी पर्यवेक्षक के रूप में भी कार्य किया ।

डा० केसकर का निधन 81 वर्ष की आयु में नागपुर में 28 अगस्त 1984 को हुआ ।

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा निर्वाचन क्षेत्र से 1971–77 के दौरान पांचवीं लोकसभा के सदस्य रहे । वह 1952–71 के दौरान उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे तथा अपनी मृत्यु के समय वह इसके वर्तमान सदस्य थे । वह राज्य सरकार में मंत्री भी रहे तथा उन्होंने बहुत से विभागों का कार्यभार संभाला ।

वह एक योग्य संसदविद थे जो सदन की कार्यवाही में अत्यधिक रूचि लेते थे । वह राज्य विधान सभा की विभिन्न महत्वपूर्ण विधायी समितियों के सभापति व सदस्य रहे तथा सभापति तालिका में भी रहे ।

संसदीय प्रक्रिया तथा कार्य-प्रणाली का अध्ययन करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट में भेजा था।

पेशे से कृषक एवं अधिवक्ता श्री बिष्ट ने उत्तर प्रदेश के पिछड़े पहाड़ी इलाकों के आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास में विशेष रुचि ली तथा राज्य एवं जिला स्तरों के विभिन्न संगठनों से संबद्ध रहे।

श्री बिष्ट ने अनेक देशों की यात्रा की। उन्होंने 1967 में हेलसिंकी में शान्ति सम्मेलन में भाग लिया।

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट का निधन 69 वर्ष की आयु में 3 सितम्बर, 1984 को नई दिल्ली में हो गया।

श्री लक्ष्मण सिंह अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह से 1957–62 के दौरान दूसरी लोक सभा के सदस्य रहे।

मुख्य आयुक्त की परामर्श परिषद के सदस्य के अलावा वह एक जाने माने सामाजिक एंव राजनीतिक कार्यकर्त्ता थे। वह अनेक स्थानीय सहकारी एवं अन्य कल्याणकारी संस्थाओं से भी संबद्ध रहे।

श्री लक्ष्मण सिंह का निधन 78 वर्ष की आयु में पोर्ट ब्लेयर में 5 सितम्बर, 1984 को हुआ।

श्री भोला पासवान शास्त्री का, जो भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री तथा राज्य सभा के भूतपूर्व सदस्य थे, निधन 10 सितम्बर, 1984 को नई दिल्ली में 70 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री शास्त्री वर्ष 1972–82 के दौरान राज्य सभा के सदस्य रहे और कुछ समय के लिये इसी सदन में विरोधी पक्ष के नेता भी रहे। वह फरवरी, 1973 से अक्तूबर 1974 तक निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री रहे।

राज्य सभा में चुने जाने से पहले श्री शास्त्री काफी वर्षों तक बिहार विधान सभा के सदस्य रहे। वह वर्ष 1968 और 1971 के दौरान तीन बार बिहार के मुख्य मंत्री बने। इससे पूर्व 1946 से 1963 के दौरान बिहार सरकार में वह संसदीय सचिव तथा मंत्री भी रहे। वह एक कुशल संसद और योग्य प्रशासक थे। वह अपनी मृदु वाणी तथा सरल व्यवहार के कारण सदन के सभी लोगों में प्रिय थे।

वह एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन में सक्रिय रूप में भाग लिया तथा कई बार जेल भी गये।

वह एक जाने माने एवं सामाजिक एवं राजनैतिक कार्यकर्त्ता थे। उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिये विशेष रुचि दिखाई। वह एक साप्ताहिक तथा एक दैनिक अखबार के सम्पादक भी रहे।

स्वामी ब्रह्मानन्द उत्तर प्रदेश के हमीरपुर निर्वाचन क्षेत्र से 1967–77 के दौरान चौथी और पांचवीं लोकसभा के सदस्य रहे।

वह एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने विभिन्न रियासतों में लोकप्रिय सरकार लाने के लिये सक्रिय रूप से भाग लिया और वह कई वर्षों तक जेल में भी रहे।

85-M/S182LSS—3

वह एक कृषक और सामाजिक कार्यकर्त्ता थे। समाज के कमजोर वर्गों में विद्यमान कुरीतियों को मिटाने के लिये उन्होंने विशेष रुचि दिखाई। उन्होंने शिक्षा के प्रसार, मद्यनिषेध तथा गोरक्षा के लिये भी कार्य किया। वह विभिन्न सामाजिक और शिक्षा संस्थाओं से संबद्ध रहे। वह एक लेखक भी थे।

वह सत्याग्रह तथा अहिंसा में दृढ़ विश्वास रखने वाले थे। वर्ष 1983 में हिसार में सूखे से प्रभावित लोगों के लिए उन्होंने अनशन किया तथा सहायता दिलायी।

स्वामी ब्रह्मानन्द का निधन उत्तर प्रदेश में रथ में 13 सितम्बर, 1984 को हो गया।

श्री गौरी शंकर कक्कड़ उत्तर प्रदेश के फतेहपुर निर्वाचन क्षेत्र से 1962–67 के दौरान तीसरी लोक सभा के सदस्य रहे।

वह पेशे से वकील थे। उन्होंने सामाजिक कार्य तथा सहकारी समितियों तथा बैंकिंग के विकास में गहरी रुचि ली। फतेहपुर म्युनिसिपल बोर्ड के 7 वर्षों से भी अधिक समय तक आयुक्त रहने के अलावा वह अनेक जिला संगठनों से संबद्ध रहे।

श्री गौरी शंकर कक्कड़ का निधन 60 वर्ष की आयु में फतेहपुर में 2 अक्तूबर, 1984 को हो गया।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन तमिल नाडु के शिवगंगा निर्वाचन क्षेत्र से सांतवीं लोक सभा के सदस्य चुने गए थे। सन् 1971–77 के दौरान पांचवीं तथा छठी लोक सभा के भी सदस्य रहे। लोक सभा में चुने जाने से पूर्व वह वर्ष 1946–57 के दौरान मद्रास विधान सभा के सदस्य थे तथा फिर सन् 1962–67 में भी इसके सदस्य रहे। सन् 1980–83 के दौरान वह केन्द्रीय सरकार में मंत्री रहे।

वह एक योग्य संसदविज्ञ थे। उन्होंने 1947 की कार्यवाही, विशेष रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी कार्यवाही में विशेष रुचि ली। मद्रास विधान सभा के सदस्य के रूप में वह आपराधिक जनजाति अधिनियम को समाप्त करने के प्रयासों में सफल रहे जिसके परिणाम स्वरूप इस अधिनियम के चंगुल में फंसे हुए समुदायों को छुटकारा मिला।

श्री स्वामीनाथन ने अनेक देशों की यात्रा की। वह न्यूजीलैण्ड (1965) तथा कनाड़ा (1966) में राष्ट्रमण्डल संसदीय सम्मेलनों में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमण्डल के सदस्य रहे। 1950 में स्वीडन में तथा 1975 म अमेरिका में हुए अंतर्राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में भी उन्होंने एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन का निधन 74 वर्ष की आयु में मद्रास में 4 अक्टूबर, 1984 को हो गया।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी राजस्थान से 1960–62 तथा 1967–77 में दूसरी, चौथी और पांचवीं लोक सभा के सदस्य रहे।

वह एक सुप्रसिद्ध व्यापारी, उद्योगपति तथा सामाजिक कार्यकर्त्ता थे। वह अनेक वाणिज्यिक, शैक्षणिक तथा सरकारी संगठनों में विभिन्न पदों पर रहे।

वह एक कुशल सांसद थे। वह सदन की कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग लेते थे।

श्री सांधी का निधन 61 वर्ष की आयु में 19 अक्तूबर, 1984 को हुआ।

श्री मृत्युंजय प्रसाद बिहार से 1967–70 और 1977–79 के दौरान चौथी और छठी लोकसभा के सदस्य रहे।

वह एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने छोटी उम्र से ही स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया जिसके फलस्वरूप उन्हें पढ़ाई बीच ही में छोड़नी पड़ी। वह 1926–29 के दौरान साबरमती सत्याग्रह आश्रम में रहे जहां उन्होंने हिन्दी अध्यापक का कार्य किया तथा गांधीजी की रचनाओं का अंग्रेजी तथा गुजराती में अनुवाद किया।

वह एक जाने माने शिक्षाविद, सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्त्ता थे वह कई सामाजिक संगठनों के साथ जुड़े होने के अलावा वाणिज्य कालेज पटना के संस्थापक भी थे। उन्होंने जीवन बीमा पर, जो व्यावसायिक पत्रिकाओं में छपे, कई तकनीकी लेखों को लिखा।

वह एक योग्य संसदविद थे। उन्होंने सभा की कार्यवाही में अत्यधिक दिलचस्पी ली। वह अनेक संसदीय समितियों के सदस्य भी थे।

श्री मृत्युंजय प्रसाद का निधन 78 वर्ष की आयु में 19 अक्तूबर, 1984 को पटना में हुआ।

श्री सोमनाथ लाहिरी सन् 1946–47 के दौरान संविधान सभा के सदस्य थे। बाद में वह पश्चिम बंगाल विधान सभा के सदस्य बने तथा एक सरकार में मंत्री भी बने।

संविधान सभा में चुने जाने से पूर्व वह सन् 1944–47 के दौरान कलकत्ता नगर निगम में पार्षद थे।

वह एक जाने माने श्रमिक नेता तथा पत्रकार थे। वह 1946–48 के दौरान बंगाली के दैनिक "स्वाधीनता" के मुख्य सम्पादक थे और अनेक प्रकाशनों के लेखक थे।

श्री लाहिरी का निधन 75 वर्ष की आयु में 19 अक्तूबर, 1984 को कलकत्ता में हुआ।

डा० (श्रीमती) टी० एस० सुन्दरम रामचन्द्रन तत्कालीन मद्रास राज्य के डिन्डिगल निर्वाचन क्षेत्र से 1962–67 के दौरान तीसरी लोक सभा की सदस्य थी। उससे पूर्व वह 1952–62 के दौरान मद्रास विधान सभा की सदस्य रहीं। 1962–67 के दौरान वह केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय में उप मंत्री भी रहीं।

वह गांधीवादी विचारधारा में दृढ़ विश्वास रखती थी। वह गांधीग्राम संस्थान की संस्थापक निदेशक थीं। वह एक सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्ता तथा समाज-सुधारक थीं। उन्होंने स्वयं को स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा ग्रामीण लोगों की शिक्षा के लिये समर्पित किया। वह अनेक कल्याणकारी संगठनों से संबद्ध थीं।

डा० (श्रीमती) टी० एस० सुन्दरम रामचन्द्रन का निधन 79 वर्ष की आयु में 21 अक्तूबर, 1984 को मदुरई में हुआ।

श्री बादशाह गुप्त उत्तर प्रदेश के मैनपुरी निर्वाचन क्षेत्र से 1952–57 तथा 1962–67 के दौरान पहली तथा तीसरी लोक सभा के सदस्य थे। वर्ष 1946–52 के दौरान वह उत्तर प्रदेश राज्य विधान सभा के सदस्य थे।

वह एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा कई वर्षों तक जेल में भी रहे।

वह एक विख्यात अधिवक्ता तथा सामाजिक कार्यकर्त्ता थे। वह अनेक सरकारी और गैर सरकारी संगठनों से संबद्ध थे। उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिये कार्य किया।

श्री बादशाह गुप्त का निधन 84 वर्ष की आयु में 12 नवम्बर, 1984 को उत्तर प्रदेश के रामनगर में हुआ।

श्री एम० एन० कौल का, जो 1947–64 के दौरान 17 वर्ष तक संविधान सभा (विधायी), अस्थायी संसद तथा लोकसभा के सचिव रहे, 83 वर्ष की आयु में 20 नवम्बर, 1984 को नई दिल्ली में निधन हो गया। उन्होंने कैम्ब्रिज से स्नातकोतर डिग्री हासिल की तथा मिडिल टेम्पल से बार-एट-लॉ किया। 1937 में केन्द्रीय विधान सभा में उपसचिव के पद पर आने से पूर्व उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में करीब 10 वर्ष तक प्रैक्टिस की और 1931–37 के दौरान प्रसिद्ध 'इलाहाबाद लॉ जर्नल' 'इलाहाबाद विधि पत्रिका' का संपादन कार्य भी किया। उन्हें रॉयल इकॉनामिक सोसाइटी का सदस्य भी बनाया गया।

श्री कौल, जो कि संसदीय प्रक्रिया तथा व्यवहार तथा संवैधानिक कानून के सुविख्यात विशेषज्ञ थे, ने संसद से संबंधित संविधान के उपबंध बनाने के साथ साथ लोक सभा में प्रक्रिया तथा परम्पराओं की संबंध में नियमों के जो, कसौटी पर खरे उतरे हैं बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी उन्होंने सक्षम तथा स्वतंत्र लोक सभा सचिवालय की नींव रखी।

श्री कौल की संसद में लंबी तथा विशिष्ट सेवा को ध्यान में रखते हुए उन्हें 1964 में सचिव पद से सेवा निवृत्त होने के पश्चात् सदन का आजीवन मानदेय अधिकारी बना दिया गया। 1964 में उन्हें लोक न्यासी नियुक्त किया गया तथा 1966 और पुन: 1970 में उन्हें राज्य सभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। उनका संविधानिक तथा सन्सदीय संस्थान के साथ गहरा संबंध रहा। संसदीय प्रक्रिया में उनकी दिलचस्पी कभी कम नहीं हुई। उनकी नवीनतम पुस्तक "पार्लियामेंटरी इन्स्टीट्यूशन्स एंड प्रोसीजर्स" संसदीय संस्थाएं तथा प्रक्रियाएं 1979 में प्रकाशित हुई थीं।

उन्होंने कई देशों की यात्रा की। कई संसदीय शिष्ट मंडलों के साथ वह विदेश गए तथा वह अंतर्राष्ट्रीय संसदीय क्षेत्रों में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे।

उनके साथ मिलकर लिखी गयी संसदीय कार्य तथा प्रक्रिया सम्बन्धी विशाल पुस्तक उनकी स्थायी यादगार रहेगी।

श्री यू० एम० त्रिवेदी पहली तथा तीसरी लोक सभा के सदस्य थे उन्होंने 1952–57 में राजस्थान के चित्तौड़ तथा 1962–67 में मध्यप्रदेश के मंदसौर निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया।

श्री त्रिवेदी जो एक प्रसिद्ध वकील, सामाजिक तथा राजनैतिक कार्यकर्त्ता थे 'नीमच बार एसोसिएशन' के अध्यक्ष होने के अलावा अन्य कई शैक्षणिक, सामाजिक तथा कानूनी संस्थाओं से संबद्ध रहे । वह मणिपुर में "इवैक्यूएशन" (निकासी) अधिकारी तथा कैंप कमान्डेंट थे ।

वह एक योग्य सांसद थे । वह सदन की कार्यवाही में बहुत रूचि रखते थे ।

श्री त्रिवेदी का 24 नवम्बर, 1984 को नीमच, मध्य प्रदेश में निधन हो गया ।

श्री वाई० बी० चव्हाण, जो 1964–84 के दौरान तीसरी, चौथी, पांचवीं, छठी तथा सातवीं लोकसभा के सदस्य रहे, का 71 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में 25 दिसम्बर, 1984 को देहान्त हो गया । लोकसभा में आने से पूर्व वह 1963 में राज्य सभा के सदस्य थे और 1946–62 के दौरान वह पहले बम्बई विधानसभा के तथा बाद में महाराष्ट्र की राज्य विधान सभा के सदस्य रहे । 1946 में उन्होंने बम्बई सरकार में संसदीय सचिव का पद ग्रहण किया और 1960–62 के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे । 1962–66 के दौरान वह केन्द्रीय मंत्री परिषद में रक्षा मंत्री रहे और बाद में 1966–77 के दौरान उन्होंने कई महवत्पूर्ण विभागों का कार्यभार संभाला जिनमें गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय शामिल है । जुलाई, 1979 से जनवरी 1980 तक वह उप प्रधान मंत्री रहे ।

एक प्रसिद्ध सांसद श्री चव्हाण नवम्बर, 1977 से अप्रैल 1978 तक और फिर जुलाई 1979 में लोक सभा में विरोधी पक्ष के नेता रहे । लोक सभा वाद-विवाद इस बात के साक्षी है कि श्री चव्हाण ने मंत्री के नाते तथा विपक्ष के सदस्य के नाते संसदीय शासन प्रणाली के लोकतंत्रीय मूल्यों को बनाए रखने में बहुमूल्य योगदान दिया । सभा के सभी दल उनका सम्मान करते थे और उनकी बात शांति से सुनते थे ।

वह एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे । उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और कई वर्षों तक जेल में रहे ।

श्री चव्हाण एक प्रमुख राजनैतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे । वह रक्षा अध्ययन तथा विश्लेषण संस्थान के अध्यक्ष होने के अतिरिक्त कई स्वयंसेवी, सामाजिक, शैक्षणिक तथा अन्य से संबद्ध रहे । वह आठवें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे और साथ ही तिलक महाराष्ट्र संगठनों विद्यापीठ के कुलाधिपति भी रहे ।

श्री चव्हाण एक कुशल प्रशासक थे । उन्होंने कई अवसरों पर विदेशों में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया । उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में गए भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया तथा कई अन्य राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया । उन्होंने कई पुस्तकें तथा अंग्रेजी और मराठी में कई लेख लिखे ।

श्री एम० एन० गोविन्दन नायर, 1977–79 में छठी लोक सभा के सदस्य रहे । उन्होंने केरल के त्रिवेन्द्रम निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया । वह 1956–1967 अर्थात् 10 वर्षों से अधिक

समय तक राज्य सभा के सदस्य भी रहे। वह 1952–54 और 1967–77 के दौरान केरल राज्य विधान सभा के सदस्य रहे और उन्होंने 1967-77 के दौरान लगभग 10 वर्षों तक केरल सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद पर रह कर सेवा की।

अपने दल का नेता तथा कुशल सांसद होने के नाते श्री नायर ने लोक सभा की कार्यवाही में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह प्राक्कलन समिति में भी रहे।

वह प्रमुख राजनैतिक तथा सामाजिक कार्यकर्त्ता थे। उन्होंने पददलितों का उत्थान किया तथा वह कई सामाजिक संगठनों से संबद्ध रहे।

श्री एम० एन० गोविन्दन नायर का 74 वर्ष की आयु में 27 नवम्बर, 1984 को त्रिवेन्द्रम में निधन हो गया।

श्री प्रभात कार पश्चिम बंगाल के हुगली निर्वाचन क्षेत्र से 1957–67 के दौरान दूसरी और तीसरी लोक सभा के सदस्य रहे। वह एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने 1930 और 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया।

वह एक प्रसिद्ध श्रमिक नेता और सामाजिक कार्यकर्त्ता थे। श्री प्रभात कार श्रमिकों और युवकों के कल्याण संबंधी कई संगठनों से संबद्ध थे। वह 1943 में अखिल पंजाब बंगाल, अकाल समिति की कार्यकारिणी समिति के सदस्य रहे।

एक कुशल सांसद के नाते श्री प्रभात कार ने श्रमजी वर्गों के कल्याण संबंधी वाद-विवाद में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने 1957–59 के दौरान लोक लेखा समिति की सेवा भी की।

श्री प्रभात कार का 71 वर्ष की आयु में 27 नवम्बर, 1984 को अचानक उस समय निधन हो गया जब वह निजामाबाद, आंध्र प्रदेश जा रहे थे।

श्री बसंत कुमार दास 1947–57 और 1962–67 के दौरान पश्चिम बंगाल से संविधान सभा, अन्तरिम संसद, पहली तथा तीसरी लोक सभा के सदस्य रहे। वह 1958–62 के दौरान पश्चिम बंगाल विधान परिषद के सदस्य भी रहे।

श्री दास एक वयोवृद्ध स्वतन्त्रता सेनानी थे। उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया तथा कई बार जेल गए।

वह एक विशिष्ट समाजिक कार्यकर्त्ता थे। 1956 में सोवियत संघ गए। भारतीय कृषि शिष्ट मंडल का नेता होने के अतिरिक्त वह कई सामाजिक और शैक्षणिक संगठनों से संबद्ध रहे।

श्री बसंत कुमार दास का 86 वर्ष की आयु में 2 दिसम्बर, 1984 को कलकत्ता में निधन हो गया।

श्री रतन लाल मालवीय 1948–52 के दौरान मध्य प्रदेश से संविधान सभा तथा अस्थायी संसद के सदस्य थे। बाद में वर्ष 1954 में और पुनः 1960 में वह राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए।

वह 1962 से 1966 तक केन्द्रीय मंत्रिपरिषद में श्रम तथा रोजगार मंत्रालय में उप मंत्री रहे। इससे पूर्व उन्होंने श्रम तथा रोजगार मंत्री के संसदीय सचिव पद पर कार्य किया।

वह एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। अपने छात्र जीवन से ही वह स्वतंत्रता आन्दोलन में आ गए थे। वह एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्ता तथा श्रमिक नेता थे। उन्होंने संसद में तथा संसद के बाहर भी श्रमिक वर्गों का समर्थन किया। वह अनेक सामाजिक तथा सरकारी संगठनों से संबद्ध रहे और अनेक पत्रिकाओं के संपादकीय स्टाफ में रहकर भी सेवा की।

उन्होंने विदेश की काफी यात्रा की। उन्होंने 1951 में जेनेवा में हुए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन के चौथे अन्तर्राष्ट्रीय कोयला खनन समिति में भारत के कोयला खान श्रमिकों का प्रतिनिधित्व किया और कोयला खानों तथा अन्य श्रमिक दशाओं का अध्ययन करने के लिए भी विदेश गए।

श्री रतन लाल मालवीय का 77 वर्ष की आयु में 8 दिसम्बर, 1984 को जबलपुर में निधन हो गया।

श्री अशोक मेहता 1954–62 और 1967––70 के दौरान महाराष्ट्र और बिहार से पहली दूसरी और चौथी लोक सभा के सदस्य रहे। उन्होंने 1966–68 के दौरान केन्द्रीय मंत्री के रूप में योजना मंत्रालय सहित अनेक आर्थिक मंत्रालयों का कार्य-भार भी संभाला।

वह एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे। केन्द्रीय मंत्रिमंडल में आने से पूर्व वह प्रतिष्ठित पदों पर रहे। वह 1963 में योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे और 1957 में खाद्यान्न जांच समिति का अध्यक्ष होने के अतिरिक्त अन्य अनेक सरकारी और गैर-सरकारी सन्गठनों से संबद्ध रहे।

वह एक प्रमुख सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्त्ता तथा श्रमिक नेता थे। उन्होंने 1949 से हिन्द मजदूर सभा की नींव डाली तथा वह इसके प्रथम महासचिव थे।

वह एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी थें। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा अनेक वर्ष तक जेल में रहे।

उन्होंने सदन के सदस्य तथा मंत्री दोनों के नाते वाद-विवाद में पर्याप्त योगदान दिया। वह एक योग्य सांसद थे।

उन्होंने विदेश की भी व्यापक यात्रा की। श्री मेहता न 1963 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया। वह कई प्रकाशनों के लेखक थें।

श्री अशोक मेहता का निधन 73 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में हो गया।

श्री प्रेमचंद वर्मा 1967–70 के दौरान हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर निर्वाचन क्षेत्र से चौथी लोक सभा के सदस्य रहे।

वह एक प्रमुख पत्रकार थे । वह कई साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाओं के संस्थापक तथा मुख्य संपादक रहे । वह कई प्रेस मंचों, विशेषकर दूसरा प्रेस आयोग, प्रेस परिषद और पालेकर न्यायाधिकरण से भी संबद्ध थे । जिस समय उनका निधन हुआ , उस समय वह अखिल भारतीय लघु एवं मध्यम समाचार पत्र संपादक के अध्यक्ष थे ।

वह एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्त्ता थे । उन्होंने अनेक सामाजिक संगठनों में विभिन्न पदों पर काम किया।

श्री प्रेम चन्द वर्मा का निधन 65 वर्ष की आयु में बड़ी दुखद परिस्थितियों में नई दिल्ली में 12 दिसम्बर, 1984 को हुआ।

श्री प्रताप सिंह नेगी 1971–77 के दौरान उत्तर प्रदेश के गढ़वाल निर्वाचन क्षेत्र से पांचवीं लोक सभा के सदस्य रहे । वह पेशे से एक कृषक थे । समाज कल्याण में तथा पददलितों को सहयोग देने तथा उनके उत्थान में उनकी बहुत रुचि थी। शिक्षा के प्रसार तथा सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन में उन्होंने विशेष रूप से दिलचस्पी दिखाई।

श्री प्रताप सिंह नेगी का 87 वर्ष की आयु में 18 दिसम्बर, 1984 को कोटद्वार, गढ़वाल में निधन हो गया।

सरदार रणजीत सिंह 19949–57 और 1962–67 के दौरान पंजाब के संगरूर निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा, अस्थायी संसद तथा पहली और तीसरी लोक सभा के सदस्य रहे ।

वह एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्त्ता और शिक्षाशास्त्री थे । उन्होंने शिक्षा के विकास में काफी दिलचस्पी ली । नई दिल्ली नगर पालिका के तीन वर्षों तक उपाध्यक्ष बने रहने के अलावा वे दिल्ली में कई वर्षों तक अवैतनिक मैजिस्ट्रेट भी रहे ।

87 वर्ष की आयु में सरदार रणजीत सिंह का देहान्त 20 दिसम्बर, 1984 को नई दिल्ली में हुआ ।

श्री धर्मवीर राज्य सभा के वर्तमान सदस्य तथा श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री थे । 48 वर्ष की आयु में 22 दिसम्बर 1984 को उनका देहान्त हो गया । इससे पहले वह कई वर्षों तक उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य और राज्य के मंत्री मंडल में मंत्री रहे ।

पेशे से वकील होते हुए उन्होंने अनुसुचित जातियों तथा समाज के अन्य दुर्बल वर्गों के उत्थान में गहरी रुचि ली । जिला परिषद् से सम्बद्ध होने के अलावा, वह इलाहाबाद नगरनिगम के सदस्य भी रहे ।

वह वर्तमान लोकसभा के लिए उत्तर प्रदेश के चैल निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार थे, लेकिन चुनाव होने की तिथि से पूर्व ही उनका देहान्त हो गया ।

श्री प्यारे लाल कुरील तालिव, केन्द्रीय विधान सभा तथा पहली लोक सभा के 1942–46 और 1952–57 के दौरान सदस्य थे। वह 1974 से राज्य सभा के सदस्य थे। इससे पहले वह 1960–66 में भी राज्य सभा के सदस्य थे। 1967 में वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के लिए चुने गए। वह एक जाने माने सामाजिक कार्यकर्त्ता थे जिन्होंने अनुसूचित जातियों और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए लगातार कार्य किया। वह कई सामाजिक संगठनों से भी सम्बद्ध थे।

वह एक प्रमुख पत्रकार और कई पत्रिकाओं के प्रधान सम्पादक थे। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश फिल्म निर्माण लि० के चेयरमेन थे।

68 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में 27 दिसम्बर, 1984 को उनका देहान्त हो गया।

श्री मदन लाल शुक्ल, मध्य प्रदेश के जन्जीगीर निर्वाचन क्षेत्र से 1977–79 के दौरान छठी लोक सभा के सदस्य थे।

वह लगभग 20 वर्षों तक बिलासपुर नगर पालिका के सदस्य रहे, इसके अलावा वह एक जाने माने सामाजिक कार्यकर्त्ता तथा मजदूर नेता थे। वे कई मजदूर संघों से सम्बद्ध थे। उन्होंने आदिवासियों के उत्थान के लिए कार्य किया।

वह एक प्रमुख पत्रकार और साप्ताहिक पत्रिका 'छत्तीसगढ़ गौरव' के सम्पादक थे।

56 वर्ष की आयु में श्री मदन लाल शुक्ल का देहांत 29 दिसम्बर, 1984 को बिलासपुर में हुआ।

मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 3 दिसम्बर, 1984 को प्रातः भोपाल में यूनियन कार-बाइड पेस्टीसाइड कारखाने में जहरीली गैस के रिसाव के कारण इतिहास में पर्यावरण सबंधी सबसे भीषण दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना का विस्तार इतना अधिक था कि एक सप्ताह के अन्दर ही 2,000 से अधिक निर्दोष बच्चों, पुरुषों तथा स्त्रियों की जानें चली गई और हजारों बेघर हो गये। मृतकों के परिवारों और अन्य प्रभावित परिवारों को शीघ्र आवास, भोजन, कपड़ा और विशेष चिकित्सा सुविधा, पर्याप्त वित्तीय सहायता आदि प्रदान करना और उनके पुनर्वास का कार्य बहुत बड़ा कार्य था। इसके अलावा यह भी आवश्यक था कि इस जहरीली गैस के रिसाव के लिए जिम्मेवार लोगों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसी दुर्घटनाएं पुनः न हों।

हम इन मित्रों की मृत्यु पर गहरा दुःख प्रकट करते हैं। मुझे विश्वास है कि सभा भी मेरे साथ इन दुःखी परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करेगी।

अब सभा संवेदन प्रकट करने के हेतु कुछ क्षणों के लिए मौन खड़ी होगी।

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहे।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

राज्यों में व्यापार और उद्योगों को सहायता देने के विशेष उपाय

*1. **श्री चित्त महाटा :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऋण सीमा बढ़ाकर और ऋण भुगतान की पुन:व्यवस्था करके सभी राज्यों में व्यापार और उद्योगों को सहायता हेतु विशेष उपाय किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) दूसरे राज्यों की तुलना में पश्चिम बंगाल को कितनी सहायता मिलेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

रिजर्व बैंक, बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह देता आ रहा है कि वे अपने ग्राहकों को जो ऋण सहायता देते हैं वह समयोचित और पर्याप्त हो ताकि उससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार उन ग्राहकों की उत्पादक गतिविधियों की वास्तविक आवश्यकताएं पूरी हो सकें । रिजर्व बैंक द्वार, अधिक कामकाज के मौसम की ऋण नीति के संबंध में अक्तूबर, 1984 को भेजे गए अपने परिपत्र में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से उन क्षेत्रों को पर्याप्त ऋण समर्थन देने के लिए कहा है जहां औद्योगिक विकास फिर से जोर पकड़ रहा है । बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्रत्येक ऋणकर्त्ता एकक के उत्पादन के परिणाम को ध्यान में रखकर ऐसा समर्थन प्रदान करेंगे । इस का अर्थ यह नहीं है कि ऋण सीमाओं में कोई सामान्य वृद्धि कर दी गई है ।

राहत दिए जाने के उद्देश्य से बैंकों द्वारा ऋणों की वापसी के कार्यक्रम का पुनर्निर्धारण तब किया जाता है, जब ऋणकर्त्ता प्राकृतिक विपदाओं से प्रभावित हो जाएं या कोई ऐसे कारण हों जिनका उत्पादन पर प्रभाव पड़ा हो ।

चूंकि ऋणों की राशि और वापसी अदायगी की शर्तें बैंकों द्वारा अलग-अलग ऋणकर्त्ताओं की मांग के संदर्भ में तय की जाती है इसलिये इस संबंध में राज्यवार अनुमान लगाना संभव नहीं है ।

श्री चित्त महाटा : मैंने माननीय मंत्री द्वारा दिये गये विवरण को पढ़ा है लेकिन मैं पूरी तरह से सन्तुष्ट नहीं हूं ।

मैं समझता हूं कि व्यापार और उद्योगों में वर्तमान संकट का एक प्रमुख कारण वित्तीय अभाव व ऋण सुविधाओं की कमी है । इसके अलावा यह सीमा अधिकतर छोटे पैमाने के उद्योगों पर लागू होती है न कि मध्यम और बड़े क्षेत्र के उद्योग और व्यापार । इस दृष्टि से, मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा कि टंडन समिति और माराठे समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने उद्योगों और व्यापार के विकास के लिए ऋण सीमा और वित्तीय सहायता की राशि में संशोधन करने का उपबंध किया है ।

श्री जनार्दन पुजारी : भारतीय रिजंव बैंक द्वारा अपनाई जा रही ऋण नीति का मूल सिद्धान्त यह है कि कुल मिला कर ऋण विस्तार को रोका जाए। भारतीय रिजंव बैंक और भारत सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वे अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीती के दबाव को नियंत्रित करे। इसलिए जहां तक जमाखोरी और तस्करी का संबंध है हम धन का फैलाव नहीं कर सकते। लेकिन हम व्यापार और उद्योग की आवश्यक जरूरतों को पूरा कर रहे हैं।

श्री चित्त महाटा : मैं जानना चाहता हूं कि आप मराठे समिति की सिफारिशों को लागू कर रहे है या नहीं?

श्री जनार्दन पुजारी : कुछ संशोधनों सहित रिजंव बैंक ने मराठे समिति का प्रतिवेदन स्वीकार कर लिया है और हम इसे लागू कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि हम व्यापार और उद्योग की उचित आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं।

श्री चित्त महाटा : केन्द्रीय सरकार से ऋण सुविधाओं और वित्तीय सहायता के अभाव में पश्चिम बंगाल के व्यापार और उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ा है। इसको ध्यान में रखते हुए, रुग्ग औद्योगिक एककों के विकास और प्रस्तावित हल्दिया पैट्रो केमिकल काम्पलक्स और कलकत्ता में साल्ट लेक औद्योगिक एककों के लिए वित्तीय सहायता और ऋण सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए सरकार का क्या फैसला है?

श्री जनार्दन पुजारी : किसी विशेष राज्य को ऋण दिया जाना इस बात पर निभर करता है कि उस विशेष क्षेत्र में आधार-भूत ढांचे संबंधी सुविधाएं है या नहीं। यह आर्थिक गतिविधियों पर भी निर्भर करता है कि किसी विशेष क्षेत्र में उद्योग कैसे पनप रहे हैं, उस विशेष क्षेत्र में औद्योगिक गति-विधियों का कैसे विकास हो रहा है। उस क्षेत्र में औद्योगिक संबंध और प्रबन्ध व्यवस्था और उद्यम स्थापित करने की स्थिति पर भी निर्भर करता है। जहां तक छोटे क्षेत्र के उद्योगों का संबंध है, जैसा कि मैंने कहा कि सभी क्षेत्रों में चाहे वह पश्चिम बंगाल हो या कोई अन्य राज्य, उस विशेष राज्य में ऋण उपलब्ध कराना इस बात पर भी निर्भर करता है कि छोटे पैमाने के उद्योगों को बढ़ावा देने की नीति क्या है।

श्री बसुदेव आचार्य : पश्चिम बंगाल में रुग्ण उद्योगों को वित्तीय सहायता और ऋण सुविधाएं देने के लिए, पश्चिम बंगाल सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा था जिसमें राज्य में एक नये बैंक की स्थापना के लिए मंजूरी मांगी गई थी। क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि नया बैंक खोलने के संबंध में या पश्चिम बंगाल राज्य में बैंक खोलने की अनुमति देने के बारे में क्या कदम उठाये गये हैं। राज्य सरकार ने दो वर्ष पूर्व यह प्रस्ताव भेजा था। इस संदर्भ में क्या कार्यवाही की गई है?

श्री जनार्दन पुजारी : रिजर्व बैंक इस पर विचार कर रहा है। लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

श्री रामस्वरूप राम : अध्यक्ष महोदय, जो वित्तीय सहायता केन्द्र से राज्य सरकारों को दी जाती है, उसमें यह देखा गया है कि कभी-कभी क्षेत्रीय असन्तुलन पैदा हो जाता है। इसलिए, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार पापुलेशन को आधार मानकर राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने का विचार रखती है?

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : श्रीमन्, जनसंख्या के आधार पर सहायता नहीं दी जाती। यह तो आर्थिक गतिविधियों पर आधारित होती है।

श्री पीयूष तिरकी : श्रीमन्, वित्त आयोग ने पहले ही सिफारिश की है कि पश्चिम बंगाल सरकार अपने विकास कार्यों के लिए 325 करोड़ रुपये पाने की हकदार है। लेकिन केन्द्रीय सरकार द्वारा इसे न मानने के फलस्वरूप यह राशि राज्य सरकार को नहीं दी गई है। मैं यह जानना चाहूंगा कि वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किये जाने के बावजूद यह राशि पश्चिम बंगाल को क्यों नहीं दी गई। दूसरे, क्या यह सत्य नहीं है कि क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार एक गैर-कांग्रेस सरकार है, इसलिए यह राशि उसे नहीं दी गई है और तीसरी बात यह है कि क्या नई सरकार शीघ्र ही पश्चिम बंगाल सरकार को 325 करोड़ रु० अदा करेगी ?

श्री जनार्दन पुजारी : श्रीमन्, यह प्रश्न व्यापार और उद्योग की सहायता के लिए उठाये गये विशेष उपायों, यानि वित्तीय संस्थानों द्वारा सहायता प्रदान किये जाने से संबंधित है। जो प्रश्न उठाया गया है उससे इसका कोई संबंध नहीं है। माननीय सदस्य इसके लिए अलग सूचना दे सकते हैं।

नेशनल अल्युमीनियम कम्पनी लिमिटेड, उड़ीसा का चालू किया जाना

*2. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेल्को, उड़ीसा द्वारा अल्यूमीना अल्यूमीनियम परियोजना चालू करने के लिए की गई प्रगति में विलम्ब हो गया है ; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं।

(ख) अल्यूमीना अल्यूमीनियम उद्योग-समूह के आरम्भ किये जाने से अब तक घटकवार कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) कार्य की गति तेज करने और उसे निर्धारित अवधि में पूरा करने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) इस उद्योग समूह के लिए अब तक कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है और इसे पूरा करने के लिए कितनी धनराशि और उपलब्ध कराई जायेगी ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) तकनीकी सलाहकार फ्रांस के एल्यूमिनियम पैशीने के बेसिक इन्जीनियरिंग आंकड़ों को, देशी आवश्यकताओं के अनुरूप विस्तृत विशिष्टताओं में बदलने तथा विश्वव्यापी निविदाओं में लगे प्रारम्भिक समय को देखते हुए मूल परियोजना अनुसूची को पिछले वर्ष पुनः मूल्यांकन करके संशोधित किया गया। संशोधित अनुसूची के अनुसार विलम्ब की संभावना नहीं है।

(ख) 31-12-84 को खण्डवार प्रगति निम्नलिखित है :–

परियोजन खण्ड	**% निर्माण प्रगति**
1. खान	79.2
2. एल्यूमिना	40.2
3. एल्यूमिनियम प्रद्रावक	41.7
4. ग्रहीत बिजलीघर	35.8

(ग) मंत्रालय द्वारा परियोजना की प्रगति की लगातार निगरानी की जा रही है। जहां कहीं समस्या होती है, वहां आवश्यक सहायता दी जाती है।

(घ) कम्पनी ने 1981 में 680 मिलियन अमरीकी डालर के यूरो-डालर ऋण का करार किया है, तथा 1750 मि० फ्रेंच फ्रैंक का फ्रेंच उधार प्राप्त किया गया। कम्पनी को अब तक 294.34 करोड़ रुपए की इक्विटी पूंजी भी दी जा चुकी है। हाल ही में 21-12-1984 को कम्पनी ने 300 मिलियन अमरीकी डालर के एक अन्य यूरो-डालर ऋण के करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

परियोजना पर दिसम्बर, 1984 तक 905.76 करोड़ रु० का कुल संचयी व्यय हुआ है।

परियोजना के लिए संशोधित लागत अनुमान, जिनमें परियोजना को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता का आकलन होगा, विचाराधीन हैं।

श्री गिरिधर गोमांगो : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि इस परियोजना के पूरा होने की पहले तिथि क्या थी और इसे आरम्भ करने की संशोधित तिथि अब क्या है? परियोजना-स्तर पर धन, मशीनरी, प्रबन्ध और निगरानी की वजह से अधिक देरी न हो, इसके लिए मंत्रालय ने क्या उपाय किये हैं?

श्री वसंत साठे : मूल तिथि, जिसे 'जीरो' तिथि भी कहते हैं जनवरी, 1981 थी। हमने देशी सैक्टर को कार्य का एक बड़ा भाग सौंप दिया है इसलिए समूचे ढांचे में परिवर्तन के कारण अब प्रभावी जीरो तिथि फरवरी, 1982 कर दी गई है। इस जीरो तिथि के सन्दर्भ में हमें विभिन्न उत्पादों के लिए संशोधित लक्ष्य तिथि में देरी करने की आवश्यकता नहीं है–जोकि इस प्रकार है–

खान–नवम्बर, 1985

एल्यूमिना–सितम्बर, 1986

एल्यूमिनियम–दिसम्बर, 1986

रक्षित बिजलीघर–सितम्बर, 1986

इसलिए, हमें आशा है कि हम समय पर इसे आरम्भ कर सकेंगे और मेरे माननीय मित्र ने जिन चार घटकों का जिक्र किया है, हम उन सभी का ध्यान रखने के लिये उपाय कर रहे हैं।

श्री गिरिधर गोमांगो : श्रीमन्, मैंने इन चार घटकों के बारे में विस्तृत विवरण जानना चाहा था। यह ठीक है। मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि इन चार घटकों के अलावा और भी घटक हैं, जैसे–पत्तन सुविधाएं, रेल लाईन, विस्थापित लोगों के लिए रोजगार और उनका पुनर्वास। इन चार पहलुओं के बारे में उन्होंने क्या किया है?

श्री वसंत साठे : विशाखापत्तनम पत्तन में पत्तन संबंधी सुविधा का भी साथ-साथ निर्माण किया जा रहा है। हम आशा करते हैं कि पत्तन संबंधी सुविधा दिसम्बर, 1985 तक उपलब्ध हो जायेगी। जहां तक पुनर्स्थापना का संबंध है हमने आश्वासन दिया है कि भूमि से विस्थापित हुए व्यक्तियों के प्रति परिवार में से एक व्यक्ति को इस परियोजना में रोजगार दिया जायेगा। महोदय, यह आश्वासन पूरा किया जाएगा और हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं। यह परियोजना अभी पूरी नहीं हुई है, फिलहाल इस पर कार्य चल रहा है। अतः हम पुनर्स्थापना सम्बन्धी तथा इस क्षेत्र के लोगों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को रोजगार देने के लिये इन मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुसरण कर रहे हैं।

श्री विजयनन्द पटनायक : मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि परियोजना की उस रेल लाइन के कार्य को, जो उसे मुख्य हावड़ा–विशाखापत्तनम रेल लाइन से जोड़ेगी। किस तारीख तक पूरा कर लिया जायेगा ?

मैं जानना चाहता हूं कि क्या एल्यूमीना संयंत्र से पूर्व ही विद्युत संयंत्र का कार्य पूरा हो जायेगा अथवा क्या ऐसी स्थिति है कि विद्युत संयंत्र के पूरा होने से पूर्व ही एल्यूमीना संयंत्र में उत्पादन शुरू हो जायेगा ?

तीसरी बात यह है कि कार्य पूरा करने के लिए जो मूल प्राक्कलन रखे गये थे उससे वास्तव में कितना अधिक व्यय हो गया है और अब अन्तिम रूप से कितने व्यय का अनुमान लगाया गया है ?

श्री वसंत साठे : मूल अनुमानित तिथि से वास्तव में कितना अधिक समय हो जाने के बारे में . . . .

श्री विजयनन्द पटनायक : कृपया मेरे पहले प्रश्न का उत्तर दें।

श्री वसंत साठे : मैं इसका उत्तर दे रहा हूं। यदि आप बुरा न मानें तो मैं आपके अन्तिम प्रश्न का उत्तर पहले दूंगा।

श्री विजयनंद पटनायक : मैं इतना चतुर नहीं हूं।

श्री वसंत साठे : मैं आपकी चतुराई स्वीकार करता हूं। जहां तक रेलवे सुविधा तथा पत्तन सुविधा का संबंध है, जैसा मैंने स्पष्ट किया है, समय दस महीने अधिक हो गया है। अब हम दी जा चुकी इन तारीखों के सम्बन्ध में अधिक विलम्ब होने की आशा नहीं करते हैं।

जहां तक रक्षित विद्युत संयंत्र का संबंध है, रक्षित विद्युत संयंत्र का सितम्बर, 1986 तक निर्माण हो जायेगा। रक्षित विद्युत संयंत्र का पहला एकक सितम्बर, 1986 तक तैयार हो जायेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि एल्यूमीनियम का उत्पादन शुरू होने से पूर्व ही दोनों एकक तैयार हो जायेंगे। अतः इस आधार पर कोई आशंका नहीं है।

श्री विजयनंद पटनायक : मैंने एल्यूमीना संयंत्र के बारे में पूछा है।

श्री वसंत साठे : एल्यूमीना के लिये भी यह एक साथ ही होगा। अतः दोनों एल्यूमीना तथा एल्यूमीनियम के लिये इस तारीख से पूर्व रक्षित विद्युत संयंत्र तैयार हो जायेंगे।

जहां तक रेलवे लाइन का संबंध है, यह सुनिश्चित करने के प्रयास किये जा रहे हैं कि पत्तन संबंधी सुविधा दिसम्बर, 1985 तक तैयार हो जाये। कोरापुट–मचपल्ली रेल लाइन का कार्य जून, 1985 तक पूरा हो जाने की संभावना है। यह इस संयंत्र की जरूरतों को पूरा करेगी।

श्री विजयनंद पटनायक : यदि यह पूरा नहीं होता है तो आप कार्य-स्थल पर एल्यूमीना का किस प्रकार परिवहन करेंगे ?

श्री वसंत साठे : मैं काल्पनिक कारणों पर विश्वास नहीं करता हूं।

श्री विजयनंद पटनायक : यह काल्पनिक नहीं है। मंत्री महोदय, मैंने आपसे अधिक व्यय हो जाने के बारे में पूछा है न कि अधिक समय के बारे में।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने जो कुछ कहा है वह रिकार्ड में है। आप इसका अनुसरण कर सकते हैं।

श्री विजयनंद पटनायक : मूल प्राक्कनल क्या थे और अब अन्तिम प्राक्कलन क्या हैं ?

श्री वसंत साठे : अधिक व्यय के बारे में स्थिति यह है। मूल्य वृद्धि के कारण 1980 की प्रथम तिमाही के मूल्य स्तर पर संशोधित लागत 1242.4 करोड़ रुपये से बढ़ गई है। 1984 के मूल्य स्तर पर इस समय संशोधित लागत 2218 करोड़ रुपये है।

श्री विजयनंद पटनायक : 4 वर्षों में यह राशि दुगुनी हो गई है।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के नोटिस में यह बात आई है कि उन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना था लेकिन ऐसा नहीं किया गया है ? मैं सरकार से विस्थापित हुए जनजाति के लोगों के पुनर्वास कार्यक्रम के बारे में जानना चाहता हूं और क्या मकानों को बनाने के लिये जनजाति के लोगों को दी गई थोड़ी सी राशि का उचित प्रकार से उपयोग नहीं किया गया है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या उच्च प्राधिकारियों द्वारा इस बात की जांच के लिये निरीक्षण किया गया था कि उन्हें मकानों के लिए कितनी राशि दी गई थी ? जहां तक ऐसे व्यक्तियों को, जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया है, रोजगार देने का संबंध है मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि इन सभी चार परियोजनाओं में बहुत से लोगों को रोजगार दिया गया है। मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इस बारे में कोई निगरानी की गई है।

श्री वसंत साठे : जहां तक आवास के प्रश्न का संब्रध है, पहले यह सोचा गया था कि यदि हम उन्हें नकद राशि दे दें जिससे वे मकानों का निर्माण कर सकें तो इससे उन्हें सहायता मिलेगी। लेकिन अब पता चला है कि नकद राशि का अनुदान पर्याप्त नहीं है और कभी-कभी वे अपने मकानों का निर्माण भी नहीं करते हैं। अब हम स्वयं उन लोगों को, जिन्हें इन परियोजनाओं में रोजगार दिया जायेगा, मकान उपलब्ध करायेंगे।

एक माननीय सदस्य : क्या वे लोग विस्थापित हैं ?

श्री वसंत साठे : जी हां, वे विस्थापित व्यक्ति हैं। और हम उन्हें रोजगार देंगे बो स्पष्ट रूप से आप हमसे यह आशा नहीं करते हैं कि हम रोजगार देने से पूर्व ही उन्हें मकान उपलब्ध करायें। अतः यह निदेश दिया गया है और जैसा मैंने कहा है कि हम इस बारे में दिये गये इन मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुसरण करेंगे।

श्री डी०बी० पाटिल : महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि विस्थापित व्यक्तियों की पुनर्स्थापना की जायेगी। यह एक अच्छी बात है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसे कृषकों, जिनकी भूमि अधिगृहीत की गई है, के पुत्रों तथा पुत्रियों को शामिल किया जायेगा ताकि उन्हें इन परियोजनाओं में रोजगार दिया जा सके।

श्री वसंत साठे : जी हां, उन्हें उचित प्रशिक्षण देने के लिये इस पर भी विचार किया जा रहा है। इस सुविधा को देने के लिये विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : प्रश्न संख्या 2 के उत्तर में कास्ट एस्टिमेट कुल एक हजार कुछ करोड़ रुपये बताया। अब आपने बताया दो हजार करोड़ रुपये हो गया। तो यह रुपया किस तरह बढ़ गया ?

[अनुवाद]

श्री वसंत साठे : महोदय, 1980 के मूल्य पर स्वीकृत लागत अनुमान तथा संशोधित लागत अनुमान के बीच 975.68 करोड़ रुपये के अन्तर का मुख्य रूप से इस प्रकार विश्लेषण किया जा सकता है। मुद्रा-स्फीति के कारण लागत वृद्धि—क्योंकि मूल प्राक्कलन 1980 की पहली तिमाही के मूल्यों पर आधारित थे—770.95 करोड़ रुपये हैं जिसमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को दी गई मूल्य प्राथमिकता का 6.14 करोड़ रुपये शामिल हैं। इसका आशय यह है कि 975.68 करोड़ रुपये, जिसकी वृद्धि हुई है, में 770.85 करोड़ रुपये वर्तमान मूल्यों के कारण है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वसंत साठे : खाने का सवाल नहीं है। इकानामिक्स जरा समझिये तो समझ सकते हैं।

[अनुवाद]

महोदय, यह केवल सांकेतिक है। हम इसे समझें। मेरे विचार से अर्थ-शास्त्र जानने वाला व्यक्ति इसे समझ सकता है। प्रक्रिया संबंधी आवश्यकताओं तथा स्थल स्थिति को पूरा करने के लिये 'स्कोप' परिवर्तन किये जाते हैं 'स्कोप' परिवर्तनों के कारण कुल राशि 145.66 करोड़ रुपये है। जैसा मैंने आपको 'स्कोप' परिवर्तन के बारे में बताया है, हमने तैयार परियोजनाओं की बजाए स्वदेशी उत्पादन करने का निर्णय किया। जब आप कोई चीज शुरू करते हैं तो इसकी स्वदेशी लागत अधिक होती है। लेकिन हमें यह लागत वहन करनी पड़ेगी क्योंकि हम स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना चाहते हैं। यही कारण है कि हमें यह लागत वहन करनी पड़ेगी। विस्तृत इंजीनियरी और प्रक्रिया संबंधी आवश्यकता पर आधारित मूल प्राक्कलन के अलावा अतिरिक्त मात्रा के अन्तर के लिये यह राशि 55.6 करोड़ रुपये है। ये ब्यौरे हैं।

राज्यों द्वारा ओवरड्राफ्ट लिया जाना

*3. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राज्यों द्वारा लिए गए ओवरड्राफ्ट की स्थिति क्या है; और

(ख) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

(ख) राज्य सरकारों के साथ ओवरड्राफ्टों की समस्या पर विचार बिमर्श किया गया है और उन्हें सलाह दी गई है कि वे अपनी बजट सम्बन्धी अग्रताओं को इस प्रकार पुनर्व्यवस्थित करें कि ओवरड्राफ्ट लेने से बचा जा सके।

राज्य सरकार	11-1-1985 को राज्यों के ओवरड्राफ्ट
	(करोड़ रु० में)
आन्ध्र प्रदेश	213.38
असम	25.91
गुजरात	74.90
हरियाणा	47.07
कर्नाटक	223.30
केरल	211.76
मध्य प्रदेश	10.49
महाराष्ट्र	14.26
नागालैण्ड	8.88
उड़ीसा	44.98
पंजाब	92.31
राजस्थान	9.15
तमिलनाडु	22.04
उत्तर प्रदेश	297.36
पश्चिम बंगाल	219.45
जोड़	1,515.24

श्री अमर राय प्रधान : अध्यक्ष महोदय, पिछले लोकसभा चुनाव में ओवरड्राफ्ट का मामला मुख्य मामला था जो कांग्रेस पार्टी ने पश्चिम बंगाल सरकार के बिरुद्ध वहां उठाया था। उन्होंने कहा कि ओवरड्राफ्ट से वहां पर वामपंथी सरकार के वित्तीय कुप्रबंध का पता चलता है। अब हमें इस प्रश्न का उत्तर मिल गया है और मैं उस व्यक्ति का धन्यवाद करना चाहता हूं जिसने यह जानकारी दी है। ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि पश्चिम बंगाल राज्य इस मामले में प्रधान मंत्री तथा बित्त मन्त्री के राज्य अर्थात् उत्तर प्रदेश से आगे नहीं निकला। अपने उत्तर में आपने राज्यों को सलाह दी है कि वे अपनी बजट संबंधी अग्रताओं को इस प्रकार पुनर्व्यवस्थित करें कि ओवरड्राफ्ट लेने से बचा जा सके। लेकिन उन राज्यों के मामले में स्थिति क्या होगी जिन्होंने व्यय को कम करने और अधिकतम संसाधनों को जुटाने के लिये अपना भरसक प्रयास किया है ? मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ऐसे राज्यों के मामले में केन्द्र का निर्णय क्या होगा ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : माननीय सदस्य ने पश्चिम बंगाल तथा चुनाव के सन्दर्भ में इस मामले का उल्लेख किया है। वास्तव में पश्चिम बंगाल के लिये कई बार ओवरड्राफ्ट को ऋण में बदल दिया गया है और पिछली बार ओवरड्राफ्ट के मामले की स्थिति उत्पन्न होने पर मेरे पूर्ववर्ती ने पश्चिम बंगाल सरकार के साथ बातचीत की थी लेकिन आश्वासनों के बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ और जनवरी, 1984 में ओवरड्राफ्ट के रूप में 187 करोड़ रुपये बकाया थे। यह प्रस्ताव किया गया था कि राज्य इसे आधा करने के लिये प्रयास करे और केन्द्रीय सरकार शेष राशि के लिये ऋण उपलब्ध करायेगी। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने इस अनुरोध को भी नहीं माना और स्थिति खराब होती गई।

उन राज्यों के लिये, जो कम खर्च करते हैं और संसाधनों को जुटाते हैं, एक निर्धारित पद्धति है। लेकिन जहां तक पश्चिम बंगाल का संबंध है, छठी योजनावधि में राज्य उद्यमों से राज्य के बजट संसाधनों तथा अंशदान के 2202 करोड़ रुपये प्राप्त होने की संभावना थी लेकिन वास्तव में केवल 404 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए हैं। अत: 1797 करोड़ रुपये की कमी है। क्या कोई केन्द्रीय सरकार किसी राज्य सरकार द्वारा ऐसे किसी वित्तीय प्रबन्ध का समर्थन कर सकती है ?

श्री नारायण चौबे : क्या आप इन सभी राज्यों के बारे में एक विवरण देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : आपको छूट है कि आप चाहें तो एक अन्य प्रश्न पूछ लें। आपको कौन रोक रहा है ? इस प्रकार बीच में व्यवधान न डालें।

श्री अमर राय प्रधान : अन्य सभी राज्यों के मामले में ओवरड्राफ्ट तथा ऋणों के बारे में स्थिति क्या है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इसे उत्तर में पहले ही दे दिया गया है।

श्री अमर रायप्रधान : हमारे युवा प्रधान मंत्री बहुत खुश हैं और हम आशा करते हैं कि यह मामला, जो नाजुक तथा वास्तविक समस्या है, हल किया जायेगा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा एक संघीय ढांचा है। केन्द्र भी रिजर्व बैंक से धनराशि उधार ले रहा है। यह सच्चाई है कि उसने अप्रैल से जून, 1984 तक 4013 करोड़ रुपये लिये थे। लेकिन केन्द्र को इसकी वापसी नही करनी है और न ही इस पर कोई ब्याज देना है। उन्हें तो केवल करंसी नोट छापने पड़ेंगे। दूसरी ओर राज्यों को 13 प्रतिशत ब्याज देना पड़ेगा। चूंकि यह एक संघीय ढांचा है, अत: इस पर समग्र रूप से ठोस समीक्षा करने की आवश्यकता है।

(व्यवधान)

इस प्रकार की ठोस समीक्षा करने की आवश्यकता पहले कभी महसूस नहीं की गई जैसी कि आज की जा रही है। अत: मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह समग्र रूप से केन्द्र तथा राज्यों की ओवरड्राफ्ट समस्या को हल करने के लिये नये सिरे से इस पर विचार करने के लिये तैयार हैं और क्या वह विभिन्न राज्यों के साथ इस मामले पर शिखर वार्ता करने के लिये तैयार हैं और यदि हां, तो कब ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं इस पर न केवल नये सिरे से अपितु अत्यन्त बारीकी तथा गहराई से विचार करने के लिये तैयार हूं और निश्चित ही विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ इस पर विचार-विमर्श करने का अवसर निकालूंगा।

श्री प्रिय रंजनदास मुंशी : मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि इस समय देश के राज्यों में पश्चिम बंगाल एक मात्र ऐसा राज्य है जो गैर-योजना व्यय पर अधिक जोर देता है और योजना व्यय को छोड़ देता है और इसके परिणामस्वरूप प्रति वर्ष योजना में आवंटित राशि का कुछ भाग दिल्ली के पास वापस भेज दी जाती है जो लोगों के लाभ के लिये उपयोग में नहीं लायी जाती। इस प्रकार राज्य के विकास में कमी आई है और वह दिवालिया हो गया है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान न डालें।

श्री प्रिय रंजनदास मुंशी : ओवरड्राफ्ट को ऋण में बदला जा रहा है और यह राजनीतिक प्रयोजनार्थ गैर-योजना व्यय के जरिए खर्च किया जा रहा है।

इसलिये मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि योजना व्यय द्वारा योजनाबद्ध वृद्धि होने से पूर्व पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा समुचित जांच पड़ताल किये बिना गैर योजना व्यय की स्वीकृति न देने के लिये समुचित कदम उठायें जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको एक अनुपूरक प्रश्न की अनुमति दे रहा हूं किन्तु अन्य अनुपूरक प्रश्नों के पूछे जाने से पूर्व नहीं। इसमें समय लगेगा। आप इस प्रकार चीख क्यों रहे हैं? क्या आपको बहुत ज्यादा चोट पहुंची है? उनके बीच व्यवधान डालने का यह तरीका उचित नहीं है। यह उनका विचार है। आप अपने विचार व्यक्त कीजिये। उससे कोई अन्तर नहीं पड़ता है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : प्रश्न के पीछे माननीय सदस्य के जो भाव छिपे हुए हैं, उससे मैं पूर्णतः सहमत हूं। राज्यों में इस प्रकार के अनुशासन की निश्चित रूप से आवश्यकता है विशेषकर उन राज्यों में जहां ओवरड्राफ्ट की राशि पर्याप्त अधिक है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : इस विशेष पहलू के बारे में कुछ प्रचार किया जाना चाहिए ताकि पश्चिम बंगाल में जिन लोगों ने हमें मत दिया है वे भी इस बात को समझ सकें। योजना व्यय और गैर-योजना व्यय की पुनः व्याख्या की जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल की ओवरड्राफ्ट की राशि 219 करोड़ रुपये थी। आठवें वित्त आयोग ने पश्चिम बंगाल के लिये 320 करोड़ रुपये की सिफारिश की थी, जो मेरे विचार से बहुत ही न्यायसंगत है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वित्त मंत्रालय पश्चिम बंगाल को 320 करोड़ रुपये देगा जिससे कि पश्चिम बंगाल ओवरड्राफ्ट की राशि राजकोष को वापस कर सके। क्या आप यह करेंगे?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हमारा यह इरादा नहीं है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्यों?

व्यवधान

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं उत्तर दे चुका हूं। किन्तु वित्त आयोग के प्रतिवेदन से जो लाभ होगा, उसका लाभ निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल की सरकार को भी होगा।

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : यह तो बड़ा आसान है. . . .

अध्यक्ष महोदय : किन्तु मेरे विचार से अब समय नहीं रहा। प्रश्नकाल समाप्त हो गया है। अब अगली बार देखेंगे।

85-M/S182LSS—4

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

पाकिस्तानी वायुसेना के लिय शीघ्र चेतावनी देने वाले और नियंत्रण वाले अमरीका निर्मित ई-2सी० हॉक आई विमान प्राप्त किया जाना

***4. श्री विजय कुमार यादव :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने अपनी वायुसेना के लिए अमरीका में निर्मित शीघ्र चेतावनी देने वाले और नियंत्रण वाले ई०-2सी० हॉक आई विमान प्राप्त किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस तथ्य को देखते हुए कि पाकिस्तान ने पहले ही एफ-16, विमान प्राप्त कर लिये हैं जो भारत के किसी भी हिस्से में मार कर सकते हैं, सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नर सिंह राव) : (क) और (ख) इस बारे में सरकार ने समाचार-पत्रों में छपी रिपोर्टें देखी हैं।

(ग) सरकार देश की सुरक्षा पर असर डालने वाली सभी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखती है और पूरी रक्षा तैयारी बनाए रखने के लिए हर समय प्रभावी कदम उठाती है।

[हिन्दी]

विभिन्न वर्गों के भूतपूर्व सैनिकों को देय पेंशन तथा अन्य सुविधाओं में असमानता

***5. श्री हरीश रावत :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न वर्गों के भूतपूर्व सैनिकों को देय पे शन तथा अन्य सुविधाओं में व्याप्त व्यापक असमानता को समाप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में गठित की गई समिति की सिफारिशें मंत्रालय को प्राप्त हो गई हैं;

(ग) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इनके कब तक प्राप्त हो जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) सभी सरकारी कर्मचारियों, जिनमें सिविलियन तथा रक्षा दोनों के कर्मचारी शामिल हैं, की पेंशन हकदारियां सेवा-निवृत्ति के समय लागू नियमों के अनुसार निर्धारित की जाती हैं। भूतपूर्व सैनिकों की विभिन्न श्रेणियों में पेंशन संबंधी फार्मूले को लागू करने में कोई भिन्नता नहीं है। फिर भी, अलग-अलग समय पर सेवा-निवृत्ति होने वाले कर्मचारियों की पेंशन की राशि में अंतर हो जाता है जबकि वे सैनिक सेवा से एक ही रैंक से सेवा-निवृत्त होते हैं। यह अंतर इसलिये होता है क्योंकि पेंशन सरकारी कर्मचारियों की परिलब्धियां, उनके द्वारा की गई अर्हक सेवा की अवधि में और सेवा-निवृत्ति के समय मौजूद सेवा-शर्तों के अनुसार निर्धारित की जाती है।

पेंशनरों को हो रही कठिनाइयों के बारे में सरकार सचेत है और उसने उपलब्ध साधनों के भीतर समय-समय पर राहत देने के लिए कई कदम उठाए हैं। भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन के संबंध में किये गए महत्वपूर्ण उपाय संलग्न विवरण म बताए गए हैं।

विभिन्न श्रेणियों के भूतपूर्व सैनिकों को उपलब्ध अन्य सुविधाओं का जहां तक संबंध है उस में कोई व्यापक विसंगति नहीं है।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) उच्च स्तरीय समिति की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं:—

(i) कल्याण संबंधी उपाय में से कुछ के लिये कानून बनाने के संबंध में केन्द्र तथा राज्य दोनों द्वारा अधिनियम बनाया जाना।

(ii) भूतपूर्व सैनिकों के लिये बनाई गई विभिन्न योजनाओं और उपलब्ध सुविधाओं के कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की एक संसदीय समिति का गठन।

(iii) सातवीं पंचवर्षीय योजना में भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण तथा उनसे संबंधित अन्य कार्यक्रमों को शामिल करना जिसके लिए 350 करोड़ रुपए के व्यय की सिफारिश की गई है और जिसे केन्द्र तथा राज्यों द्वारा वहन किया जाएगा।

(iv) संस्तुत व्यय में से ही भूतपूर्व सैनिकों के लिए राज्य वित्त निगमों तथा केन्द्रीय औद्योगिक विकास निगम स्थापित करना।

(v) भूतपूर्व सैनिकों की जनगणना 1991 की जनगणना के साथ की जाए।

विवरण

रक्षा पेंशनरों की कठिनाइयां कम करने के संबंध में सरकार द्वारा किए गए उपाय

1. **अस्थायी/तदर्थ वृद्धि**:—पुराने पेंशन कोड के अनुसार 1-6-1953 से पहले मंजूर की गई पेंशन पर 10 रुपये से 12.50 रुपये प्रतिमाह तक अस्थाई वृद्धि। यह वृद्धि 1-4-1958 से देय है।

30-11-1968 तक मंजूर पेंशन पर 15 रुपये से 35 रुपये प्रतिमाह की तदर्थ वृद्धि। यह वृद्धि 1-6-1969 से देय है।

2. **पेंशन में वृद्धि**:—जहां न्यूनतम पेंशन 40 रुपये प्रतिमाह से कम (तदर्थ/अस्थाई वृद्धि मिलाकर) थी वहां वह 1 मार्च, 1970 से 40 रुपये प्रतिमाह (तदर्थ/अस्थाई वृद्धि मिलाकर) कर दी गई है।

3. **तदर्थ राहत** :—1-1-1973 से उन पेंशनरों को 15 रुपये से 35 रुपये प्रतिमाह तक तदर्थ राहत देय है जो 1-1-1973 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे।

4. **आवधिक राहत** :—सभी पेंशनरों को चाहे उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो 12 महीने के औसत मूल्य सूचक अंक में प्रत्येक 8 अंक की वृद्धि पर पेंशन के $2\frac{1}{2}$ % की दर से आवधिक राहत देय है जो कम से कम 2.50 रुपये और अधिक से अधिक 12.50 रुपये प्रतिमाह है।

1-8-1984 से देय आवधिक राहत इस प्रकार है :—

(क) जो पेंशनर 30-9-1977 से पहले सेवानिवृत्त हुए वे पेंशन के 110% की दर से आवधिक राहत पाने के हकदार है लेकिन इस राहत की कम से कम रकम 110 रुपये प्रतिमाह और अधिक से अधिक 550 रुपये प्रतिमाह है।

(ख) जो पेंशनर 30–9–1977 के बाद सेवानिवृत्त हुए और सेवानिवृत्ति लाभों के लिए महंगाई भत्ते के एक अंश को वेतन में शामिल करने पर संशोधित दरों पर पेंशन पा रहे हैं (औसत मूल्य सूचकांक 272 तक) उन्हें इस समय पेंशन के 90% की दर से बढ़ी हुई राहत मिलती है जिसकी कम से कम रकम 90 रुपये प्रतिमाह और अधिक 450 रुपये प्रतिमाह है ।

(ग) जो पेंशनर 31–1–1982 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए और सेवानिवृत्ति लाभों के लिए अतिरिक्त महंगाई भत्ते के एक अंश को वेतन में शामिल करने पर संशोधित दरों पर पेंशन पा रहे हैं (औसत मूल्य सूचकांक 320 तक) उन्हें इस समय पेंशन के 75% की दर से बढ़ी हुई राहत मिलती है जिसकी कम से कम रकम 75 रुपये प्रतिमाह और अधिक से अधिक 375 रुपये प्रतिमाह है ।

5. **न्यूनतम पेंशन** :—1–4–1983 से न्यूनतम सेवा/परिवार पेंशन (राहत मिलाकर) क्रमश: 160/– रुपये और 150/– रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गई है ।

6. **तदर्थ अनुग्रहपूर्वक अदायगी** :—जो पेंशनर 1–1–1973 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे उनकी कुछ श्रेणियों की वित्तीय कठिनाइयां कम करने के लिए उन्हें 1–9–1984 से 10 रुपये से 75 रुपये तक की तदर्थ अनुग्रहपूर्वक अदायगियां मंजूर की गई है ।

[अनुवाद]

योजना आयोग का पुनर्गठन और सातवीं योजना का पुनरीक्षण

*6. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने योजना आयोग का पुनगठन करने का निणय किया है ;

(ख) यदि हां, तो कौन से मुख्य परिवर्तन किए जाने की सम्भावना है ;

(ग) क्या योजना आयोग के पुनर्गठन को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार चालू वर्ष में शुरू की जाने वाली सातवीं पंचवर्षीय योजना का पुनरीक्षण करने का है ;

(घ) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना को रोजगार प्रधान बनाने के लिए इनमें कौन से नवीनतम परिवर्तन किए गए हैं ; और

(ङ) चालू वित्तीय वष या सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में प्रस्तावों के क्रियान्वयन के लिए अन्य क्या कदम उठाए जाने की सम्भावना है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां ।

(ख) योजना आयोग के पुनर्गठन से संबंधित अधिसूचना की एक प्रति सदन क सभा पटल पर प्रस्तुत है । (ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 20/85)

(ग) से (ङ) जैसाकि माननीय सदस्य को मालूम ही है, सातवीं योजना का नीति दस्तावेज 13 और 14 जुलाई, 1984 को राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया था और इसे 30 जुलाई, 1984 को लोक सभा के पटल पर प्रस्तुत किया गया था। योजना आयोग अब सातवीं योजना तैयार करने के प्रारंभिक कार्य में लगा हुआ है।

इसलिए सातवीं योजना के पुनरीक्षण अथवा इसमें किसी परिवर्तन अथवा इसके कार्यान्वयन के बारे में इस समय बताना संभव नहीं है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में महिला क्लर्कों की भर्ती

*7. **श्रीमती किशोरी सिन्हा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों में महिलाओं की प्रतिशतता क्या है ;

(ख) क्या सरकार इस प्रतिशतता को पर्याप्त समझती है ;

(ग) यदि हां, तो इस प्रतिशतता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ; और

(घ) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों में क्लर्कों की भर्ती के मामले में महिलाओं को तरजीह दी जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) तत्काल उपलब्ध सूचना के अनुसार, दिसम्बर, 1981 के अंत में, सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों में कर्मचारियों की कुल संख्या में महिलाओं की संख्या 9.1 प्रतिशत थी।

2. सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिपिकीय/अधिकारी संवर्गों में भर्ती खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के जरिये की जाती है। भर्ती स्कीम में महिलाओं को तरजीह दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अलबत्ता, बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। वास्तव में, बम्बई और पुने जैसे केन्द्रों में प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर गत 2-3 वर्षों में चुने गए उम्मीदवारों में महिला लिपिकों की संख्या पुरुषों से अधिक रही है। कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र तथा संघ राज्य क्षेत्र गोवा में राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिपिकीय संवर्गों में चुनी गई महिलाओं की संख्या 41 से 59 प्रतिशत के बीच है।

भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास के लिये किए गए उपाय

*8. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष 1984-85 के दौरान भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं ;

(ख) क्या इन उपायों के कार्यान्वयन में राज्य सरकारों/सरकारी उपक्रमों को भी सम्बद्ध किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो किन-किन राज्यों/सरकारी उपक्रमों ने ये उपाय कार्यान्वित किए हैं ; और

(घ) किन-किन राज्यों/सरकारी उपक्रमों ने अभी तक ये उपाय कार्यान्वित नहीं किए हैं, उसके क्या कारण हैं तथा उनके कार्यान्वित करने के लिए उन्हें राजी करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (घ) सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है ।

विवरण

1983–84 के दौरान भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास से संबंधित विवरण

तपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए किए जाने वाला प्रयास निरन्तर चलने वाली प्रक्रिय है। आप इस प्रयास के एक अंश के रूप में सरकार मौजूदा नीति के अनुसार इसका सहीं कार्यान्वियन भी सुनिाश्चत करती है और महसूस की गई जरूरतों के अनुसार इससे संबंधित नीतियों को समय-समय पर फिर से बनाती है ।

2. इस संबंध में हाल में किए गए कुछ कार्य निम्नलिखित पैराग्राफों में बताए गए हैं ।

आरक्षण नीति का कार्यन्वयन

3. आरक्षण नीति के कार्यान्वियन के बारे में केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों/सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों की कार्यनिष्पादन क्षमता की समीक्षा के लिए चालू वर्ष के दौरान तीन बैठकें आयोजित की गई और रेलवे तथा डाक तार जैसे विभागों को जो बड़ी संख्या में कर्मचारियों की भर्ती करते हैं, सलाह दी गई कि वे भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती के बारे में विशेष ध्यान दें ।

रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत पदों का पता लगाना

4. रक्षा मंत्रालय के अंतगत अथवा उसके अधीनस्थ कार्यालयों में विशेषरूप से ऐसे पदों का पता लगाने का प्रयास किया गया जिन पर विशष तौर पर भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती की जा सकती है ।

भूतपूर्व सैनिकों के रोजगार के लिए अवसर

5. भूतपूर्व सैनिकों को कारगर रोजगार के अवसर देने वाले पर्यावरण कृतकबलों में और तेजी आई है । जिससे राजस्थान में उक्त कार्यबल में कार्मिकों की संख्या में 204 की वृद्धि हो गई ।

6. उड़ीसा और असम सरकारों ने भी विशेष शान्ति बलों में वृद्धि करके इस प्रस्ताव के अनुरूप कार्य किया जिससे इन बलों में बड़ी संख्या में भूतपूर्व सैनिक भर्ती किए जा सकें।

पी० इए०क्स० एस० इ० एम०

7. इस योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई है और जिन छः जिलों में इस योजना को क्रियान्वित किया जा रहा था उनमे से दो जिलों में इस योजना का स्वतन्त्र एजेंसियों द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है। यह सुनिश्चित करने के भी प्रयास किये जा रहे हैं कि इस योजना का लाभ पाने वालों की वित्तीय आवश्यकताओं को डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान में समेकित कर दिया जाए।

राजस्थान नहर में भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

8. राजस्थान सरकार राजस्थान नहर परियोजना स्तर 11 के अन्तर्गत 50,000 बीघे भूमि पर भूतपूर्व सैनिकों को बसाने के लिए सहमत हो गई है। केन्द्र सरकार ने इस परियोजना के लिए निर्धारित भूमि तथा भूतपूर्व सैनिकों के अलग-अलग परिवारों को दी गई भूमि में वृद्धि करने के प्रश्न को उठाया है।

उच्च स्तरीय समिति

9. 10 मार्च, 1984 को एक वर्ष के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया जिसकी 15 मार्च, 1984 को बैठकें शुरू हुई। समिति ने अपना कार्य लगभग $7\frac{1}{2}$ महीने के अन्दर पूरा कर दिया और 27 अक्तूबर, 1984 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी।

कार्यों का निर्धारण

10. इन प्रयासों के फलस्वरूप जनवरी, 1984 की अवधि में 18,898 भूतपूर्व सैनिकों के लिए रोजगार सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। (कुछ क्षेत्रों में इस बारे में सूचना प्राप्त नहीं हुई है इसलिए इन आंकड़ों में और अधिक वृद्धि होने की सम्भावना है)। पिछले वर्षों की उपलब्धियों की तुलना करने पर (1981 : 16,639, 1982 : 17,439 और 1983 : 29,629) विदित होता है कि 1984 में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

राज्य सरकारों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का सहयोग

11. कल्याण कार्यों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी मूल रूप से राज्य सरकारों पर मुनस्सर करती है। इस विषय पर राज्य सरकारों की भूमिका अन्य बातों के अलावा स्थानीय परिस्थितियों, नियमों, विनियमों और भूतपूर्व सैनिकों के अनुपात के आधार पर निर्धारित की जाती है। सरकारी क्षेत्र के राज्य उपक्रम सामान्यतया राज्य सरकार की नीतियों का अनुपालन करते हैं।

12. नीति संबंधी दो प्रमुख मुद्दों के बारे में राज्य सरकारों की प्रक्रिया के विवरण परिशिष्ट "क" और परिशिष्ट "ख" में दिए गए हैं। परिशिष्ट "ख" में आरक्षण के बारे में राज्य सरकारों द्वारा अपनाई जा रही नीति दी गई है और परिशिष्ट "ख" में 1–1–1964 से पहले की विधवा पेंशनरों को मिलने वाली अनुग्रहपूर्वक वित्तीय सहायता की अदायगी के बारे में कहा गया है।

परिशिष्ट "क"

सरकारी रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध आरक्षण का प्रतिशत।

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	रिक्त पदों का प्रतिशत				टिप्पणी
	श्रेणी I	श्रेणी II	श्रेणी III	श्रेणी IV	
1	2	3	4	5	6
1. आन्ध्र प्रदेश	–	–	2	2	
2. असम	–	–	2	2	
3. बिहार	–	–	–	–	
4. गुजरात	–	–	10	20	
5. हरियाणा	5	5	17	17	
6. हिमाचल प्रदेश	15	15	15	15	
7. जम्मू व कश्मीर	–	–	5	10	
8. कर्नाटक	10	10	10	10	
9. केरल	–	–	–	–	
10. मध्य प्रदेश	50*	50*	9	14	
11. महाराष्ट्र	–	–	15	15	
12. मणिपुर	–	–	3	5	सहायक कमाडेंटों के पदों का 2%
13. मेघालय	–	–	–	–	
14. नागालैंड	–	–	–	–	
15. पंजाब	15	15	15	15	
16. उड़ीसा	–	–	7	–	

* चिकित्सा तथा इंजीनियरी सेवा में अहता प्राप्त ई० सी० ओ०/एस० एस० सी० ओ० के० लिए।

परिशिष्ट "क"—जारी

1	2	3	4	5	6
17. राजस्थान	–	–	$12\frac{1}{2}$	15	आर्मड कन्स्टेबुलरी में 60% पद भी आरक्षित हैं।
18. सिक्किम	–	–	15	15	
19. तमिलनाडु	–	–	–	10	10% फोरेस्ट गार्ड और 5% फोरेस्ट वाचर
20. त्रिपुरा	–	–	2	2	
21. उत्तर प्रदेश	8	†8	3	3	
22. पश्चिम बंगाल	–	–	5	10	
23. अरुणाचल प्रदेश	–	–	10	20	
24. अण्डमान तथा निकोबार	–	–	10	20	
25. चण्डीगढ़	–	–	10	20	
26. गोवा, दमण व द्वीव	–	–	10	20	
27. दिल्ली	–	–	10	20	
28. मिज़ोरम	–	–	10	20	
29. पांडिचेरी	–	–	10	20	
30. लक्षद्वीप	–	–	10	20	
31. दादरा, नागर हवेली	–	–	10	20	

† केवल ई० सी० ओ० और अपंग अफसरों के लिए (प्राधिकार राज्य सरकार के स्वीकृत पत्र)

परिशिष्ट "ख"

1-1-1984 से पहले की पेंशन पाने वाली विधवाओं को मिलने वाली वित्तीय सहायता के बारे में राज्यवार स्थिति

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	राज्यों द्वारा कार्यान्वित
1.	आन्ध्र प्रदेश	हां
2.	असम	विचाराधीन
3.	बिहार	हां
4.	गुजरात	हां
5.	हरियाणा	हां
6.	हिमाचल प्रदेश	हां
7.	जम्मू व कश्मीर	हां
8.	केरल	हां
9.	कर्नाटक	हां
10.	मध्य प्रदेश	हां
11.	महाराष्ट्र	हां
12.	मणिपुर	विचाराधीन
13.	मेघालय	नहीं
14.	नागालैंड	नहीं
15.	उड़ीसा	हां
16.	पंजाब	हां
17.	राजस्थान	हां
18.	सिक्किम	नहीं
19.	तमिलनाडु	हां
20.	त्रिपुरा	हां
21.	उत्तर प्रदेश	हां
22.	पश्चिम बंगाल	विचाराधीन
23.	अण्डमान तथा निकोबार	हां
24.	अरुणाचल प्रदेश	हां
25.	चण्डीगढ़	नहीं
26.	दिल्ली	हां
27.	गोवा	हां
28.	मिजोरम	हां
29.	पांडिचेरी	नहीं

(15 जनवरी, 1985 की स्थिति)

[हिन्दी]

भारत पर विदेशी कर्ज

*9. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय भारत पर 17800 करोड़ रूपए का विदेशी कर्ज है;

(ख) यदि नहीं तो कर्ज की सही राशि कितनी है और उसके लिए भारत सरकार को प्रति-वर्ष कितनी धनराशि का ब्याज देना पड़ता है; और

(ग) क्या यह सच है कि विदेशों से इतना अधिक कर्ज लेने के बावजूद देश की जनता की गरीबी कम होने के बजाए बढ़ी है ?

वित्त तथा वाणिज्य और पूर्ति मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

(ग) जी, नहीं विदेशी ऋण निवेश और उत्पादक प्रयोजनों के लिए लिए गए हैं और इन ऋणों से आयोजना की प्राथमिकताओं के अनुसार हमारे विकास प्रयासों में सहायता मिली है।

विवरण

भाग (क) और (ख)

(i) **भारत के विदेशी कर्ज की बकाया देनदारी :**

(करोड़ रुपए)

श्रेणी	राशि (31-10-84 की स्थिति के आधार पर)
(क) सरकारी ऋण	22,490
(ख) गैर-सरकारी ऋण	778
जोड़ (क) और (ख)	23,268

1980-81 से 1984-85 तक (दिसम्बर 1984 तक) 7056 करोड़ रुपए की राशि विदेशी वाणिज्यिक ऋणों और संभरक ऋणों के अनुमोदन भी दिए गए हैं। किन्तु इस खाते का विदेशी कर्जा कई वर्षों में फैला हुआ होगा क्योंकि वास्तव में इन ऋणों की निकासी या उनका उपयोग कई वर्षों में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, भारत पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सुविधा के अन्तर्गत की गई निकासियों के संबंध में 4626 करोड़ रुपए की पुनः खरीद करने का दायित्व बकाया है।

(ii) वर्ष 1984-85 के दौरान सरकारी ऋणों के संबंध में ब्याज की अदायगियों के लिए 418.08 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋणों (प्रतिपूरक वित्तपोषण सुविधा और विस्तारित कोष सुविधा) के प्रभारों की अनुमानित राशि 433.41 करोड़ रुपए होगी।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में घाटा

*10. **डा० कृपा सिंधु भोई :** क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों को भारी घाटा हो रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस घाटे को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है;

(ग) भिलाई और राउरकेला स्थित दो बड़े संयंत्रों की पुरानी प्रौद्योगिकी और पुराने उपकरणों को बदलने और दुर्गापुर तथा बर्नपुर के संयंत्रों के पूर्णरूपेण पुनर्निर्माण के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ; और

(घ) इन संयंत्रों के प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ताकि उनके द्वारा लाभ न कमा पाने का उत्तरदायित्व है विशेष रूप से जब कि इस्पात की मांग अत्यधिक है, निर्धारित किया जा सके ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी हां, । पिछले चार वर्षों में "सेल" तथा "इस्को" के कार्य परिणाम इस प्रकार हैं :—

(करोड़ रुपए)

	"सेल"	'इस्को"
1980-81	(+) 1.01	(—) 28.79
1981-82	(+) 39.17	(—) 37.11
1982-83	(—) 105.76	(—) 71.05
1983-84	(—) 214.53	(—) 24.06
	(+) लाभ	(—) हानि

(ख) यद्यपि भूत में मूल्यों में वृद्धि हुई है तथापि उत्पादन लागत में हुई वृद्धि के मुकाबले में इस वृद्धि "सेल" की पूरी तरह से प्रतिपूर्ति नहीं हुई है। "सेल" ने अधिक उत्पादन करने तथा उत्पादकता म सुधार करने के लिए उत्पादन-एवं-लाभ सुधार प्रवन्ध प्रणाली लागू की है। इस नीति में प्रॉडक्ट-मिक्स में मांग के अनुरूप परिवर्तन लाना, विपणन के लिए अथक प्रयास करके बिक्री में वृद्धि करना तथा कच्चे माल, स्टोर तथा फालतू पुर्जों की माल सूचियों में कमी करना शामिल है। प्रौद्योगिकीय प्रक्रियाओं में सुधार करके लागत में कमी, करने, उपस्करों की समय पर मरम्मत करके तथा बेहतर रख-रखाव द्वारा उनकी उपलब्धि में वृद्धि करने, स्टोर तथा फालतू पुर्जों की खरीद कम से कम करने और हर प्रकार से खर्च में कमी करने के लिए विशेष उपाय किए गए है।

(ग) और (घ) : दुर्गापुर, राउरकेला और "इस्को" के इस्पात कारखानों का आधुनिकीकरण करने और इनमें प्रौद्योगिकीय सुधार करने की योजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं। भिलाई तथा बोकारों के इस्पात कारखानों के लिए भी कठिनाइयों को दूर करने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं ताकि ये कारखाने अपनी स्थापित क्षमता प्राप्त कर सकें।

प्रादेशिक सेना को मजबूत बनाना

***11. श्री उत्तम राठौर :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रादेशिक सेना को मजबूत बनाने के लिए जनरल स्पैरों की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां तो उक्त समिति की मुख्य सिफारिशें क्या है; और

(ग) उनमें से किन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए सख्या एल० टी० 21/85]

उड़ीसा में कोयला भण्डारों का विकास

***12. श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उस राज्य में कोयला भण्डारों का विकास करने के लिए उनके मंत्रालय से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) क्या कदम उठाए जाने का विचार है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) :

(क) से (घ) ऐसा कोई अनुरोध उड़ीसा की राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है। परन्तु राज्य सरकारों आदि से अनुरोध प्राप्त हो या न प्राप्त हो तब भी, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थान द्वारा किए गए क्षेत्रीय समन्वेषण और कोल इंडिया लि० के केन्द्रीय खान आयोजन और

डिजाइन संस्थान लि० द्वारा किए गए विस्तृत समन्वेषण के आधार पर किसी क्षेत्र के कोयला संसाधनों का विकास-कार्य किया जाता है। यह कार्य देश के विभिन्न भागों में भिन्न-भिन्न उपभोक्ता उद्योगों की कोयले की आवश्यकता के आधार पर किया जाता है। इस नीति के अनुसार उड़ीसा में 1984–85 के दौरान 4.7 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया जाएगा।

2. केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में उड़ीसा के लिए पांच कोयला परियोजनाएं स्वीकृत की हैं जिनके नाम हैं तालचेर कोयला क्षेत्र में भरतपुर ओपनकास्ट, भरतपुर वाशरी और जगन्नाथ विस्तार और इब घाटी कोयला क्षेत्र में बेलपहाड़ तथा लाजकुरा ओपनकास्ट। नई परियोजनाओं अर्थात अनंत ओपेनकास्ट और कलिंग ओपेनकास्ट—की भी योजना बनाई जा रही है। इन नई परियोजनाओं के साथ वाशरियां हैं। नई परियोजनाओं को और आवश्यक आधारभूत सुविधाओं को निर्दिष्ट करने के लिए उड़ीसा के तालचेर कोयला क्षेत्र के एक "मास्टर-प्लान" का काम भी शुरु किया जा रहा है। उड़ीसा का कोयला उत्पादन वर्ष 1984–85 के 4.7 मि० टन से बढ़कर सातवीं योजना के अंत तक अर्थात 1989-90 तक 13 मि० टन हो जाने की आशा है।

इस्पात संयंत्रों की क्षमता का उपयोग

*13. **श्री नारायण चौबे : क्या इस्पात, खान और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के विभिन्न संयंत्र पिछले 5 वर्षों के दौरान कितनी क्षमता पर कार्य करते रहे हैं;

(ख) संयंत्रों के पूरी क्षमता पर कार्य न करने के मुख्य कारण क्या है; और

(ग) इस स्थिति में सुधार के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) :

(क) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के सभी इस्पात कारखानों की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों में उल्लिखित विक्रेय इस्पात की क्षमता के मुकाबले में गत पांच वर्षों में क्षमता का उपयोग इस प्रकार रहा है :—

क्षमता के उपयोग का प्रतिशत

उत्पाद/संयंत्र	1979-80	1980–81	1981–82	1982–83	1983–84	1984–85 लक्ष्य
विक्रेय इस्पात						
भिलाई इस्पात कारखाना	87	93	93	94	80	93
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	49	48	63	66	49	52
राउरकेला इस्पात कारखाना	85	80	89	81	70	77

क्षमता के उपयोग का प्रतिशत

उत्पाद/संयंत्र	1979–80	1980–81	1981–82	1982–83	1983–84	1984–85 लक्ष्य
बोकारो इस्पात कारखाना	43	43	75	78	65	76
"सेल"	66	66	81	81	68	76
इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी	54	65	61	63	55	48
मिश्र इस्पात संयंत्र	76	70	87	78	42	93
सेलम इस्पात संयंत्र	—	—	10	21	22	53

(ख) और (ग) : उत्पादन में कमी मुख्यतः बिजली की सप्लाई पर लगे प्रतिबन्धों, देशीय कोककर कोयले की क्वालिटी घटिया होने तथा इसकी पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि न होने और कारखानों में कुछ प्रौद्योगिकीय कमियों के कारण हुई है। बिजली तथा कोयला सप्लाई करने वाले अभिकरणों के सहयोग से बिजली तथा अच्छी क्वालिटी के कोयले की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

इस्पात कारखाने भी विद्युत का उत्पादन करने की अपनी इकाइयों से अधिकाधिक बिजली पैदा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। दीर्घावधि उपाय के रूप में बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर तथा बोकारो के इस्पात कारखानों में बिजली पैदा करने के अतिरिक्त इकाइयां लगाई जा रही हैं। प्रौद्योगिकीय कमियों को, आधुनिकीकरण/ऐसी विचाराधीन योजनाओं से, जिससे दिक्कतें दूर की जा सकें, दूर किया जा रहा है।

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आयोजित "ऋण मेले"

***14. प्रो० मधु दण्डवते :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने जून, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिए "भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति" के बारे में अपनी रिपोर्ट में देश में वाणिज्यिक बैंकों की लाभप्रदता में गिरावट आने पर चिन्ता व्यक्त की है;

(ख) क्या देश के विभिन्न भागों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा "ऋण मेले" आयोजित करने के कारण ऐसा हुआ है ;

(ग) क्या बैंककारी कम्पनी विनियमन अधिनियम में यह अपेक्षा है कि सभी बैंकिंग कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस-शुदा परिसर में निर्धारित घंटों के भीतर किये जाने चाहिये;

(घ) क्या सरकार को मालूम है कि इससे तथा ऋण की राशि प्रकट किये जाने से बैंकिंग नियमों का उल्लंघन होता है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन "ऋण मेलों" को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने जून, 1984 को समाप्त वर्ष के लिए "भारत में बैंकिंग प्रवृतियां और प्रगति संबंधी रिपोर्ट" में लाभप्रदता बढ़ाने को बैंकों के सम्मुख मध्यावधिक कार्यों में से एक कार्य बताया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि ऐसे सार्वजनिक समारोह करने से जिनमें छोटे ऋणकर्ता स्वयं हिस्सा लेते हों, उन ऋणकर्ताओं में ऋण बांटने से बैंककारी विनियमन अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन नहीं होता।

(ङ) यह सवाल ही पैदा नहीं होता।

(च) इस प्रकार के किन्हीं कदमों की परिकल्पना नहीं की गई है।

ग्रामीण बैंकों के वार्षिक योजना लक्ष्य और उपलब्धियां

*15. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छठी योजना अवधि में ग्रामीण बकों के राज्य-वार लक्ष्य और उपलब्धियां क्या रहीं हैं और उनकी ऋण वसूली की स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : छठी आयोजना अवधि के दौरान 105 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने की परिकल्पना की गयी थी। इसके मुकाबले, अप्रैल, 1980 से दिसम्बर, 1984 के बीच 108 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले गये हैं। इस प्रकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल संख्या 173 हो गयी है जिनके अन्तर्गत 304 जिले आते हैं।

जहां तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा ऋण देने का संबंध है, राज्य स्तर पर आयोजना में कोई लक्ष्य नियत नहीं किये गये। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को जिला-स्तर पर, ऋणों पर आधारित आयोजना की विभिन्न स्कीमों में हिस्सा दे दिया जाता है। जून, 1984 के अन्त तक, 162 क्षेत्रीय ग्रामीण बकों ने 8727 शाखाएं खोलीं जिनकी जमाराशियां 774.3 करोड़ रुपये और अग्रीम राशियां 859.97 करोड़ रुपये थीं और इस प्रकार उनका ऋण जमा अनुपात 111 प्रतिशत बैठता है। राज्यवार सूचना अनुबंध में दी गयीं है।

उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि 142 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जून, 1983 के अन्त में 367.05 करोड़ रुपए मांग की तुलना में ऋण की वसूली की राशि 191.42 करोड़ रुपये थी इस प्रकार मांग की तुलना में वसूली 52 प्रतिशत बैठती है। राज्यवार आंकड़े अनुबंध-II में दिये गये हैं।

विवरण एक

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सं०	शाखाओं की सं०	जमा राशि (लाख रुपयों में)	अग्रिम (बकाया)	ऋण:जमा अनुपात (%)
1	2	3	4	5	6
1. आंध्र प्रदेश	12	656	7087.72	9318.32	131
2. असम	5	184	1935.14	1104.38	51
3. बिहार	18	1,344	12354.85	10883.14	88
4. गुजरात	7	133	840.78	535.86	64
5. हरियाणा	2	174	2366.73	2131.47	90
6. हिमाचल प्रदेश	1	84	1296.00	708.39	55
7. जम्मू व कश्मीर	3	220	1491.94	887.55	59
8. कर्नाटक	9	686	4572.47	8700.33	190
9. केरल	2	238	2916.56	4913.87	168
10. मध्य प्रदेश	21	965	5748.50	5721.08	99
11. महाराष्ट्र	7	213	1064.48	1502.79	141
12. मणिपुर	1	12	25.84	31.67	122
13. मेघालय	1	19	63.49	30.35	48
14. नागालैंड	1	3	1.27	1.26	99
15. उड़ीसा	9	649	3950.41	8782.53	222
16. पंजाब	3	21	72.67	52.37	72
17. राजस्थान	13	557	4041.26	6184.94	153
18. तमिलनाडु	1	121	1258.22	2174.60	173
19. त्रिपुरा	1	61	981.11	1499.19	153
20. उत्तर प्रदेश	35	1899	20930.61	16007.34	76
21. पश्चिम बंगाल	8	482	4415.19	4822.37	109
22. अरुणाचल प्रदेश	1	2	6.30	0.09	1
23. मिजोरम	1	4	12.62	3.60	29
अखिल भारतीय	162	8727	77434.16	85997.39	111

विवरण दो

बकाया रकमों की वसूली के राज्यवार आंकड़े (जून, 1983 के अन्त की स्थिति के अनुसार)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सं०	मांग (रकम लाख रुपयों में)	वसूली	(3)के मुकाबले (4) की प्रतिशत
1	2	3	4	5
1. आंध्र प्रदेश	12	5341.29	2707.33	51
2. असम	5	346.15	199.52	58
3. बिहार	17	3169.62	1583.02	50
4. गुजरात	4	155.07	95.31	61
5. हरियाणा	2	1113.08	161.94	55
6. हिमाचल प्रदेश	1	413.00	162.00	39
7. जम्मू व कश्मीर	3	285.51	135.25	47
8. कर्नाटक	8	4964.69	3111.08	63
9. केरल	2	3114.00	2269.00	73
10. मध्य प्रदेश	18	1676.77	753.03	65
11. महाराष्ट्र	3	879.29	396.33	45
12. मणिपुर	1	2.20	2.11	96
13. मेघालय	1	—	—	—
14. नागालैण्ड	1	—	—	—
15. उड़ीसा	9	3280.11	1439.54	44
16. पंजाब	3	0.09	0.09	100
17. राजस्थान	9	2588.16	1291.86	50
18. तमिलनाडु	1	713.00	418.00	59
19. त्रिपुरा	1	943.91	502.98	53
20. उत्तर प्रदेश	33	5769.44	2713.21	47
21. पश्चिम बंगाल	8	1949.80	750.79	39
अखिल भारतीय	142	36705.18	19142.38	52

पाकिस्तान द्वारा भारतीय सीमा के निकट सैनिक अभ्यास

*16. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सितम्बर और दिसम्बर, 1984 के बीच भारतीय सीमा के निकट बड़े पैमाने पर सैनिक अभ्यास कर रहा था; और

(ख) यदि हां, तो इन कार्रवाइयों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) अक्तूबर से दिसम्बर 1984 के दौरान पाकिस्तानी सैनिक संगठनों ने हमारी सीमाओं के नजदीक शरद्कालीन प्रशिक्षण अभ्यास किए। इस तरह के प्रशिक्षण अभ्यास प्रति वर्ष किए जाते हैं।

सरकार उन सभी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखती है जिनका हमारी सुरक्षा पर असर पड़ता है और हर समय देश की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए समुचित उपाय करती है।

छठी योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को हुआ घाटा

1. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को घाटा होने के क्या कारण हैं;

(ख) खामियों को दूर करने के लिए उनके मंत्रालय तथा सम्बन्धित मंत्रालयों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) सरकारी क्षेत्र की किन-किन परियोजनाओं में छठी योजना अवधि के दौरान उत्पादन में वृद्धि हुई है; और

(घ) छठी योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं को कुल कितना घाटा हुआ और सरकार द्वारा इन परियोजनाओं पर कितना पूंजी-निवेश किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को घाटा होने के प्रमुख कारणों का संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1) देश के विभिन्न भागों में बिजली की कमी।

(2) इस्पात, कपड़ा, नौवहन आदि जैसे उद्योगों में प्रचलित मन्दी की स्थिति।

(3) तकनीकी एवं उत्पादन सम्बन्धी समस्यायें।

(4) समय-समय पर उत्पन्न श्रम अशान्ति।

(ख) सरकार, सरकारी उद्यमों के कार्य-निष्पादन की निरन्तर समीक्षा कर रही है तथा उनका कार्य-निष्पादन बेहतर बनाने के लिये किये गये निम्नलिखित उपाय उल्लेखनीय हैं :—

(1) जहां-कहीं क्षमता के उपयोग में निरन्तर कमी दिखाई पड़े तो उसके विशिष्ट कारणों की जांच के लिये विशेष अध्ययन दल गठित करना तथा अल्पावधिक एवं दीर्घावधिक सुधारात्मक उपाय सुझाना।

(2) जहां कहीं औचित्यपूर्ण हो तो संतोलक सुविधाओं एवं निजी उपयोगार्थ बिजली संयंत्रों की व्यवस्था के लिए अतिरिक्त पूंजी-निवेश किया जाता है।

(3) संयंत्र एवं उपस्कर की प्रौद्योगिकी का कोटि-उन्नयन, आधुनिकीकरण एवं पुनर्स्थापन करना और जहां कहीं उपयुक्त जान पड़े, उत्पादों का विविधीकरण करना ।

(4) प्रत्येक उद्यम के कार्य-निष्पादन की समीक्षा के लिये तिमाही बैठकों के माध्यम से सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों द्वारा नियमित रूप से परिवीक्षण किया जाना ।

(5) शीर्ष प्रबन्धकीय कार्मिकों के चयन और मूल्यांकन को बेहतर बनाना तथा शीर्ष-स्तरीय रिक्तियों को यथासमय भरना ।

(6) सरकार प्रमुख परियोजनाओं के निष्पादन एवं शीघ्र समापन का सतत रूप से परिवीक्षण कर रही है ।

(ग) छठी योजना अवधि के दौरान अब तक विनिर्माणकारी/उत्पादनकारी क्षेत्र में भारत डायनामिक्स लि० के सिवाय सभी उद्यमों के उत्पादन में पिछली छठी योजना वर्ष अर्थात् 1979-80 की तुलना में उत्पादन मूल्य के रूप में वृद्धि हुई है ।

(घ) छठी योजना के चार वर्ष अर्थात् 1980-81, 1981-82, 1982-83 और 1983-84 में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में कुल मिलाकर केवल 1980-81 में 202.97 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है । वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के अन्त में कुल मिलाकर क्रमश: 445.92 करोड़ रुपये, 617.85 करोड़ रुपये तथा 245.67 करोड़ रुपये (अनन्तिम) का निवल लाभ अर्जित हुआ है । इन उद्यमों में केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया पूंजी-निवेश इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपयों में)

31.3.1980 को	
(छठी योजना के प्रारम्भ से पूर्व)	13955
31-3-1981 को	15954
31-3-1982 को	19393
31-3-1983 को	23281
31-3-1984 को (अनन्तिम)	26754

हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोलना

2. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने योजना आयोग की परिभाषा के अनुसार देश के पर्वतीय राज्यों/क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोलने के लिए सामान्य दूरी तथा जनसंख्या के मानदण्ड में पर्याप्त छूट देकर, जो मैदानी क्षेत्रों की तुलना में ऐसे क्षेत्रों के लिये सही मानदण्ड नहीं है कोई उदार दृष्टिकोण अपनाया है ;

(ख) यदि हां, तो पर्वतीय क्षेत्रों के संबन्ध में क्या छूट दी गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा क्या यह छूट सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान रिजर्व बैंक की शाखा लाइसेंस नीति में सम्मिलित की जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) अप्रैल, 1982 से मार्च, 1985 तक की अवधि की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्रों, दूर-दूर आबादी वाले क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों को विशेष महत्व दिया गया है और बैंकिंग संबंधी सुविधाओं की उपलब्धता के वर्तमान अन्तर निधारित लक्ष्य समूहों की बैंकिंग संबंधी जरूरतों को पूरा करने की आवश्यकता, आर्थिक क्रियाकलापों के विकास आदि को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में अपेक्षाकृत उदार आधार पर शाखा विस्तार करने दिया जाता है। राज्य सरकारों को इस दृष्टिकोण से अवगत करा दिया गया है। 1985–90 की अवधि के लिये, जो सातवीं पंचवर्षीय आयोजना की अवधि के साथ समाप्त होगी शाखा विस्तार नीति को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

हिमाचल प्रदेश में बैंक शाखाएं खोलने के लिए सर्वेक्षण

3. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में जिला-वार उन स्थानों के नाम क्या हैं, जहां पर 1983-84 और 1984-85 के दौरान अपनी नयी शाखाएं खोलने के लिए (एक) भारतीय स्टेट बैंक, (दो) पंजाब नेशनल बैंक, (तीन) यूनाइटेड कमर्शियल बैंक और (चार) सेंट्रल बैंक आफ इंडिया ने सर्वेक्षण किए ;

(ख) इनमें से उन स्थानों के नाम क्या हैं, जहां के लिये भारतीय रिजर्व बैंक ने आवश्यक लाइसेंस दे दिए हैं और शाखाएं (एक) खोली जा चुकी हैं, (दो) अभी खोली जानी हैं ;

(ग) प्रत्येक के मामले में शेष शाखाओं के किन-किन तारीखों तक खोले जाने की आशा है; और

(घ) बैंकों द्वारा सर्वेक्षण किये गये स्थानों के संबंध में लाइसेंस न दिए जाने के क्या कारण हैं और लाइसेंस किस तारीख तक दिए जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक और सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया ने 1-1-83 से 31-12-84 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक से जिन स्थानों पर नई शाखाएं खोलने के लिये आवेदन किए उन के नाम विवरण एक में दिए गए हैं।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने जिन स्थानों के लिए प्राधिकारपत्र लाइसेंस जारी कर दिए हैं उन के नाम विवरण दो में दिए गए हैं। जिन स्थानों पर बैंक की शाखाएं पहले ही खोली जा चुकी है वे भी इस विवरण में दिखाये गये हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने समय-समय पर, बैंकों को उनके पास लम्बित पड़े लाइसेंसों को जल्दी निपटाने के लिए कहा है।

(घ) अप्रैल, 1982 से मार्च, 1985 तक की अवधि की शाखा विस्तार नीति के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने हिमाचल प्रदेश में विभिन्न बैंकों को कम से कम 100 केन्द्र आवंटित किए हैं। बैंकों को और केन्द्र आवंटित किए जाने की आवश्यकता पर अगली शाखा विस्तार नीति के दौरान फिर से विचार किया जाएगा।

विवरण एक

हिमाचल प्रदेश के उन स्थानों के नाम जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक को 1-1-83 से 31-12-84 की अवधि के दौरान भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड कर्मशियल बैंक और सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया से कार्यालय खोलने के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ।

केन्द्र जिसके लिए आवेदन-पत्र प्राप्त हुए

जिला	स्टेट बैंक आफ इंडिया	पंजाब नैशनल बैंक	यूनाइटेड कर्मशिल बैंक	सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया
बिलासपुर		डीठ	औहर	
		बिलासपुर	छकोह	
			बेहल	
चम्बा	हतली (एडीबी)		रख	डलहौजी
			गरोला	पुखरी
			बरगल	साहू
			पुखरी	गरोला
			डलहौजी	सरोल
			सुंडला	
हमीरपुर	सुजानपुर	मेर	सुजानपुर	
	तीरा	सलौन	तीरा	
	नदाम	जंगलबैरी		
		चाबुतरा	बयोटसिद्ध	
		दानीड		
		सिरा		
		कारूर/गोरना		
		कूतीरा		
		ताल		
		लाम्बलू		
कांगड़ा	गाराब	संघल	सपारी	ज्वालामुखी
	गुप्त गंगा	गुलेर	घराना	
	सपारी	चामुखी	नूरपुर	
	ज्वालामुखी	नंदपुर.	बने	
		बातेदी	दानताल	

जिला	स्टेट बैंक आफ इंडिया	पंजाब नैशनल बैंक	यूनाईटेड कर्माशियल बैंक	सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया
कांगड़ा		बाखण्डी	रे	—
			ठाकुरद्वारा	
			मिलवान	
			घुगर	
			दानदला	
			मुलतान	
			मंसाई	
			मारांडा	
			पपरौला	
			बभारणा	
			पंचरूखी	
किनौर	—	—	कार्चहिया	—
			पावर	
			काठी	
कुल्लू	हारीपुर	मणाली	—	—
		दोबाही		
		जागत-सुख		
लहोल और स्पिती	गांदला	—	ताडी	—
			गांदला	
मंडी	चलोंखरी	महादेव	सरकाघाट	—
		सुन्दरनगर-1		
		संदोल		
		अलसूंदी		
		तुल्हा		

जिला	स्टेट बैंक आफ इंडिया	पंजाब नैशनल बैंक	युनाईटेड कमर्शियल बैंक	सैंट्रल बैंक आफ इंडिया
शिमला	बहली			
	पिरियां	तादार	भट्ट	—
	जोतोग कैंन्ट	शिमला लोअर बाजार	बहली तखलेह	
	एच० पी० मैडिकल कालिज	जोतोग कैन्ट ढल्ली	खलीनी तारादेवी	
	अपग्रेशन आफ एक्सटेंशन काउंटर ढल्ली	खलीनी शिमला	कोबी भाराढ़ी (पोग)	
	लोंगवुड शिमला	बारोग	कुफरी भाटा कुफर	
			धामवारी जुगल	
			ग्राम पावर (गावही)	
सिरमौर	राजपुर	पउतरा सहिब	मानगढ़	
	राजगढ़ (एडीबी)		राजपुर	
सोलन	नालागढ़	बड्डी कुनीहार	कुनिहार	
		कसौली	सुख जाहारी	
उना	मीहतपुर	थान कालान]		थाना-कला
	जाखरा	पीतान-परचितान		धुंदला

जिला	स्टट बैंक आफ इंडिया	पंजाब नेशनल बैंक	युनाईटिड कर्मशियल बैंक	सैंट्रल बैंक आफ इंडिया
ऊना	ऊना कैन्ट	पंडोवा गार्दपुर-बानहौरा मारवाडी डूंगोली जालेरा कुरियाला सलोह	नरूम-कलां थाना कलां बेरूदाला धंनारी सलोह	सैंट लाईट आफिस

विवरण दो

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी प्राधिकार-पत्र/लाइसेंस और जहां पहले ही शाखाएं खोली जा चुकी हैं के सम्बन्ध में अनुबन्ध 1 में उल्लिखित स्थानों के नाम

जिला	स्टेट बैंक आफ इंडिया	पंजाब नैशनल बैंक	यूनाईठड कर्मशियल बैंक	सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया
हमीरपुर	—	मेहर (खोल दिया गया)	—	—
कांगड़ा	गोराब	—	—	—
लाहौल और स्पिती	गोंदला	—	—	—
शिमला	बाहाली (खोल दिया गया) पोरिया	—	तकलेह (खोल दिया गया) कुफ्री	— — (खोल दिया गया)
सिरमौर	राजपुर	—	मनधर (खोल दिया गया)	—
ऊना	—	—	—	घुंदला सेंटलाइट आफिस

पर्वतीय क्षेत्रों में नए पदों की भर्ती पर लगाये गए प्रतिबन्ध में छूट दिया जाना

4. **प्रो. नारायण चन्द पराशर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ष 1983-84 के दौरान पर्वतीय राज्यों/क्षेत्रों में नए पदों की भर्ती पर लगाए गए प्रतिबंधों में छूट देने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस अनुरोध पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में, किस तारीख तक निर्णय कर लिए जाने की सम्भावना है ?

वित्त तथा वाणिज्य और पूर्ति मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विद्यमान रिक्तियों को फिलहाल 31-3-85 तक न भरे जाने के संबंध में मंत्रालयों को जारी किये अनुदेश मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को प्रभावहीन करने के लिये समग्र लोकहित में किये उपायों के भाग के रूप में हैं। इसलिए इन्हें कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में केवल सरकारी कार्यालयों के मामले में शिथिल करना उचित नहीं होगा। पदों को भरे जाने के प्रस्तावों पर विचार गुणावगुण के आधार पर किया जाता है और ढील अत्यन्त असाधारण परिस्थितियों में दी जाती है।

नए पदों को भरने/सृजन करने पर लगे प्रतिबंध की छूट

5. **प्रो. नारायण चन्द पराशर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1983–84 के दौरान संचार, सूचना और प्रसारण, रेलवे तथा निर्माण और आवास मंत्रालयों ने कोई नई विकास परियोजनाएं शुरू करने/प्रशासनिक विस्तार या पदों के दर्जे बढ़ाने के लिए रिक्त पदों को भरने तथा नए पदों के सृजन पर लगे प्रतिबन्ध को क्रियान्वित करने से छूट प्रदान करने संबंधी कोई मामले भेजे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय को भेजे गए मामलों का ब्यौरा क्या है ।

वित्त तथा वाणिज्य तथा पूर्ति मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) : जनवरी 1984 से पहले, केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा योजना–भिन्न पदों का सृजन मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बिना नहीं दिया जा सकता था। जनवरी, 1984 में मंत्रालयों आदि को परामर्श दिया गया कि वे अत्यन्त अपवादीय परिस्थितियों को छोड़कर योजनागत या योजना भिन्न नए पदों का सृजन न करें अथवा वर्तमान रिक्तियों को न भरें। फिर भी, अत्यन्त अपवादीय परिस्थितियों में पदों का सृजन करने सम्बन्धी प्रस्तावों पर गुणदोषों के आधार पर विचार किया जाता है।

अत्यन्त अपवादीय परिस्थितियों में पदों के सृजन के लिए वित्त मंत्रालय में प्राप्त हुए प्रस्तावों पर वित्त मंत्रालय में समुचित स्तरों पर विचार किया जाता है, लेकिन ऐसे प्रस्तावों का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता। अतः ऐसे उदाहरणों के ब्यौरे प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है जिनमें प्रश्न में उल्लिखित मंत्रालयों के प्रसंगाधीन वर्ष ने दौरान अत्यन्त अपवा ीय परिस्थितियों में पदों के सृजन के लिए प्रतिबंध आदेशों को लागू किए जाने से छूट मांगी हो।

ग्रामीण उद्योगीकरण के लिए राज्यों को सहायता

6. **श्री अमर रायप्रधान :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा सभी पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण उद्योगीकरण के लिए प्रत्येक राज्य को सहायता दी गई थी :

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता दी गई तथा क्या परिणाम प्राप्त किये गये ;

(ग) क्या सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में भी राज्यों को ग्रामीण उद्योगीकरण के लिए सहायता देने के लिए कोई प्रावधान किया है ; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को कितनी सहायता दी जायेगी और यदि कोई प्रावधान नहीं किया गया है तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) जी, हां

(ख) ग्राम तथा लघु उद्योगों के संबंध को सामान्यतया ग्रामीण औद्योगीकरण का समानार्थी समझा जाता है। यद्यपि उनके संबंध का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है तथापि केन्द्र भी आधार संरचना सुविधाओं, तकनीकी मार्ग दर्शन और वित्तीय सहायता सहित एक महत्वपूर्ण पूरक भूमिका निभाता है। क्रमिक योजनाओं में केन्द्र और राज्य दोनों ही के द्वारा ग्राम और लघु उद्योग क्षेत्र के लिए उपलब्ध कराया गया कुल परिव्यय नीचे दिया गया है :–

योजना अवधि	करोड़ रुपया
प्रथम योजना (1951–56)	31.20
दूसरी योजना (1956–61)	200.00
तीसरी योजना (1961–66)	264.00
वार्षिक योजनाएं (1966–69)	132.55
चौथी योजना (1969–74)	293.13
पांचवीं योजना (1974–79)	535.03
वार्षिक योजना (1979–80)	239.48
छठी योजना (1980–85)	1780.45

इस क्षेत्रक द्वारा की गई प्रगति छठी योजना दस्तावेज में पहले ही दी गई है।

(ग) और (घ) 7वीं योजना (1985–90) के नीति दस्तावेज में बताया गया है कि ग्रामीण औद्योगीकरण के संवर्धन पर पर्याप्त बल दिया जाएगा।

रुपए के विदेशी मूल्य का निर्धारण

7. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वतमान स्थिति क्या है ;

(ख) क्या अमेरिका डालर की तुलना में पौंड स्टर्लिंग में आई तीव्र गिरावट का भारत पर गंभीर प्रभाव पड़ा है और इसके परिणामस्वरूप उस आधार का भी पुनरीक्षण करने की आवश्यकता हो सकती है जिसके अनुसार रुपयों का विदेशी मूल्य निर्धारित किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त तथा वाणिज्य और पूर्ति मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 28 दिसम्बर, 1984 को 6385.60 करोड़ रुपए का था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

पश्चिम बंगाल को कोयले की सप्लाई

8. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी बंगाल में विद्युत संयंत्रों और चाय बागानों की मांग पूरी करने के लिए पश्चिम बंगाल को इस समय कितना कोयला सप्लाई किया जा रहा है;

(ख) क्या कोयले की इस सप्लाई से उत्तरी बंगाल की मांग पूरी नहीं होती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या पश्चिमी बंगाल को कोयला संकट का सामना करना पड़ रहा है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) फिलहाल उत्तरी बंगाल में ऐसा कोई ताप बिजली घर नहीं चल रहा है जिसे कोयले की आवश्यकता हो। फिर भी, कोयला कंपनियां पश्चिम बंगाल राज्य के ताप बिजली घरों को कोयले की पर्याप्त सप्लाई करने का प्रस्ताव कर रही हैं। ताप बिजली घर वैगनों की कमी के कारण इस प्रस्ताव का पूरा उपयोग नहीं कर सके। ताप बिजली घर अपनी स्वयं की परिवहन समस्या के कारण, सड़क द्वारा संयोजित कोयला भी पर्याप्त मात्रा में नहीं उठा सके हैं। जहां तक उत्तरी बंगाल में चाय बागानों का संबंध है, जनवरी, 1984 से दिसम्बर, 1984 के दौरान उन्हें 1,90,600 टन कोयला सप्लाई किया गया जबकि चाय बोर्ड की सिफारिश के अनुसार उनका प्रायोजित कोटा 1,86,300 टन प्रतिवर्ष है।

(घ) उत्तर बंगाल में चाय बागानों से कोयले की कमी संबंधी संकट की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। यद्यपि इन चाय बागानों में से अधिकांश उत्पादन मौसम न होने के कारण उत्पादन नहीं करते हैं, फिर भी इनके स्टॉक बनाने के लिए इन्हें नियमित रूप से कोयले का प्रेषण किया जा रहा है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते का भुगतान

9. **श्री अमरराय प्रधान** :
श्री विजय कुमार यादव : } क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की किस्तें देय हो जाने पर नहीं दी जाती है तथा उनमें महीनों का विलम्ब किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अब तक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की कितनी किस्तें देय हो चुकी है और उनका शीघ्र भुगतान करने क लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है?

वित्त तथा वाणिज्य और पूर्ति मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) 18 जनवरी, 1985 की स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की मंहगाई भत्ते की दो किस्तें क्रमशः 1-8-1984 और 1-11-1984 से विचार करने योग्य हो गई हैं। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते तथा पेंशनभोगियों को राहत की प्रत्येक किश्त की अदायगी करने पर राजकोष को प्रतिवर्ष क्रमशः लगभग 70 करोड़ रुपये और 8 करोड़ रुपये की लागत आती है। इसलिए मंहगाई भत्ते की प्रत्येक किश्त की अदायगी करने के प्रश्न पर आर्थिक स्थिति तथा बजट पर उसके कारण पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सावधानी पूर्वक विचार करना होता है। इन किश्तों की अदायगी की स्वीकृति के प्रश्न पर सरकार ध्यान दे रही है।

[हिन्दी]

दानापुर छावनी बोर्ड क्षेत्र में पीने का पानी

10. श्री विजय कुमार यादव : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में दानापुर छावनी बोर्ड क्षेत्र के असैनिक नागरिकों को प्रति वर्ष पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त छावनी बोर्ड क्षेत्र में पहले ही पानी का एक नया टक बना दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उसके लिये पानी की सप्लाई न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार का विचार पानी के उक्त टैंक से पानी की सप्लाई कितने समय तक आरम्भ किये जाने का है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) जी, नहीं। फिर भी मशीन की खराबी या पावर के फेल हो जाने के कारण कभी-कभी पानी की सप्लाई में अवरोध आ जाता है।

(ख) से (घ) पानी की सप्लाई बढ़ाने के लिए दानापुर छावनी बोर्ड क्षेत्र में 4.5 लाख लीटर की क्षमता वाला पानी का एक नया टक बनाया गया है पम्प के निर्माण, विद्युत प्रतिष्ठान और ट्रांसफारमर की फिटिंग से संबंधित जो कुछ सहायक कार्य निष्पादन के लिए बिहार के लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग को सौंपे गए थ । अभी पूरे किए जाने हैं। कार्य को पूरा कराने तथा पानी के टैंक को चालू कराने के लिए छावनी बोर्ड के अधिकारी उस विभाग के अधिकारियों से लगातार सम्पर्क बनाए हुए है ।

[अनुवाद]

देश में अलोह धातुओं के मूल्यों में वृद्धि

11. श्री विजय कुमार यादव : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अल्यूमिनियम के अतिरिक्त सभी अलोह धातुओं के मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों से लगभग दुगुने हैं।

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं और वर्तमान ऊंचे मूल्यों को देखते हुए सरकार का अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता का कैसे सामना करने का विचार है ; और

(ग) क्या देश में इस्पात और अलौह धातुओं के इन ऊंचे मूल्यों के कारण भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड विश्व के बाजारों में प्रतियोगिता का सामना करने में असमर्थ है। जैसा कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के अध्यक्ष ने दिल्ली में हुई एक विचार गोष्ठी में कहा है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) देश में अलौह धातुओं की घरेलू कीमतें प्रचलित विश्व कीमतों से अपेक्षाकृत अधिक हैं।

(ख) इस स्थिति के लिए जिम्मेदार मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:—

(1) देशी उत्पादन प्रायः घटिया ग्रेड के अयस्कों से किया जाता है,

(2) आदान सामग्री, यथा विद्युत दर की लागत अधिक है,

(3) संसाधनों की कठिनाई के कारण अनेक बार अद्यतन प्रौद्योगिकी एवं उपकरणों की बजाए पुरानी प्रौद्योगिकी व उपकरणों से काम चलाना पड़ता है,

देशी उत्पादित अलौह धातुएं मूलतः घरेलू बाजार के लिए होती हैं। लेकिन जब इन धातुओं का निर्यात अन्य सामान के निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है, तो शुल्क वापसी, नकद, मुआवजा सहायता आदि के रूप में कुछ वित्तीय रियायतें दी जाती हैं।

(ग) भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि० के चेयरमैन को याद नहीं है कि उन्होंने हाल ही में ऐसा कोई वक्तव्य दिया था।

[हिन्दी]

पिथौरागढ़ उत्तर प्रदेश में भारत रिफ्रेक्टरीज यूनिट का निर्माण

12. **श्री हरीश रावत : क्या इस्पात, खान और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देवलथल (पिथौरागढ़) उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित भारत रिफ्रेक्ट्रीज यूनिट का निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ होने की संभावना है;

(ख) क्या इसके लिए स्थान का चयन कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो विस्थापित व्यक्तियों के अन्यत्र पुनर्वास हेतु दिए गए आश्वासन को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का क्या ब्यौरा है?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री नटवर सिंह) : (क) और (ख). भारत रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड की पिथौरागढ़ परियोजना में अपरिष्कृत मैग्नेसाइड का खनन करने तथा रोटरी किलन में मैग्नेसाइट के मृततापन के लिए एक संयंत्र लगाने की परिकल्पना की गई है। इस संयंत्र की स्थापना का निर्माण कार्य जून, 1985 में शुरू हो जाने की संभावना है। इस संयंत्र के लिए स्थल का चयन कर लिया गया है।

(ग) रोजगार के मामले में परियोजना प्राधिकारी सरकार की नीति के अनुसार विस्थापित व्यक्तियों को उचित रियायतें देंगे।

पिथौरागढ़ (उत्तर प्रदेश में) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का खोला जाना

13. **श्री हरीश रावत :** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिथौरागढ़ (उत्तर प्रदेश) में एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले जाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक काम करना शुरू कर देगा तथा कौन-कौन से स्थानों पर इसके क्षेत्राधिकार में इसकी शाखाएं खोली जाएंगी।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय स्टेट बैंक से, जिसे इस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को प्रायोजित करने के लिए कहा गया है, अभी विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त होने हैं। बैंक से ये प्रस्ताव जल्दी भेजने के लिए कह दिया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा विस्तार कार्यक्रम उसकी स्थापना के बाद ही तैयार किया जा सकता है।

राज्यों में योजना आयोगों की स्थापना

14. **श्री हरीश रावत** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र के योजना आयोग की पद्धति पर सभी राज्यों में योजना आयोग स्थापित किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सभी राज्यों को इस प्रकार क योजना आयोग गठित करने और अपनी-अपनी वार्षिक योजनाएं तैयार करने/निर्धारित करने और उनका मूल्यांकन करने की सलाह देने का सरकार का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) से (ग) योजना आयोग द्वारा वर्ष 1971 में ही राज्य योजना बोर्ड स्थापित करने के संबंध में राज्यों को दिए गए सुझाव के जवाब में जम्मू और कश्मीर तथा सिक्किम को छोड़कर, सभी राज्य सरकारों ने योजना निकाय स्थापित किए हैं जिसमें कई इस प्रकार है—राज्य योजना आयोग, राज्य योजना बोड या राज्य विकास बोर्ड। सिक्किम सरकार ने इस समय ऐसा कोई योजना बोर्ड स्थापित करने में असमर्थता प्रकट की है। तथापि, जम्मू और कश्मीर सरकार राज्य नीति और योजना परिषद नामक एक शीर्ष योजना निकाय स्थापित करने पर सहमत हो गई है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और स्व-रोजगार गारंटी योजना हेतु निर्धारित लक्ष्य

15. **श्री हरीश रावत :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा निधन लोगों और बेरोजगार शिक्षित लोगों के लिए शुरू किए गए समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और शिक्षित लोगों के लिए स्व-रोजगार गारंटी योजना जैसे कार्यक्रमों के अधीन विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के लिये उनके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और प्रत्येक द्वारा क्या लक्ष्य प्राप्त किये गये; और

(ग) उक्त लक्ष्य प्राप्त न करने वाले बैंको के अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) :(क) से (ग) प्रत्येक जिले के लिए तैयार की गई वार्षिक कारंवाई आयोजनाओं में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और स्व-रोजगार योजना जैसी योजनाओं सहित बड़ी-बड़ी स्कीमों के सम्बन्ध में बैंक वार, क्षेत्रवार ऋण कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर, समूचे बैंकिंग उद्योग के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और कुछ मामलों में वास्तविक तथा वित्तीय लक्ष्यों का राज्य वार बंटवारा भी किया जाता है।

छठी आयोजना में, कुल मिलाकर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण देने के लिए 3000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया था जिससे बैंक शायद आगे बढ़ जाएंगे। पिछले दो वर्षों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंकों द्वारा निर्धारित ऋणों के लक्ष्यों और प्राप्तियों का यौरा इस प्रकार है:—

वर्ष	संवितरित सावधि ऋण	
	लक्ष्य	प्राप्ति (करोड़ रुपए)
1982—83	600	713.98
1983—84	600	773.51

जहां तक बेरोजगार शिक्षित युवकों को स्व-रोजगार देने की योजना का सम्बन्ध है वर्ष 1983—84 के लिए 2.5 लाख युवकों को सहायता देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके मुकाबले बैंकों ने 2.42 लाख युवकों को 401.54 करोड़ रुपए की राशि के ऋण मंजूर किए। चालू वित्तीय वर्ष 1984—85 के लिए भी 2.5 लाख हिताधिकारियों को सहायता का नया लक्ष्य रखा गया है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भारी रद्दो-बदल

16. **श्री बी. वी. देसाई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में, जो लगातार घाटे में चल रहे हैं, भारी रद्दो-बदल किया है, और यदि हां, तो क्या परिवर्तन किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उनमें कार्य-कुशलता लाने के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधा को दूर करने के लिए उनके ढांचे में परिवर्तन के अन्तर्गत अनेक वरिष्ठ अधिकारियों का बदला जाना शामिल है; और

(ग) क्या सातवीं योजना हेतु धन-राशि जुटाने के लिए सरकारी उपक्रमों के लाभ पर निर्भर करने हेतु उनके कार्यकरण में सुधार करने की आवश्यकता पड़ी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) से (ग) निरन्तर घाटे में चल रहे सरकारी उद्यमों का मामला सरकार के लिये भारी चिंता का विषय बना रहा है तथा सरकार ने

उनका कार्य-निष्पादन बेहतर बनाने के लिये अनेक उपाय किये हैं। इस प्रकार शुरू किये गये उपायों में निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं:—

(1) जहां कहीं क्षमता के उपयोग में निरन्तर कमी दिखाई पड़े तो उसके विशिष्ट कारणों की जांच के लिये विशेष अध्ययन दल गठित करना तथा अल्पावधिक एवं दीर्घावधिक सुधारात्मक उपाय सुझाना।

(2) जहां कहीं औचित्यपूर्ण हो तो संतोलक सुविधाओं एवं निजी उपयोगार्थ बिजली संयंत्रों की व्यवस्था के लिये अतिरिक्त पूंजी-निवेश किया जाता है।

(3) संयंत्र एवं उपस्कर की प्रोद्योगिकी का कोटि-उन्नयन, आधुनिकीकरण एवं पुनर्स्थापन करना और जहां-कहीं उपयुक्त जान पड़े, उत्पादों का विविधीकरण करना।

(4) प्रत्येक उद्यम के कार्य-निष्पादन की समीक्षा के लिये तिमाही बैठकों के माध्यम से सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों द्वारा नियमित रूप से परिवीक्षण किया जाना।

(5) शीर्ष प्रबन्धकीय कार्मिकों के चयन और मूल्यांकन को बेहतर बनाना तथा शीर्ष स्तरीय रिक्तियों को यथासमय भरना।

(6) सरकार प्रमुख परियोजनाओं के निष्पादन एवं शीघ्र समापन का सतत रूप से परिवीक्षण कर रही है।

2. सरकार, सरकारी उद्यमों की प्रबन्ध-व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं, जिनमें कार्मिक संगठन-ढांचा आदि में यथावश्यक परिवर्तन शामिल हैं, की निरन्तर समीक्षा कर रही है, ताकि उनका कार्य-निष्पादन बेहतर बनाया जा सके।

विकास संबंधी ऋणों की वसूली

17. **श्री बी. वी. देसाई :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व केन्द्रीय वित्त मंत्री ने विकास संबंधी ऋणों की असन्तोषजनक वसूली पर चिन्ता व्यक्त की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने इस बात की चेतावनी दी थी कि अब ऐसी स्थिति आ गयी है जबकि सुधारात्मक कार्यवाही करने में अधिक विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए;

(ग) यदि हां, तो क्या उन्होंने सितम्बर, 1984 में आयोजित ग्रामीण विकास के प्रभारी राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में ये विचार व्यक्त किए थे;

(घ) क्या ग्रामीण विकास कार्यक्रम में सहकारी बैंकों का असंतोषजनक कायनिष्पादन इस असंतोषजनक वसूली का कारण बताया गया है और सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने भी सीधे दिए गए अपने कृषि ऋणों की वसूली के बारे में कोई अच्छा कार्य नहीं किया है;

(ङ) यदि हां, तो ऋणों की वसूली के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में उन्होंने क्या सुझाव दिए हैं;

(च) राज्य सरकारों ने उनके सुझावों को किस सीमा तक स्वीकार और कार्यान्वित किया है; और

(छ) वसूली प्रतिशत में किस सीमा तक वृद्धि हुई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) से (ग) राज्यों के ग्रामीण विकास प्रभारी मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए भूतपूर्व वित्त मंत्री ने बैंक को बकाया रकमों की वसूली में सुधार लाने की आवश्यकता पर जोर दिया था। सम्मेलन में यह बताया गया था कि बैंक व्यापक ऋण कार्यक्रम तभी बनाए रख सकते हैं अगर वे अपनी धन-राशियों को फिर से काम में ले सकें। इसके पश्चात भूतपूर्व वित्त मंत्री ने अक्तूबर, 1984 में राज्यों के मुख्य मंत्रियों को इस आशय के पत्र लिखे जिनमें बकाया रकमों की वसूली में बैंकों की उचित रूप से सहायता करने का अनुरोध किया गया था।

(घ) यह सच है कि कई सहकारी बैंक अधिक वसूली न होने के कारण अपने ऋण कार्यक्रमों में कटौती करने पर मजबूर हो गए हैं। वाणिज्यिक बैंकों के प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की वसूली ऋणों की मांग का लगभग 52 प्रतिशत है और इसे संतोषजनक नहीं माना जाता।

(ङ) और (च) सहकारी बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों की वसूली स्थिति को सुधारने के लिए विशेष वसूली अभियान चलाने का सुझाव दिया गया था। कई राज्य सरकारों ने इस बात का समर्थन किया है और बकाया रकमों को वसूल करने में बैंकों को सभी तरह से सहायता करने का आश्वासन दिया है।

(छ) अक्तूबर, 1984 में दिये गए सुझावों के परिणामों का इस समय मूल्यांकन करना बहुत जल्दी होगा।

चीन तथा पाकिस्तान द्वारा नौसेना का आधुनिकीकरण

18. **श्री बी. वी. देसाई** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन अपने सैनिक आधुनिकीकरण अभियान के भाग क रूप में अपनी नौसेना को निर्दिष्ट स्थान पर मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों तथा इलेक्ट्रानिक नाभिकीय तथा स्वचालित हथियारों से सुसज्जित कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या नौसेना के आधुनिकीकरण का हिन्द महासागर पर भारी प्रभाव पड़ेगा ;

(ग) यदि हां, तो क्या चीन पाकिस्तान को अपनी नौसेना के आधुनिकीकरण में सहायता करने के लिए भी सहमत हुआ है ;

(घ) यदि हां, तो क्या चीन तथा पाकिस्तान दोनों के द्वारा अपनी नौसेनाओं के आधुनिकीकरण से भारत की सुरक्षा पर अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा ; और

(ङ) यदि हां, तो चीन तथा पाकिस्तान के किसी खतरे का सामना करने के लिए भारत द्वारा अपनी नौसेना का कितना आधुनिकीकरण किया गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) इस संबंध में सरकार ने रिपोर्ट देखी है।

(ख) चीन द्वारा अपनी नौसेना को निर्दिष्ट स्थान पर मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों तथा इलेक्ट्रानिक नाभिकीय तथा स्वचालित हथियारों से सुसज्जित करके उसका आधुनिकीकरण करने की योजना का हिन्द महासागर में समुद्री सुरक्षा परिवेश पर प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(ग) चीन, पाकिस्तान को नौसैनिक हथियारों की सप्लाई करने वालों में से एक है।

(घ) और (ङ) जी हां। इन दोनों देशों की आधुनिकीकरण की इस योजना का भारत की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। भारत सरकार अपने हित के क्षेत्रों में इन नौसैनिक हथियारों के कारण भारत की सुरक्षा को होने वाले खतरे की लगातार समीक्षा करती है। इन परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाली या अन्य संभावित स्थितियों का सामना करने के लिए भारतीय नौसेना की अधिग्रहण और निर्माण योजनाओं को उपयुक्त तरीके से आधुनिक बनाया जाता है।

सैन्य जनशक्ति नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत सैन्यकर्मियों को लाभ

19. **श्री बी. वी. देसाई :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा हाल ही में दो बार की गई संवर्ग समीक्षाओं के अनुभवों तथा पदोन्नति के अवसरों और परिलब्धियों के बारे में तीनों सेवाओं की बढ़ती आकांक्षाओं को देखते हुए सैन्य जनशक्ति नियोजन को अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान कि ा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत कौन-कौन से प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है;

(ग) सैन्य कर्मियों को कितना लाभ पहुंचाया जायेगा; और

(घ) अन्तिम निर्णय कितने समय तक कर लिया जाएगा ?

रक्षा मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) से (घ) सशस्त्र सेनाओं के विभिन्न रैंकों में कुछ असन्तुलन तथा प्रोन्नति अवरुद्धता को समाप्त करने और उनकी पदोन्नति के अवसरों को सुधार करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में दो बार संवर्ग समीक्षा की गई। कार्मिकों और अफसरों की पदोन्नति के अच्छे अवसर सुनिश्चित करने के लिए कई पदों का दर्जा बढ़ाया गया है। कुछ अफसर रैंकों में पदोन्नति के लिए समय-सीमा कम करने के अलावा चयन-ग्रेड भी शुरू किए गये। जूनियर कमीशन प्राप्त अफसरों के लिए आनरेरी कमीशन के कोटे में भी वृद्धि की गई है।

सरकार सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों सहित अपने सभी कर्मचारियों की पदोन्नति के अवसरों में सुधार लाने के लिए वचनबद्ध है। सरकार द्वारा गठित चतुर्थ वेतन आयोग भी सैनिक कार्मिकों के वेतन-ढांचे से संबंधित कुछ प्रस्तावों की जांच कर रहा है।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों द्वारा बिक्री योग्य इस्पात का लक्ष्य प्राप्त किया जाना

20. **श्रीमती किशोरी सिन्हा : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्र बिक्री योग्य इस्पात का 1984-85 का लक्ष्य प्राप्त करने के करीब हैं;

(ख) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इसकी प्राप्ति से संयंत्रों को अत्यधिक लाभ अर्जित करने में भी सहायता मिलेगी ; और

(घ) क्या सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में इस्पात की उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री नटवर सिंह): (क) जी, हां। आशा है वर्ष 1984-85 के दौरान सरकारी क्षेत्र के सर्वतोमुखी इस्पात कारखाने विक्रेय इस्पात के उत्पादन के अपने निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। अप्रैल–दिसम्बर, 1984 की 9 महीनों की अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्य तथा वास्तविक उत्पादन इस प्रकार है:—

(हजार टन)

कारखाना	लक्ष्य (1984-85)	अप्रैल-दिसम्बर, 1984			अप्रैल-दिसम्बर, 1983 में वास्तविक उत्पादन
		लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन	प्राप्ति का प्रतिशत	
स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि. (इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी इस्को) भी शामिल है।	5410	3743	3602	96.2	3241

अप्रैल-दिसम्बर, 1984 में "सेल" के कारखानों (इस्को भी शामिल है) का उत्पादन अप्रैल-दिसम्बर, 1983 की अवधि में हुए उत्पादन से 11 प्रतिशत अधिक है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) "सेल" द्वारा विक्रेय इस्पात का उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने से इसे अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने में सहायता मिलेगी।

(घ) जैसा कि नीचे दी गई तालिका से स्पष्ट है, विक्रेय इस्पात की उत्पादन लागत में पिछले वर्षों में वृद्धि हुई है :—

वर्ष	'सेल' के चार सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में विक्रेय इस्पात की उत्पादन लागत (रुपए प्रति टन)	गत वर्ष वर्ष की तुलना में विक्रेय इस्पात की उत्पादन लागत में हुई वृद्धि (रुपए प्रति टन)
1980-81	2553	386
1981-82	2859	306
1982-83	3432	573
1983-84	3970	538

उत्पादन लागत में वृद्धि मुख्यतः कोयला, बिजली, पेट्रो-ईंधन जैसे आदानों की लागत तथा मजूरी में पिछले वर्षों में हुई वृद्धि के कारण हुई है ।

[हिन्दी]

कर वसूली में कमी

21. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष कर वसूली में 10 प्रतिशत कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इस वष करों के रूप में कितनी धनराशि वसूल की जानी चाहिए थी और वसूली कितनी कम रही; और

(ग) तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[अनुवाद]

कमजोर वर्गों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना

22. **डा. कृपा सिन्धु भोई** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाज के कमजोर वर्गों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए पिछले पांच वर्षों में क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ख) अब तक राज्य-वार क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(ग) इस संबंध में आगे और क्या कदम उठाए गए हैं और इस प्रयोजन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) समाज के कमजोर वर्गों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने के लिए अनेक कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं, जैसे-एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (ए. ग्रा. वि. का.), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (रा. ग्रा. रो. का.) और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम । इन कार्यक्रमों का उद्देश्य आय अथवा रोजगार का स्थिर प्रवाह करने वाली परिसम्पत्तियों का सृजन करके कमजोर वर्गों की आय बढ़ाना है ।

(ख) छठी योजना के पहले चार वर्षों (1980-84) में, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के जरिए 12.58 मिलियन परिवारों को सहायता दी गई है और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के जरिए रोजगार के 1428 मिलियन श्रमदिवस सृजित किए गए हैं ।

(ग) जैसाकि सातवीं पंचवर्षीय योजना की नीति (दस्तावेज) में परिकल्पना की गई है, सातवीं योजना अवधि में गरीबी दूर करने संबंधी कार्यक्रमों का संवेष्ठन (पैकेज) त्वरित गति से जारी रहेगा ।

लोह अयस्क खानों का विकास

23. **श्रीमती जयंती पटनायक : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की** कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लौह अयस्क खानों के विकास के लिए कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में लौह अयस्क खानों के विकास के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री नटवर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) उड़ीसा में उत्पादन क्षमता इस समय हो रहे उत्पादन की तुलना में काफी अधिक है । आशा है इस्पात के देशीय उत्पादन में वृद्धि होने अथवा लौह अयस्क का अधिक मात्रा में निर्यात करने से लौह अयस्क के उत्पादन में वृद्धि की पूर्ति वर्तमान क्षमता से ही हो जायेगी ।

सुकिन्दा, उड़ीसा में निकल परियोजना की स्थापना

24. **श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की** कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार, उड़ीसा में सुकिन्दा के निकट एक निकल परियोजना स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव के क्रियान्वयन के लिये क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ख) पहले जारी मंजूरी प्रारंभिक साध्यता रिपोर्ट पर आधारित थी, जिसमें सुकिन्दा निकल परियोजना की स्थापना के लिए देसी प्रौद्योगिकी पर स्थापना की परिकल्पना की गई थी । परन्तु परियोजना आगे नहीं चल सकी, क्योंकि चुनी हुई देसी प्रौद्योगिकी पाइलट संयंत्र स्तर पर परीक्षण करने पर सफल नहीं पायी गई । देसी प्रौद्योगिकी के असफल हो जाने पर विदेशी प्रौद्योगिकी का सोच समझकर चुनाव करना जरूरी हो गया । कनाडाई अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ ने उपलब्ध आंकड़ों का प्रारंभिक मूल्यांकन किया तथा उसकी रिपोर्ट के अनुसार साध्यता रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व अतिरिक्त गवेषण और पाइलट प्लांट परीक्षण करना आवश्यक हो गया । अतिरिक्त गवेषण

की स्कीम तैयार की गई। गवेषण आंकड़ों तथा प्रयोगशाला और पाइलट प्लांट परीक्षण कार्य की समीक्षा के लिए विदेशी सलाहकारों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए। प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर किसी उपयुक्त सलाहकार का चयन हिन्दुस्तान कापर लि. के पास निर्णय के अग्रिम चरण में है। इस कार्यवाही के पूरा हो जाने के बाद सुकिन्दा निकिल अयस्कों पर अतिरिक्त गवेषण और परीक्षण कार्य शुरू करने के समूचे प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

वाणिज्यिक बैंकों की नई शाखाएं खोला जाना

25. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के दौरान भिन्न-भिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों की नई शाखाएं खोलने का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) इस संबंध में अब तक, राज्यवार, क्या उपलब्धि रही है; और

(ग) छठी योजना बैंक विस्तार कार्यक्रम की सिद्धि के लिये तैयार किये गए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति अप्रैल, 1982 से मार्च, 1985 तक की अवधि के लिए है और इस का उद्देश्य ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 1981 की जनगणना के आधार पर प्रत्येक 17,000 की जनसंख्या के पीछे एक बैंक कार्यालय खोलना है। जनसंख्या के आधार पर निर्धारित शाखा विस्तार मानदण्डों के अनुसार, ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में कम बैंकों वाले जिलों में नीति की अवधि के दौरान 7,540 शाखाएं खोली जानी हैं। इसके अतिरिक्त, बैंकों की कमी से भिन्न जिलों में 823 शाखाएं खोले जाने का प्रस्ताव था।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें 31-3-82 से 30-6-84 के दौरान शाखाओं में हुई बढ़ोतरी और साथ ही बैंकों के पास 30-6-84 तक के लम्बित पड़े प्राधिकार-पत्र/लाइसेंसों का राज्यवार विस्तृत ब्यौरा दिखाया गया है।

(ग) राज्य सरकारों को जिला परामर्शदात्री समितियों की सिफारिशों के आधार पर बकों की नई शाखाएं खोलने के लिए केन्द्रों का निर्धारण करना था। वर्तमान नीति अवधि के दौरान अब तक ऐसी सिफारिशों के आधार पर और अलग-अलग बैंकों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बकों को लगभग 10,000 केन्द्रों में शाखाएं खोलन की अनुमति दी गई।

विवरण

31-3-82 और 30-6-84 के बीच देश के वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं की संख्या में राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार हुई बढ़ोतरी और 30-6-84 तक उनके पास लम्बित पड़े प्राधिकार पत्रों/लाइसेंसों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	महा-नगरीय/पत्तन नगर	जोड़	30-6-84 तक लम्बित पड़े अधिकार पत्र/लाइसेंस
1	2	3	4	5	6	7
1. आंध्र प्रदेश	451	23	29	30	533	425
2. असम	134	27	4	–	165	221
3. बिहार	426	25	26	–	477	712
4. गुजरात	252	24	22	24	322	205
5. हरियाणा	109	16	19	–	144	27
6. हिमाचल प्रदेश	91	1	–	–	92	35
7. जम्मू व कश्मीर	78	2	10	–	90	86
8. कर्नाटक	426	33	36	24	519	258
9. केरल	55	80	18	6	159	57
10. मध्य प्रदेश	642	60	38	–	740	490
11. महाराष्ट्र	415	25	54	48	542	490
12. मणिपुर	11	–	1	–	12	37
13. मेघालय	26	4	1	–	31	32
14. नागालैंड	9	2	–	–	11	6
15. उड़ीसा	228	24	11	1	264	166
16. पंजाब	141	16	23	–	180	119
17. राजस्थान	312	38	34	–	384	216
18. सिक्किम	10	2	–	–	12	–

1	2	3	4	5	6	7
19. तमिलनाडु	283	44	40	44	411	196
20. त्रिपुरा	2	1	–	–	3	38
21. उत्तर प्रदेश	1078	57	64	14	1213	1360
22. पश्चिम बंगाल	213	33	11	34	291	690
23. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1	–	–	–	1	2
24. अरुणाचल प्रदेश	10	1	–	–	11	25
25. चंडीगढ़	5	–	6	–	11	7
26. दिल्ली	7	1	–	70	78	72
27. दादर व नगर हवेली	–	–	–	–	–	–
28. गोवा, दमन व दीव	10	–	–	1	11	5
29. लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–
30. मिजोरम	5	2	–	–	7	28
31. पांडिचेरी	2	–	–	2	4	4
जोड़	5432	541	447	298	6718	6009

निजी व्यक्तियों द्वारा आग्नेयास्त्रों का आयात

26. **प्रो. मधु दण्डवते :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी व्यक्तियों द्वारा प्रतिदिन असामान्य तौर पर बड़ी संख्या में आग्नेयास्त्रों का आयात किया जा रहा है;

(ख) क्या कोई यात्री आग्नेयास्त्रों के लिए 340 प्रतिशत शुल्क तथा 500 प्रतिशत तक जुर्माना देने के बाद सामान्य बैगेज के रूप में उनको देश में ला सकता है;

(ग) क्या ये आग्नेयास्त्र सिंगापुर और हांगकांग से आने वाले यात्रियों द्वारा लाए जा रहे हैं/आयात किये जा रहे हैं;

(घ) क्या गत वर्ष जुलाई में हवाई अड्डे पर एक ब्रिगेडियर को गिरफ्तार किया गया था जिसके पास 3 पिस्तौल और 450 कारतूस बरामद हुए थे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निजी व्यक्तियों द्वारा आग्नेयास्त्रों के आयात को रोकने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) विदेशों से लौटने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति अनिषिद्ध आग्नेयास्त्रों को असबाब के रूप में अपने साथ ला सकते हैं लेकिन शर्त यह है कि उन्हें 340 प्रतिशत शुल्क अदा करना होगा और आयुध अधिनियम के तहत वैद्य लाइसेंस पेश करना होगा । तथापि, ऐसे व्यक्ति अपने साथ एक से अधिक रिवाल्वर/पिस्तौल अथवा राइफल/शॉट गन नहीं ला सकते हैं और ऐसे आग्नेयास्त्रों को 10 वर्ष तक नहीं बेचा जा सकता है ।

(ग) इन आग्नेयास्त्रों को विभिन्न देशों से आनेवाले व्यक्तियों द्वारा आयात किया जाता है जिनमें सिंगापुर तथा हांगकांग भी शामिल हैं।

(घ) जी, हां ।

(ङ) दिनांक 19/20-7-84 को श्री जागीर सिंह नामक एक व्यक्ति को, जो एक सेवा-निवृत्त ब्रिगेडियर है, पालम हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उसके पास से तीन रिवाल्वर और 450 कारतूस मिले थे जिनके बारे में उसने घोषणा नहीं की थी । उक्त रिवाल्वरों तथा कारतूसों को रोक लिया गया था । एक कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है और मामला न्यायनिर्णयाधीन है । श्री जागीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था और उस पर मुकदमा चलाया जा रहा है ।

मौजूदा आयात नीति के अंतर्गत निकट संबंधियों से उपहार-स्वरूप प्राप्त हुए आग्नेयस्त्रों के एक वैद्य सीमाशुल्क निकासी परमिट के तहत भारत में आयात करने अथवा विदेशों से लौटने वाले व्यक्तियों द्वारा असबाब के रूप में उन्हें लाये जाने के मामलों को छोड़कर बाकी के मामलों पर पहले से ही प्रतिबंध लगा हुआ है । इसके अतिरिक्त किसी आग्नेयास्त्र का आयात करने वाले किसी भी व्यक्ति को हथियार लाइसेंस पेश करना होता है, भले ही वह उसे उपहारस्वरूप मिला हो अथवा वह उसे असबाब के रूप में लाया हो ।

बैंकों की लाभप्रदता

27. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक की जून, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिये बैंकिंग संबंधी रिपोर्ट में बैंकों की लाभप्रदता में गिरावट आने पर चिन्ता व्यक्त की गई है;

(ख) क्या इस गिरावट का कारण उद्योग में रुग्णता की अधिकता भी है;

(ग) क्या भारतीय बैंक उद्योग की प्रचालन लागत अन्य देशों की तुलना में अधिक है; और

(घ) बैंकों को अधिक लाभप्रद बनाने के लिये क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने जून, 1984 को समाप्त वर्ष के लिए "भारत में बैंकिंग प्रवृत्तियां और प्रगति सम्बन्धी रिपोर्ट" में लाभ प्रदता बढ़ाने, को बैंकों के सम्मुख मध्यावधिक कार्यों में से एक कार्य बताया है ।

(ख) गत वर्षों में रुग्ण औद्योगिक एककों को दिए गए अग्रिमों में वृद्धि हुई है । बैंक इनमें से कई एककों को अर्थक्षम बनाने के लिए उन का वित्तपोषण कर रहे हैं और इस प्रक्रिया में

उन्हें जो रियायतें दी गई हैं उन में ब्याज की दरों में कटौती, अतिदेय ब्याज का निधिकरण, उदार शर्तों पर अतिरिक्त ऋण सीमाओं की मंजूरी आदि के रूप में छूटों की परिकल्पना की गई है। इन उपायों का कुछ हद तक बैंकों की आमदनी पर असर पड़ता है।

(ग) भारतीय बैंकों के परिचालन व्यय का अन्य देशों के बैंकों के परिचालन व्यय के साथ कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया गया है।

(घ) बैंकों की लाभप्रदता को बढ़ाने और उनकी अर्थक्षमता को बनाए रखने के उपायों पर बराबर विचार किया जाता है।

नई इक्विटिज में अनिवासी भारतियों द्वारा निवेश

28. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार "इक्विटी" में अनिवासी भारतीयों द्वारा किए जाने वाले निवेश को केवल नए निर्गमों और विस्तार परियोजनाओं तक ही सीमित करने का है;

(ख) अनिवासी भारतीयों द्वारा निर्गमों और विस्तार परियोजनाओं में अब तक कुल कितना धन लगाया गया है तथा विद्यमान निर्गमों में कितनी धनराशि का निवेश किया गया है;

(ग) क्या सरकार विद्यमान "इक्विटीज" में निवेश की तुलना में नयी इक्विटीज में निवेश की मात्रा को उचित समझती है; और

(घ) यदि नहीं, तो नई 'इक्विटीज' में अनिवासी भारतीयों के निवेश को प्रोत्साहन देने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त तथा वाणिज्य और पूर्ति मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) से (घ) संभवत: माननीय सदस्य का अभिप्राय प्रत्यक्ष तथा पोर्टफोलियो निवेश योजनाओं के अधीन अनिवासी भारतीयों द्वारा दिए गए निवेशों से है। जहां तक प्रत्यक्ष निवेश योजनाओं का संबंध है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास 30 नवम्बर, 1984 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पहली अप्रैल, 1982 से लेकर शेयरों/ऋण पत्रों में निवेश के लिए अनुमोदित किए गए प्रस्तावों की कुल राशि 215.21 करोड़ रुपए है। यह उत्साहवर्द्धक है। पोर्टफोलियों निवेश योजना के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रखे गये आंकड़ों का संबंध लगायी गई वास्तविक पूंजी से है; और 30 सितम्बर, 1984 की स्थिति के अनुसार, इस योजना के अधीन अनिवासी भारतीयों द्वारा कुल 43.69 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर/ऋण पत्र/स्टाक एक्सचेंजों के माध्यम से खरीदे गये थे।

इस्पात संयंत्रों के लिए कोकिंग कोयले की कमी

29. **डा० कृपा सिंधु भोई :** क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात संयंत्रों के लिए कोकिंग कोयले की सप्लाई में निरन्तर कमी बनी हुई है; और

(ख) इस्पात संयंत्रों के लिए कोयले की किस्म, पर्याप्त तथा त्वरित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री नटवर सिंह) : (क) और (ख) यह सच है कि स्टील अथारिटी आफ इंडिया कई वर्षों से कुछ मात्रा में शोधित कोककर कोयले का आयात कर रही है । वर्ष 1983-84 के दौरान 04.63 लाख टन शोधित कोककर कोयला आयात किया गया था जो इस्पात क्षेत्र द्वारा उस वर्ष इस्तेमाल में लाए गए शोधित कोककर कोयले की कुल मात्रा का 3 प्रतिशत बैठता है ।

विशेषज्ञों के एक दल ने इस्पात कारखानों को कोककर कोयले की सप्लाई के प्रश्न पर हाल में विस्तार से विचार किया है । इस विशेषज्ञ-दल ने दिसम्बर, 1984 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी । इस विशेषज्ञ-दल ने इस्पात कारखानों को कोककर कोयले की आवश्यकताओं की पूर्ति करने तथा कोककर कोयले की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए अल्पकालिक व दीर्घकालिक–दोनों प्रकार के कई उपाए सुझाए हैं । तदनुसार झरिया तथा अन्य कोयला-क्षेत्रों में कोककर कोयले की नई खानों में काम शुरू किया जा रहा है और वर्तमान खानों का आधुनिकीकरण और विस्तार किया जा रहा है और नई शोधनशालाएं स्थापित की जा रही हैं । इस उद्देश्य के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपए (1984-85 के मूल्यों के स्तर पर) का प्रावधान करने का प्रस्ताव किया गया है।

इस्पात कारखानों को कोककर कोयले की सप्लाई की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कई उपाय किए गए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :–

(i) कोयला शोधनशालाओं को राख की अधिक मात्रा वाले तथा शीघ्रता से टिकियों में परिवर्तित न हो सकने वाले अशोधित कोयले की सप्लाई कम से कम कर दी गई है,

(ii) कोयला शोधनशालाओं का बेहतर रखरखाव व परिचालन सुनिश्चित करने के लिए अधिक ध्यान दिया जा रहा है,

(iii) कुछ शोधनशालाओं का उत्पादन इष्टतम स्तर तक लाने के लिए उनमें अनुपूरक सुविधाओं की व्यवस्था करके भारी फेर बदल किया गया है ।

चूंकि हमारे देश में उपलब्ध कोयले के शोधन में काफी कठिनाई है और इसके लिए विशेष प्रकार की सुविधाओं की आवश्यकता है इसलिए दीर्घावधि उपाय के रूप में नयी कोयला शोधनशाला का डिजाइन तथा इसके निर्माण के लिए एक अलग संस्थान स्थापित किया जा रहा है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि कोयला साफ करने की ऐसी नवीनतम प्रौद्योगिकी अपनायी जाए जो भारतीय कोयले की आवश्यकताओं के अनुरूप हो ।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब क्या बात है ? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ? आप इस प्रकार क्यों चीख रहे हैं ? मैं आपको सुझाव दे सकता हूं। आप इस प्रकार क्यों चिल्ला रहे हैं ? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं आपका ध्यान भोपाल में यूनियन कारबाइड में घटित घटना की ओर दिलाना चाहता हूं, जो कि बहुत ही गम्भीर घटना है और उसमें प्रशासन पूर्णत: असफल रहा है । मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने देखा ही है कि मंत्री जी वक्तव्य देने वाले हैं यह बाद में लिया जायेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम लोग इस बारे में विचार कर चुके हैं । आपको यह पता ही है। अब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब हमें भी एक-दूसरे को समझ लेना चाहिये । यह प्रथम अवसर है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इससे कोई लाभ नहीं होगा । मैं आपको पहले भी आश्वासन दे चुका हूं कि यदि कोई बात हो तो आप मेरे पास आ सकते है, मैं आपकी बात सुनूंगा और मैं आप को किसी भी विषय पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दूंगा किन्तु इस तरह नहीं । मैं इस बात से पीछे नहीं हटना चाहता हूं । मैं आपका सहयोग चाहता हूं । मैं आपसे सहयोग का अनुरोध कर चुका हूं और मैं आपके सुझाव सुनने को तैयार हूं। एक बात पहले से ही उठाई जा चुकी है और व्यवस्था के अनुसार मैं उसे स्वीकार कर चुका हूं । कोई सा भी विषय क्यों न हो, मैं आपको पूरा अवसर दूंगा इस सभा में मैं पुन: आश्वासन देता हूं कि कोई सा भी विषय क्यों न हो, यदि वह नियमानुसार होगा, तो मैं उसके लिये स्वीकृति अवश्य दूंगा। आप व्यर्थ में समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : क्या यह नियमानुसार है ?

अध्यक्ष महोदय : यदि आपने नियमों को पढ़ा है तो आप महसूस कर सकते हैं । मुझे नियमों के बारे में पता है, किन्तु यदि आप ऐसा करेंगे, तो मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया** जाएगा। मैं सुझाव सुनने के लिये तैयार हूं और मैं पहले ही कह चुका हूं कि भोपाल पर वाद-विवाद किया जाएगा। मंत्री जी वक्तव्य देने वाले हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : एक और तरीका है.....

अध्यक्ष महोदय : किसी प्रकार के तरीके का प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रो० मधु दण्डवते : आपने जो कुछ कहा है उसके आधार पर एक तरीका है। यदि मंत्री जी कोई वक्तव्य देने वाले है; तो मैं यह प्रस्ताव रखूंगा कि नियम 193 के अधीन, उस विषय पर चर्चा की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : इसी बात को मैं पहले कह चुका हूं। मंत्री जी के वक्तव्य का मतलब है कि आप सुझाव दे सकते हैं और हम विचार-विमर्ष की अनुमति प्रदान कर देगें। इस विषय पर कोई समस्या नहीं है। मैंनें यही कहा था कि उत्तेजित न हों। आप मेरे पास आ सकतें हैं। मैं आपको इस बारे में स्पष्टीकरण दूंगा। हम लोग 12.15 बजे मिलेंगे और तब मैं कोई ढ़ंग निकालूंगा और प्राथमिकता प्रदान करूंगा।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप पुराने साथी हैं। क्या आप नये हैं? आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिये। आप नियम 193 के अधीन सूचना दीजिये और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे किन्तु मेरा समय बर्बाद न करें।

(व्यवधान)

श्री बासुदेव आचार्य (बांकुरा) : उठते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप भी बहुत पुराने हैं। आप व्यर्थ में ही ऐसा करने की चेष्टा क्यों करते हैं। अब से मैं बहुत कड़ाई से पेश आऊँगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चंदुपटला जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : अध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने मुख्य मंत्री के अध्यादेश के ऊपर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया, इस पर मैंनें आपको एडजार्नमेंट मोशन दिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नियमों के अन्तर्गत आप इस विषय को नहीं उठा सकते हैं।

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसके बारे में कार्य मंत्रणा समिति निर्णय लेगी। सीधी सी बात है जो भी करती है वह कार्य मंत्रणा समिति करती है। अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेगें श्री नरसिंह राव !

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नियमों के अन्तर्गत आप ऐसा नहीं कर सकते हैं।

श्री चंदुपाटला जंगा रेड्डी : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव रखा था.......

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आइये, मैं आपको समझाऊँगा अब और कोई प्रस्ताव न रखा जाये ।

(व्यवधान)

श्री एस० एम० भट्टम (विशाखापत्तनम) : व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : अब व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं। आप मेरे पास आ सकते हैं। मैं आपको बताऊँगा। आप मुझसे विचार-विमर्श कर सकते हैं।

अब श्री नरसिंह राव।

12.04 म०प०

सभा–पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान, नई दिल्ली, के वर्ष 1983–84 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

रक्षा मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) रक्षा अध्ययन एंव विश्लेषण संस्थान, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) रक्षा अध्ययन एंव विश्लेषण संस्थान, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल० टी० 2/85)

85-M/S182LSS—7

संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत सूचना

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : मैं श्री एस. बी. चह्वाण की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 51 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या का. आ. 955(अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे जो दिनांक 22 दिसम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसमें पांडिचेरी एवं संघ राज्य क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन को 24 दिसम्बर, 1984 से 6 मास की और अवधि के लिये जारी रखने के संबंध में राष्ट्रपति का 22 दिसम्बर, 1984 का आदेश दिया गया है। (ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी.-3/85)

भारतीय पूंजी निवेश केन्द्र नई दिल्ली का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय पूंजी निवेश केन्द्र, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) भारतीय पूंजी निवेश केन्द्र, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (ग्रन्थालय में रखे गए, देखिए संख्या एल. टी. 4/85)

गंगटोक नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 1984

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

राष्ट्रपति द्वारा सिक्किम राज्य के सम्बन्ध में 25 मई, 1984 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213(2)(क) के अन्तर्गत 17 दिसम्बर, 1984 को सिक्किम के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित गंगतोक नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 1984 (1984 की संख्या 1) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 5/85)

[अनुवाद]

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : व्यवस्था का एक प्रश्न....

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी : मैं उसे पढ़ता हूं। मैं आपका ध्यान अनुच्छेद 75(4) की ओर आकर्षित करता हूं। मैं उसे पढ़ता हूं–उसमें कहा गया है :

"किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति तृतीय अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार उसे पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाता है।"

अध्यक्ष महोदय : यहां इससे मेरा कोई संबंध नहीं है।

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी : यह एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी : संविधान के अनुसार मंत्री को व्यक्तिगत रूप से तथा अलग से शपथ लेनी होती है।

यह एक संवैधानिक मुद्दा है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यहां व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। यह मेरी व्यवस्था है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप राष्ट्रपति के आचरण के बारे में कोई चर्चा नहीं कर सकते। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपके व्यवस्था के प्रश्न का उत्तर मैं दे चुका हूं। मेरे विनिर्णय को कोई चुनौती नहीं दे सकता। यह व्यवस्था के प्रतिकूल है। आप समझदार व्यक्ति हैं। आप इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं ? कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर एक प्रस्ताव की अनुमति पहले ही दे चुका हूं। आप व्यर्थ ही सभा का समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं ? आप नये सदस्य हैं, आपको अच्छी बातें सीखने का प्रयत्न करना चाहिये। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : क्या मंत्रीगण सामूहिक रूप से शपथ ग्रहण कर सकते हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पिछली बार आपने ऐसा नहीं किया था। आप अब ऐसा क्यों कर रहे हैं ? आप पिछली बार भी लोक सभा के सदस्य थे। उस समय क्या हुआ था ?

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त : हमने ऐसा नहीं किया था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने उस समय ऐसा क्यों नहीं किया था ? मैं यह सब नहीं सुनना चाहता। कृपया बैठ जाइये और अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है और मेरे विनिर्णय को कोई चुनौती नहीं दे सकता है।

श्री अमल दत्त : आपका विनिर्णय क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने वही किया है। श्री रेड्डी, आप युवा हैं, आपको कुछ अच्छी बातों को समझने का प्रयत्न करना चाहिये।

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी : मैं पुराना सदस्य हूं। संसद के लिये मैं नया हो सकता हूं किन्तु विधान सभा के लिये नहीं।

अध्यक्ष महोदय : आप युवा व्यक्ति नहीं होना चाहते हैं ? . . . .

व्यवधान

श्री अमल दत्त : हम अब ऐसा करना चाहते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : तब कोई ठोस और अच्छा विचार रखिए। इस विषय पर मैं एक प्रस्ताव पहले ही स्वीकार कर चुका हूं। यदि यह इस परिधि में आ जायेगा तो मंत्री जी उत्तर देंगे। कृपया बैठ जाइये।

12.07 म० प०

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र—जारी

साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अध्यादेश, 1984, राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अध्यादेश, 1984 विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन अध्यादेश 1984, कलकत्ता भूमिगत रेल (संचालन तथा रख-रखाव) अस्थायी उपबंध अध्यादेश, 1984 इत्यादि

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : संविधान के अनुच्छेद 123(2)(क) के अंतर्गत मैं निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) राष्ट्रपति द्वारा 17 दिसम्बर, 1984 को प्रख्यापित साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अध्यादेश, 1984 (1984 की संख्या 10)।

(2) राष्ट्रपति द्वारा 19 अक्तूबर, 1984 को प्रख्यापित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अध्यादेश, 1984 (1984 का संख्या 11)।

(3) राष्ट्रपति द्वारा 20 अक्तूबर, 1984 को प्रख्यापित विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 1984 (1984 का संख्या 12)।

(4) राष्ट्रपति द्वारा 22 अक्तूबर, 1984 को प्रख्यापित कलकत्ता भूमिगत रेल (संचालन तथा रख-रखाव) अस्थायी उपबन्ध अध्यादेश, 1984 (1984 का संख्या 13)।

(5) राष्ट्रपति द्वारा 20 नवम्बर, 1984 को प्रख्यापित चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) संशोधन अध्यादेश, 1984 (1984 का संख्या 14)।

(6) राष्ट्रपति द्वारा 20 नवम्बर, 1984 को प्रख्यापित लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1984 (1984 का संख्या 15)।

(ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल० टी०-6/85)

आयकर अधिनियम, 1961, धनकर नियम, 1957, सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953, सीमा शुल्क टैरिफ, 1975, केन्द्रीय उत्पाद और लवण अधिनियम, 1944 इत्यादि के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) आयकर (1) अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) आयकर (तीसरा संशोधन) नियम, 1984 जो दिनांक 1 अक्तूबर, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 757(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) आयकर (चौथा संशोधन) नियम, 1984 जो दिनांक 7 नवम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 824(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी०-7/85)

(2) धनकर अधिनियम, 1957 की धारा 46 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) धनकर (दूसरा संशोधन) नियम, 1984 जो दिनांक 1 अक्तूबर, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 758(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) धनकर (चौथा संशोधन) नियम, 1984 जो दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 958(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी०-8/85)

(3) अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 6(अ), की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 2 जनवरी, 1985 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम, 1980 के अधीन अथवा किसी नियोजक द्वारा अपने कर्मचारियों के लाभ के लिये भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ की गई किसी अन्य सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन संदेय धन पर सम्पदा-शुल्क अधिनियम, 1953 की धारा 33 की उपधारा (2) के अन्तर्गत सम्पदा-शुल्क के उद्ग्रहण से छूट देने के बारे में है।

(ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी०-9/85)

(4) अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 695(अ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), को एक प्रति, जो 29 दिसम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा "इण्डो-य०ए०ई० सबमैरिन केवल प्रोजैक्ट" भारत सं०अ०श० पनडुब्बी तार परियोजनाओं के लिए आयातित सभी प्रकार के माल पर सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 10 के अधीन 40 प्रतिशत मूल्यानुसार की रियायती दर (मूल सीमा-शुल्क) के लिए उपर्युक्त परियोजना को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत शीर्षक 84.66 के अन्तर्गत एक परियोजना के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल०टी० 10/85)

(5) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (10वां संशोधन) नियम, 1984, जो 29 सितम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1028 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (11वां संशोधन) नियम, 1984, जो 23 नवम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 791(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (12वां संशोधन) नियम, 1984 जो 7 दिसम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 811 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (13वां संशोधन) नियम, 1984 जो दिनांक 15 दिसम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1253 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी०-11/85)

(6) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) स०का०नि० 622(अ) और 623(अ), जो दिनांक 23 अगस्त, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो हीट रिक्लेम सैंटिफ्यूगल मशीन को, जब उसका आयात भारत में किया जाये उस पर उद्ग्रहणीय मूल सीमा शुल्क के उतने भाग से जो मूल्यानुसार 40 प्रतिशत से अधिक हो, तथा उपसंगी सीमा शुल्क के उतने भाग से, जो 25 प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक हो छूट देने के बारे में है।

(दो) सा०का० नि० 632(अ) तथा 633(अ), जो दिनांक 30 अगस्त, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो डाईइसो-बुटीलीन, हेपटीन और नानीन को, जब उनका आयात ओक्सो-अल्कोहल के निर्माण हेतु किया जाए, उस पर उदग्रहणीय सम्पूर्ण उपसंगी और अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(तीन) सा०का०नि० 637(अ), जो दिनांक 31 अगस्त, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा दिनांक 17 अप्रैल, 1980 की अधिसूचना संख्या 77-सी०शु० में कतिपय संशोधन किये गए हैं, ताकि चिड़ीज, कागज कतरण और क्षेत्र के भीतर उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान होने वाली अपशिष्ट पैंकिंग सामग्री को कतिपय शर्तों के अधीन सीमा शुल्क की अदायगी से छूट दी जा सके।

(चार) सा०का०नि० 642(अ), जो दिनांक 31 अगस्त, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा दिनांक 2 अगस्त, 1976 की अधिसूचना में कतिपय संशोधन किये गए हैं, ताकि यूनिसेफ द्वारा भारत में आयात की जाने वाली डायरियों को सीमा-शुल्क की अदायगी से छूट दी जा सके।

(पांच) सा०का०नि० 656(अ) जो दिनांक 12 सितम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो दिनांक 14 फरवरी, 1984 की अधिसूचना संख्या 18/84-सी०शु०को रद्द करता है।

(छ:) सा०का०नि० 660(अ) जो दिनांक 15 सितम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो 45 मि०मी०, 60

मि०मी० और 80 मि०मी० के व्यास वाले कांच के खोलों को, जब उनका आयात विद्युत लैम्पों के निर्माण हेतु किया जाए, 30 अगस्त, 1985 तक 10 प्रतिशत मुल्यानुसार से अधिक मूल सीमा शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(सात) सा०का०नि० 661(अ), जो दिनांक 15 सितम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो कांच के खोलों को, जब उनका आयात फ्लोरोसेंट ट्यूबों के निर्माण हेतु किया जाये, 30 सितम्बर, 1984 तक 10 प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक मूल सीमा शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(आठ) सा०का०नि० 662(अ), जो दिनांक 15 सितम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो सीसा कांच नलिकाओं को, जब उनका आयात विद्युत लैम्पों तथा फ्लोरोसेंट ट्यूबों के संघटकों के निर्माण हेतु किया जाए, 30 सितम्बर, 1984 तक 25 प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक मूल सीमा शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(नौ) सा०का०नि० 663(अ), जो दिनांक 15 सितम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो दिनांक 15 सितम्बर, 1984 की अधिसूचना संख्या 234/84-सी०शु० से 236/84-सी०शु०तक के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं को, 5 प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक उपसंगी सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(दस) सा०का०नि० 664(अ), जो दिनांक 15 सितम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा दिनांक 26 मई, 1982 की अधिसूचना संख्या 157/84-सी०शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि अन्य अधिसूचनाओं के अन्तर्गत दी गई छूट के आशय को स्पष्ट करने के लिये इस प्रयोजनार्थ अधिसूचना में एक परन्तुक अन्तःस्थापित किया जा सके।

(ग्यारह)सा०का० नि० 674(अ), जो दिनांक 20 सितम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो कनाडा के डालर और संयुक्त राज्य अमेरिका के डालर को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को उपर्युक्त देशों की मुद्राओं में बदलने की विनिमय दरों के बारे में है।

(बारह) सा०का०नि० 679(अ) तथा 680 (अ) जो दिनांक 24 सितम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो एथीलीन डाइक्लोराइड को, जब उसका आयात पी०बी०सी० रेजिनों के निर्माण हेतु किया जाए, उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण, अतिरिक्त तथा उपसंगी सीमा-शुल्क से तथा 20 प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(तेरह) सा०का०नि० 682(अ) तथा 683(अ),जो दिनांक 25 सितम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो ताड़ गिरि तेल को, जब उसका आयात वसायुक्त अलकोहलों के निर्माण हेतु किया जाए, उस पर उदग्रहणीय उपसंगी सीमा-शुल्क से तथा 25 प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक मूल सीमा शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(चौदह) सा०का०नि० 688(अ) तथा 689(अ) जो दिनांक 27 सितम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो संघटकों और उपस्करों को, जब उनका आयात भारत में ट्रालरों (अनायकों) के निर्माण हेतु किया जाए, उन पर उदग्रहणीय सम्पूर्ण मूल, उपसंगी और अतिरिक्त सीमा शुल्कों से छूट देने के बारे में है।

(पन्द्रह) सा०का०नि० 696(अ) तथा 697(अ) जो दिनांक 29 सितम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिनके द्वारा दिनांक 16 अगस्त, 1983 की अधिसूचना संख्या 228/83-सी०शु० में कतिपय संशोधन किये गए हैं जो कतिपय विनिर्दिष्ट रसायनों पर मूल सीमा शुल्क की प्रभावी दर को 70 प्रतिशत से यथा मूल्य 85 प्रतिशत तक बढ़ाने के बारे में है।

(सोलह) सा०का०नि० 709(अ) जो 1 अक्तूबर, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में बदलने की दरों के बारे में है।

(सत्रह) सा०का०नि० 715(अ) जो 9 अक्तूबर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो कॉफी पर लगने वाले निर्यात शुल्क की दर को 640 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ा कर 720 रुपये प्रति क्विंटल करने के बारे में है।

(अठारह) सा०का० नि० 719(अ) जो 12 अक्तूबर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा 2 अगस्त, 1976 की अधिसूचना संख्या 329-76-सी०शु० में कतिपय संशोधन किये गए हैं ताकि प्रतप्त अभ्रक खण्डों और प्रतप्त अभ्रक कतरणों, को उस पर उदग्रहणीय सम्पूर्ण निर्यात शुल्क से छूट दी जा सके।

(उन्नीस) सा०का०नि० 741(अ) जो 25 अक्तूबर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा 19 अक्तूबर, 1982 की अधिसूचना संख्या 230/82-सी०शु० की वैधता की अवधि 31 अक्तूबर, 1985 तक बढ़ाई गई है।

(बीस) सा०का०नि० 745(अ) जो 27 अक्तूबर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा 1 नवम्बर, 1983 की अधिसूचना संख्या 295/83-सी०शु० की वैधता की अवधि 30 अप्रैल, 1985 तक बढ़ाई गई है।

(इक्कीस) सा०का०नि० 746(अ) जो 29 अक्तूबर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो बुटाडीन को, जब स्टाईरीन बुटाडीन रबड़ (एस०बी०आर०) के निर्माण हेतु उसका आयात किया जाए, उस पर उदग्रहणीय 35 प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक मूल सीमा शुल्क से तथा सम्पूर्ण अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(बाइस) सा०का०नि० 747(अ) जो 29 अक्तूबर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो 1 अगस्त, 1984 की अधिसूचना संख्या 213-सी०शु० के अधिलंघन में, रूसी रूबल को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को रूसी रूबल में बदलने की पुनरीक्षित दरों क बारे में है।

(तेइस) सा०का०नि० 750 (अ) 751 (अ), जो 30 अक्तूबर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 22 अक्तूबर, 1984 की अधिसूचना संख्या 260/84-सी०शु० और 11 मई, 1984 की अधिसूचना संख्या 135/84-सी०शु० के अधीन, भारी, मध्यम अथवा हल्के वाणिज्यिक वाहनों के निर्माण के लिए आयातित वाणिज्यिक मोटर वाहनों के संघटकों पर लगने वाले 45 प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक सीमा शुल्क के अनुज्ञेय छूट को जारी रखने के बारे में है।

(चौबीस) सा० का० नि० 762(अ) और 763(अ) जो 14 नवम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो मैसर्स एयर इंडिया इंटरनेशनल और इंडियन एयरलाइन्स द्वारा अस्थायी आधार पर अपने विमानों में लगाने के लिये भारत में आयातित विमान उपस्करों, इंजनों और फालतू पुर्जों को, उन पर उद्ग्रहणीय मूल, उपसंगी और अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(पच्चीस) सा० का० नि० 777(अ), जो 19 नवम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो विशिष्ट कम्प्यूटर परिधीय उपकरणों को मूल्यानुसार 5 प्रतिशत आयात शुल्क की रियायती दर के बारे में है।

(छब्बीस) सा० का० नि० 778(अ), जो 19 नवम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो कागज पर छपी सामग्री

से भिन्न किसी अन्य संचार साधन से संबंधित कम्प्यूटर साफ्टवेयर इन आबजेक्ट कोड और साफ्ट वेयर इन सोर्स कोड के संबंध में 60 प्रतिशत मूल्यानुसार आयात शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(सत्ताईस) सा० का० नि० 779(अ), जो 19 नवम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो कम्प्यूटर परिधीय उपकरणों की दो कोटियों के संबंध में से 60 प्रतिशत और 25 प्रतिशत यथा-मूल्य आयात शुल्क की रियायती दर के बारे में है।

(अठाईस) सा० का० नि० 780(अ), जो 19 नवम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो कम्प्यूटरों के सम्बन्ध में, 60 प्रतिशत मूल्यानुसार आयात शुल्क की रियायती दरों के बारे में है।

(उन्तीस) सा० का० नि० 781(अ) जो 19 नवम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 18 अगस्त, 1983 की अधिसूचना संख्या 232/83-सी० शु० और 18 अगस्त, 1983 की अधिसूचना संख्या 233/83-सी० शु० में कतिपय मामूली परिवर्तन किये गये हैं।

(तीस) सा० का० नि० 782(अ) जो 19 नवम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 19 नवम्बर, 1984 की अधिसूचना संख्या 279/84-सी० शु० से 282/84-सी० शु० तक में उल्लिखित वस्तुओं को उन पर उद्ग्रहणीय उपसंगी सीमा शुल्क से पूर्ण छूट दी गई है।

(इकत्तीस) सा० का० नि० 783(अ) जो 19 नवम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा उपसंगी सीमा शुल्कों से संबंधित 11 मई, 1984 की अधिसूचना संख्या 136/84-सी० शु० और 142/84 सी० शु० में आनुषंगिक परिवर्तन किये गए हैं।

(बत्तीस) सा० का० नि० 1(अ) जो 1 जनवरी, 1985 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो हीरे-जवाहरात उद्योग के लिए कतिपय विशिष्ट मशीनों और उपकरणों को मूल्यानुसार 15 प्रतिशत से अधिक मूल सीमा शुल्क और प्रतिरोधी शुल्क से पूरी छूट देने के बारे में है।

(तेतीस) सा० का० नि० 5(अ) 1 जनवरी, 1985 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में बदलने की दरों के बारे में है।

(चौंतीस) सा० का० नि० 631(अ) जो 30 अगस्त, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनमें 10 अगस्त, 1984 की अधिसूचना संख्या 219/84-सी० शु० का शुद्धि-पत्र दिया गया है।

(पैंतीस) सा० का० नि० 22(अ)और 23(अ), जो 16 जनवरी, 1985 के भारत के राजपत्र नें प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो विद्युत् चालित वाहनों के निर्माण के लिये भारत में आयात किये जाने की स्थिति में विद्युत-चालित ट्राली बसों, विद्युतचालित ट्रैक्टरों (प्लेटफार्म ट्रक और फोर्क लिफ्ट ट्रक से भिन्न) तथा बैटरी चालित सड़क वाहनों के पुर्जों को 25 प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक मूल सीमा-शुल्क तथा 15 प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक उपसंगी सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है।
(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 12/85)

(7) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 640(अ), जो 31 अगस्त, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 1 मार्च, 1983 की अधिसूचना संख्या 49/83-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि 250 डेनियर से अधिक किन्तु 750 डेनियर से अनधिक नायलोन फिलामेंट यार्न पर 41.00 रुपये प्रति किलोग्राम का प्रभावी मूल उत्पादन-शुल्क निर्धारित किया जा सके।

(दो) सा० का० नि० 641(अ), जो 31 अगस्त, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 1 मार्च, 1983 को अधिसूचना संख्या 51/83-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि 275 डेनियर से अधिक किन्तु 825 डेनियर से अनधिक टैक्सचर्ड नाइलोन फिलामेंट यार्न पर 41.00 रु० प्रति किलोग्राम का प्रभावी मूल उत्पादन-शुल्क निर्धारित किया जा सके।

(तीन) सा० का० नि० 645(अ), जो 5 सितम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और लवन अधिनियम, 1944 की मद संख्या 6 के अन्तर्गत आने वाले और भारतीय उर्वरक निगम के तलचेर एकक में गैस टर्बाइन चलाने के लिये ईंधन के रूप में प्रयोग किये जाने हेतु अभिप्रेत कच्चे नेफथा पर पांच सौ पच्चीस रुपये प्रति किलोलीटर से अधिक उत्पाद-शुल्क से छूट के बारे में।

(चार) सा० का० नि० 657(अ), जो 13 सितम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो फेरो-मिश्र-धातुओं (फैरो मोलीबडनम से भिन्न कीं उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से उस स्थिति

में छूट देने के बारे में है, जब उसका इस्तेमाल शुल्क्य लोह और इस्पात उत्पादों के निर्माण में किया जाए।

(पांच) सा० का० नि० 665(अ), जो 17 सितम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो ताम्बे के पाइपों और ट्यूबों पर मूल उत्पाद-शुल्क की प्रभावी दर के बारे में है।

(छः) सा० का० नि० 666(अ), जो 17 सितम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 1 अगस्त, 1984 की अधिसूचना संख्या 175/84-के० उ० शु० में संशोधन किया गया है।

(सात) सा० का० नि० 690(अ) जो 28 सितम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापत जिनके द्वारा एक मार्च 1973 की अधिसूचना सं 38/73-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि एक्रीलिक/प्लास्टिक बैंगल ट्यूबों को उक्त अधिसूचना के क्षेत्र से बाहर रखा जाए।

(आठ) सा० का० नि० 691(अ), जो 28 सितम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनका आशय पुनः तैयार किये गए सैल्युलोस की सैलोफेन फिल्म, जिसकी मोटाई 0.25 मिलीमीटर से अधिक न हो, पर उद्ग्रहणीय मूल उत्पाद-शुल्क को मूल्यानुसार 20 प्रतिशत से घटाकर मूल्यानुसार 10 प्रतिशत करना है।

(नौ) सा० का० नि० 692(अ), जो 28 सितम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो इलेक्ट्रिकल उपक्रमों द्वारा विद्युत ऊर्जा के उत्पादन हेतु ईंधन के रूप में इस्तेमाल के लिये आशयित भारी पैट्रोलियम स्टाक को सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(दस) सा० का० नि० 704(अ) जो 1 अक्तूबर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो बिजली को उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(ग्यारह) सा० का० नि० 705(अ), जो 1 अक्तूबर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 11 मई, 1984 की अधिसूचना संख्या 110/84-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि बिजली पर दी गई छूट के परिणामस्वरूप कतिपय परिणामी परिवर्तन किया जा सके।

(बारह) सा० का० नि० 706(अ), जो 1 अक्तूबर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 1 मार्च, 1978 की अधिसूचना संख्या 51/78-के० उ० शु०, 52/78-के० उ० शु०, 53/78-के० उ० शु०, 27 अप्रैल, 1978 की अधिसूचना संख्या 105/78-के० उ० शु०, और 106/78-के० उ० शु० को समाप्त किया गया है।

(तेरह) सा॰ का॰ नि॰ 729(अ), जो 20 अक्तूबर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो टेलीविजन 'ट्यूबों पिक्चर के निर्माण में इस्तेमाल किये जाने वाले 'ग्लास शैलों' और 'ग्लास बल्बों के, उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(चौदह) सा॰ का॰ नि॰ 730(अ), जो 20 अक्तूबर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो मेटेलाइज्ड पोलियस्टर तथा 12 माइक्रोन की मोटाई की मेटेलाइज्ड पोलीप्रोपीलीन फिल्मों को जिसका इस्तेमाल 'इलेक्ट्रानिक्स केपेसिटरों' में किया जाता है, उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(पन्द्रह) सा॰ का॰ नि॰ 731(अ), जो 20 अक्तूबर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो सोडा से भिन्न वातित जल, जो शीशे की बोतलों में 200 मि॰ ली॰ से अधिक तथा 250 मि॰ ली॰ से अनधिक होता है, बेचा जाता है, की मूल उत्पाद-शुल्क की पुनरीक्षित दर के बारे में है।

(सोलह) सा॰ का॰ नि॰ 753(अ), जो 31 अक्तूबर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 18 जून, 1984 की अधिसूचना संख्या 147/84-के॰ उ॰ शु॰ में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि छः और औषध मध्यवर्तियों को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की अदायगी से छूट दी जा सके और एक्रिलोनाइट्राइल को इस समय उपलब्ध छूट को समाप्त किया जा सके।

(सत्रह) सा॰ का॰ नि॰ 757(अ), जो 9 नवम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो विनिर्दिष्ट उत्पाद-शुल्क माल पर उस समय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट देने के बारे में है जब उसकी निकासी मेले या प्रदर्शनी में प्रदर्शित करने के लिये की जाती है।

(अठारह) सा॰ का॰ नि॰ 758(अ), जो 9 नवम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 24 अप्रैल, 1981 की अधिसूचना संख्या 108/81-के॰ उ॰ शु॰ में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि उसमें दी गई छूट को कागज अथवा गत्ता की प्रथम निकासी के तारीख के किसी पात्र एकक से अथवा उक्त अधिसूचना को प्रकाशन की तारीख से 5 वर्षों की अवधि के लिये छूट उपलब्ध करायी जा सके।

(उन्नीस) सा॰ का॰ नि॰ 768(अ), जो 16 नवम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 1 मार्च, 1978 की अधिसूचना संख्या 74/78-के॰ उ॰ शु॰ में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि रंजक/रोगन के रूप में प्रयोग किए जाने वाले जिंक आक्साइड को उक्त अधिसूचना के क्षेत्र से बाहर रखा जा सके।

(बीस) सा॰ का॰ नि॰ 795(अ), जो 29 नवम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो कच्चे नेपथा को, उस पर

उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(इक्कीस) सा० का० नि० 800(अ), जो 1 दिसम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो कृषिक अपशिष्ट पदार्थों से निर्मित ठोस ईंधन विकेट पर लगने वाले समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(बाईस) सा० का० नि० 810(अ), जो 5 दिसम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो बहिर्वेधन-प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया द्वारा उत्पादित 0.25 मिलीमीटर से अनधिक मोटाई की पोलीविनाइल क्लोराइड फिल्मों तथा शीटों पर मूल्यानुसार 20 प्रतिशत से अधिक उत्पाद शुल्क की छूट देने के बारे में है।

(तेईस) सा० का० नि० 832(अ), जो 29 दिसम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा दिनांक 20 जुलाई, 1979 की अधिसूचना संख्या 234/79 के० उ० शु० की वैधता की अवधि को 28 फरवरी, 1985 तक बढ़ाया गया है।

(चौबीस) सा० का० नि० 834(अ), जो 29 दिसम्बर 1984, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 1 मार्च; 1984 की अधिसूचना संख्या 36/84-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि छोटे पैमाने के एककों को जिनका संयंत्र और मशीनों में पूंजी निवेश 3 लाख रुपये से अधिक नहीं है, बिजली के बल्बों के निर्माण में उपयोग में लाने के लिये डिजाइन किये गये कांच की छड़ों और ट्यूबों पर उपलब्ध उत्पाद-शुल्क की रियायत को वापस लिया जा सके।

(पच्चीस) सा०का०नि० 835(अ), जो 29 दिसम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा जस्ते को सिल्लियों पर जिनका उपयोग उत्पादन कारखाने में 1 अगस्त, 1976 से 12 मार्च 1982 तक की अवधि के दौरान जस्ते के चूरे के निर्माण के लिये किया गया था और इस प्रकार विनिर्मित जस्ते के चूरे का उपयोग अनगढ़े जस्ते के विनिर्माण में किया गया था, उत्पाद-शुल्क की अदायगी के बारे में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 11ग के उपबंधों को लागू किया गया है।

(छब्बीस) सा० का० नि० 836(अ), जो 29 दिसम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा कतिपय प्रयोजनों के लिये अधिसूचना संख्या 169/83-के० उ० शु० दिनांक 21 जून, 1983 और अधिसूचना संख्या 292/83-के० उ० शु० दिनांक 17 दिसम्बर, 1983 के अधीन छूट प्राप्त ताम्बे के पाइपों और ट्यूबों के विनिर्माण के लिए उत्पादन कारखाने में उपयोग में लाये गए ताम्बे के पाइपों और ट्यूबों के शैलों और ब्लैंकों पर उत्पाद-शुल्क की अदायगी के बारे में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की धारा 11ग के उपबंधों को लागू किया गया है।

(सत्ताईस) सा० का० नि० 837(अ), जो 31 दिसम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 1 मार्च, 1983 की अधिसूचना संख्या 34/83-के० उ० शु० की वैधता की अवधि को 31 दिसम्बर, 1985 तक बढ़ाया गया है।

(अठाईस) सा० का० नि० 1251, जो 15 दिसम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 4 जून, 1979 की अधिसूचना संख्या 201/79-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि परीक्षण, मरम्मत, परिष्करण, नवीकरण या परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट माल के निर्माण के लिये आवश्यक कोई अन्य संक्रिया करने के प्रयोजन के लिए माल को हटाने या वापस करने की अनुमति देने की समाहर्ता की शक्ति सहायक समाहर्ता को प्रत्यायोजित की जा सके।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल० टी०-13/85]

(8) सामान्य बीमा (पर्यवेक्षी, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतनमानों और अन्य सेवा-शर्तों का पुनरीक्षण तथा युक्तिकरण) संशोधन स्कीम, 1984 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), की एक प्रति, जो दिनांक 21 सितम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में, सामान्य बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17क के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या का० आ० 729(अ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी०-14/85]

(9) (एक) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 29 के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम के 31 मार्च, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम के 31 मार्च, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी०-15/85]

(10) अक्तूबर और दिसम्बर, 1984 में जारी किये गए बाजार ऋणों के परिणामों के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी०-16/85]

प्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली का वर्ष 1983-84 का प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :–

(1) प्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) प्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी० 17/85]

12.09 म० प०

विधेयकों पर अनुमति

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय मैं सातवीं लोकसभा के 15 वें सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा अनुमत निम्नलिखित पांच विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) चल चित्र (संशोधन) विधेयक, 1984
(2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) विधेयक, 1984
(3) प्रतिलिप्याधिकार (संशोधन) विधेयक, 1984
(4) कुटुम्ब न्यायालय विधेयक, 1984
(5) कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 1984

2. मैं सातवीं लोक सभा के 15 वें सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति द्वारा अनुमत निम्नलिखित 19 विधेयकों की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत् प्रमाणीकृत, प्रतियां, सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) विद्युत (प्रदाय) संशोधन विधेयक, 1984
(2) औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 1984
(3) बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी विधेयक, 1984
(4) संपदा शुल्क (संशोधन) विधेयक, 1984
(5) लेवी चीनी समान कीमत निधि (संशोधन) विधेयक, 1984
(6) हुगली डॉकिंग एण्ड इंजिनियरिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक, 1984
(7) संविधान (47वां संशोधन) विधेयक, 1984
(8) संविधान (48वां संशोधन) विधेयक, 1984
(9) बंगाल इम्यूनिटी कम्पनी लिमिटेड, (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक, 1984
(10) विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण (संशोधन) विधेयक, 1984
(11) राष्ट्रीय सुरक्षा (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1984
(12) आतंकवादी क्षेत्र (विशेष न्यायालय) विधेयक, 1984
(13) संविधान (49वां संशोधन) विधेयक, 1984
(14) संविधान (50वां संशोधन) विधेयक, 1984
(15) भारतीय औद्योगिक पुनर्निमाण बैंक विधेयक, 1984
(16) दहेज प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 1984
(17) बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक, 1984
(18) भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, 1984
(19) वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1984

12.10 म० प०

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

[अनुवाद]

98वां प्रतिवेदन, 99वां प्रतिवेदन, 100वां प्रतिवेदन तथा 101वां प्रतिवेदन

महासचिव : मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति (1984-85) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो समिति के सभापति द्वारा 19 नवम्बर, 1984 को लोक सभा के विघटन से पहले सातवीं लोक सभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत किये गये थे सभा पटल पर रखता हूं:—

(एक) सरकारी उपक्रमों में उत्पादकता के बारे में समिति के 97वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 98वां प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के बारे में समिति के 88वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 99वां प्रतिवेदन।

(तीन) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० (ट्रैक्टर प्रभाग को छोड़कर) के बारे में समिति के 94वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 100वां प्रतिवेदन।

(चार) केन्द्रीय भाण्डागार निगम के बारे में समिति के 95वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 101वां प्रतिवेदन।

12.10½ म० प०

याचिका समिति

इक्कीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

महासचिव : मैं कांडला मुक्त-व्यापार क्षेत्र के कार्यकरण और विकास सम्बन्धी अभ्यावेदन के बारे में याचिका समिति (1984-85) (सातवीं लोक सभा) का 21वां प्रतिवेद न, जो समिति के सभापति द्वारा 23 नवम्बर, 1984 को, सातवीं लोक सभा के विघटन से पूर्व लोक सभा अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया था, सभा पटल पर रखता हूं।

12.11 म० प०

सभापति तालिका

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को यह सूचना देनी है कि प्रक्रिया संबंधी नियमों के नियम 9 के अंतर्गत मैंने सभापति तालिका में निम्नलिखखित सदस्यों को नाम निर्दिष्ट किया है:—

(1) श्रीमती बसवराजेश्वरी

(2) श्री जैनूल बशर

(3) श्री शरद दिघे
(4) श्री वक्कम पुरूषोत्मन
(5) श्री सोमनाथ रथ
(6) श्री निस्मंकारा राव वेंकटरत्नम

यह सभापति तालिका है जो कि सभा की कार्यवाही का सभापतितत्व करेंगे और आपमे बातचीत करेंगे ।

12.11½ म० प०

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1984-85

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): मैं श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की ओर से वर्ष 1984-85 के बजट (सामान्य) के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हू ।

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1982-83

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): मैं श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की ओर से वर्ष 1982-83 के बजट (सामान्य) के सम्बन्ध में अतिरिक्त अनुदानों की मागों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

12.12 म० प०

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (पंजाब) 1984-85

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): मैं श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की ओर से वर्ष 1984-85 के पंजाब राज्य के बजट के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल) 1984-85

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : मैं वर्ष 1984-85 के बजट (रेल) के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल) 1982-83

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : मैं वर्ष 1982-83 के बजट (रेल) के सम्बन्ध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

12.13 म० प०

यूनियन कार्बाइड के भोपाल स्थित कारखाने के भंडार से जहरीली गैस के रिसाव के परिणामस्वरूप मानव और पशु जीवन की भारी क्षति के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : मैं बड़े दुख के साथ उस दुर्घटना के बारे में वक्तव्य देने के लिए खड़ा हो रहा हूं जो 2 और 3 दिसम्बर, 1984 की रात्रि को भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट (एम० आई० सी०) के रिसाव के कारण हुई थी। हवा के वेग के कारण गैस शहर की घनी आबादी वाले क्षेत्रों की ओर चली गई। गैस से प्रभावित व्यक्ति आंख के विकार, खांसी, सांस की कठिनाई, वमन प्रवृत्ति तथा दम घुटने से पीड़ित हुए। बहुत बड़ी संख्या में मानव और पशु-हानि हुई। राज्य सरकार के प्राधिकारियों ने यातायात और चिकित्सा कार्मिकों की तुरन्त व्यवस्था की। डाक्टरी दलों को घर-घर का दौरा करने के लिए भेजा गया ताकि वे मौके पर प्राथमिक उपचार दे सकें और प्रभावित व्यक्तियों को अस्पताल में ले जाएं। मुफ्त भोजन की थैलियां और दूध वितरित करने की व्यवस्था की गई थी। उसी दिन शहर के पानी की जहरीलेपन की जांच करने के लिए उसका विश्लेषण किया गया और उसे सुरक्षित घोषित किया गया। मृत जानवरों के शवों को उठाने के लिए सफाई दल लगाए गए और महामारी से बचने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में रोगाणुनाशक दवाएं छिड़की गईं। रेल प्राधिकारियों ने भोपाल आने वाली सभी गाड़ियों पर नियंत्रण रखने के लिए तुरन्त कार्यवाही की।

प्रधानमंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्री ने क्रमश: 4 और 5 दिसम्बर को भोपाल का दौरा किया। चिकित्सा, तकनीकी और पर्यावरण विशेषज्ञों सहित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को तुरन्त भोपाल भेजा गया। डा० वर्दाराजन, महानिदेशक, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, तथा भारत सरकार के सचिव को भारत सरकार द्वारा सभी वैज्ञानिक प्रयासों को समन्वित करने का कार्य सौंपा गया था। दुर्घटना से उत्पन्न होने वाले सभी मामलों से निपटने के लिये भारत सरकार द्वारा एक समन्वय समिति गठित की गई थी।

शेष एम०आई०सी० के सुरक्षित निपटान की व्यवस्था करनी भी आवश्यक थी। उस समय उपलब्ध सूचना के अनुसार, सामान्य पद्धति के रूप में एक भण्डारण टैंक रिक्त रखा गया था तथा प्रभावित टैंक से भिन्न एक अन्य टैंक में अनुमानत: 15 टन एम० आई० सी० थी परन्तु जो बाद में वास्तव में 19 टन निकली। विस्तृत विश्लेषण तथा तकनीकी विचार-विमर्श के बाद, डा० वर्दाराजन तथा उनके वैज्ञानिकों का दल इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भण्डार में शेष पड़ी एम० आई० सी० में प्रतिक्रिया होने का खतरा है। विभिन्न विकल्पों की जांच करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि शेष एम०आई०सी० को निष्क्रिय करने का सुरक्षित तरीका यह है कि एम० आई० सी० को अंतिम उत्पाद, अर्थात कार्बेराइल कीटनाशी में परिवर्तित कर दिया जाए। इस कार्य को करने के लिए व्यापक एहतियाती उपाय किए गए और संबंधित राज्य तथा केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा बड़े उच्च स्तर पर विस्तृत कार्यक्रम तैयार किए गए। सभी प्लांटों एवं उपस्करों का विश्वसनीयता के लिए परीक्षण किया गया और उनमें अपेक्षित संशोधन किया गया। यदि आवश्यकता पड़ जाए तो फैक्ट्री के ऊपर वातावरण में पानी छिड़कने के लिए तीन विशेष रूप से सुसज्जित

हेलीकोप्टर तथा दो छिड़काव करने वाले हवाई जहाज तैयार रखे गए थे। वातावरणात्मक स्थितियों की जांच करने के लिए एक विज्ञान संबंधी नियंत्रण केन्द्र स्थापित किया गया था। सम्पूर्ण फैक्ट्री क्षेत्र की नाकाबन्दी कर दी गई थी। नियंत्रण केन्द्र स्थापित किए गए थे तथा दिल्ली और भोपाल के बीच हाट लाइन दूर संचार तथा वायरलेस प्रणालियां भी स्थापित की गई थी। जनता को सलाह देने के लिये "करने और न करने" की सूची भी तैयार की गई थी।

एम० आई० सी० के निष्प्रभावीकरण हेतु "आप्रेशन फेथ" 16 दिसम्बर, 1984 की सुबह से आरम्भ हुआ। उस समय मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री भी प्लांट में उपस्थित थे और यह प्रक्रिया 22 दिसम्बर 1984 को पूरी हुई। टैंक से कारबराइल संयंत्र में एम० आई० सी० का स्थानान्तरण केवल दिन के समय ही किया गया। हर समय खतरे की संभावनाएं थी। तथापि हमारे वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों तथा उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के कारण प्रचालन का कार्य पूर्णतः सफल सिद्ध हुआ।

तीन तारीख को ही भोपाल और आस पास के जिलों से सभी चिकित्सा कार्मिकों को जुटाया गया और 700 डाक्टर सक्रिय रूप से चिकित्सा कार्यों में व्यस्त थे जिनमें से 200 को भोपाल के बाहर से लाया गया था। निश्चेतकों और नेत्र विशेषज्ञों सहित विख्यात विशेषज्ञ और चिकित्सा सामग्री तथा आक्सीजन सिलेंडर जैसे उपकरण भी दिल्ली से भेजे गये। 21 अस्पतालों और डिस्पेन्स-रियों और 12 अतिरिक्त अस्थाई डिसपेन्सरियों में 1200 अन्य सह चिकित्सा कर्मचारी चौबीसों घंटे उपचार के लिये लगाये गए। गंभीर रूप से बीमार 10,700 व्यक्तियों से लगभग 1,70,000 व्यक्तियों का भोपाल तथा उससे बाहर इलाज किया गया।

दुर्घटना के तत्काल पश्चात राज्य सरकार ने अनुग्रहपूर्वक राहत की घोषणा की जिसकी सीमा प्रति मृत व्यक्ति 10,000 रु०, गम्भीर रूप से प्रभावित प्रति व्यक्ति 2,000 रु० और मामूली रूप से आहत व्यक्तियों को 1,000 रु० तक थी। वितरण 4 दिसम्बर से प्रारम्भ हुआ। अभी तक 100.58 लाख रुपए की राशि बांटी जा चुकी है। राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्र में प्रतिमाह प्रति परिवार 12 कि० ग्रा० की दर से खाद्यान्न का वितरण कर रही है। यह सुविधा झुगी-झोपड़ी कालोनियों में रहने वाले परिवारों को भी उपलब्ध की गई है। प्रधानमंत्री राहत कोष से राज्य सरकार को लगभग 42 लाख रुपए की नकद सहायता और लगभग 55 लाख रूपए की सहायता खाद्य तेल और चीनी की आपूर्ति के रूप में दी गई है। भारत सरकार ने 5.00 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि साधन जुटाने के लिये प्रदान की है।

बनस्पति और फलों सहित वायु और पौध-पत्तियों का भी विश्लेषण किया गया तथा उन्हें जहरीले पदार्थ से मुक्त पाया गया। पर्यावरण विभाग का एक बहु-विषयक दल जिसमें बोटेनिस्ट्स, जूलोजिस्ट्स, एण्टोमोलिजिस्ट्स, सोइल माइक्रोबायोलोजिस्ट्स और लिम्नोलोजिस्ट्स शामिल हैं, राज्य प्राधिकारियों के सहयोग से चरणों में बनस्पति और जीव-जन्तुओं पर किन्हीं अन्य सम्भावित परिवर्तनों पर कड़ी नजर रख रहा हैं।

12.17 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

लक्षणों का अध्ययन करने और दीर्घावधि प्रभावों के निर्धारण हेतु भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद से तीन दल और कृषि मंत्रालय से विष - विज्ञानियों का एक दल मानव जाति पर दीर्घावधि प्रभावों की जांच करने के लिये भेजा गया।

राज्य सरकार द्वारा अब तक एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार मरने वाले व्यक्तियों की संख्या लगभग 1,408 है। इन व्यक्तियों की सूची प्रकाशित करके मृतकों के अन्तिम आंकड़ों का पता लगाया जा रहा है। हताहतों और अन्य ब्यौरों का पता लगाने हेतु घर-घर सर्वेक्षण करने के लिए राज्य सरकार ने टाटा इन्स्टिट्यूट आफ सोसियल सांइसेज को, कुछ अन्य सामाजिक संस्थाओं सहित इस कार्य पर लगाया है।

दुर्घटना के तत्काल पश्चात भोपाल के जिला मजिस्ट्रेट ने यूनियन कार्बाइड को और उत्पादन संचालन जारी रखने से रोकने के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 144 के अधीन आदेश दिये। राज्य प्राधिकारियों ने संयंत्र प्राधिकारियों के विरुद्ध इंडियन पैनल कोड के अधीन अपराधिक मामला दायर किया। बाद में यह मामला सी० बी० आई० को सौंप दिया गया जिसकी जाँच महा निरीक्षक के स्तर के एक अधिकारी द्वारा की गई और उसकी सहायता के लिए भारत सरकार के तकनीकी कार्मिक भी उपलब्ध थे। राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच आयोग की भी स्थापना की है जिसके विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ दुर्घटना की परिस्थितियों की जांच-पड़ताल करना, कारखाना प्राधिकारियों द्वारा किये गये उपायों की पर्याप्तता, सुरक्षा उपायों की पर्याप्तता तथा उनका कार्यान्वियन और इस स्वरूप के उद्योगों में इसी प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उपायों के संबंध में सिफारिशें देना शामिल है। राज्य के कारखाना निरक्षाणालय ने कारखाने के लाइसेन्स का 31-12-1984 के पश्चात् नवीकरण नहीं किया है और कारखाना इस समय बन्द पड़ा है। राज्य प्राधिकारियों ने इन्सेक्टिसाइड्स एक्ट 1968 के अधीन निर्माण लाइसेंस को रद्द करने के लिए कंपनी को एक नोटिस जारी किया है।

भारत सरकार, राज्य सरकार के परामर्श मे गैस त्रासदी से पीड़ित व्यक्तियों के लिए यथेष्ट क्षतिपूर्ति प्राप्त करने तथा सरकार द्वारा किये गये व्यय की प्रतिप्राप्ति हेतु उपलब्ध विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है। इस उद्देश्य हेतु विधि मंत्रालय में एक कानूनी कक्ष स्थापित किया गया है। इस मामले में अन्तिम निर्णय तभी लिया जायेगा जब भारत के महा न्यायवादी अमेरिका के वकीलों से परामर्श करके वापस आ जायें।

श्रम मंत्रालय ने सभी राज्य प्रशासनों को सलाह दी है कि वे कारखाना अधिनियम के अधीन विद्यमान नियमों एवं विनियमों का विशेषकर अत्यन्त जहरीले पदार्थों का उपयोग करने वाले उद्योगों में उनका कार्यान्वियन के उपायों का पूर्ण सिंहावलोकन करें।

सरकार ने पहले ही एक विशेष कक्ष गठित करने का निश्चय किया है जो मनुष्य एवं पर्यावरण के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खतरनाक तत्वों तथा प्रचलित संस्थागत नियंत्रणों पर कार्य-वाही करने के लिए विकसित देशों में प्रचलित प्रक्रिया निधियों का विस्तृत अध्ययन करेगा। इस अध्ययन के आधार पर हमारे देश की वर्तमान वैधानिक एवं संस्थागत प्रबन्ध-व्यवस्था में कमियों को जानने हेतु वर्तमान प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं की विस्तृत समीक्षा करना तथा ऐसी व्यवस्था को सुव्यवस्थित अथवा मजबूत करना सम्भव हो सकेगा।

सरकार चिकित्सा एंव वैज्ञानिक स्तर पर किये जाने वाले उचित आवश्यक उपायों के बारे में प्रामाणिक राय व्यक्त करने के लिए एक राष्ट्रीय वैज्ञानिक एवं चिकित्सा समिति का गठन करने के बारे में विचार कर रही है।

मुझे विश्वास है कि इस त्रासदी से पीड़ित व्यक्तियों के प्रति इस सदन की सहानुभूति व्यक्त करने में सभी सदस्य मेरा साथ देगें। रसायन और उर्वरक मंत्री के पद का कार्यभार सम्भालते ही मैंनें भोपाल का दौरा किया और राज्य सरकार के अधिकारियों से विस्तृत विचार विमर्श किया मैं सदन को आश्वासन देना चाहूंगा कि ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए तथा इस त्रासदी से पीड़ित व्यक्तियों को उचित मुआवजा सुनिश्चित कराने के लिए सरकार सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए दृढ संकल्प है। मुझे विश्वास है कि इस महत्वपूर्ण कार्य में इस सदन के सदस्यों का प्रभावी योगदान मुक्त रूप से उपलब्ध होगा।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : यह एक चातुर्य पूर्ण वक्तव्य है। इसीलिए हमने एक काम रोको प्रस्ताव पश किया। मैं परसों ही भोपाल गई थी और मैंने देखा है कि वहां क्या हुआ है। जो कुछ उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है वह विषय से असम्वद्ध है... **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप वक्तव्य के बाद कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते। मैं अब और कोई प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा।

12.22 म० प०

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की दो किस्तों का भुगतान किए जाने तथा कुटुम्ब पेंशन भोगियों समेत पेंशन भोगियों को महंगाई राहत देने के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : विद्यमान योजना के अनुसार औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1960–100) के 12 महीने के औसत में प्रत्येक 8 अंकों की वृद्धि के बाद केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की एक किश्त की अदायगी के मामले पर विचार किया जाता है। महंगाई भत्ते की पिछली किश्त औसत सूचकांक 552 के संदर्भ में 15-9-1984 को 1-6-1984 से स्वीकृत की गई थी। तब से क्रमश: 1-8-1984 और 1-11-1984 से महंगाई भत्ते की दो और किश्तों की अदायगी विचार किए जाने योग्य हो गई है।

सरकार ने अब यह फैसला किया है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की इन दो किश्तों को जनवरी, 1985 के वेतन के साथ-साथ नकद रूप में अदायगी कर दी जाए। इस संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा शीघ्र ही आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

कार्यरत केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अदायगी के साथ-साथ परिवार पेंशनभोगियों सहित पेंशनभोगियों को भी महंगाई राहत स्वीकृत की जाती है। सरकार ने पेंशन-भोगियों को भी 1-8-1984 और 1-11-1984 से महंगाई राहत को दो किश्तें स्वीकृत करने का फैसला किया है। इस संबंध में भी आदेश वित्त मंत्रालय द्वारा शीघ्र ही जारी कर दिए जाएगे।

चालू वर्ष के दौरान राजकोष पर महंगाई भत्ते की इन दो किश्तों की अदायगी किए जाने के परिणामस्वरूप लगभग 64.17 करोड़ रुपये और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत के कारण लगभग 7.33 करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ेगा।

सभा का कार्य

12.23 म० प०

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि 21 जनवरी, 1985 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :—

1. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा।
2. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा पारित करना :
   - (क) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1985
   - (ख) विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन विधेयक, 1985
   - (ग) कलकत्ता भूमिगत रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अस्थायी उपबन्ध विधेयक 1985
3. निम्नलिखित पर चर्चा और मतदान :
   - (क) वर्ष 1984-85 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांग (सामान्य)
   - (ख) वर्ष 1982-83 के लिए अनुदानों की अतिरिक्त मांग (सामान्य)
   - (ग) वर्ष 1984-85 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांग (रेल)
   - (घ) वर्ष 1982-83 के लिए अनुदानों की अतिरिक्त मांग (रेल)
   - (ङ) पंजाब राज्य के लिए 1984-85 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांग
4. राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना :
   - (क) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 1985
   - (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड विधेयक, 1985
   - (ग) चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) संशोधन विधेयक, 1985
   - (घ) गंगटोक नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1985
5. प्रशासनिक अधिकरण विधेयक 1985 पर विचार और पारित करना

श्री जी० जी० स्वेल (शिलांग): महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सदन में क्या हो रहा है। हम अगले सप्ताह की कार्य सूची उसमें शामिल किए जाने वाले वैकल्पिक प्रस्तावों या नए विषयों पर चर्चा कर रहे हैं और माननीय सदस्य निर्वाचन कानून पर भाषण दे रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सदन में हो क्या रहा है। सदन में किस प्रकार की व्यवस्था है? सभापति महोदय, क्या आप इस बारे में अपना निर्णय देंगे?

[व्यवधान]

सभापति महोदय : इन प्रस्तावों पर अध्यक्ष महोदय ने स्वीकृति दे दी है। मैं माननीय सदस्यों को उन पर बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

श्री जी० जी० स्वेल : मैं चाहता हूं कि इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए कि ये प्रस्ताव कैसे किए जा सकते हैं . . . . . . (व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : मैं नहीं बैठ रहा हूं। यदि वह बार बार ऐसा करेंगे . . .
(व्यवधान)

श्री जी० जी० स्वेल : मैं चाहता हूं कि इस मुद्दे को स्पष्ट किया जाए।

सभापति महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। काय व्यवस्थापूर्वक चल रहा है। माननीय सदस्य बोल रहे हैं। आप कृपया बैठ जाइये।

श्री जी० जी० स्वेल : मैं इसका एक सीधा सा उत्तर चाहता हूं।

सभापति महोदय : आप कृपया बैठ जाइये।

श्री जी० जी० स्वेल : मैं केवल इसका उत्तर चाहता हूं, और कुछ नहीं। जब अगले सप्ताह के लिए कार्य सूची की घोषणा की जाएगी तो क्या हम उस में और प्रस्ताव शामिल करने का अनुरोध कर सकते हैं।

प्रो. मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, मैं अगले सप्ताह के कार्य सूची में निम्नलिखित मदों को शामिल करने का सुझाव देता हूं :—

1. भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड संयंत्र में हुई दुर्घटना के बारे में रसायन और उर्वरक मंत्री के वक्तव्य पर चर्चा ;

2. लंका की नौसैनिक नाव द्वारा भारतीय क्षेत्र में घुसकर भारतीय मछुआरों को जान स मारने की घटना पर चर्चा।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, मैं चाहता हूं कि अगले सप्ताह निम्नलिखित विषय पर चर्चा की जाए:—

चुनाव कानून में अनेक कमियां हैं और अब इस बात की आवश्यकता है कि संसद उनकी ओर ध्यान दे। यद्यपि चुनाव प्रक्रिया की एक नियम पुस्तिका और अन्य नियमों में व्यवस्था की गई है फिर भी ऐसी कमियां रह गई हैं जिनके कारण चुनाव कराने का उद्देश्य ही समाप्त हो सकता है। चुनाव कानून में छोटे-मोटे सुधारों से काम नहीं चलेगा, उसमें व्यापक संशोधनों की आवश्यकता है। कानून को सरल बनाया जाना चाहिए और निर्वाचन अधिकारी या पीठासीन अधिकारी की मनमर्जी पर कुछ नहीं छोड़ा जाना चाहिए। यह अजीब बात है कि किसी निर्वाचन अधिकारी या पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति के लिए कोई अर्हताएं निर्धारित नहीं की गई हैं। पीठासीन अधिकारी का काम काफी उत्तरदायित्व का है, किन्तु सन्दिग्ध चरित्र वाले अथवा अयोग्य व्यक्तियों को पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने पर कोई रोक नही है।

सभापति महोदय : वह अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित प्रारूप पढ़ रहे हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : सम्भव है वह कुछ वर्ष पहले लोक सभा में सदस्य रहे हों लेकिन अब तो यही प्रक्रिया है।

श्री जी० जी० स्वेल : यह कैसी व्यवस्था है. . . . . . (व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज़ : महोदय, वह मुझे क्यों रोक रहे हैं ? आप को इनकी भर्त्सना करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय द्वारा इनकी भर्त्सना की जानी चाहिए। मालूम नहीं क्यों. . . . **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैंने आपको बोलने की अनुमति दी है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज़ : व्यवधान डालने के लिए आप इनकी भर्त्सना कीजिए। इन्हें . . . सीखना चाहिए. . . . . **(व्यवधान)** । अब यदि वह व्यवधान डालते हैं तो. . . . . . . **(व्यवधान)**

श्री जी० जी० स्वेल : उसकी मुझे परवाह नहीं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य का एक व्यवस्था का प्रश्न है, जिसे उन्होंने उठाया है। मैंने उसे अस्वीकार कर दिया है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज़ : इस प्रारूप का अध्यक्ष महोदय ने अनुमोदन कर दिया है। इन्हें इस बात का पता नहीं है।

सभापति महोदय : आप क्यों इस पर चर्चा करते हैं। आप अपनी बात कहिए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज़ : क्योंकि उन्होंने मेरे भाषण में व्यवधान डाला है, मैं इसे फिर से पढ़ूंगा। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है।

महोदय मैं चाहता हूं कि अगले सप्ताह निम्नलिखित विषय पर चर्चा की जाए:—

चुनाव कानून में अनेक कमियां हैं और अब इस बात की आवश्यकता है कि संसद उनकी ओर ध्यान दे। यद्यपि नियम पुस्तिका और अन्य नियमों में चुनाव प्रकिया को स्पष्ट कर दिया गया है फिर भी ऐसी कमियां रह गई हैं जिनके कारण चुनाव कराने का उद्देश्य ही समाप्त हो सकता है। चुनाव कानून में छोटे-मोटे सुधारों से काम नहीं चलेगा, उसमें व्यापक संशोधनों की आवश्यकता है। कानून को सरल बनाया जाना चाहिए और निर्वाचन अधिकारी या पीठासीन अधिकारी की मनमर्जी पर कुछ नहीं छोड़ा जाना चाहिए। यह अजीब बात है कि किसी निर्वाचन अधिकारी या पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति के लिए कोई अर्हताएं निधारित नहीं की गई हैं। पीठासीन अधिकारी का काम काफी उत्तरदायित्व का है किन्तु सन्दिग्ध चरित्र वाले अथवा अयोग्य व्यक्तियों को पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने पर कोई रोक नहीं है। कानून में यह भी विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है कि उम्मीदवार चुनाव की तारीख से पहले पीठासीन अधिकारियों की सूची ले सकते हैं। इसके बावजूद उम्मीदवारों को प्रतिद्वन्दी उम्मीदवारों के नजदीकी रिश्तेदारों को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किये जाने को चुनौती देने का अधिकार दिया गया है। निर्वाचन अधिकारी को निर्णय लेने की ऐसी व्यापक शक्तियां दी गई हैं जिन्हें केवल न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है और निर्वाचन आयोग तक असहाय दर्शक बनने के अलावा कुछ नहीं कर सकता है। इस प्रकार के दोषपूर्ण कानून को समाप्त किया जाना चाहिए।

माननीय सदस्य : महोदय, मैं एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं।

सभापति महोदय : अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों के अलावा और कोई प्रस्ताव नहीं किया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अलमोड़ा) : सभापति महोदय, स्वर्गीया प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को समस्त भारतवासी हृदय से राष्ट्रमाता का स्थान दे चुके हैं। जन अभिमत को संसद को स्वीकार करना है।

अतः संसद की अगले सप्ताह की कार्यसूची में इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को सम्मिलित किया जाए।

[अनुवाद]

श्री चिंतामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं अगले सप्ताह के लिए सदन के कार्य में शामिल करने के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :—

सितम्बर 1984 से उड़ीसा में पड़ रहे अत्यन्त गम्भीर सूखे के कारण भुवनेश्वर, खुर्दा और नयागढ़ सब-डिविजनों सहित राज्य के 138 खण्डों में 7.83 लाख हैक्टेयर भूमि में बड़े पैमाने पर फसलों का नुकसान हुआ है जिससे 55 लाख लोगों पर भारी मुसीबत आ पड़ी है। इससे पूर्व बाढ़ के कारण 4.19 लाख हैक्टेयर भूमि पर खड़ी फसल नष्ट हो गई थी। केन्द्र सरकार तत्काल राज्य के लाखों सूखा-पीड़ित लोगों की बड़े पैमाने पर सहायता करनी चाहिए। मेरा सरकार से अनुरोध है कि सदन के अगले सप्ताह की कार्यवाही में इस अविलम्बनीय महत्व के मामले को शामिल किया जाए।

श्री एस० एम० भट्टम (विशाखापत्तनम) : महोदय, मैं चाहता हूं कि निम्नलिखित पर अगले सप्ताह चर्चा की जाए :

संविधान के अनुच्छेद 75(4) में एक मंत्री से यह अपेक्षा है कि वह पद और गोपनीयता की शपथ इस प्रयोजन के लिए तीसरी अनुसूची में निर्धारित शर्तों के अनुसार लेगा।

[व्यवधान]**

सभापति महोदय : आप वक्तव्य मत दीजिए। केवल अनुमोदित प्रारूप पढ़िये। वक्तव्य का वह भाग जिसे अनुमोदित नहीं किया गया है, रिकार्ड में शामिल नहीं किया जाएगा।

श्री एम० एम० भट्टम : मंत्रिमण्डल के सदस्यों के मामले में इस अपेक्षा की पूर्ति नहीं की गई। सभी मंत्रियों द्वारा संयुक्त रूप से शपथ ली गई प्रतीत होती है जो संविधान की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि वर्तमान मंत्रिमण्डल के मंत्रियों ने अनुच्छेद 75(4) के उपबन्धों के अनुसार शपथ नहीं ली है जिसका अभिप्राय यह होगा कि उन्हें मंत्रियों के रूप में कार्य करने का संवैधानिक और कानूनी प्राधिकार और अधिकार नहीं है। अतः यह सभा सामूहिक रूप से शपथ लेने के मामले पर जिसकी न तो संविधान में कल्पना की गई है और न ही उसमें इसके लिए स्वीकृति दी गई है या अनुमोदन किया गया है। पूरी तरह से कानूनी और संवैधानिक दृष्टिकोण अपनाने को बाध्य है।

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मैं यह अविलम्बनीय लोक महत्व का गम्भीर मामला उठाता हूं क्योंकि इस देश में सरकार का कार्य करने और उससे भी ज्यादा इस सम्मानित सदन का कार्य करने के लिए संविधान की भावनाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप तकनीकी और कानूनी रूप से गठित वैध सरकार नहीं है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : महोदय, मैंने जनवरी से आरम्भ होने वाले सदन के अगले सप्ताह के कार्य के बारे में सभापति के समक्ष किए गए सभी प्रस्तावों को सुना है। ये प्रस्ताव कार्य मंत्रालय समिति के विचारार्थ हैं। जब समिति की बैठक होगी ये विषय उसके समक्ष रखे जायेंगे और वह उस पर विचार करेगी। मैं सम्बन्धित मंत्रियों को भी सूचित कर दूंगा।

श्री एस० एम० भट्टम : महोदय, मैं उनकी बात समझ नहीं पाया।

सभापति महोदय : सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, मंत्री महोदय का कहना है कि उन पर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विचार किया जायेगा। यही कहा न आपने ?

श्री एच० के० एल० भगत : जी, हां।

12.35 म० प०

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

विधि और न्याय मंत्री (श्री अशोक सेन) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अशोक सेन : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

*दिनांक 18-1-1985 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश 1984 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला विवरण

[अनुवाद]

विधि और न्याय मंत्री (श्री अशोक सेन) : महोदय, मैं लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1984 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारणों को बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

12.36 म० प०

कलकत्ता भूमिगत रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अस्थायी उपबन्ध विधेयक*

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कलकत्ता भूमिगत रेल के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए नियमित इन्तजाम किये जाने तक उसके प्रचालन और अनुरक्षण का और उससे सम्बन्धित विषयों का अस्थायी उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कलकत्ता भूमिगत रेल के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए नियमित इन्तजाम किये जाने तक उसके प्रचालन और अनुरक्षण का उससे सम्बन्धित विषयों का अस्थायी उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बंसी लाल : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

कलकत्ता भूमिगत रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अस्थायी उपबन्ध अध्यादेश, 1984 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला विवरण

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : महोदय, मैं कलकत्ता भूमिगत रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अस्थायी उपबन्ध अध्यादेश, 1984 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

*दिनांक 18-1-1985 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खण्ड 2, में प्रकाशित।

12.37 म० प०

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब प्रो० रंगा प्रस्ताव पेश करेंगे।

श्री एन०जी०रंगा (गुंटूर) : मेरा यह सुझाव है कि अब हम सभा की कार्यवाही स्थगित कर दें और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 2 बजने में 20 मिनट के रहने पर पुनः समवेत हों। मध्याह्न भोजन के पश्चात हम इस प्रस्ताव पर चर्चा कर सकते हैं। हम अब मध्याह्न भोजन के लिए एक घण्टे के लिए सभा स्थगित कर सकते हैं और जब एक घण्टे के बाद सभा पुनः समवेत होगी तो हम इस प्रस्ताव पर चर्चा आरंभ कर सकते हैं।

श्री एस० एम० भट्टम (विशाखापत्तनम) : ऐसा न कभी हुआ है, न सुना है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : बेहतर होगा कि आप इसे अभी पेश करें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप यह प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। अभी भी 20 मिनट का समय शेष है।

प्रो० एन० जी० रंगा : इस विषय पर चर्चा के लिये सभा के लगभग सभी सदस्य उपस्थित हों तो बेहतर होगा।

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : आप अब चर्चा आरम्भ कर सकते हैं और जब सभा पुनः समवेत होगी तो आप उसे जारी रख सकते हैं।

[व्यवधान]

प्रो० एन० जी० रंगा : सभापति महोदय, मुझे इस प्रस्ताव को, जो मेरे नाम में है, पेश करने में बड़ी प्रसन्नता हो रही है।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये।"

"कि इस सत्र में समवेत लोकसभा सदस्य राष्ट्रपति के उस अभीभाषण के लिए, जो उन्होंने 17 जनवरी, 1985 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देनें की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं।"

महोदय, मैं उन नए माननीय सदस्यों का, स्वागत करना चाहता हूं जो निर्वाचित हो कर इस सभा में आये हैं और मैं इस सम्बन्ध में खेद भी व्यक्त करना चाहता हूं कि हमारे अनेक पुराने मित्र, जिन्होंने इस सभा में वाद विवाद में महान योगदान दिया है, इस सभा में वापस नहीं आ पाये हैं और मैं किसी बुरी भावना से यह नहीं कह रहा हूँ किन्त विशेष रूप से मेरे पुराने मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त की मुझे बहुत कमी महसूस हो रही है जो इस सभा में लम्बे अरसे तक रहे हैं और इसके वाद विवादों में अपना रचनात्मक योगदान देते रहें है।

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी : श्री इन्द्रजीत गुप्त सभा में वापस आ गये हैं। वह सभा में उपस्थित नहीं है किन्तु वह वापस आ गये हैं। प्रो० रंगा को यह बात मालूम होनी चाहिए।

प्रो०एन०जी०रंगा : वह अब उपस्थित नहीं हैं। मैंने पिछले तीन दिनों से उन्हें नहीं देखा हैं। मैं इस सम्बन्ध में अनभिज्ञ हूं कि क्या हुआ है किन्तु मुझे आशा है कि वह हमारे पास आयगे।

हम चाहे पुराने सदस्य हैं अथवा नये, हम सबसे मिल कर एक सभा बनती है। इंगलैंड में जहां भी संसद, संसदों की जननी है, कहा जाता है कि संसद एक ऐसे क्लब की तरह है जिसमें केवल मद्यपेय, आदि नहीं होते। इसका अर्थ यह हुआ कि हम चाहे किसी भी राजनीतिक दल से सम्बद्ध क्यों न हो, हमें परस्पर मैत्रीभाव बनाये रखना होगा और ऐसी परस्पर सदभावना का विकास करना होगा ताकि क्षणिक क्रोधावेश से सभा में किसी प्रकार की कटुता का वातावरण न पैदा हो सके और हम सब अपने देश की सेवा करने के लिये यथा सम्भव अपनी योग्यतानुसार प्रयास कर सकें।

मुझे वास्तव में इस बात की बड़ी खुशी है कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में राष्ट्र के सामने एक अच्छी तसवीर पेश की है। उन्होंने हमारे राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति की ही तसवीर सामने लाई है—अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में भी यही स्थिति बताई गई है। किन्तु इस प्रगति का यह अर्थ कदापि नहीं है कि हमने अपने सभी उद्देश्यों की प्राप्ति कर ली है। कही न कहीं कुछ कुछ कमियां रह गई होंगी और कुछ कमीयां रह गई हैं। किन्तु हम फिर भी आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं। जनता सरकार के तीन वर्षो के बाद तथा उन पिछले पांच वर्षो के दौरान अर्थात् जब इन्दिरा जी प्रधान मंत्री थीं, और जो तीन वर्ष संसद से बाहर रह कर, मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि संसद में और संसद से बाहर रह कर पुनः प्रधान मंत्री बनीं केन्द्र में सरकार को जिस तरह से चलाया गया, राष्ट्र ने उसकी भी स्वीकृति दी है। आप सभी जानतें हैं कि जब वे सत्ता में नहीं थीं तो उनके साथ स्वयं संसद द्वारा कैसा व्यवहार किया गया था। किन्तु वह एक अच्छी संसद थीं कि उन्होंने संसद के निर्णय को, आदेश को स्वीकार कर संसद में अपना स्थान खाली कर दिया था। तत्पश्चात, उन्होंने जनता के समक्ष अपील की और वह भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापस आईं और इन पांच वर्षो के दौरान राष्ट्र को अपना नेतृत्व प्रदान किया।

अब नये प्रधान मन्त्री के अधीन नई सरकार का गठन हुआ है और इस शासन में हमसे न केवल संसद द्वारा अतीत में दिखाये गये मार्ग तथा संसद द्वारा अनुमोदित नीतियों पर चलने ले लिए कहा गया है अपितु इसके लिये भविष्य एवं भावी कार्यक्रमों पर भी ध्यान देने के लिये कहा गया है। और इस सम्बन्ध में इस सरकार ने संसद के समक्ष एक ऐसी योजना एवं एक ऐसा कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, जो मेरे विचार से प्रगतिशील है और जो देश की खुशहाली की ओर ले जाएगा। जिस सरकार को प्रशासन का दायित्व सौंपा गया है, उसके लिये भविष्य के बारे में साहसपूर्ण ढंग से सोचना एक अनिवार्य कार्य है।

किन्तु उस भविष्य की तस्वीर क्या होगी? क्या हम एक निर्धन देश बने रहना चाहते हैं? महोदय, हम देश को गरीब नहीं रहन् देना चाहते हैं। क्या हम हमेशा गरीबी के बोझ तले दबे रहना चाहते है? नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते। क्या देश से यथासम्भव गरीबी दूर करने के लिए हम भरसक प्रयास नहीं करना चाहते हैं? हम ऐसे प्रयास करना चाहते हैं। इसी कारण से यह सरकार

20-सूत्री कार्यक्रम को महत्व देती है। इसी कारण से यह सरकार 20-सूत्री कार्यक्रम, जो कि इन्दिरा जी की देन है, को न केवल महत्व देती है अपितु इनका विस्तार कर इन्हें अन्य नये क्षेत्रों में भी लागू करना चाहती है, ताकि हम गरीबी पर जोरदार ढंग से प्रहार कर सकें।

क्या देश से गरीबी एक वर्ष अथवा पांच वर्ष में अथवा थोड़े समय में दूर हो जाएगी? इसका उत्तर यह है कि गरीबी इतने अल्प समय में दूर नहीं होगी। यह उत्तर न केवल इन्दिरा जी द्वारा दिया गया था अपितु हम सबने दिया था। केवल सरकारी प्रयासों के माध्यम से कोई भी देश से गरीबी को इतनी थोड़ी अवधि में नहीं हटा सकता। जनता को अपनी ओर से भी प्रयास करने होंगे। सरकार को उसकी मदद करनी होगी। उन्हें न केवल केन्द्र स्तर पर, अपितु राज्य स्तर पर भी परस्पर सहयोग करना होगा, ताकि तीव्र प्रगति सम्भव हो सके।

यदि आप विभिन्न संशोधनों, जिनकी सूचनाएं दी गई हैं, को देखें तो पता चलेगा कि जनता अनेक मांगे कर रही है, जबकि कृषि, गरीबी हटाने, गांवों की दशा सुधारने, ग्रामीण जनता, शहरी जनता, अर्द्ध-शहरी जनता और अन्य विभिन्न वर्गों के लोगों के लिये सरकार ने अनेक कदम उठाने पहले ही आरम्भ कर दिये हैं। जैसाकि मैंने अभी कहा है कि, हम जो भी कर रहे है, वह पर्याप्त नहीं है। अतः मेरा यह सुझाव है कि हमें एक राष्ट्रीय आवास नीति, गंदी बस्तियों को हटाने के बारे में एक राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिये। हमने जनसंख्या नियन्त्रण सम्बन्धी एक राष्ट्रीय नीति अपनाई हुई है, इसे और व्यापक बनाने की आवश्यकता है। ताकि जनसंख्या में वृद्धि के कारण हमारे शहरों में और नई गन्दी बस्तियां न बनने पायें जबकि हम वर्तमान गन्दी बस्तियों को हटा रहे हैं।

मद्रास में डी०एम०के०दल ने और तत्पश्चात् अखिल भारतीय अण्णा डी०एम०के० ने समुद्र के किनारे से मद्रास शहर से गन्दी बस्तियां हटाने सम्बन्धी एक भगीरथ प्रयास किया था। इसका परिणाम क्या हुआ? और नई गन्दी बस्तियां बन गई है और बन रही हैं। यही स्थिति अन्य शहरों की भी है। अतः हमें इन दोनों बातों पर एक साथ मिलकर ध्यान देना होगा एक तो हमें जनसंख्या नियंत्रण करना होगा और दूसरा गन्दी बस्तियां नहीं बनने देनी चाहिये ओर वर्तमान गन्दी बस्तियों को हटाया जाना चाहिये। इन दो बातों के अलावा हमें एक अवास नीति का भी निर्माण करना चाहिए। यदि इन तीनों बातों पर संयुक्त रूप से कार्य किया जाएगा तो यह वास्तव में बहुत लाभदायक होगा और गरीबी की समस्या से रचनात्मक ढंग से निपटा जा सकेगा।

किसानों और कृषि के बारे में भी कतिपय संशोधन प्राप्त हुए हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में कृषि के उत्पादन में की गई भारी प्रगति का भी उल्लेख किया गया है। 1500 लाख टन का वार्षिक उत्पादन कोई छोटी सी उपलब्धि नहीं है। इतना उत्पादन अभी तक कभी नहीं हुआ। नियोजित विकास की समूची अवधि में इतना उत्पादन कभी नहीं हुआ था। हमें आशा है कि हम और भी अधिक उत्पादन करेंगे।

राष्ट्रपति महोदय ने हमारे किसानों की उद्यम की प्रवृत्ति, उनके सहयोग एवं परिश्रम के लिये उनकी भूरि भूरि प्रशंसा की है। यदि योजना आयोग के पहले प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया जाता तो यह सम्भव न हो पाता। यदि संसद योजना आयोग की योजनाओं और किसानों की मांगों में एक सुविचारित समन्वय नहीं करती तो इस उपलब्धि से वंचित रह जाना पड़ता। एक ऐसा भी समय था जब अप्रत्यक्ष रूप से कृषि को सहकारिता एवं सांझे क्षेत्र में लाने की योजना थी किन्तु संसद ने

यह सुनिश्चित किया कि इस प्रकार की नीति न अपनाई जाए। उस समझौते के परिणामस्वरूप आज इस देश में 10 करोड़ किसान अपना स्वयं का रोजगार कर रहे हैं, स्वतन्त्र हैं, अपनी जोतों पर उनका अपना कब्जा है, अपनी जोतों पर स्वयं कृषि कर रहे हैं, अपने ही रोजगार में लगे हैं, खाद्यान्न अथवा अन्य फसलें उगाने में स्वतन्त्र हैं अपनी उपज बेचने में स्वतन्त्र हैं, और एक स्वतन्त्र रोजगार में लगे स्वतन्त्र जीवन जी रहे हैं।

संसद की यह शक्ति है और ऐसे संसद को इन्दिरा जी सर्वोपरि मानती थीं और यह वही संसद है जिसमें आज सभी नये एवं पुराने सदस्य पुनःनिर्वाचित हो कर आये हैं। और फिर खेतिहर मजदूर भी है। हम उनके लिए न्यूनतम मजदूरी चाहते थे। सरकार ने नीति अपना ली है। और न्यूनतम मजदूरी के विधान को लागू करना पड़ेगा। जैसा कि औद्योगिक मजदूरों के मामले में होता है, भारत सरकार जांच अवधि को तीन वर्ष से घटा कर एक वर्ष करने के लिए तैयार हो गई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। परन्तु इसे अभी लागू किया जाना है और केवल राज्य सरकारें ही इसे लागू कर सकती हैं। भारत सरकार तो बस इतना ही कर सकती है कि वह अपने प्रभाव का प्रयोग करें। मुझे आशा है कि भारत सरकार आगामी वर्षों में ऐसा कर सकेगी जिससे कि खेतिहर मजदूरों को भी संरक्षण मिल सके।

फसल बीमे की आवश्यकता है। न्यूनतम बीमा होना चाहिये, जिसके लिए कुछ राज्यों द्वारा कुछ प्रयास किए जा रहे हैं और इस नीति को भारत सरकार पहले ही स्वीकार कर रही है। इसे लागू किया जाना है और राज्य सरकारों को इस संबंध में पहल करनी होगी।

महाराष्ट्र और बिहार सरकारों की तरह कुछ राज्य सरकारों ने बेरोजगारों के बीमे के प्रश्न पर विचार किया है, जिसमें प्रत्येक परिवार से कम से कम एक वयस्क सदस्य का बीमा किया जायेगा। भारत सरकार के प्रभाव से इस नीति को सारे भारतवर्ष में लागू किया जाना चाहिये। लेकिन भारत सरकार ही अपने प्रभाव का प्रयोग कर सकती है। राज्य सरकारों को पहल करनी होगी तथा उनको धन का प्रबन्ध भी करना होगा। भारत सरकार निश्चय ही उनकी सहायता कर सकती है।

इसी प्रकार पशु पालने वाले कुछ वर्गों के लिए पशु बीमा का भी प्रबन्ध करना पड़ेगा। पशु बीमा आंशिक रूप से लागू तो है, लेकिन इसे व्यापक रूप से लागू नहीं किया गया है।

पशु बीमा, फसल बीमा और अग्नि बीमा भी लागू करना पड़ेगा। जहां तक नगरों का सम्बन्ध है, वहां तो अग्निशमक मशीनरी और साज-सामान होता है। यह सही है कि यह पर्याप्त नहीं है, फिर भी, है तो सही। परन्तु जहां तक गांवों का सम्बन्ध है, कोई अधिक शुरुआत नहीं हुई है। इसे भी प्रान्तीय तथा केन्द्रीय दोनों सरकारों ने लागू करना है।

हमारे बहुत से मित्रों ने राज्यों को अधिकाधिक शक्तियां देने के बारे में संशोधन प्रस्तुत किए है। मैंने जिस दिशा में सुझाव दिया है उसे संरक्षण प्रदान करने के लिए राज्यों को उन शक्तियों का प्रयोग करना पड़ेगा जोकि अब उनको दी हुई हैं।

खेतिहर मजदूरों के लिए अग्नि बीमा है हर बार गर्मीयों में हजारों खेतिहर मजदूरों की झोंपड़ियां आग से जल कर स्वाहा हो जाती हैं। उनको कोई संरक्षण प्रदान नही किया जाता है। राज्यों में कलेक्टर ही अपने स्थानीय क्षेत्रों में केवल आंशिक अनुदान प्रदान करते हैं। परन्तु वह किसी को भी नहीं मिल पाती हैं।

इसलिए, हम इन तीनों पर बीमा योजना लागू करवाना चाहते हैं। इसके लिए, एक राष्ट्रीय नीति बनानी पड़ेगी, जो कि अकेले संघ सरकार द्वारा नहीं अपितु संघ सरकार और राज्य सरकारों को साथ-साथ मिलकर बनानी पड़ेगी। उन्हें यह बनानी पड़ेगी जिससे पर्याप्त धन की स्वीकृति और कार्य के समन्वयन के बारे में सही सहयोग मिल सके और तभी इन लोगों को सही ढंग से संरक्षण मिल सकेगा।

और फिर औद्योगिक मजदूरों के साथ-साथ खेतिहर मजदूर भी हैं। मुझे वास्तव में बड़ी ही प्रसन्नता हो रही है कि राष्ट्रपति महोदय ने औद्योगिक शान्ति बनाये रखने के लिए औद्योगिक मजदूरों की प्रशंसा की है और इस सम्बन्ध में उन्होंने औद्योगिक उद्यमियों की भी प्रशंसा की है। यह त्रिपक्षीय समझौते की नीति को स्वीकार करने के कारण संभव हो सका है और मुझे आशा है कि यह अधिकाधिक प्रभावी और व्यापक होगा। परन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं होगा। उनको संरक्षण प्रदान करना होगा। इसी प्रकार त्रिपक्षीय समझौतों द्वारा खेतिहर मजदूरों को भी सरक्षण प्रदान करना होगा। जहां तक खेतिहर मजदूरों का सम्बन्ध है, उनको मजदूरी के भुगतान के बारे में वर्तमान में मजदूरी भूगतान अधिनियम को लागू नहीं किया जा रहा है। देश में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, जहां स्थानीय जमीदारों से खेतिहर मजदूरों को किसी भी प्रकार का संरक्षण नहीं मिलता है। यहां तक कि अब तो कृषि के क्षेत्र में कुछ कम्पनियां भी प्रवेश कर रही हैं और वे भी खेतिहर मज़दूरों को समय पर मज़दूरी प्रदान करने में असफल रहती हैं। उदाहरण स्वरूप, स्वयं गन्ना उत्पादकों को ही लीजिए। उत्तर-प्रदेश और बिहार में उनको दो से तीन वर्षों से उनकी मजदूरी और गन्ने के मूल्य का भुगतान नहीं किया गया है। करोड़ों रुपये बकाया पड़े हैं। आन्ध्र प्रदेश में भी ऐसा ही हो रहा है। मजदूरी भुगतान अधिनियम को सही ढंग से लागू करके सामाजिक जीवन के ऐसे सभी क्षेत्रों में सभी प्रकार के भ्रष्टाचार से संरक्षण प्रदान करना पड़ेगा।

इसके बाद कुटीर उद्योग के मजदूर भी हैं। हमने कुटीर उद्योग के मजदूरों को संरक्षण प्रदान करने की नीति अपनाई है। कुटीर और खादी उद्योगों के उत्पादनों के लिए सारे भारत में बिक्री केन्द्र खोलकर कुटीर और खादी उद्योगों के मजदूरों को संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत सरकार भारी धनराशि देती रही है। यह अच्छी बात है, परन्तु इसके साथ-साथ और भी बहुत से मजदूर हैं, यदि अधिक नहीं तो कम से कम 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो स्वरोजगार में लगे हैं। वे सब्जियां बचते हैं। वे सभी प्रकार की वस्तुएं ले जाते हैं और सारे समाज की व्यक्तिगत रूप में या परिवार सहित सभी प्रकार की सेवाएं करते हैं। उनको भी संरक्षण प्रदान करना होगा और उन्हें आसान शर्तों पर ऋण देकर तथा अन्य विभिन्न प्रकार से उनको संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। यह भी सोचना होगा कि किस प्रकार और किस सीमा तक इन लोगों को संरक्षण प्रदान करना होगा। बहुत ही गंभीर तरीके से योजना आयोग को यह सब करना होगा। यह सच है कि योजना आयोग ने हममें से कुछ के इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है कि स्वरोजगार में जुटे लोगों को संरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है। परन्तु अभी तक वे केवल उन स्व रोजगार रत लोगों पर ध्यान दे सके हैं जो कि उच्च शिक्षा प्राप्त हैं। जिनके पास बी०ए०, एम०ए०, इंजीनियरी आदि की उपाधियां हैं। यहां अकेले वे ही नहीं हैं, स्व रोजगार रत लोगों में तो उनकी संख्या बहुत ही कम है और स्वरोजगार रत स्त्रियों की संख्या अधिक है तथा उनको संरक्षण प्रदान करना पड़ेगा। किसी भी राज्य सरकार ने योजना और गरीबी हटाने के इस विशिष्ट पहलू पर अभी तक ध्यान नहीं दिया है। इन सभी राज्य सरकारों का मार्गदर्शन करने तथा इन लोगों की सहायता करने की ठोस नीति तैयार करने में उनकी सहायता करने के लिए भारत सरकार के लिये यहीसही समय है।

इसके बाद सहकारिता आन्दोलन की बात आती है इस आन्दोलन को लोकतन्त्रात्मक स्वरूप प्रदान करना पड़ेगा। पंचायत आन्दोलन का भी लोकतन्त्रीकरण करना होगा और उसको पूर्णरूप से पुर्नगठित करना होगा। आजकल राज्य सरकारें अपने क्षेत्र में और संघ सरकार भी स्वयं अपने संगत क्षेत्र में लोगों को चैयरमैन, सरपंच के रूप मनोनीत करने की शक्ति को स्वयं अपने हाथों में ले लेती है। इस शक्ति को हटाना होगा। चुनावों में भी हेराफेरी और कुप्रबन्ध का बोल बाला है। मेरे और श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा सुझाई गई उस योजना पर अब विचार करना पड़ेगा कि इन संस्थाओं को इन राजनीतिक दलों और उनकी आपसी प्रतिद्वन्दिता से दूर और उनके नियन्त्रण से अलग रखा जाए। यदि आप इसे एकल मत बहुमत पर छोड़ देते हैं तो उससे मुसीबत उठ खड़ी होगी और बहुत से राज्यों में मुसीबत खड़ी भी हुई है। अतः चुने हुए सदस्यों की तालिका में से लाटरी निकाल कर नेता चुनने की प्राचीन परिपाटी पर विचार करना होगा। इस प्रकार प्रजातान्त्रिक ढंग में और लाटरी निकालने के प्राचीन भारतीय तरीके में सम्बन्ध स्थापित हो जायेगा। यदि, उस दिशा में कुछ प्रयास किया जाता है तो, हम अपने गांवों, अपनी सहकारी संस्थाओं तथा सहकारी क्षेत्र में कार्य करने वालों का वर्गवाद, गुटबन्दी, जातिवाद और विभिन्न प्रकार की अन्य घातक उन सामाजिक बुराइयों से, जिनसे हम दुःख उठा रहे हैं, बचा सकते हैं।

मैं अपने एक अच्छे पुराने मित्र जो इस सभा के सदस्य थे, अर्थात् श्री अंजैया की भी प्रशंसा करूंगा। बारह वर्षों की एक लम्बी अवधि तक कभी भी पंचायतों या सहकारी संस्थाओं के चुनाव नहीं हुए ; उनके शासन में इन संस्थाओं के लिए शांतिपूर्वक चुनाव सम्पन्न हुए।

1.00 म० प०

सभापति महोदय : माननीय सदस्य मध्याह्न भोजन के पश्चात अपना भाषण जारी रखेंगे। अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होती है। हम फिर 2 बजे म. प. मिलेंगे।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोकसभा 2 बजकर 3 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

2.03 म. प.

(श्री जैनुल बशर पीठासीन हुए)

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—जारी

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रो. रंगा अपना भाषण जारी रखेंगे।

प्रो. एन. जी. रंगा : उन कृषि वैज्ञानिकों की प्रशंसा में, जिन्होंने गत वर्ष के दौरान हमारे किसानों की 1500 लाख टन अनाज पैदा करने में सहायता की है, जो कुछ मैंने पहले कहा है, उसमें आगे मैं कुछ और कहना चाहता हूं। उन्होंने उत्तम कार्य किया है और उन्हें मैं और भी सशक्त बनाना चाहूंगा।

मैं योजना अयोग के बारे में संसद को एक चेतावनी देना चाहता हूं। योजना आयोग के बारे में मेरा अनुमत सदैव सुखद नहीं रहा है। इसने कभी भी बहुत सी नई योजनायें या सुझाव पर ध्यान नहीं दिया है। उदाहरणस्वरूप प्राकृतिक आपदाओं के प्रश्न को ही लीजिए, जिनका शिकार यह देश समय-समय पर बनता है। लगभग प्रतिवर्ष देश का कोई न कोई भाग पाले, या भूस्खलन अथवा सूखे या तूफान अथवा बढ़ों, आदि से ग्रस्त रहता है। फिर भी अभी तक इसने उस सुझाव पर कोई

ध्यान नहीं दिया है जो मैंने उन्हें और एफ. ए. ओ. तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को दिया था कि एक अन्तर्राष्ट्रीय बीमा कोष होना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी एक राष्ट्रीय बीमा कोष होना चाहिये। जब तक इन प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एक बीमा कोष नहीं बन जाता तब तक न तो फसल बीमा और न ही पशु बीमा योजना पूर्णतया सफल हो सकती है। हमें समय समय पर फसलों को प्रभावित करने वाले पीड़क जन्तुओं के विरुद्ध भी किसानों का बीमा करना होगा। ऐसी कोई योजना बनाने का उन्होंने अभी तक कोई प्रयास नहीं किया है। केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे कुछेक राज्यों को ही यह श्रेय जाता है जिन्होंने इस दिशा में कुछ प्रयोग किये हैं। अब समय आ गया है जब कि योजना आयोग का पुर्नगठन किया जाए और इसे आगे विकास के लिए नई योजनाएं तैयार करने का काम सौंपा जाए।

महोदय में सरकार को विभिन्न दिशाओं में हमारे देश के वैज्ञानिक विकास के बारे में इसके द्वारा किए गये योगदान के लिए बधाई देता हूं। अब 'अनुराधा' पर कार्य हो रहा है और पहले 'रोहिणी' छोड़ा गया था। मेरे विचार से, प्रायः समूचे एशिया में और सम्भवतया सभी गुट-निरपेक्ष देशों में हमारा प्रथम स्थान है।

महोदय, आधारभूत ढांचे का भी तो प्रश्न है। हमारी सड़कों की स्थिति दयनीय हैं। सड़कें मुख्यता राज्यों के नियन्त्रण में हैं और वे अपनी अपेक्षित भूमिका नहीं निभा रहे हैं। उन पर नियन्त्रण रखने और उनको सही रखने के राज्यों के अपने-अपने विधान है। इसके अतिरिक्त उनको प्रोत्साहित करके तथा उन्हें वित्तीय सहायता देकर केन्द्र को भी अपनी भूमिका निभानी है।

जब तक इन सड़कों तथा रेल मार्गों का, विशेषकर पूर्वोत्तर-सीमान्त क्षेत्रों और पश्चिमी तथा अन्य पिछड़े क्षेत्रों में विकास नहीं किया जाता, तब तक हमारे कृषि अनुसंधान व औद्योगिक विकास का लाभ देश के जन-साधारण तक पहुंचना सम्भव नहीं होगा।

और फिर प्रशासन का भी प्रश्न है। इन सभी योजनाओं की सफलता प्रशासन की उस दक्षता, वफ़ादारी, ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा पर निर्भर हैं जिनसे वह सरकार के साथ सहयोग करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सभी जगह कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं—उनमें अच्छे भी बुरे भी, उदासीन भी और उत्कृष्ट भी हैं लेकिन अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उन्हें अधिकतर इन लोगों के सहयोग पर निर्भर रहना पड़ता है। आज यदि इन्दिराजी की शानदार योजनाओं ने चाहे ये ग्रामीण विकास की थी या सामाजिक विकास की अपने निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए हैं—तो इसका मुख्य कारण प्रशासन की केन्द्रीय मंत्रिमंडल या राज्य मंत्रिमंडल के साथ सहयोग करने में विफलता है। इसके साथ-साथ, मैं एक चेतावनी भी देना चाहूंगा। किसी भी मंत्रिमंडल के लिए प्रशासन के साथ झगड़ना कदापि ठीक नहीं होता। यदि आप अपने प्रशासन के साथ झगड़ेंगे तो आप सरकार नहीं चला पाएंगे। प्रशासन और सरकार के बीच सहयोग और समन्वय होना चाहिए और इसीलिए में उस नए प्रयास का स्वागत करता हूं जो हमारे प्रधानमंत्री की प्रेरणा से किया जा रहा है, जिसके अनुसार प्रशासन का नवीकरण किया जाएगा तथा सरकार व मंत्रिमंडल के साथ सहयोग की भावना का विकास करने के लिए प्रशासन की सहायता की जाएगी।

श्रीमन्, इसके साथ ही साथ, उनकी सेवा शर्तों में भी सुधार करना होगा। उन्हें हर सम्भव प्रोत्साहन देना होगा। उनके साथ मात्र नौकरों जैसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें सदैव सन्देह की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। आपको उनकी बात माननी चाहिए और यदि

कुछ अकुशल अधिकारी हैं तो अवश्य ही उनके विरुद्ध कार्यवाही करें, लेकिन हमें प्रशासन को आरम्भ से ही शंका की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए और उसके प्रति निन्दनीय रवैया नहीं अपनाना चाहिए। इस प्रक्रिया में उत्तरी दक्षिणी भारत के कई राज्य नुकसान उठा चुके हैं। मैं आशा करता हूं कि मंत्रि-मंडल तथा प्रशासन के बीच बेहतर सूझबूझ कायम होगी।

महोदय, मैं बधाई देना चाहता हूं यद्यपि बधाई देने में काफी देरी हो चुकी है और मैं इन्दिराजी को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं जो देश में वास्तविक सामाजिक क्रांति लाईं। कृषि के क्षेत्र में प्रगति हुई है। कामगरों को भी अधिक मजदूरी दी जा रही है, लेकिन इन चीजों से अधिक अन्तर नहीं पड़ेगा। हमारे समाज के इतिहास के परिणामस्वरूप हमारे देश के करोड़ों लोग पिछड़े वर्ग, हरिजन, जन-जातियों के तथा अन्य निस्सहाय लोग हैं। इन लोगों को आशा तथा प्रेरणा देनी होगी। इंदिराजी ने यह कार्य किया था। उनसे पहले अण्णा जी तथा ई. वी. रामास्वामी नायकर तक अनेक समाज सुधारकों ने दक्षिण में यह कार्य किया। इधर उत्तर में भी आर्य समाजी लोग तथा अन्य कई लोग जिनमें कई मुसलमान भी थे, ये कार्य करते रहे। लेकिन उनका प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं था। इन्दिराजी का समूचे भारत के प्रशासन पर नियंत्रण था। जहां कहीं भी हरिजनों या पिछड़े वर्गों पर कोई कठिनाई आई, जहां कहीं भी इन वर्गों पर कोई अत्याचार हुए, इन्दिरा जी उनकी मदद के लिए सबसे पहले पहुंचती थीं उन्हें सांत्वना तथा प्रोत्साहन देती थीं। उन्होंने देश में इसी दिशा में वास्तविक क्रांति का सूत्रपात किया और यह अभी चल रही है। यदि आज इस सभा में 400 सदस्य जीतकर आए हैं तो यह इस कारण से है कि उस समय की बुद्धिजीवियों की कांग्रेस की कायापलट हो गई है। कालान्तर में यह उच्च मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी और बाद में मध्यम वर्ग का। अब देश का श्रमजीवी वर्ग चाहे यह ग्रामीण है या शहरी, सामाजिक तौर पर त्रस्त तथा दलित है। इन लोगों में जागृति आ गई है। आज वे कांग्रेस को अपना क्रांतिकारी अग्रणी मानते हैं और कांग्रेस की इसी क्रांतिकारी भावना के कारण ही ये सभी सदस्य जीतकर यहां आए हैं।

मुझे प्रसन्नता है कि प्रधान मंत्री तथा राष्ट्रपति ने इन्हीं अनेक योजनाओं के द्वारा, जो पहले से ही शुरू की जा चुकी हैं तथा जो वे आरम्भ करना चाहते हैं, उनकी आवश्यकताओं की ओर विशेष ध्यान दिया है। ये सभी योजनायें आपके पास हैं—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम तथा और अन्य योजनायें। लेकिन, क्या इन स्कीमों को सफल बनाने में जनता से सहयोग की अपेक्षा नहीं की जा सकती ? जब जवाहरलाल जी प्रधान मंत्री थे तो हमने स्थानीय सड़कों के निर्माण व अन्य संचार सुविधाओं, पुलों, सामाजिक विकास आदि के लिए जनता से 50 प्रतिशत अंशदान लेने के लिए 'भारत सेवक समाज' नामक संगठन बनाया। दुर्भाग्यवश, हाल के वर्षों में उस दिशा में कोई खास कार्य नहीं हुआ है। उस समय छात्रों के सामाजिक संगठन ए. सी.सी., एन. सी. सी. तथा अन्य कई संगठन थे। इन सभी को प्रोत्साहन देकर इन्हें राष्ट्र की मुख्यधारा में लाया जाना चाहिए तथा इन दलित लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए इनकी सहायता की जानी चाहिए। तभी हम सच्चे अर्थों में प्रगति कर सकते हैं, इतनी प्रगति जितनी हम चाहते हैं जितनी प्रगति की राष्ट्रपति ने आशा की है।

अब मैं अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न पर आता हूं। मुझे दुःख है कि हिन्दमहासागर स्वतंत्र तथा शांति-पूर्ण नहीं है। मुझे इस बात का भी दुःख है कि आणविक शक्तियों की ओर से कोई सुरक्षा नहीं है। किसी के लिए भी किसी भी तरह की शांति की गारंटी कहां है ? एकमात्र गारंटी की आशा गुट-निरपेक्ष आन्दोलन से है। इसका सूत्रपात और विकास हम में से बहुतों ने अशासकीय व्यक्तियों के

रूप में किया; बाद में जवाहरलाल जी ने इसे अंतराष्ट्रीय माध्यम, शांति के साधन के रूप में विकसित किया। अब सारे विश्व में इसे स्वीकारा गया है। रूसी जो आरम्भ में इसके प्रति शंकावान थे अब इसे स्वीकार कर चुके हैं। और इसके प्रशंसक हैं। अमरीकी, जो कभी इसे अस्वीकार करते थे, अब इसे स्वीकार करते हैं। आज यही एकमात्र गारंटी है और इसकी पतवार भारत के हाथों में दी गयी है। तब इन्दिराजी का दृढ़ नेतृत्व था। अब यह हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री के हाथों में आ गयी है। वे इस निर्गुट आन्दोलन का समर्थन करते हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूं और मैं स्वयं को तथा इस सदन के अन्य सदस्यों को भी बधाई देता हूँ, जो शांति के इस महानतम साधन व हथियार को विकसित करने के लिए उत्तरदायी रहे हैं, ताकि विश्व की जनता को इस पृथ्वी पर कम से कम कुछ समय के लिए, शांति सुनिश्चित की जा सके और उस आणविक शक्ति के भयानक हथियार से सुरक्षा मिल सके ।

अन्त में मैं वर्तमान सरकार तथा राष्ट्रपति को बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने अपने प्रशासन की विजय का, शासन की विजय का, पिछले पांच वर्षों के दौरान इस देश को नेतृत्व प्रदान करने का यह दस्तावेज़ पेश किया। इसका प्रमाण यहां 400 सदस्यों की मौजूदगी है। इस पर नुक्ताचीनी करना अच्छी बात नहीं है। जनता को अवसर दिया गया था और उसे चयन करना था, और हमारे मित्र, जो पंजाब, असम, समूचे भारत, श्रीलंका के सम्बन्ध में तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ में हमारे नेतृत्व की निन्दा करते रहे हैं, भी जनता के समक्ष गए थे, मतादाताओं के पास गए थे और उन्होंने इन्दिराजी के शासन तथा नीतियों की आलोचना की। हम लोगों के पास गए थे। और उन्हें अपनी उपलब्धियों के बारे में बताया था। अन्त में जनता ने अपना निर्णय दिया है। यह निर्णय इस अभिभाषण में मौजूद है। यह एक विजय का दस्तावेज़ है और विश्व की किसी भी सरकार को, पिछले पांच वर्षों के दौरान हमारे देश द्वारा की गई प्रगति पर गर्व हो सकता है, और इसका प्रमाण यह है कि इस सरकार को जनता से भारी जनादेश प्राप्त हुआ है। मुझे केवल एक बात का ही अफसोस है कि इन्दिरा जी आज यह देखने के लिए जिन्दा नहीं हैं कि जनता ने शासन की सर्वोत्तम सम्भव शासन को, जो हमें इस देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पिछले 35 वर्षों के दौरान मिला है, कैसे जयजयकार की है।

[हिन्दी]

श्री बी. आर. भगत (आरा) : सभापति जी, माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में 1984 का वर्ष संकट और परीक्षा का वर्ष बताया है। इससे और बड़ा राष्ट्रीय दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि इसी वर्ष में हमें अपने राष्ट्र की सबसे अमूल्य धरोहर, अपनी नेता, इंदिरा जी को खोना पड़ा।

यह आठवीं लोकसभा का सत्र शुरू हो रहा है। सातवीं लोकसभा के दरमियान जो वातावरण पैदा हुआ था, वह टकराव का वातावरण था। पार्लियामेंट्री डेमाक्रेसी में, संसदीय प्रणाली में विपक्ष की भूमिका होती है, सरकार की भूमिका होती है, मगर एक सहयोग के वातावरण में होती है। विपक्ष की अलोचना भी कांस्ट्रक्टिव सहयोग को अलोचना होती है, तभी संसद अपने उद्देश्य को, अपने मूलभूत कर्त्तव्यों को पूरा कर सकती है। इंदिराजी की हत्या जिस वातावरण में हुई, उसे जरा याद करें कि किस तरह से टकराव की बातें पैदा की जाती थी, कन्फ्रंटेशन की बातें पैदा की जाती थीं अलगाव की बातें पैदा की जाती थीं। इससे जितनी विघटनकारी ताकतें हैं, राष्ट्र-विरोधी ताकतें हैं, उनको मदद मिलती रही है। इंदिरा जी अपने जीवन के पिछले महीनों में बार-बार यह कहती

रहीं कि अगर राष्ट्र को प्रगति करनी है, तो हमें उन मूल सिद्धांतों के ऊपर जो हमारे नेताओं ने कांग्रेस के नेतृत्व में आजादी के पहले, और आजादी के बाद, हमें बताए, जो कि देश की एकता और अखण्डता को मजबूत करना है, इस आधारभूत सिद्धांत को मजबूत करके ही हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे दुख है कि सातवीं लोकसभा में वह टकराव का वातावरण पैदा हुआ जिससे हमें बहुत सारे संकट झेलने पड़े और यह सबसे बड़ी राष्ट्रीय क्षति हमें मिली, वह भी भुगतनी पड़ी। कल हमनें देखा कि सदन में सब तरफ दुख की भावना थी, भयंकर दुख की भावना थी। आज उनकी कमी हमें खलती है। आज हम उन्हें उस सीट पर नहीं देखते हैं। हमारी भूतपूर्व नेता, प्रधानमंत्री आज नहीं हैं। यह दुख की भावना थी। कुछ दिन पहले हमने देखा कि सारे देश में दु:ख की भावना थी।

मुझे यह सौभाग्य मिला था कि मैं उनका अंतिम पत्र लेकर गया था नामीबिया की आजादी के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित सौ सालवें लड़ाई के सेमीनार में। उनके अंदर एक भावना थी कि कोई गुलाम देश दुनिया में न रह जाए। नामीबिया की आजादी की लड़ाई की सौवीं साल-गिरह पर संयुक्त राष्ट्र में एक सेमीनार था 31 अक्तूबर को, जिस दिन उनकी हत्या हुई। वहां मुझे भेजा था और वहां मैंने देखा, जब उनकी हत्या की खबर वहां पहुंची तो आप देखिए कि केवल उससे भारत ही दु:खी नहीं था बल्कि संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में भी सारे नेता रो रहे थे। सारी दुनियां और मानवता रो रहीं थी आज हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि यह संकट हमारे राष्ट्र पर फिर नहीं आए। वैसे तो देश की जनता ने दिखा दिया। चुनाव हुए और नया नेतत्व आया। जब कभी भी हमारे देश पर संकट होता है, तो हमारे देश की जनता ऊपर उठती है। एसे मौके पर आपने देखा कि कुछ घण्टों के अन्दर ही हमने प्रजातांत्रिक प्रणाली का एक मजबूत नमना दिखाया। हमनें अपना नया देता चुन लिया। इससे सारी दुनिया के लोग चकाचौंध हो गए कि हिन्दुस्तान का प्रजातंत्र कितना मजबूत है। यह भी आपने देखा, जो राष्ट्रपति जी ने कहा, कि हमारी भूतपूर्व प्रधान मंत्री जी की हत्या के बाद झगड़े-फसाद हुए, लेकिन हमारे नए प्रधान मंत्री जी ने उस दु:ख को भुलाकर तुरन्त स्थिति को कितनी मजबूती से काबू लाने की कोशिश की। जो इंदिरा जी की परम्परा रही है, जहां कोई दुख, संकट, हिंसा या फसाद हो, वहां पहुंचकर लोगों की तकलीफ को दूर करना चाहिए, उसको अच्छी तरह से निभाया है। हमारे नए प्रधान मंत्री जी ने दिल्ली में और आस-पास की जगहों पर जाकर स्थिति को काबू में किया। इससे राष्ट्र को, हमारी प्रजातान्त्रिक भावनाओं को एक नया बल मिला। सबसे बड़ा बल इस चुनाव में मिला, जबकि हमारे नए नेता श्री राजीव गांधी को अभूतपूर्व बहुमत मिला। इसका कारण क्या है। जनता ने यह दिखा दिया कि जब बाहरी और अन्दरूनी ताकतों का संकट इस देश पर है, जो कि इस देश को कमजोर करना चाहती है, तो देश की जनता इकट्ठी हो गई। हमारे बहुत सारे भाईयों ने साम्प्रदायिकता और क्षेत्रीयता की भावना उठाई होगी। देश की जनता ने तो जैसे स्टीम रोलर चलता है सारी बातों को एक तरफ रख कर बहुमत दिया, ताकि किसी की भी हिम्मत न हो सके, चाहे कोई भी ताकत हो जो कि देश को कमजोर करना चाहती है। इसलिए देश की जनता ने भूतपूर्व बहुमत हिन्दुस्तान की एकता और अखण्डता को संजोने के लिए दिया। यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि असल में विजय उन सिद्धान्तों की हुई है, जो कांग्रेस के सेक्युलरीज़म और डेमोक्रेसी के सिद्धान्त हैं। जिस समाजवाद के आधार पर हमारा देश चल रहा है और जो आजादी के 35 साल बाद भी हम लोग अच्छी तरह से चलाते रहे, उन सिद्धान्तों को उससे बल मिला है। इन्दिरा जी के नेतृत्व में हमारा राष्ट्र आर्थिक, सामाजिक और राजनितिक रूप से मजबूत ही नहीं हुआ बल्कि इसको एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा भी मिली। सारी दुनिया में इसको प्रतिष्ठा मिली। इसीलिए दुनिया के लोग इन्दिरा जी के हमसे अलग

हो जाने पर रोए। इन्दिरा जी विश्व-शांति की एक प्रतीक बन गई थीं। वह चाहती थीं कि भारत से न केवल गरीबी दूर हो बल्कि भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरकर निकले।

अन्तर्राष्ट्रीय मामलों की चर्चा का जिक्र राष्ट्रपति जी ने किया है। जब सन् 1983 में दिल्ली में निर्गुट सम्मेलन हुआ तो उस में उनकी इच्छा के विरुद्ध जबरन उनको निर्गुट सम्मेलन की अध्यक्षा, चेयर-परसन, बनाया गया। उनकी इच्छा बिल्कुल नहीं थी और वे चाहती थीं कि सर्वसम्मति से चुनाव हो। उसके बावजूद एकमत से लोगों ने उन्हें चुना। इस बीच में उन्होंने विश्व-मंच पर कैसा कमाल कर दिखाया, वह हम सब लोगों ने देखा है। दुनिया के सामने जो बड़े दो सवाल हैं जिनका जिक्र राष्ट्रपति महोदय ने भी अपने अभिभाषण में किया है, उनमें से एक सवाल यह है कि यदि आज दुनिया में तीसरा महायुद्ध होता है तो उसके बाद समूची मानवता नष्ट हो जाएगी, फिर दुनिया में कोई प्राणी जिन्दा नहीं बचेगा, कोई वनस्पति नहीं बचेगी और कोई जीवन बाकी नहीं रहेगा। जब ऐसी हालत हो जाएगी, तो उससे बचने का एकमात्र तरीका यही है कि दुनिया में शान्ति स्थापित की जाए, युद्ध को टाला जाए और इसके लिए इंदिरा जी ने पूरी कोशिश की। उन्होंने युद्ध को टालने और शान्ति स्थापित करने का प्रयत्न किया और गुट निरपेक्ष सम्मेलन के दिल्ली डिक्लेयरेशन में जो कुछ हुआ, उसका नेतृत्व इंदिरा जी ने किया। इसलिए सारी दुनिया में उनको शान्ति का प्रतीक माना जाता है क्योंकि लोग दुनिया में शान्ति चाहते हैं।

अभी हमारे यहां काइसकी साहब आये थे, जिनको जवाहर लाल नेहरू एवार्ड दिया गया, उन्होंने भी कहा कि किस तरह से इंदिरा जी ने विश्व-शान्ति के लिए नेतृत्व प्रदान किया, जिससे दुनिया शान्ति की तरफ जाए और तीसरा महायुद्ध न हो, अणुयुद्ध न हो और दुनिया विनाश से बच सके।

दूसरी बात यह है कि विश्व में जितने विकासशील देश हैं, हम तो मेहनत करते हैं, सबसे पहले तो शान्ति चाहिए, चाहे भारत हो, चीन हो, अफ्रीका के देश हों या लेटिन अमेरिका के देश हों, जब तक दुनिया में शान्ति नहीं होती, कोई भी विकासशील देश प्रगति नहीं कर सकता। आज यह मामला कि दुनिया में कहीं युद्ध न हो, विकासशील देशों के जीवन और मरण का प्रश्न बन गया है। जहां तक बड़े औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों का सम्बन्ध है, उनके लिए तो स्ट्रैटिजक कन्वर्जेन्स हो, नेशनल इंटरैस्ट अथवा ग्लोबल इंटरैस्ट के मिलान की बात हो जाती है बैलेंस ऑफ पावर की बात हो जाती है, मगर विकासशील देशों के लिए शान्ति जीवन और मरण का प्रश्न है, क्योंकि शान्ति युद्ध और टैंशन के वातावरण में नहीं हो सकती। इंदिरा जी भी हमेशा यही कहा करती थीं और इसी कोशिश में हमेशा लगी रहती थीं कि हमारे चारों तरफ, पड़ोसी देशों के साथ शान्तिमय सम्बन्ध बनें हमारे और उनके बीच शान्ति का रिश्ता कायम हो, उनमें सहयोग और मैत्री का भाव बढ़े। उनका कहना था कि हिन्द महासागर में जिस तरह से शस्त्रीकरण हो रहा है, आणविक शस्त्रीकरण हो रहा है, वह हमारे लिए खतरे की स्थिति है और अपने देश में जो कुछ भी हम गरीबी को दूर करने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए, अपने राष्ट्रीय सिद्धांतों के परिपालन के लिए कर रहे हैं वह सब खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए उन्हें हमेशा इसी बात की चिन्ता लगी रहती थी। वे समझती थीं कि आज की दुनिया में शान्ति के बिना विकास नहीं हो सकता।

आज हम मेहनत करते हैं और हमारा अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक तंत्र इस प्रकार का बन गया है, वित्तीय तंत्र इस प्रकार का बन गया है, हमारे मार्केट की स्थिति ऐसी हो गई है कि हम चाहे कितनी ही मेहनत करते चले जाएं, मगर हमको घाटा होता जाता है। आज तमाम विकसित देशों की प्रोटैक्शन

की नीति बनती जा रही है और उसका नतीजा यह हो रहा है कि हम जो भी माल बाहर भेजते हैं, उसके हमें कम दाम मिलते हैं। इंदिरा जी हमेशा कहती थीं कि दुनिया की आज ट्रेजडी क्या है कि कुछ मुट्ठी-भर लोग, कुछ औद्योगिक दृष्टि से विकसित देश, जहां आर्मामेंट पर प्रति वर्ष 700 बिलियन डालर खर्च कर सकते हैं, शस्त्रीकरण पर व्याय कर सकते हैं, मगर जहां आई डी ए के सातवें लोन का प्रश्न आता है, विकासशील देशों को मदद देने का प्रश्न सामने आता है तो असमर्थता प्रकट की जाती है। यहां सौफ्ट लोन्स की बात नहीं है। पिछले सत्र में वह राशि 16 बिलियन डालर थी, लेकिन इस वर्ष उसको घटा कर 7 बिलियन डालर कर दिया गया है और उसके पीछे कारण यह दिया गया है कि विकसित देशों की हालत खराब है और हम 7 बिलियन डालर और नहीं दे सकते, जिससे विकासशील देशों की प्रगति हो। उसमें अकेले हिन्दुस्तान का ही प्रश्न नहीं है, सारी दुनियां के विकासशील देशों का प्रश्न जुड़ा हुआ है। इसलिए दुनिया का आर्थिक तंत्र कुछ इस तरह का बन गया है कि जो अमीर देश हैं, औद्योगिक दृष्टि से विकसित देश हैं, वहां सारी पूंजी और ताकत सिमटती चली जा रही है। गरीब देश, विकासशील देश, नान-एलायेंड कन्टरीज, जिनकी संख्या 100 से ज्यादा है, उनकी हालत खराब होती जाती है, उनके इस तंत्र को भी बदलना है। आज यह मुद्दा था। चाहे देश में हो या दुनिया में हों, उन्होंने मजबूत नेतृत्व का नया रूप दिया। आज सबसे बड़ी बात यह है कि हम उनके रास्ते पर चलें और उसी पर चलकर हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं।

यह खुशी की बात है, और इससे मुझे गौरव भी मिलता है, कि हमारे देश में जो नई पीढ़ी का नया नेतृत्व उभरा है, उसने एक तरफ तो हमारे पुराने आदर्शों को, पंडित जवाहर लाल नेहरू और इंदिरा जी के सिद्धान्तों को, आगे बढ़ाने की बात कही है, मगर देश के जो सवाल हैं, उनके बारे में राष्ट्रपति जी की स्पीच में स्पष्ट रूप से कहा है कि प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। उनका दृष्टिकोण बिल्कुल साफ है, प्राथमिकता का जो चित्र दिया है उसमें साफ है कि इन कामों को हमें करना है।

सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इस देश में ऐसे सार्वजनिक जीवन को लाना है जो स्वस्थ हो, साफ-सुथरा हो। आपने देखा, पहली बार सरकार ने यह कहा है कि हम एंटी-डिफैक्शन बिल, दल बदल रोक बिल को इसी सैशन में इस सदन में लायेंगे। इलैक्टोरल रिफार्म की बात हम करेंगे जिससे राजनीतिक जीवन साफ-सुथरा हो। आज भी विरोधी दल के जो भाई हार गये, वे कहते हैं कि चुनाव साफ-सुथरे नहीं होते। विरोधी दल के एक नेता ने कहा, बिहार के हमारे नेता हैं, कि अगला चुनाव असेम्बली का हो तो अब तो हमको सब को अन-लाइसेन्सड बन्दूकें लेकर अगला चुनाव लड़ना होगा और कांग्रेस के समर्थकों को मारेंगे, आदि, आदि।

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : उनका नाम बताइये।

श्री बी० आर० भगत : मैं नाम यहां नहीं लेना चाहता। ऐसी बातें अभी भी हो रहीं हैं।

हमारे प्रधान मंत्री जी ने सही रूप में कहा कि हमारा प्रवल बहुमत है, लेकिन हम इसका सही उपयोग करेंगे। आठवीं लोक-सभा को जो काम पूरा करना है वह यह है कि समाज में, देश में एकता हो और हम देश में सुधार एवं विकास करेंगे। इसकी रूप रेखा उन्होंने रखी है। उन्होंने विरोधी पक्ष के भाइयों से भी कहा है कि हम आपका सहयोग लेंगे, हमें आपका सहयोग चाहिये।

जब हम प्राथमिकता के कार्यों की समीक्षा करेंगे तो उन्होंने सबसे पहला सवाल यह रखा है कि हम पंजाब और असम की समस्याओं का हल निकालेंगे। इस बारे में सरकार का दृढ़ निश्चय है। इसमें उन्होंने एक दिन की भी देर नहीं की और इस बारे में कैबिनेट की एक कमेटी भी बन गई है और

उस में इस बारे में विचार हो रहे हैं। उसमें विरोधी दल के भाइयों से भी सुझाव लिये जा रहे हैं। क्योंकि एक बात हमें याद रखनी है कि पार्लियामेंटरी सिस्टम में, डैमोक्रेसी में अगर हम टकराव की हालत करेंगे तो वही स्थिति होगी, जो पिछली लोक-सभा में हुई। हमें सहयोग का वातावरण पैदा करना है, अगर हम मिलजुलकर काम करेंगे तो देश की कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसको हम हल नहीं कर सकते।

आज जो पैरामीटर है, जो रूपरेखा हमने रखी है वह यह है कि देश की एकता, अखंडता मजबूत हो, बरकरार रहे और उसके मातहत पंजाब व असम के जो सवाल हैं उनको हम हल करेंगे और देश को मजबूत कर के आगे ले जायेंगे। हमने यह फैसला कर रखा है।

आज हमारे दश में समाज ऐसा है जिसमें सभी वर्गों के, जातियों के और सम्प्रदाय के लोग हैं। भारत में कांग्रेस को 100 साल हो गये, यह उसका सैंटेनरी ईअर है। कांग्रेस आजादी के पहले भी और आजादी के बाद भी जिन बातों के लिये लड़ती रही है, आज हमें उन बातों को याद करना है और इस सदन को उन्हें पूरा करना है।

हमें साम्प्रदायिकता, जात-पात, क्षेत्रीयता के खिलाफ संघर्ष करना है। दुर्भाग्य है कि एक रीजनल पार्टी बनकर आई है। इसको हमें राष्ट्रीय पार्टी में बदलना होगा। पहले दिल बदलेगा, फिर भावना बदलेगी।

मुझे खुशी है कि प्रधान मंत्री जी ने सेंटर और स्टेट के बीच अच्छे सम्बन्धों की बात कही है, फैडरल कांस्टीट्यूशन की बात कही है। इन्दिरा जी भी यही कहती थीं। इस बात में कोई विरोधाभास नहीं है। कि मजबूत सेंटर हो और प्रदेश मजबूत हो। अगर केन्द्र कमजोर होगा, तो इस देश के टुकड़े हो जायेंगे, क्षेत्रीयता को प्रधानता मिलेगी, राष्ट्रीयता कमजोर होगी। सौ साल की जो कांग्रेस की कमाई है, जिस के लिये हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानियां दीं, वह विलुप्त हो जायेगी। मुझे इस बात की खुशी है कि रीजनल पार्टी के लोगों ने सहयोग की भावना का इजहार किया है। सहयोग की भावना के बिना पंजाब और असम की समस्या का हल नहीं हो सकता। सहयोग की भावना रहेगी, तो यह सवाल हल होगा। इससे हम सब भाइयों और मित्रों के दिल मिलेंगे और मिलने पर हम मजबूत बनेंगे और देश प्रगति की तरफ जायेगा।

हमारे प्रधान मंत्री जी ने सार्वजनिक जीवन में स्वच्छ राजनीतिक व्यवस्था देने के लिये कहा है। मुझे वह बात याद आती है, जब प्रेसीडेंट कैनेडी 1960 में पहली बार राष्ट्रपति बने थे, तो उन्होंने कहा कि मैं प्रेरणा लेता हूं पंडित जवाहरलाल नेहरू की आदर्शवादिता से। जैसा कि कल मधु दंडवते ने कहा, प्रधान मंत्री को अपनी माता के अदम्य आत्म-विश्वास को पैदा करना होगा। मैं साथ ही यह कहता हूं कि उनके इस प्रोग्राम में पंडित जवाहर लाल नेहरू की आदर्शवादिता है। जो प्रेरणा पंडित जी प्रेसिडेंट कैनेडी को देते रहे और जिस प्रेरणा से हमारी पीढ़ी पैदा हुई, उस पर हमें आगे भी चलना है।

स्वस्थ राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक प्रणाली में सुधार, शिक्षा प्रणाली में सुधार, महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास को प्राथमिकता देना, साइंस और टैक्नॉलाजी को प्रोत्साहन देना, ये सभी बातें अभिभाषण में हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं। आज लोगों में इस चुनाव के बाद जो उमड़ा हुआ उत्साह है, उसे हम एक सहयोगी और अनुशासनमय प्रयास में बदलें, जिससे विकास में गति आये और देश को 21वीं सदी के लिये तैयार कर सकें। यही प्रयास, यही उद्देश्य आठवीं लोक

सभा का होना चाहिये । अगले पांच सालों में हम उन बुनियादों को मजबूत करें, जिस बुनियाद के आधार पर हम इस देश को 21 वीं शताब्दी में प्रधान मंत्री के नेतृत्व में ले चल सकें । आठवीं लोक सभा में जनता ने जो हम प्रबल बहुमत दिया है, हमने जनता से जो वायदे किये हैं, उनको हम आगे आने वाले समय में पूरा करने का भरसक प्रयत्न करेंगे ।

इन्दिरा जी के नेतृत्व में पिछली सरकार ने जनता से एक मजबूत करने वाली सरकार बनाने का वायदा किया था उसको हमने पूरा किया । आपने देखा कि इन्दिरा जी के नेतृत्व में 20-सूत्री कार्यक्रम के तहत गांव के गरीब से गरीब लोगों को बहुत फायदा हुआ और हर राज्य में प्रगति हुई । सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारा किसान अपना आत्म-विश्वास लेकर, स्वावलम्बी बन कर खड़ा है और गांवों की जो तरक्की हुई है वह केवल पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र के ही कुछ भागों में नहीं हुई है, बल्कि अब वह उत्तर प्रदेश और बिहार में भी फैल गई है और जिस दिन गांवों को यह तरक्की, ग्रीन रेवोल्यूशन जिस को कहते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार में पूरी तरह से फैल जायेगी, उस दिन हिन्दुस्तान के किसान दुनिया में सब से आगे होंगे । आज अमेरिका सब से ज्यादा खेती का समान निर्यात करता है । तब हिन्दुस्तान निर्यात करेगा इक्कीसवीं शताब्दी की शुरूआत में आप अन्दाज लगाइए उस दिन का ।

आज 6 हजार करोड़ की हमारी विदेशी मुद्रा है । यह भी बढ़ी है । पिछले सालों में 4 हजार थी । विगत वर्षों में हमारी अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा की स्थिति इतनी मजबूत हुई कि जो हम नें 5. 1 बिलियन डालर्स का ऋण लिया था, उस में 1. 3 बिलियन डालर लौटा दिया कि हमें जरूरत नहीं है और लोग हैरान हो गए । आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़िए, और भी अन्तर्राष्ट्रीय मामलों की रिपोर्ट पढ़िए । जो हमारे मित्र नहीं भी हैं, वे हैरान हैं कि हिन्दुस्तान के लोग क्या करामात दिखा सकते हैं । अगर उस में हम ने अपने नये प्रधान मंत्री जी का साथ दिया, तो हम और उन्नति कर सकते हैं । उन्होंने नयी टैक्नौलोजी को बढ़ावा दिया है और काम करने के तरीके को बदला है, क्योंकि उन को फिक्र है, वह देश को आगे ले जाना चाहते हैं । इंदिरा जी ने भी यही कहा था सातवें प्लान में हमारे प्लानिंग मिनिस्टर नारायणन साहब मौजूद हैं, हमारे पुराने मित्र हैं, वह जानते हैं– कि हमारे तीन ही काम हैं–भोजन, काम और उत्पादन । उत्पादन का अर्थ ग्रोथ नहीं है, प्रोडक्टिविटी है । हम जितना लगाते हैं उतना रिटर्न नहीं मिलता है । यह हमारे आर्थिक तंत्र में कमजोरी है । आज हर चीज महंगी होती जा रही है । जितनी हम पूंजी लगाते हैं, इन-पुट और आउट-पुट का रेशो गिरता जा रहा है । मैं तो एक ही उदाहरण देता हूं वाइज़ैग के स्टील प्लान्ट का । स्टील मिनिस्टर साहब यहां हाउस में इस समय नहीं हैं । मैं जब इस्पात मंत्री था सन् 70 में, इंदिरा जी ने उस का उद्घाटन किया था । उस में इंदिरा जी के नाम के साथ हमारा भी नाम वहां लिखा हुआ है । आज तक पन्द्रह साल हो गए, वाइज़ैग प्लान्ट खड़ा नहीं हुआ । यह प्लान्ट जब बनेगा तो कभी भी एकोनामिक नहीं होगा । यह तो एक उदाहरण है । ऐसे और भी कई उदाहरण हैं । तो प्रधान मंत्री जी की प्राथमिकता इस बात पर है कि हम हर काम को समय के अंदर पूरा करे । उस में जो ऐडमिनिस्ट्रेटिव प्राबलम्स हैं, उस के लिए हम जितना पैसा देना चाहते थे, खासकर जो हमारे इन्फ्रा-स्ट्रक्चरल प्रोग्राम्स हैं, वे बढ़े हैं, चाहे वह इस्पात हो, एलक्ट्रिसिटी हो या आयल हो, हम जो प्रोग्राम बनाएं उसी हिसाब से उस में राशि भी दें । राशि नहीं देते हैं तो नतीजा यह होता है कि प्रोग्राम फेल होता है । जैसे मैंने एक उदाहरण दिया है कि वाइज़ैग स्टील प्लान्ट कभी भी एकोनामिक नहीं होगा, कभी भी उस में प्राफिट नहीं होगा क्योंकि पन्द्रह साल बीत गए.........

एक माननीय सदस्य : वह कभी नहीं बनेगा, इसीलिए यह देर कर रहे हैं आप लोग।

श्री बी. आर. भगत : नहीं, व बनेगा।

भोजन की बात उन्होंने कही। पिछले पांच सालों में आप ने देखा कि भोजन के मामले में हम स्वावलम्बी हो गए। काम की बात आप ने देखी कि पिछले पांच सालों में एक करोड़ 45 लाख परिवारों को काम दिया गया। एन आर ई पी और दूसरे प्रोग्रामों के अन्तर्गत 1 करोड़ 45 लाख परिवारों को काम दिया गया। इंदिरा जी ने दो साल पहले कहा था कि एक परिवार भी ऐसा नहीं होगा जिस में किसी एक व्यक्ति को काम न मिला हो। उन्होंने दो बातें कहीं थीं, 15 अगस्त को लाल किले से उन्होंने कहा था कि हर गांव में पीने का पानी पहुंचाया जायेगा और कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिस में एक आदमी को काम नहीं मिलेगा। हर परिवार में काम करने वाला आदमी होगा और प्रोडक्टिव एम्प्लायमेंट होगा। जो हमारे नये प्रधान मंत्री जी का काम करने का तरीका है, उस से आज वह काम करने में प्रगति लाए हैं। हरएक की एकाउन्टेबिलिटी उन्होंने तय कर दी है। इस देश में कोई भी ऐसा नहीं होगा बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा, जिस की एकाउन्टेबिलिटी न हो, ताकि वह अपनी जगह पर बैठा न रहे। उस को अपना काम पूरा करना होगा खासकर जो बड़े-पब्लिक सेक्टर के प्रतिष्ठान हैं, उन को पूरा करना और सफल बनाना ही होगा। उन में इतनी पूंजी लगी हुई है कि अगर उन की प्रोडक्टिविटी अगर हम बढ़ा नहीं पाए और इन-पुट और आउट-पुट के रेशियो में उन्नति नहीं कर पाए तो हमारे देश में बढ़ती हुई कीमतें बढ़ती रहेंगीं, क्योंकि हम कोई चीज सस्ती पैदा नहीं कर सकते।

सभापति जी, अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं . . . . . (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. के. के. तिवारी (बक्सर) : श्री लंका के बारे में बोलिए।

[हिन्दी]

श्री बी. आर. भगत : आप बोलियेगा, मेरे पास समय नहीं है। वैसे श्रीलंका के बारे में निश्चित रूप से कहा ही गया है कि उसका मिलिटरी सल्यूशन नहीं हो सकता है, पोलिटिकल सल्यूशन होना चाहिए और श्रीलंका से जो शरणार्थी भाई आए हुए हैं, वे सभी वापिस जायें और वहां पर चैन से रहें। श्रीलंका ही नहीं, किसी भी देश के अन्तरिक मामलों में हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहते।

जैसा कि मैं पहले कह रहा था, इस आठवीं लोकसभा को हम राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद शुरू कर रहे हैं, इस को देश ने एक नयी शक्ति प्रदान की है और जो प्रबल बहुमत मिला है, उसका उपयोग, जैसा कि प्रधान मंत्री जी ने कहा है, देश को मजबूत बनाने में करेंगे, देश का विकास करने में करेंगे और जो भी सवाल हमारे सामने हैं, जिनके सम्बन्ध में राष्ट्रपति जी ने एक साफ सुथरा प्रोग्राम बताया है, उसको तेजी से पूरा करने में उपयोग करेंगे। ऐसी भावना है कि हमारा प्रशासन स्वच्छ हो और सार्वजनिक जीवन स्वस्थ हो और जो भी काम हम करें, जैसा कि हम जापान या दूसरे देशों में देखते हैं, वह जल्दी से, तेजी से और लगन के साथ सुनियोजित ढंग से करें। इस मुद्दे पर एक राष्ट्रीय सहयोग, नेशनल कन्सेन्सस की भावना बननी चाहिए। हम जो करेंगे अगर इस लोकसभा से जो नेतृत्व मिलेगा, एक नया वातावरण पैदा होगा, अगर सहयोग की भावना पैदा हुई, सरकार की जो नीतियां हैं, राष्ट्रपतिजी ने जो प्रोग्राम रखा है, उस पर लोकसभा ने मोहर लगाई और सभी का सहयोग मिला,

एक नया नेतृत्व पैदा हुआ, तो यह आठवीं लोकसभा एक अभूतपूर्व तथा ऐतिहासिक होगी। जैसा कि प्रधान मंत्री जी ने कहा है, 21 वीं शताब्दी में हमारा देश जायेगा तो देश मजबूत होगा, यहां कोई गरीब नहीं होगा, जात-पात का कोई भेदभाव नहीं होगा, क्षेत्रीयता और राष्ट्रीयता का कोई टकराव नहीं होगा, भारत एक रहेगा और वह अपने लोगों के अलावा दुनियां के लोगों की भी गरीबी दूर करने में समर्थ होगा। इस प्रकार से हम देश को 21वीं शताब्दी में ले जा सकें, ऐसा स्वच्छ जीवन पैदा कर सकें—इसकी शुरूआत ऐंटी-डेफेक्शन बिल से होने वाली है। हम इस सम्बन्ध में लगन के साथ सभी मिलकर काम करें और देश को आगे बढ़ायें, गरीबी को दूर करें, कोई बेकार न रहे और देश मजबूत हो, हम सभी भाई एक साथ मिलकर रहें हम साइंस और टेक्नालॉजी का भी सहारा लें ताकि विकास-कार्य तेजी के साथ हों और साथ-साथ अमीर-गरीब का भेद-भाव दूर हो। इस प्रकार एक समाजवादी देश की रचना हम कर सकें, इसके लिए हम सभी पक्षों का सहयोग चाहते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यावाद के प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यहां उपस्थित ऐसे माननीय सदस्य , जिनके धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधन परिचालित कर दिए गए है, यदि अपने संशोधन पेश करना चाहें तो वे पेश किए जाने वाले संशोधनों की क्रम संख्या लिखकर पर्चियां पन्द्रह मिनट के भीतर पटल पर भेज दें। केवल वही संशोधन पेश किए गए माने जाऐंगें। पेश हुए माने गए संशोधनों की क्रम संख्या दर्शाने वाली सूची थोड़ी देर में नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाएगी। यदि किसी सदस्य को सूची में कोई गलती मिलती है तो वह इस की जानकारी अविलम्ब सभापटल अधिकारियों को दें।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : महोदय मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। संसद् के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा सम्बोधित करना एक औपचारिकता मात्र है, और हम इस औपचारिकता का अनुसरण करते आए हैं, क्योंकि हम इस देश में उपनिवेशवादी प्रणाली का अनुसरण करते आ रहे हैं। जब तक यह संसदीय प्रणाली है तब तक हम इसका अनुसरण करते रहेंगे। इसका कोई विकल्प नहीं है।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में भारी जनादेश की बात कही है.... (व्यवधान) यदि मुझे इसी तरह टोका गया......

सभापति महोदय : अच्छा यही है कि आप अपनी बात कह डालें।

श्री अमल दत्त : जो कुछ मुझे कहना है, मैं वही कह रहा हूं। यदि किसी सदस्य ने इस बारे में कछ कहना है तो वह इसे व्यवस्था के प्रश्न के रूप में उठा सकता है। अन्यथा उसे चुप बैठे रहना चाहिए।

श्री भेराबदन के० गढवी (बनासकांठा) : 'उपनिवेशवादी प्रणाली' का क्या अर्थ है ?

एक माननीय सदस्य : आप शब्द कोष देखें।

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान मत डालें।

श्री अमल दत्त : राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा है :

"शासक दल श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में जिस अभूतपूर्व बहुमत से विजयी हुआ है उससे जाहिर है कि हमारे देशवासियों को राष्ट्र की एकता और अंखण्डता की कितनी चिन्ता है और साथ ही इनको संजोए रखने के लिए केन्द्र में एक मजबूत और स्थायी सरकार बनाने की कितनी प्रबल इच्छा है।" महोदय, राष्ट्रपति द्वारा इन शब्दों विशेष का प्रयोग करने पर मुझे कड़ी आपत्ति है। यह ठीक है, हम जानते हैं कि राष्ट्रपति अपना अभिभाषण स्वंय नहीं लिखते, लेकिन मैं कहूंगा कि अभिभाषण इस ढंग से लिखा जाना चाहिए कि यह राष्ट्रपति के अभिभाषण के अनुरूप हो। मौजूदा मामले में ऐसा नहीं किया गया है।

सदन में पहले भी यह कहा जा चुका है और मैं उसे दोहराता हूं कि सत्ताधारी दल को केवल 50 प्रतिशत मतदाताओं का जनादेश प्राप्त हुआ है। हुआ यह है कि इसे 1980 की तुलना में इस बार केवल 7 प्रतिशत अधिक मत मिले हैं, लेकिन सदन में इसे भारी बहुमत मिला है। लेकिन इस भारी बहुमत का मतलब भारी जनादेश नही है। जनता में यह भ्रांति फैलाई जा रही है कि कांग्रेस को भारी जनादेश प्राप्त हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। केवल 7 प्रतिशत अधिक लोगों ने इसे मत दिए हैं। यह बात उन्हें समझ लेनी चाहिए, क्योंकि वे सोच रहे हैं कि उन्हें भारी जनादेश मिला है। इससे भी अधिक दु:खदायी बात यह है कि राष्ट्रपति से यह कहलवाया गया है. . . . (**व्यवधान**)
क्योंकि उनके पास कोई और अच्छी बात नहीं है, वे मझे टोक रहे हैं। राष्ट्रपति से यह कहलवाया गया है।

> "(इससे) जाहिर है कि हमारे देशवासियों को राष्ट्र की एकता और अखंडता की कितनी चिन्ता है।"

क्या इसका यह अर्थ है कि 50 प्रतिशत लोग जिन्होंने कांग्रेस को मत नहीं दिया है, वे देश की एकता और अखंडता के पक्ष में नहीं हैं? (**व्यवधान**)

श्री शेरावदन के. गढवी : श्रीमान् मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने अभी-अभी कहा है कि राष्ट्रपति से कहलवाया गया है। क्या यह उचित है? (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : क्या नियम का कहां उल्लंघन हुआ है ?

श्री शेरावदन के, गढवी : उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति से कहलवाया गया है। वह राष्ट्रपति के बारे में ऐसी बात नहीं कह सकते।

सभापति महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। आप बैठ जाइए।

श्री अमल दत्त : यह बहुत ही खेद जनक बात है कि राष्ट्रपति से अप्रत्यक्ष रूप से यह कहलवाया गया है कि 50 प्रतिशत मतदाताओं ने ऐसे लोगों को मत दिया है जो राष्ट्रविरोधी हैं, और इसलिए, वे 50 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रीय अखंडता और राष्ट्रीय एकता के विरोधी हैं।

यह किस तरह का भाषण है। क्या राष्ट्रपति के लिये यह कहना उचित है? यह मतदान स्थिर सरकार के लिये हो सकता है। यह ठीक है और बाद वाले भाग के लिये मैं इसे स्वीकार करता हूं–स्थिर और मजबूत सरकार की कामना के लिये जनता ने लोकसभा में 400 कांग्रेस (आई) संसद

सदस्यों को चुना। प्रधान मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं। टाइम्स पत्रिका को दिए गए एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया और मजबूत विपक्ष की कमी पर खेद प्रकट किया। क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ कहा वह यह है कि कांग्रेस आई ने 400 सदस्य चुनकर जनता ने गलती की है? जी हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने यही कुछ कहा है।

(व्यवधान)

ठीक है, जब आपकी बोलने की बारी आये तो आपको बोलने की पूरी स्वतंत्रता है। मैं यहां पर कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ कहा है उसके बारे में मेरी व्याख्या क्या है। महोदय, यह एक मुद्दा है जिस पर मैं श्री राजीव गांधी जी से सहमत हूं कि इस संसद् में लोगों की इच्छा प्रतिबिम्बित नहीं हुई है। चुनाव की प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है जिसके लिए हम लम्बे समय से कहते आये हैं। हम इसके लिये शोर मचाते रहे हैं, लड़ते रहे हैं परन्तु कांग्रेस (आई) के बहुमत में होने के कारण हम इसमें कभी भी सफल नहीं हो सके। पहले भी वे सत्ता में आने में सफल हुये थे। और अब वे इस प्रकार कह रहे है कि माना कि यह स्थिर सरकार नहीं थी, यह एक मजबूत सरकार नहीं थी, यद्यपि श्रीमती गांधी ने सन् 1980 में यह नारा दिया था और दो तिहाई बहुमत प्राप्त हुआ था। क्या वह एक मजबूत सरकार नहीं थी? क्या वह स्थिर सरकार नहीं थी जो कि आप अब कांग्रेस (आई) में 400 व्यक्तियों के चुने जाने के बाद कह रहे हैं।

आपकी सरकार मजबूत है? क्या राष्ट्रपति के कहने का अभिप्राय यही है। उन्हें ऐसा करने के लिये कहा गया है। यह गलत है; यह अनुचित है और राष्ट्रपति द्वारा इस तरह की बात कहलाना संसदीय लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है।

प्रो. के. के. तिवारी : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आप और मेरे विद्वान मित्र जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति पर किसी भी तरह का आक्षेप नहीं लगा सकते। भारत के राष्ट्रपति की आलोचना सिर्फ मूल प्रस्ताव के अंतर्गत ही की जा सकती है। अतः अपने भाषण में किसी भी सदस्य को ऐसा न बोले जाने की सलाह दी जाय, ताकि किसी पर आक्षेप न लगे। वह एक वकील है और उनको मालूम होना चाहिये कि यह संदेश भारत सरकार से आया है। यह सदन को तथा उनको अच्छी तरह मालूम है, क्योंकि वह एक वकील है और उन्हें कानून की जानकारी है, जो कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही कहा जाना चाहिये था और भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से निर्वाचित सरकार के द्वारा कार्य करता है जो कि प्रतिनिधिक सरकार है। अतः भारत के राष्ट्रपति पर कोई भी आक्षेप लगाने सम्बन्धी शब्दों को कार्यवाही वृतान्त में से निकाल दिया जाना चाहिये।

श्री अमल दत्त : महोदय, सत्ताधारी सरकार द्वारा राष्ट्रपति से यही कहलवाया गया है। मैंने यह स्पष्ट कर दिया है और व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रपति पर कोई आक्षेप नहीं लगाया गया है।

प्रो के. के. तिवारी : इसका निर्णय करना अध्यक्ष महोदय का काम है।

श्री अमल दत्त : आप इसे ध्यान से सुनिये।

सभापति महोदय : तिवारी जी, कृपया आप बैठ जाइए।

श्री अमल दत्त : अगर राष्ट्रपति जी के लिये व्यक्तिगत तौर पर मैंने कुछ कहा है तो कृपया इसे कार्यवाही से निकाल दीजिये।

प्रो के. के. तिवारी : महोदय, इसमें अन्तर है। भारत का राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति है वह कोई पृथक व्यक्ति नहीं है ।

सभापति महोदय : उन्होंने भारत के राष्ट्रपति पर आक्षेप लगाने वाली कोई बात नहीं कही है । कृपया बैठ जाइये ।

श्री अमल दत्त : बैठ जाइये और शान्ति रखिये।

प्रो के. के. तिवारी : महोदय, यह बुनियादी बात उन्हें मालूम होनी चाहिये।

श्री अमल दत्त : दुर्भाग्यवश ये विविध चालें सिर्फ सदन की शालीनता को ही कम नहीं करती अपितु जो सदस्य बोल रहा होता है उसका भी ध्यान भंग करती हैं। यह श्री तिवारी की हमेशा की आदत है। दुर्भाग्यवश, मुझे अध्यक्ष की ओर से सरकारी संरक्षण नहीं मिल रहा है।

सभापति महोदय : नहीं, आपको पूरा संरक्षण मिल रहा है। श्री दत्त, उससे घबराइये मत।

श्री अमल दत्त : महोदय, मैं निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया पर बात करता हूं। हमने इसका पूरी तरह बदलन तथा पुर्ननिर्माण करने के लिये कहा है क्योंकि इस चुनाव में देखा गया है कि किस प्रकार चुनाव प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा सकता है। इस चुनाव में यह देखा गया है कि विपक्षी दलों पर पूर्णतया गलत और गुमराह करने वाले आरोप लगाये गये हैं।

3.00 म०प०

एक उदाहरण उद्धृत करता हूं, अथवा मैं दो उदाहरण दूंगा – एक है। मैं नाम नहीं बताऊँगा सत्ताधारी दल के उच्च अधिकारियों द्वारा यह कहा गया है कि विरोधी पक्ष के सदस्य आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं, जो कि पूर्णतया गलत एवं झूठ है । (**व्यवधान**)। महोदय, जहाँ तक हमारा सी. पी. आई. (एम) का संबंध है, मैं अपने दल की ओर से कह सकता हूं कि जून 1983 में,.......

(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइये । आप भी बैठ जाइये । मैं इस पर ध्यान दे रहा हूं। कृपया बैठ जाइये ।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

मैं खड़ा हूं, तो आप बैठ जाइये । आप इनको बोलने दीजिये । जब आपका नम्बर आयेगा, तब आप इन की बातों का जवाब दे दीजिये । जो ये कहना चाह रहे हैं, आप इन को कहने दीजिये ।

[अनुवाद]

कृपया जारी रखिये।

श्री अमल दत्त : महोदय, जिसको दर्द होता है उसी को पता चलता है।

महोदय इसे इस तरह से पेश किया गया मानो कि सी. पी. आई. (एम) ने भी आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव का समर्थन किया हो और मैं कहता हूं कि एकदम झूठ है। मैं ऐसा इसलिये कह रहा हूं, क्योंकि जून, 1983 में दिल्ली में विरोधी दलों का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें पंजाब की समस्या को सुलझाये जाने के तरीके रखे गये थे। महोदय, ये वही बातें थीं जिन्हें कांग्रेस सरकार अस्वीकार करती रही और अंतत: 2 जून, 1984 के श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रसारण में भी वही चीजें दुहराई गई थीं। अगर हम एक वर्ष की (टाल-मटोल) को टाल दिया जाता तो इससे सम्पूर्ण पंजाब की घटना को भी टाला जा सकता था, इससे भारत के एक सम्पूर्ण महत्वपूर्ण समुदाय को अलग होने से बचाया जा सकता था ।

यह व्यवधान का प्रश्न नहीं है अगर आप व्यवस्था के प्रश्न पर हैं तो ऐसा कहिये।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री तिवारी, वह नहीं मान रहे हैं।

प्रो. के. के. तिवारी : वह मान रहे हैं।

सभापति महोदय नहीं, वह नहीं मान रहे हैं। श्री दत्त, क्या आप मान रहे हैं?

श्री अमल दत्त : नहीं।

सभापति महोदय : नहीं, वह नहीं मान रहे हैं।

प्रो के. के. तिवारी : मतभेद के समय, अकालियों को आमंत्रित किया गया था .... (व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री तिवारी, कृपया आप बैठ जाइये।.......... (व्यवधान)

सभापति महोदय : नहीं, तिवारी जी यह चर्चा करने का तरीका नहीं है। कृपया बैठ जाइये।

श्री अमल दत्त : किसी सदस्य द्वारा बार-बार व्यवधान डालना ठीक नहीं है। एक या दो बार तो ठीक है। परन्तु मेरे हर वाक्य पर वह बाधा डालते हैं।......... (व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप इनको बोलने दीजिये। आप का जब नम्बर आयेगा, तब आप इनकी बातों का जवाब दे दीजिये।

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त : महोदय, यह बहुत ही घिनौनी चाल है, किन्तु इन को सफलता मिल गई क्योंकि इस चुनाव में अभूतपूर्व ढंग से पैसा बहाया गया है। इसीलिये .... ।

(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट (दौसा) : आप उसे यहाँ क्यों प्रयोग में ला रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त : वे सुनते क्यों नहीं हैं?

सभापति महोदय : आप जारी रखिये, वे सुनेंगे।

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त : जब सभी लोग शोर मचा रहे हैं तो क्या ऐसे में जारी रखना मुमकिन है?

सभापति महोदय : वे समझते हैं कि आप मान रहे हैं। मुश्किल यह है।

श्री अमल दत्त : इन चुनावों में पैसे ने जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है उससे चुनाव संबंधी प्रक्रिया में तत्काल सुधार की आवश्यकता और भी बढ़ गई है क्योंकि केवल धनशक्ति का ही नहीं बल्कि चुनाव सभाओं को भंग करने के लिए जोर जबरदस्ती का सहारा लिया गया तथा हजारों, सकड़ों.......... (व्यवधान)

85-M/S182LSS—10

प्रो. के. के. तिवारी : पश्चिम बंगाल में सी. पी. आई (एम) के लोग चुनावों में गड़बड़ी कर रहे हैं। (**व्यवधान**) . . . .

सभापति महोदय : श्री तिवारी जी, कृपया बैठ जाइये। जब आपकी बारी आये, तब आप जवाब दीजिये। कृपया बैठ जाइये। सभा के कार्य संचालन का यह ढंग नहीं है। जब आपकी बारी आयेगी आप जबाव देंगे। आप एक अच्छे सांसद हैं, आप उन्हें जवाब दे सकते हैं। आप क्यों बाधा डाल रहे हैं ?

प्रो. के. के. तिवारी : मैं सिर्फ यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ . . . .

सभापति महोदय : आप एक अच्छे सांसद हैं। यह कोई तरीका नहीं है। कृपया बैठ जाइये। (**व्यवधान**) . . . . .

श्री राजेश पायलट : महोदय, माननीय सदस्य अपना कोट उतार रहे हैं। उनका इरादा क्या है ?

सभापति महोदय : नहीं, वह नहीं उतार रहे हैं।

श्री अमल दत्त : महोदय, चुनाव में ये सभी गड़बड़ियां, मतदान केन्द्रों पर कब्जा करना, पैसे की शक्ति तथा गुण्डागर्दी जैसी बातें नहीं की जाने चाहिए। चुनाव संबंधी सुधार होने चाहिये और मुझे यह कहते हुये दुःख है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में चुनाव संबंधी सुधार का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। पांच वर्षों की अवधि के लिये यह सरकार यहां रहेगी। राष्ट्रपति के और भी बहुत से अभिभाषण होंगे। अगर इस वर्ष 1985 की योजना में यह नहीं है तो कम से कम यह तो बता दीजिये कि अगले चुनावों में लोगों की इच्छा जानने से पहले आने वाले वर्षों में आप चुनाव प्रक्रिया में सुधार करना चाहते हैं या नहीं। चुनाव ऐसा होना चाहिये जिसमें लोगों की इच्छा प्रकट हो, और चुनाव ऐसा नहीं जिसमें 50-प्रतिशत लोग 80 प्रतिशत प्रतिनिधियों का चुनाव करें।

श्री राजेश पायलट : तेलगु देशम के बारे में क्या कहना चाहते हैं ? क्या वहां पर भी पैसों की ही करामात हुई है।

एक माननीय सदस्य : जी नहीं।

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : आपकी ताकत के बावजूद यह है।

श्री अमल दत्त : महोदय, राष्ट्रपति जी ने कहा है :–

"जिस निष्पक्षता और शांति से ये चुनाव हुये उनका श्रेय हमारे देशवासियों की लोकतांत्रिक प्रतिभा को जाता है।"

दुर्भाग्यवश यह शान्तिपूर्ण और निष्पक्ष नहीं था। रिकार्ड के लिये मैं यह कह रहा हूँ। उस पर हम बाद में आयेंगे।

महोदय, मेरे विचार से, इस प्रकार का कानून बनाने के लिये एक आयोग बनाया जाना चाहिए। वर्तमान और भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों की ओर से चुनाव संबंधी सुधार के लिये बहुत से सुझाव आये हैं, जो कि चुनाव कराने के स्वयं के अनुभव से उन्होंने दिए थे। परन्तु इन सुझावों पर अपेक्षित विचार नहीं किया गया है। न ऐसी कोई प्रक्रियाओं का सुझाव दिया गया है जिनसे ऐसे सुधार लाये जायें, ताकि इस सभा के गठन में जनता की इच्छा वास्तविक रूप से प्रतिबिम्बित हो सकें।

प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा है कि सरकार मजबूत हो। हमारी भी यही इच्छा है, निष्पक्ष के सदस्यों की भी यही इच्छा है और सत्तारूढ़ के सदस्यों की भी यही इच्छा है। और प्रधान मंत्री जी ने बार-बार दोहराया है कि वह देखेंगे कि विपक्षी दल सुचारुरूप में कार्य करने में समर्थ हों, दुर्भाग्यवश, राष्ट्रपति के इस अभिभाषण में, इसका कोई उल्लेख नहीं है। राष्ट्रपति जी का, अभिभाषण चुनाव नतीजे आने के काफी समय पश्चात तैयार किया गया है। उसमें लोगों के अभूतपूर्व जनादेश का उल्लेख किया गया है परन्तु विपक्ष के बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि यह किस प्रकार कार्य करेगा जो कि इस समय इतनी कमजोर हो गया है। यह भी एक अभूतपूर्व बात है। विपक्ष में इतने कम सदस्य पहले कभी नहीं थे जितने इस समय हैं। इसका उल्लेख किया जाना चाहिये कि हमारी संसद के कार्य करने के ढंगों में कुछ संस्थागत परिवर्तन करने के लिये सरकार गम्भीर रूप से विचार कर रही है, ताकि विपक्ष प्रभावशाली हो सके। विपक्ष लोगों की शिकायतों अथवा चिन्ताओं को व्यक्त कर रहा है जिसे दुर्भाग्यवश सत्ताधारी पक्ष करने की स्थिति में नहीं हैं।

3.09 म. प.

(**श्रीमती बसवराजेश्वरी पीठासीन हुई**)

श्री अमल दत्त : राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कई आर्थिक मसलों के बारे में बताया गया है यद्यपि वे बहुत संक्षिप्त है। इसमें इस बात का उल्लेख है कि खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है। जी हाँ यह बढ़ा है। परन्तु क्या यह पिछले 10 अथवा 20 वर्षों में हो रहे उत्पादन से अधिक हुआ हैएक बढ़ा है, क्योंकि पहले इसमें स्थिरता आ गई थी। इससे कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है। झूठ से कभी-कभी आधा सच खराब होता है।

एक माननीय सदस्य : सच्चाई क्या है?

श्री अमल दत्त : सच्चाई तो यह है कि खाद्यान्न उत्पादन में 2.2 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि से अधिक वृद्धि नहीं हुई है। इस तथ्य का राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लेख होना चाहिये था। 70 करोड की आबादी में जोकि इस समय 75 करोड़ है — हमारा खाद्यान्न उत्पादन 1983-84 में 1515 लाख टन तक पहुंचा है और शायद इस वर्ष हमें थोड़ा ज्यादा उत्पादन प्राप्त हो। यह एक सौभाग्य की बात है कि हम अच्छे मानसून की वजह से यह प्राप्त कर सकें हैं। मैं नहीं कहता कि इसके लिय सरकार का कोई श्रेय प्राप्त नहीं है। परन्तु उसके लिये वास्तव में श्रेय क्या है? हमारा तभी उचित मल्यांकन किया जा सकता है जबकि हम उपने देश के आंकड़ों की अन्य देश के आंकड़ों से तुलना करें। किस देश की तुलना भारत के साथ की जा सकती है? हमारे विचारों में भारत की तुलना सिर्फ चीन के साथ हो सकती है। माननीय सदस्यों को जानकारी के लिये मैं आपको बताऊँगा कि चीन में 100 करोड़ आबादी के साथ खाद्यान्न उत्पादन 40 करोड़ टन है। उनके यहां $2\frac{1}{2}$ व्यक्ति के लिये 1 टन खाद्यान्न उपलब्ध है जबकि हमारे यहा 1 टन खाद्यान्न पांच व्यक्तियों के लिये है। ये तुलनात्मक आंकड़े विश्व बैंक ने दिये हैं। जहां तक हमारे सत्ताधारी पक्ष के सदस्यों का संबंध है इन आंकड़ों को चुनौती नहीं दी जा सकती। हमारी यह उपलब्धि है जो हमने आजादी के 35 वर्षों बाद प्राप्त की है और चीन ने यह अपनी क्रान्ति के 33 वर्षों बाद प्राप्त की है।

एक माननीय सदस्य : वहाँ पर कोई स्वतंत्रता नहीं है।

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह): कम से कम वहाँ पर विपक्ष तो नहीं है।

श्री सी. माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : चीन में इतने वर्षों तक एक परिवार ने तो शासन नहीं किया।

श्री अमल दत्त : इस बात का श्रेय लिये जाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि मूल्य इतने अधिक नहीं बढ़े हैं । गतवर्ष 12 प्रतिशत की तुलना में थोक मूल्य सूचावांक में केवल 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके लिये बधाई है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि दो प्रकार से समृद्धि हुई है । एक तो अच्छे मानसून के कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है और दूसरे पेट्रोल-उत्पादों के उत्पादन में पर्याप्त बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोलियम उत्पादन बढ़ाने के लिये हमने क्या किया है? पेट्रोलियम उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने नए कुंओं की खुदाई की है अथवा पुराने ही कुंओं से हमें आशा से अधिक पेट्रोलियम उत्पादन प्राप्त हुआ है? छठी योजना के अन्त तक हमें 2 करोड़ 60 लाख टन पेट्रोलियम उत्पन्न होने की आशा थी जब कि गत वर्ष जो अभी समाप्त नहीं हुआ है 3 करोड़ टन पेट्रोलियम उत्पादन हुआ है। हमारी यह उपलब्धि इसलिये है कि प्रकृति की हम पर बहुत बड़ी कृपा रही है। पृथ्वी से अधिक मात्रा में तरल सोना निकला है। इसलिये, इसके लिये आप श्रेय के पात्र नहीं है। मूल्य वृद्धि इसी कारण नहीं हुई है।

इसके अतिरिक्त, व्यापार में भी अन्तर आया है। व्यापार अन्तर के कारण अपस्फीति की प्रक्रिया होती है। विनिमय के रूप में रुपया देना बुरा होता है किन्तु अपस्फीति प्रक्रिया के लिये यह अच्छा है हम लोग इसे सहन कर सकते है, इसलिये नहीं कि भारत में हमने ऐसा किया है अपितु इसलिये कि अन्य भारतीय अपने स्वंय के भारी जोखिम पर विदेशों में कार्य कर रहे हैं और हमारे देश को धन भेज रहे हैं। प्रति वर्ष 3000 करोड़ रुपया भेजा जा रहा है और हमें इसका लाभ मिल रहा है। निर्यात की अपेक्षा हमारा आयात अधिक है। गत वर्ष, हमने 6000 करोड़ रुपये का माल निर्यात किया था जो उससे कम था जो हमने आयात किया था। यही कारण है कि व्यापार अन्तर में अपस्फीति की प्रक्रिया स्वयं ही बनी रहती है। इसका श्रेय सरकार को नहीं है। सरकार ने कुछ नहीं किया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक स्थिरता के लिये, जिसकी मांग हम लोग बराबर करते आ रहे हैं, हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा 14 आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाना चाहिए। इसके लिये सरकार ने क्या किया? कुछ भी नहीं। इससे सरकार पर कितना खर्च आयेगा? आज इस में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च नहीं आयेगा। 1981 में, जब हमने यह प्रस्ताव रखा था, तब इससे सरकार पर 600 करोड़ रुपये का खर्च आया होगा। सरकार ने उसका भुगतान नहीं किया। 14 आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये सरकार राज सहायता देने के लिये तैयार नहीं हुई। किन्तु सरकार ने उन लोगों को राज सहायता दी है जो सार्वजनिक राजकोष से स्वयं को और अधिक धनी बना सकते है। यह सार्वजनिक राजकोष वह राशि है जिसकी 90 प्रतिशत राशि प्रत्यक्ष कराधन के रूप में निर्धन व्यक्तियों से वसूल की गई है; उसी राशि में से 3,000 करोड़ रुपया राज सहायता के रूप में उन व्यापारियों को और उन निर्यातकों को दिया गया जो निश्चित रूप से धनी व्यक्ति हैं और जो निश्चितरूप से सत्तारूढ़ दल के समर्थक है। भारतीय अर्थ व्यवस्था की यह स्थिति है और राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका उल्लेख नहीं हुआ है।

इसका श्रेय लेने का प्रयास किया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से विदेशी मुद्रा एस०डी० आर० राशि को छोड़ दिया गया है। मुझे मालूम नहीं कि सरकार ने उसे क्यों छोड़ दिया। इसके लिये उधार लेने का क्या प्रयोजन है? 500 मिलियन एस० डी० आर० ऋण, जो मेरे विचार से लगभग 5,000 करोड़ रुपये है, को प्राप्त करने के लिये पहले हमने स्वयं को अपमानजनक शर्तों में अतंर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को समर्पित किया। अब यह और भी अधिक होगा क्योंकि डॉलर का मूल्य बढ़ गया है। हमने जो कुछ किया है वह यह है कि हमें तेल प्राप्त हो गया है जिसके लिए

1981 में, हमने यह अपमानजनक समझौता किया था, जिसके बारे में हमें यह नहीं पता था कि ऐसा करते हुए हमने देश की उस सार्वभौमिकता को समर्पित कर दिया है जिसके आधार पर यह सरकार को यह निश्चित करने की शक्ति है कि सरकार की नीति क्या होनी चाहिये, श्रमिकों की समस्या का क्या समाधान होना चाहिए, सरकार क्या-क्या रियायतें देगी या नहीं देगी। किन्तु उस समझौते को पूरा करने के लिये, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 5 बिलियन एस० डी० आर० प्राप्त करने के लिये सब कुछ समर्पित करना पड़ा था। किन्तु अब हमें तेल प्राप्त हो गया है और मानसून भी अच्छा है, और हम उस स्थिति से मुक्त होने की स्थिति में है और जिन सदस्यों ने अभी विचार व्यक्त किये हैं, उसका श्रेय उनको जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति ने उस बारे में उल्लेख किया है। बहुत अच्छी बात है। हम लोग ऐसा करने की स्थिति में थे। किन्तु क्यों? उसके बारे में स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। मैं अभी यह स्पष्ट कर चुका हूं कि उसका कारण नैसर्गिक समृद्धि है, और इसका श्रेय सरकार को नहीं प्राप्त होता है।

हमारी कृषि की क्या स्थिति है? यहाँ कृषि के बारे में कहाँ उल्लेख किया गया है? इस देश में कृषि के लिये क्या किया गया है, जिसपर इस देश की 70 प्रतिशत जनता निर्भर है? सिंचाई की अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने के लिये क्या किया गया है? उसका उपयोग करने के लिये क्या किया गया? भूमि समान रूप से बंटवारे के लिये क्या किया गया है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के अनुसार, आज भी 60 लाख हेक्टेयर भूमि ऐसी है, जिसे भूमिस्वामियों से लेकर पुर्नवितरित किया जाना चाहिये। पूरे देश में 60 लाख हेक्टेयर भूमि है। केवल वाम-मोर्चे की सरकार वाले दो राज्यों पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा ने भूमि सुधार कार्यक्रम लागू किया है। हर व्यक्ति की दृष्टि उस पर लगी हुई है। योजना आयोग के प्रतिवेदन में भी उसका उल्लेख है। इसमें कोई विवाद नहीं है सरकार को भविष्य के लिये क्या करना चाहिये। उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि नई कृषि तकनीक तो लागू की जाये किन्तु वह इस प्रकार लागू न की जाये जिससे कि देश में असमानता और अधिक बढ़े जैसा कि पंजाब में हुआ है। इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। इस पूरे दस्तावेज में इसके बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया गया है।

मेरे विद्वान मित्र श्री भगत ने समाजवाद के प्रति वचनबद्धता के बारे में कहा है और यह कहा है कि हमारा देश समाजवाद की ओर अग्रसर होगा। किन्तु राष्ट्रपति के अभिभाषण में समाजवाद के बारे में क्या कहा गया है? समाजवाद की बात तो दूर की है, अधिक समानता के बारे में ही क्या कहा गया है? इस समाज की ओर अधिक समानता की ओर अग्रसर होना चाहिये। और इस दस्तावेज में यह कहाँ कहा गया है कि सरकार का संकल्प और वचनबद्धता औद्योगिक और कृषि दोनों क्षेत्रों में समानता की ओर बढ़ने की है। उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। इस में उन चंद घटनाओं का उल्लेख है जो घट चुकी है और इसमें कुछ अवास्तविक व्याख्या की गयी है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को 30 मिनट का समय आवंटित किया गया है। उन्हें चाहिये कि यथाशीघ्र वह अपना भाषण समाप्त करने का प्रयत्न करें।

श्री अमल दत्त : आज के सरकारी काम के लिये केवल 10 मिनट का समय शेष है। आप वह 10 मिनट का समय मुझे दे दें।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करने की कोशिश करें।

श्री अमल दत्त : कुछ ग्रामीण विकास उपायों का उल्लेख किया गया है। जिस बात का उल्लेख किया गया है, वह यह है कि इतने परिवारों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गांरटी कार्यक्रम आदि के अन्तर्गत लाया गया है किन्तु इन परिवारों को क्या लाभ प्राप्त हुआ है ? क्या इन परिवारों को कोई लाभ भी पहुँचा है अथवा वह लाभ साहूकारों, ठेकेदारों और लोगों तथा सरकार के बीच के दलालों को हुआ है ? सरकार ने जो परियोजनायें आरम्भ की हैं, उनका कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है। उस रुपये के बारे में भी कुछ उल्लेख नहीं है। जो इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत आने वाले 145 लाख व्यक्तियों के लिये लाभ के लिए रखा गया है ।

मुझे भय है कि औद्योगिक क्षेत्र में जो रुग्णता व्याप्त है, उसका कोई उल्लेख नहीं है। हम लोगों को जो पश्चिम बंगाल से आये हैं, पता है कि उद्योगों में रुग्णता चल रही है। नये उद्योग खोलने तथा रोजगार के नये अवसर प्रदान करने के स्थान पर प्रतिदिन मौजूदा उद्योग बंद किये जा रहे हैं। समय पर तकनीक को अद्यतन न बनाने तथा निवेश न करने की सरकार की अपनी नीति का यह परिणाम है। सरकार ने उद्योगों का प्रबंध तो अपने हाथ में ले लिया है किन्तु उस पर एक भी पैसा व्यय नहीं किया जिससे कि मशीनों की अपेक्षित मरम्मत तो हो जाये। समूचे राष्ट्र के लिये यह एक चिंता का विषय है, क्योंकि सम्पूर्ण भारत में आज तक 500 बड़े कारखानें तथा 60,000 छोटे और मझोले कारखानें बंद पड़े है। विरोधी दल के अनेक सदस्यों को हो सकता है, इस बात की चिंता न हो, किन्तु हमें तो चिंता है। रुग्ण उद्योगों से संबंधित सरकारी नीति के बारे में कुछ न कुछ स्पष्ट होना चाहिए क्योंकि अब तक की घोषित नीति कें अनुसार सरकार रुग्ण उद्योगों को कोई सहायता नहीं देगी। यहाँ तक कि 31 जनवरी तक वे उद्योगों को बंद कर रहे हैं। मुझे आशा है कि वे यह देखने के लिए कि क्या उनका राष्ट्रीयकरण किया जाना संभव है अथवा नहीं, इसके लिए वे इसकी अवधि बढ़ाने वाले हैं। जो व्यक्ति पहले से ही लगे हैं। उनके रोजगार की रक्षा के लिये आप उनका राष्ट्रीयकरण अवश्य करें। आप इस बात का भी अवश्य ध्यान रखें कि जिन क्षेत्रों का उद्योगीकरण हो-चुका है, उन्हें धन की कमी के कारण, कोई नुक्सान न हो जिसे वह गत 10 या 20 वर्षों से उठाते रहे हैं ।

वस्त्र उद्योग के लिये कुछ आँसू बहाये गये हैं। यह बहुत अच्छी बात है कि सरकार को वस्त्र उद्योग की चिंता है। किन्तु सरकार की ओर से मुझे यह बताया गया है कि पटसन उद्योग को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। ऐसे पटसन उद्योग भी हैं जो बंद हो चुके है। और रुग्ण है तथा दो अथवा तीन चार वर्ष से राष्ट्रीयकरण किये जाने की प्रतीक्षा में हैं। किन्तु सरकार ने उनका राष्ट्रीयकरण करने से इन्कार कर दिया है। यहाँ तक कि यदि राज्य सरकार उनका राष्ट्रीयकरण करना चाहती है, तो भी सरकार उनके राष्ट्रीयकरण की मंजूरी नहीं दे रही है। वस्त्र उद्योग अर्थात सूती वस्त्र उद्योगों के लिये दिखावटी आँसू बहाये जा रहे हैं किन्तु उन सभी वस्त्र उद्योगों को शामिल नहीं किया गया है, जिन्हें शामिल किया जाना चाहिये था।

सरकार ने अपनी विदेशी नीति के बारे में राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से यह कहा है कि "सोवियत संघ तथा उन समाजवादी देशों के साथ हमारे मैत्री पूर्ण सम्बन्ध और सहयोग बढ़ते रहेंगे।" यह ठीक है कि गत समय में सोवियत संघ ने हमारी सहायता की है, सोवियत संघ ने बहुत ही बुरे दिनों में हमारा साथ दिया है। किन्तु पैरा 31 में कहा गया है :–

> "आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमरीका के साथ बढ़ते हुए सहयोग का हम स्वागत करते हैं।" सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता

क्या है ? इसलिये कि इससे पहले क्या हमें कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ था अथवा बढ़े हुए सहयोग के बारे में अचानक यह उत्कट इच्छा क्यों व्यक्त की गई है ? क्या आपको यह नहीं पता है कि अमरीका सारे संसार के साथ-साथ भारत के साथ क्या भूमिका निभा रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिये यह प्रस्ताव पेश करने वाले जो प्रो० रंगा ने कहा है कि हिन्द महासागर अब शांति का क्षेत्र नहीं रहा है और इससे वह चिंतित हैं। हिन्द महासागर के शांति क्षेत्र न बने रहने के पीछे क्या कारण है ? क्या वह संयुक्त राज्य अमरीका नहीं है। हिन्द महासागर में सैनिक गतिविधि के लिये उत्तरदायी संयुक्त राज्य अमरीका का नाम लेने का साहस भारत सरकार में क्यों नहीं है ? हमने सुना है कि विदेशी ताकतें इस देश में अस्थिरता की स्थिति पैदा करने में प्रयत्नशील हैं। इस सदन में नहीं अपितु इस सदन से बाहर भी अनेक बार यह बात कही गई है कि असम और पंजाब के, मामले में विदेशी ताकतें सक्रिय हैं। उन विदेशी ताकतों का क्या हुआ ? सरकार ने उसका उल्लेख यहाँ नहीं किया है भारत सरकार को चाहिये कि वे उन ताकतों का उल्लेख करें। इसका उल्लेख करने का यही उपयुक्त अवसर था जब कि इन विदेशी ताकतों द्वारा विघटनकारी तरीके अपनाये जाने के कारण राष्ट्रीय दुखांत घटना घटित हुई। इस दुखांत राष्ट्रीय घटना के कारण सत्तारूढ़ दल को अप्रत्याशित बहुमत प्राप्त हुआ है और इसीलिये एक सशक्त और स्थिर सरकार गठित हुई है। इस सशक्त और स्थिर सरकार की इस बात का उल्लेख करने का साहस होना चाहिये कि वे विदेशी शक्तियां कौन सी है जिसने हमारे देश में अस्थिरता की स्थिति पैदा करने की चेष्टा की और वह कौन सी शक्तियां हैं जो हिन्द महासागर को शांति का क्षेत्र बनाये रखने की अपेक्षा सैनिक गतिविधियों का अड्डा बना रहे हैं ? इस सशक्त और स्थिर सरकार में इस साहस की कमी है। सोवियत्त संघ के साथ संबंध बढ़ते रहेंगे। किन्तु तेजी के साथ क्या बढ़ेगा ? जो दूरदर्शी हैं उनके लिये स्पष्ट संकेत है कि हमारा देश एक नया रास्ता अपना रहा है, और वह नया रास्ता साम्राज्यवादियों के साथ मेल मिलाप रखने का है। सत्तारूढ़ दल के मेरे मित्रों ने जिस रास्ते की माँग की है, वह यही रास्ता है।

किसी राष्ट्र के इतिहास में स्वतंत्रता के बाद का 35 वर्ष का समय कोई बहुत लम्बा समय नहीं होता है। किन्तु देश में अपेक्षित विकास भी नहीं हुआ है। मैं यह नहीं कह रहा कि विकास बिल्कुल ही नहीं हुआ है मैं केवल यह कह रहा हूं कि अपेक्षित विकास नहीं हुआ है, राष्ट्र में अपेक्षित मधुर संबंध और अंखडता का भाव पैदा नहीं हुआ है। अत: देश को इस बात से सावधान रहने की आवश्यकता है कि जो लोग दूसरे देशों की निर्धनता का, असमानता का, एकता की कमी का भार उठाकर देश में अस्थिरता की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, उन्हें देश को विघटित न करने दिया जाए। मुझे डर है कि इस प्रकार की सतर्कता नहीं है। यह आवश्यक है कि हम सभी लोग सचेत रहें। इस ओर के हम लोग सचेत हैं किन्तु हम चाहते हैं कि आप लोग भी सचेत रहें तथा जनता को भी सचेत करें। ऐसा इस देश में कभी नहीं किया गया है। हम लोगों के सामने श्रीमती इन्दिरा गांधी का उदाहरण मौजूद है। विश्व शांति के लिये परमाणु अस्त्रों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए और परमाणु अस्त्र न बनाये जाने के लिये उन्होने विश्व का नेतृत्व किया। किन्तु क्या भारतीय जनता को परमाणु युद्ध के भय के बारे में तथा हिन्द महासागर में जो कुछ हो रहा है, उसके बारे में सचेत किया गया है ? इस विशेष इच्छा के प्रति भारतीय जनता को साझीदार नहीं बनाया गया, उन्हें सैनिक गतिविधि के बारे में नहीं बताया गया। भारतीय जनता को आज तक इस बात का पता नहीं है कि खतरा कहाँ से है। ये सब बातें जनता को बताई जानी चाहिये थी। अब भी समय है। इसीलिये सत्तारूढ़ दल की ओर बैठे अपने उन मित्रों को मैं यह चेतावनी दे रहा हूं कि सारी बातें वे लोग अपनी

पकड़ से, अपने दल की पकड़ से और अपनी सरकार की पकड़ से न निकल जाने दें। साम्राज्यवाद को रोकने, हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाने और विश्व के उन देशों में, जो विश्व शांति चाहते हैं, परमाणु शांति बनाये रखने के लिये इन आन्दोलनों में भारत की समस्त जनता को सांझीदार बनायें। यह कोई ऐसी बात नहीं है कि विश्व के कुछ नेताओं को आमन्त्रित करके विश्व के चित्रपट पर प्रदर्शित किया जाये। मेरे विचार से देश की गली-गली में, गाँव-गाँव में और सभी क्षेत्रों में यही सब किया जाना चाहिये और इस आन्दोलन में सभी भारतीयों को भागीदार बनाया जाये।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात्

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में ऐसी किसी योजना का कोई उल्लेख नहीं है जिसमें इस बात का सुझाव हो कि संघ राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकारों को उनके विकास को ध्यान में रखते हुए, राजस्व में उन्हें न्यायोचित अधिकार दिया जाये।" (1)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि संविधान में काम के अधिकार को मूल अधिकार बनाया जायेगा और न ही इस बात का कोई संकेत है कि बेरोजगारों को जब तक उचित रोजगार नहीं मिल जाता, निर्धारित अवधि के लिए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा।" (2)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं के तेजी से बढ़ते हुए मूल्यों के परिणामस्वरूप आम जनता को होने वाली अत्यधिक कठिनाइयों को दूर करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (3)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में रुपये के गिरते हुए मूल्य के कारण पेंशनभोगियों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उनको राहत देने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (4)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखत **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बढ़ती बेरोजगारी को रोकने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (5)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्पादन लागत के अनुपात में किसानों को उनके कृषि उत्पादों का मूल्य देने की गारंटी देने की किसी योजना के बनाये जाने और मजदूरों को आवासीय और चिकित्सा सुविधायें तथा उचित मजदूरी दिए जाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (6)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए,** अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में श्रीमती गांधी की हत्या के बाद दिल्ली और देश के अन्य भागों में हुए हिंसक दंगों जिनके परिणामस्वरूप प्रभावित लोगों के बीच असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है, कि जांच कराने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में किसी न्यायाधिकरण की नियुक्ति करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (7)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए,** अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हाल के लोकसभा चुनावों के दौरान विपक्षी दलों के नेताओं पर समाज विरोधी तत्वों द्वारा किए गए हमलों और उन्हें जमानत पर छोड़े जाने तथा राजनीति में इस प्रकार के बढ़ते हुए आतंकवाद को रोकने के लिए कारगर कदम उठाए जाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (8)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए,** अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आकाशवाणी और दूरदर्शन के दुरूपयोग को विशेष रूप से चुनाव के दौरान रोकने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (9)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए,** अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में न तो बिक्री कर के कारण आम जनता को होने वाली कठिनाइयों का और न ही एक निश्चित अवधि के भीतर बिक्री कर को समाप्त करने के बारे में किसी आश्वासन का उल्लेख है।" (10)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए,** अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गत पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान प्रति वर्ष गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या में हो रही वृद्धि के तथ्यों का कोई उल्लेख नहीं है।" (11)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए,** अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में माल और यात्री यातायात के संबंध में गत 25 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा रेलों में लगी हुई पूंजी के अनुपात में रेल राजस्व में वृद्धि न होने के तथ्य की बात का कोई उल्लेख नहीं है।" (12)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए,** अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में, चुनावों में बढ़ती हुई धनशक्ति के कुप्रभावों तथा चुनाव अभियान के नाम पर दलों द्वारा असीमित धन का उपयोग किये जाने पर रोक लगाने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (13)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए** अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में न तो हमारी वर्तमान चुनाव प्रक्रिया के दोषों का और न ही उन दोषों को दूर करने की किसी ऐसी कार्यवाही का संकेत दिया गया है, क्योंकि संसद अथवा राज्य विधान मण्डलों में राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त मतों तथा जीते गए स्थानों की संख्या के बीच कोई सीधा संबंध न होने के कारण विधानसभाओं में जनमत का समूचित प्रतिनिधित्व नहीं होता है।" (14)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार की खेल नीति के निराशाजनक परिणामों पर चिन्ता व्यक्त करने का कोई उल्लेख नहीं है ।" (15)

[अनुवाद]

श्री आनन्द पाठक (दार्जिलिंग) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दार्जिलिंग पहाड़ी सहित देश के कई अन्य पहाड़ी इलाकों में ऊपरी परत के कटाव को रोकने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (16)"

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नेपाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (17)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले के तीन पहाड़ी उप-मण्डलों में नेपाली बोलने वाले लोगों को क्षेत्रीय स्वायत्तता प्रदान करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (18)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दार्जिलिंग जिले के पहाड़ी क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए अधिक केन्द्रीय सहायता देने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (19)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में, दार्जिलिंग जिले में जो दुनिया के सुन्दरतम पर्यटन क्षेत्रों में से एक है, पर्यटन का विकास करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (20)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में चाय उत्पादक सभी राज्यों के बन्द पड़े हुए और रुग्ण चाय बागानों को सरकार द्वारा अपने हाथ में लिए जाने में असफल रहने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (21)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम बंगाल के छोटे चाय उत्पादकों को उत्पादन शुल्क में छूट देने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (22)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दार्जिलिंग जिले में विदेशी पर्यटकों पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (23)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए,** अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दार्जिलिंग में एक सैनिक स्कूल स्थापित करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (24)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए,** अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मजदूर वर्ग के हित में श्रमिक कानूनों, पंचाटों और त्रिपक्षीय समझौतों को लागू करने के बारे में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (25)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए,** अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मजदूरों के हित में भविष्य निधि अधिनियम के उपबन्धों और उनके अधीन बनाई गई योजनाओं की पूर्ण क्रियान्विति सुनिश्चित करने में सरकार की असफलता के बारे में उल्लेख नहीं है।" (26)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए,** अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सिक्किम विधान सभा में सीटों के आरक्षण की समस्या को हल करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (27)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए,** अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सिलीगुड़ी में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (28)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए,** अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कुरसियोंग के आकाशवाणी केन्द्र का विस्तार तथा विकास करने में सरकार की विफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (29)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए,** अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में न्यूजलपैगुड़ी से नई दिल्ली तक एक सीधी रेलगाड़ी आरम्भ करने में सरकार की विफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (30)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए,** अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में न्यूजलपैगुड़ी से कलकत्ता तक सुपर फास्ट रेलगाड़ी आरम्भ करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (31)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए,** अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि सरकार बंगला देश के साथ लगी हुई सीमा से घुसपैठ रोकने और इस्लामपुर, छपरा जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों तथा पश्चिम बंगाल के पश्चिम दिनाजपुर जिले के लोगों को सीमा पार से आने वाले समाजविरोधी तत्वों के अत्याचारों तथा उनके द्वारा लूटपाट से बचाने में असफल रही है।" (32)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में दार्जिलिंग के पिछड़े हुए जिलों में बहुत से लघु उद्योग लगाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (33)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम बंगाल में पश्चिम दिनाजपुर जिले के इस्लामापुर तथा छपरा क्षेत्रों में चर्म, पटसन और चीनी उद्योग लगाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (34)

श्री सी. माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आन्ध्र प्रदेश के अनेक भागों में गम्भीर सूखे की स्थिति का और राज्य में चलाये जा रहे राहत कार्यों की पूर्ति के लिये राज्य को काफी अधिक वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (36)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में, आन्ध्र प्रदेश में तेलगू गंगा नहरों को आरक्षित वनों से होते हुए निकलने की मंजूरी देने में असफल रहने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (37)

श्री के. रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दूपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में सूखे से लगातार प्रभावित रहने वाले क्षेत्रों में एक दीर्घकालिक अकाल उन्मूलन कार्यक्रम की व्यवस्था करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (40)

श्री वेंकीनेनी नारायण स्वामी (अनन्तपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आन्ध्र प्रदेश के 190 तालुकों में विशेष रूप से रायलसीमा जिले में अभूतपूर्व सूखे के कारण ग्रामीण श्रमिकों के लिए राहत उपायों की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (42)

डा. सरदीश राय (बोलपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि सरकार कोयला खानों में दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कारगर कदम उठाने में असफल रही है।" (50)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अधिनियम बनाने हेतु श्रम सम्बन्धी किसी विधेयक को लाने से पूर्व सभी केन्द्रीय श्रमिक संघों और स्थायी श्रमिक समितियों से परामर्श करने में सरकार की असफलता का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (51)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को ऋण दिये जाने के संबंध में समान नीति बनाने में सरकार की असफलता का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।" (52)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि सीमांत किसानों और बटाई पर काम करने वाले किसानों को दिये जाने वाले ऋणों पर ब्याज की दर कम करने में सरकार की असफलता का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।" (53)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि इस्पात और सीमेंट के मूल्य को कम करने में सरकार की असफलता का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।" (54)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि देश के हथकरघा बुनकरों को संरक्षण प्रदान करन में सरकार की असफलता का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।" (55)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि विभिन्न राज्यों में सिंचाई प्रयोजनों के लिये नदी जल के समान वितरण के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।" (56)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि बढ़ती हुई साम्प्रदायिक और जातीय भावनाओं से देश की अखण्डता को खतरे और उन से निपटने के लिये उठाये गये कदमों के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।" (57)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानून को क्रियान्वित करने में सरकार की असफलता के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।" (58)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि कृषि वस्तुओं और औद्योगिक उत्पादों के मूल्यों में भारी असमानता को समाप्त करने में सरकार की असफलता के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है"। (59)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि कृषि कर्मकारों के लिये कोई केन्द्रीय कानून बनाने की आवश्यकता के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।" (60)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि भूमिहीन निर्धनों को मकान के लिए स्थल देने और मकानों का निर्माण करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।" (61)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के संबंध में सरकार की स्पष्ट और सुदृढ़ नीति के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।" (62)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि जनता के स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर रहे , पेय जल स्रोतों के व्यापक प्रदूषण के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।" (63)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि सुन्दरवन को पिछड़ा क्षत्र घोषित करने के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।" (64)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में यह दावा करने की लम्बे समय से चली आ रही प्रवृत्ति के बारे में कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन ; पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के पास विभिन्न सरकारी विभागों और उपक्रमों में निर्धारित कोटे को भरने के लिए, कुछेक निम्न श्रेणी की सेवाओं को छोड़ कर, न्यूनतम कुशलता अथवा क्षमता नहीं होती है, अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।" (65)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की भर्ती में पिछले बकाया रिक्त स्थानों को भरने के लिए सरकारी विभागों और उपक्रमों को परिपत्र जारी करने की आवश्यकता के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।" (66)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण आदेश का जानबूझ कर उल्लंघन करने के लिए दण्ड देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।"(67)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम बंगाल राज्य के भीतर दार्जिलिंग जिले के तीन पर्वतीय उप-मंडलों में नेपाली बोलने वाले लोगों को क्षेत्रीय स्वायत्तता प्रदान करने की आवश्यकता के बार में कोई उल्लेख नहीं है ।" (68)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दार्जिलिंग जिला में पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए अधिक केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता के बा े में कोई उल्लेख नहीं है ।" (69)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दार्जिलिंग जिला में, जो कि विश्व में सर्वाधिक रमणीक पर्यटन केन्द्रों में से एक है, पर्यटन का विकास करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (70)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में चाय प्रधान दार्जिलिंग जिला में चाय उद्योग को पुनर्जीवित करने और जीर्णोद्धार के लिए ठोस उपाय करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (71)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में चाय उगाने वाले सभी राज्यों में बन्द पड़े तथा रुग्ण चाय बागानों का अधिग्रहण करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(72)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम बंगाल में लघु चाय उत्पादकों को उत्पाद शुल्क में छूट देने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (73)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश भर में कृषि श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी देने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (74)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि श्रमिकों, विधवाओं और अपंग व्यक्तियों को पेंशन देने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (75)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश भर में कृषि तथा अन्य सरकारी ऋणों तथा सहकारी समितियों के ऋणों पर ब्याज के भुगतान के लिए निर्धनों और सीमांत कृषकों, वर्गदारों तथा कृषि श्रमिकों को छूट देने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (76)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सार्वजनिक जीवन में गिरते हुए नैतिक मानदण्डों पर रोक लगाने में असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (77)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अमीरों द्वारा उपभोग पर प्रतिबंध लगाने में असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (78)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण निर्धनों की दशाओं और छोटे कृषकों तथा कृषि श्रमिकों की कठिनाइयों की ओर पर्याप्त ध्यान देने में असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (79)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सभी के लिए तीव्र गति के पेयजल तथा ग्रामीण स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था के कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (80)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर प्रदेश तथा बिहार में ऊंची जातियों के धनी व्यक्तियों द्वारा हरिजनों की व्यवस्थित रूप में हुई हत्याओं का कोई उल्लेख नहीं है।" (81)

कि प्रस्ताव क अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बलात्कार, दहेज सम्बन्धी मृत्यु तथा हरिजनों और जनता के अन्य कमजोर वर्गों पर अत्याचारों सम्बन्धी कानूनों, श्रम कानूनों तथा जमाखोरों और मुनाफाखोरों सम्बन्धी कानूनों में दोषों को दूर करने में सरकार की असमर्थता का कोई उल्लेख नहीं है।" (82)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि प्रशासन में चारों ओर भ्रष्टाचार व्याप्त है और अकुशल प्रबन्ध, नौकर शाही रवैये और भ्रष्टाचार के कारण उद्योगों की प्रगति रुक जाती है।" (83)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राज्य सरकारों की शक्तियों में की गई कमी का कोई उल्लेख नहीं है।" (84)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गैर-कांग्रेस (इ) सरकारों वाले राज्यों को निधियों के वितरण के मामले में भेद-भावपूर्ण रवैये का कोई उल्लेख नहीं है।" (85)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आसूचना अभिकरणों द्वारा निर्दोष नागरिकों के टेलीफोन सुनकर तथा उनके पत्रों इत्यादि को सैंसर करके उन पर रखी जा रही निगरानी की भर्त्सना नहीं की गई है।" (86)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में केन्द्रीय सेवाओं के बारे में पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा के लोगों के प्रति सरकार के भेदभावपूर्ण रवैये की भर्त्सना नहीं की गई है।" (87)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दिसम्बर, 1984 में हुए समान्य चुनावों में आकाशवाणी और दूरदर्शन जैसे सरकारी साधनों के किये गये खुलमखुला दुरुपयोग का उल्लेख नहीं किया गया है ।" (88)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की बढ़ती हुई कर्जदारी का उल्लेख नहीं है ।" (89)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि विकास का लाभ जनता के एक बड़े वर्ग तक नहीं पहुंच रहा है ।" (90)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में व्यापक निरक्षरता के उन्मूलन के लिए कोई नीति बानने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है ।" (91)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के शिक्षा संस्थानों के गैर-लोकतांत्रिक प्रबन्ध और शिक्षा संस्थानों के गैर लोकतांत्रिक निजि प्रबन्ध को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का कोई उल्लेख नहीं है ।" (92)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विश्वविद्यालय कृत्यों के लोकतंत्रीकरण की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (93)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में शिक्षा के क्षेत्र में सभी ज्ञान-विरोधी साम्प्रदायिक और गैर-लोकतांत्रिक विचारों का सामना करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है ।" (94)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नेपाली, मैथली, मैनपुरी और डोगरी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है ।" (95)

कि प्रस्ताव के अन्त मे निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त चिकित्सा और शिक्षा सुविधाओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (96)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण मे पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा को खाद्यान्नों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा उनके साथ किये गये भेदभाव को नोट नहीं किया गया है ।" (97)

85-M/S 182 LSS—11

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बाढ़ की तबाही की पुनरावृत्ति को रोकने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है ।" (98)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सूखा, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक विपदाओं से प्रभावित राज्यों को पर्याप्त वित्तीय सहायता दिये जाने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है ।" (99)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में रेल-यात्रा में बढ़ती हुई सुरक्षा समस्या का कोई उल्लेख नहीं है ।" (100)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में रेल दुर्घटनाओं और रेलगाड़ियों के पटरी से उतर जाने की घटनाओं में वृद्धि का कोई उल्लेख नहीं है ।" (101)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र अभी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं ।" (102)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में व्याप्त बंधुआ श्रमिक प्रणाली के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (103)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में विद्यमान बाल श्रमिक प्रणाली के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (104)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये उन शरणार्थियों को जो अब देश के विभिन्न भागों में पुनर्वासित हो गये हैं, भूमि सम्पत्ति अधिकारों को देने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (105)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम बंगाल में भारत इलैक्ट्रानिक्स लि. की प्रस्तावित एककों में से एक एकक स्थापित करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (106)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में एक राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी नीति बनाने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (107)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अमरीका की बहुत बड़े पैमाने पर सैन्यीकरण करने की नीति के फलस्वरूप विश्व की शांति और सुरक्षा को उत्पन्न हो रहे खतरे के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (108)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ अविकसित देशों में स्वतंत्र रूप में कार्य करने पर दबाव डाल रही हैं, जिससे पुराने उपनिवेश-वाद को जो हानि हुई है, उसे नव-उपनिवेशवाद फिर से प्राप्त कर सके ।" (109)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में समाजवादी देशों द्वारा भारत को दी जाने वाली वास्तविक सहायता का कोई उल्लेख नहीं है ।" (110)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हिन्द महासागर में दियगों गार्शिया में अमरीकी नौसैनिक अड्डे, जो कि तटवर्ती राष्ट्रों की सुरक्षा के लिए निरन्तर खतरा बना हुआ है, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (111)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में तेजी से बिगड़ती हुई अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और साम्राज्यवादी राष्ट्रों द्वारा हथियार इकट्ठे करने की नीति अपनाये जाने, यूरोप में नये और शक्तिशाली अणु प्रक्षेपणास्त्र लगाने, दियगों गार्शिया जैसे विद्यमान आणविक अड्डों का विस्तार करके खाड़ी क्षेत्र और हिन्द महासागर में अपना नियंत्रण स्थापित करने और नये अड्डे स्थापित करने के कारण पैदा हुए युद्ध के खतरे के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (112)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा पाकिस्तान को घातक हथियारों से लैस करने और देश की सुरक्षा को इससे उत्पन्न होने वाले खतरे के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (113)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अफगानिस्तान के आंतरिक मामले में अमरीका तथा पाकि-स्तान द्वारा हस्तक्षेप जारी रखने तथा आक्रामक गतिविधियों का कोई उल्लेख नहीं है ।" (114)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अमरीका की युद्ध संबंधी घोषणाओं और उसके परिणाम-स्वरूप विश्व की शांति तथा सुरक्षा को होने वाले खतरे का कोई उल्लेख नहीं है ।" (115)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की समस्त विदेशी परिसम्पत्तियों के राष्ट्रीयकरण में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (116)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के एकाधिकारी संस्थानों के राष्ट्रीयकरण में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (117)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण जनता के और निर्धन होते जानें का कोई उल्लेख नहीं है।" (118)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत में आवश्यकता पर आधारित वेतन नीति का कोई उल्लेख नहीं है।" (119)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में खेतिहरों तथा कृषि मजदूरों के हित में मौलिक भूमि सुधार करने का कोई उल्लेख नहीं है" (120)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में एकाधिकारिक तथा विदेशी बहुराष्ट्रीक कम्पनियों की गतिविधियों को रोकने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (121)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में एकाधिकारिक तथा बहुराष्ट्रीक कम्पनियों को सरकार द्वारा और छूट दिये जाने के तथ्य का कोई उल्लेख नहीं है।" (122)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति क कारण मुद्रास्फीति की दर तथा जनता के उपयोग की आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में होने वाली दिनों दिन अत्यधिक वृद्धि का कोई उल्लेख नहीं है।" (123)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में करों में वृद्धि तथा श्रमिकों, कर्मचारियों के वेतन में कटौती के द्वारा जनता के जीवत स्तर में आने वाली गिरावट का कोई उल्लेख नहीं है।" (124)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में ठेके पर मजदूर रखनें की प्रणाली को समाप्त करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (125)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कामकाजी महिलाओं को समान वेतन तथा सुविधाएं सुनिश्चित करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (126)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की अधिकांश जनसंख्या को प्रतिव्यक्ति न्यूनतम आय तथा अनेक आवश्यक वस्तुओं की प्रतिव्यक्ति न्यूनतम उपलब्धता के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (127)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आयोजना के प्रारंभिक वर्षों में जागृत हुई लोगों की आशाओं को पूरा करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (128)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में समृद्ध लोगों द्वारा अनावश्यक उपभोग तथा अधिकांश साधारण व्यक्तियों के दयनीय जीवन स्तर का कोई उल्लेख नहीं है।" (129)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी का कोई उल्लेख नही है।" (130)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित **जोड़ा जाए** अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में अर्ध रोजगार की बढ़ती हुई प्रवृत्ति का कोई उल्लेख नहीं है।" (131)

कि प्रस्ताव में अंत में निम्नलिखित **जोड़ा जाए** अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में काम के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने हेतु संविधान में संशोधन करने में सरकार की असमर्थता का कोई उल्लेख नहीं है।" (132)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित **जोड़ा जाए** अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में महिलाओं पर बढ़ते हुए अत्याचारों का कोई उल्लेख नहीं है।" (133)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में हरिजनों, अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों पर बढ़ते हुए अत्याचारों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (134)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए** अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जनजातीय क्षेत्रों में गैर-जनजातीय लोगों द्वारा जनजातीय लोगों का दमन किए जाने के बारे में कोई उल्लख नहीं है।" (135)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में दहेज और दहेज के कारण होने वाली मौतों की बढ़ती हुई विभीषिका के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (136)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण पुलिस कर्मियों और कानून को लागू करने वाली अन्य शक्तियों द्वारा किए जाने वाले बलात्कार की बढ़ती हुई घटनाओं की निन्दा करने में असमर्थ रहा है।" (137)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आठवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार विभिन्न राज्यों को वर्ष 1984–85 के लिये धन देने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (138)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिमी बंगाल में हाल्दिया में पैट्रो-कैमिकल काम्पलेक्स, जिसकी पश्चिमी बंगाल के लोग लम्बे समय से मांग करते आ रहे हैं, की स्थापना की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (139)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिमी बंगाल में एक पोत मरम्मत कारखाना स्थापित करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (140)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिमी बंगाल में एक पोत निर्माण काम्पलेक्स स्थापित करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (141)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिमी बंगाल में एक इलेक्ट्रोनिक यूनिट की स्थापना करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (142)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दुर्गापुर स्टील प्लाण्ट, एलॉय स्टील प्लाण्ट, दुर्गापुर और आई. आई. एस. सी. ओ., बर्नपुर एण्ड कुल्टी वर्क्स के विस्तार और आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (143)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिमी बंगाल सरकार का राज्य में नये विद्युत एककों की स्थापना करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिये केन्द्रीय सरकार की ओर से विलम्ब होने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (144)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिमी बंगाल में इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मस्यूटिकल्स लिमिटेड की यूनिट स्थापित करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (145)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिमी बंगाल में बन्द पड़ी हुए औद्योगिक इकाइयों का राष्ट्रीयकरण करके उन्हें फिर से खोलने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (146)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि बेरोजगार व्यक्तियों को तब तक बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा जब तक उन्हें रोजगार नहीं मिल जाता है।" (147)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बारे में उल्लेख नहीं है कि राज्यपाल के पद को समाप्त किया जाये और संघ तथा राज्यों के बीच संचार के माध्यमों को बनाये रखने के लिए वैकल्पिक संस्थागत व्यवस्था की जाये।" (148)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में शिक्षा विषय को पुनः राज्य सूची में शामिल करने का कोई उल्लेख नहीं है। (149)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि विश्वविद्यालयों के लिए विशेष अनुदान की आवश्यकता है जिसे राज्य वहन नहीं कर सकते हैं।" (150)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में (क) समवर्ती सूची और इसमें शामिल प्रत्येक मद को राज्य सूची में अन्तरण किये जाने; (ख) अनुच्छेद 248 को समाप्त करने और एक ऐसा स्पष्ट उपबन्ध करने, जिससे अधिशासी शक्तियां राज्यों में न कि संघ में निहित की जा सकें; (ग) अनुच्छेद 249, 252 और 254 का लोप करने अथवा उनमें संशोधन करने, ताकि किसी भी राज्य को उसकी पूर्व सहमति के बिना उसकी विधायी शक्तियों से वंचित न रखा जा सकें; (घ) अनुच्छेद 200 और 201 को वर्तमान रूप में समाप्त करके राज्य सूची से सम्बन्धित सभी मदों पर राज्य विधान मंडल द्वारा पारित सभी विधेयकों को अनुमति देना राज्यपाल के लिए बाध्यकर बनाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (151)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिाभषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि अनुच्छेद 247 से 254 तक में इस प्रकार संशोधन किया जायेगा कि राज्य सूची में शामिल मदों पर संघ सरकार को छः महीने से अधिक समय के लिए विधान बनाने का अधिकार नहीं होगा।" (152)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि राज्यों को आकाशवाणी और दूरदर्शन पर राज्य सरकारों का समानान्तर क्षेत्राधिकार होगा।" (153)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् ::—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में यह उल्लेख नहीं है कि आयोजन का ग्राम स्तर तक विकेन्द्रीय करण किया जायेगा।" (154)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 में उल्लिखित उद्देश्यों को पुनः परिभाषित करने और उद्योगों के समस्त आयोजन और लाइसेंस देने की जिम्मेदारी राज्यों की अन्तरित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (155)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में, पश्चिमी बंगाल में एक नाभिकीय संयंत्र स्थापित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (156)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नई दिल्ली तथा हावड़ा के बीच एक 'सुपर फास्ट ट्रेन' चलाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (157)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खद है कि अभिभाषण में आसनसोल, पश्चिमी बंगाल तक उप-नगरीय सुविधाओं का विस्तार के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (158)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आसनसोल तथा बर्दमान के बीच ई. एम. यू. डिब्बे जोड़ने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (159)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये अर्थात् :–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में रानीगंज से बंकुरा के बीच बरास्ता मेजिया एक नई रेलवे लाइन के निर्माण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (160)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बन्देल-कटवा रेलवे लाइन के विद्युतिकरण और बन्देल तथा कटवा के बीच दोहरी रेलवे लाइन के निर्माण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (161)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिमी बंगाल मे एक एच. एम. टी. यूनिट स्थापित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (162)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि योजना के प्रारम्भिक वर्षों में कई अनिवार्य वस्तुओं को उपलब्ध कराने के लिये सरकार द्वारा निर्धारित किये गये लक्ष्यों की तुलना में अनेक अनिवार्य वस्तुओं की प्रति व्यक्ति उपलब्धता बहुत कम ही है।" (163)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि पश्चिम बंगाल विधान सभा द्वारा बड़ी संख्या में पारित किये गये विधेयक राष्ट्रपति की सम्मति के लिये काफी समय से केन्द्रीय सरकार के पास पड़े हुए हैं।" (164)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राजधानी में अवैध रूप से शराब बेचने वालों की गति विधियों पर रोक लगाने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (165)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उन खान दुर्घटनाओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं है, जिनके परिणामस्वरूप सैंकड़ों खान मजदूरों की मृत्यु हो गई हैं।" (166)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में फालतू भूमि अर्जित करने तथा उसे भूमिहीन मजदूरों में बांटने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (167)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बढ़ती हुई रेल दुर्घटनाओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (168)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (169)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में संविधान के भाग-चार में दिये गये अनुच्छेद 38, 39 और 40 से 50 तक में उल्लिखित नीतिनिर्देशक सिद्धांतों को क्रियान्वित करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (170)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कार्मिक संघों को सामूहिक समझौते का अधिकार देने और अन्य कार्मिक संघ अधिकार देने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (171)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में श्रमिक वर्ग के वर्तमान त्रुटिपूर्ण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सुधार लाने के लिए उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीशों की एक समिति गठित करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (172)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार द्वारा अपने हाथ में ली गई औद्योगिक इकाइयों में व्याप्त कुप्रबंध और कुप्रशासन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (173)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में, 1984 में हुए लोक सभा के आम चुनावों के दौरान मुद्रा-शक्ति का अभूतपूर्व उपयोग किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (174)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित् **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अमरीकी साम्राज्यवाद द्वारा भारत में विघटनकारी ताकतों को प्रोत्साहित किये जाने तथा उनकी जघन्य गतिविधियों की सहायता करके भारत को अस्थिर बनाये जाने के उनके प्रयासों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (175)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उस अमरीकी साम्राज्यवाद के बारे में कोई उल्लेख नहीं है जो हमारे देश के चारों ओर सैनिक अड्डे स्थापित करके और लोकतंत्र के विरुद्ध कुछ देशों को आधुनिक हथियार देकर भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है।" (176)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश में लगी हुई विदेशी पूंजी का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (177)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में एकता और सद्भावना को नुकसान पहुंचाने वाले मूल कारणों तथा उन्हें समाप्त करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (178)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में स्कूली शिक्षा को अनिवार्य और व्यापक करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (179)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हानिकारक सामान का निर्माण करने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की स्पष्ट रूप से निन्दा किये जाने तथा उनके द्वारा सुरक्षा के नियमों की अवहेलना किये जाने जिसके कारण भोपाल में हाल ही में गैस दुर्घटना हुई, कोई उल्लेख नहीं है।" (180)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए** अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बहुराष्ट्रीय फर्मों द्वारा तीसरी दुनियां के देशों पर अनुपयोगी तकनीकी ज्ञान थोपने के दुष्ट कार्य का कोई उल्लेख नहीं है।" (181)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को बढ़ावा देने की सरकार की वर्तमान नीति को समाप्त किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (182)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भोपाल दुर्घटना के बाद देश में सभी खतरे की आशंका वाले कारखानों में सुरक्षा व्यवस्था की तुरन्त समीक्षा करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (183)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अमरीका, पश्चिमी जर्मन, ब्रिटेन आदि के रसायन युद्ध विशेषज्ञों के बड़ी संख्या में भोपाल आने के समाचार पर सरकार द्वारा गहरी चिन्ता व्यक्त करने का कोई उल्लेख नहीं है जबकि रासायनिक शस्त्रों की दौड़ में यह देश लगे हुए हैं और इस प्रकार के युद्ध में मिक गैस की क्षमता का अन्दाजा लगाने का उन्हें अवसर मिला है।" (184)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भोपाल दुर्घटना की जांच करने वाले आयोग द्वारा सार्वजनिक रूप से कार्यवाही करने में और उसके प्रतिवेदन को बिना विलम्ब के प्रकाशित करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (185)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भोपाल दुर्घटना के बुरे असर को दूर करने की दृष्टि से दीर्घकालीन उपाय करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (186)

श्री वड्डे सोभना दीश्वर राव (विजयवाड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषकों को लाभकारी मूल्य देने की आवश्यकता और कृषि उत्पाद और औद्योगिक उत्पादों (माल) तथा आदानों के मूल्यों के बीच समानता बनाये रखने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (187)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नागार्जुन सागर परियोजना के निकट परमाणु विद्युत संयंत्र का निर्माण करने, जो दक्षिणी राज्यों के लिए अत्यन्त उपयोगी होगा कि किन्हीं उपायों का उल्लेख नहीं है।" (188)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार द्वारा अब तक अपनाई गई नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता और कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने, लघु और कुटीर उद्योगों को दूसरी प्राथमिकता प्रदान करने और बड़े उद्योगों को तीसरी प्राथमिकता प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है जिससे कि आर्थिक असमानतायें दूर की जा सकें और रोजगार के अधिक अवसर प्रदान किये जा सकें।" (189)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उल्लेख नहीं है कि आज भी तीस करोड़ से अधिक लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं।" (190)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित अभिभाषण में **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में यह उल्लेख नहीं है कि आज भी 60 प्रतिशत से अधिक लोग निरक्षर है।" (191)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है कि गरीब लोगों को 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल मिलेगा जिससे कि वे दिन में कम से कम एक बार अपने परिवार को खाना खिला सके।" (192)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ऐसे कोई सुझाव नहीं दिये गये हैं जिससे गरीब लोगों को उनकी हैसियत के अनुसार सस्ती दर पर कपड़ा मिल सकें।" (193)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए,** अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में यह उल्लेख नहीं है कि केन्द्रीय सरकार की कुछ शक्तियों का विकेन्द्रीकरण करने की आवश्यकता है ताकि राज्य सरकारें राज्यों के विकास में बृहत्तर भूमिका अदा कर सकें।" (194)

श्री दत्ता सामन्त (बम्बई दक्षिण मध्य) मैं प्रस्ताव करता हूं :—

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के कपड़ा उद्योग की रुग्णता को दूर करने हेतु उचित समय पर उपयुक्त उपाय न करने और मिल मालिकों, जिन्होंने करोड़ों रुपयों का दुर्विनियोग किया है, जिसके फलस्वरूप लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं, के विरुद्ध उपयुक्त कठोर कदम उठाने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (247)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि छः विकास योजनाओं को कार्यान्विति तथा गरीबी दूर करनेहेतु भारी धन खर्च किये जाने के बावजूद थोड़ी ही गरीबी दूर हुई है और 50 प्रतिशत जनसंख्या अभी भी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है।" (248)

श्री भट्टम श्रीरामामूर्ति (विशाखापत्तनम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में दिवंगत प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के जीवन की रक्षा करने के लिए पर्याप्त उपचारात्मक उपाय करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है, जबकि उन्होंने एक से अधिक बार तथा विशेषकर उड़ीसा में अपने अन्तिम भाषण में अपने जीवन को खतरे की चेतावनी दी थी।" (255)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए**, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में 33 करोड़ लोगों के गरीबी की रेखा से नीचे रहने, बेरोजगारी की समस्या के बढ़ते जाने और मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि होने का कोई उल्लेख नहीं है।" (256)

3.31 म०प०

गरीबी समाप्त करने के लिए उपायों के बारे में संकल्प

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लेंगे। इससे पहले कि हम श्री मधु दण्डवते के संकल्प को लें हमें इस संकल्प के लिए समय नियत करना है। शुरू में हम इसके लिए दो घंटे का समय नियत करते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा जनता के विशाल वर्ग को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने में सरकार की असफलता पर चिन्ता व्यक्त करती है और मांग करती है कि देश से गरीबी समाप्त करने के लिये ठोस उपाय किये जायें।"

सभापति महोदया, भारत जैसे विकासशील देश में प्राथमिकताओं की समस्या अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हमारे जैसे देश की गांधी जी की इस भूमि की एशियाड, पांच सितारा होटल, विशाल पर्यटक केन्द्र अथवा रंगीन टेलीविज़न, मेट्रो रेल, इत्यादि जैसी अत्याधिक खर्चीली प्राथमिकना नहीं हो सकती। गरीबी उन्मूलन और ऐसी विकास परियोजनाएं जो इस प्रक्रिया में सहायक हों वे ही वास्तव में हमारी प्राथमिकता हो सकती हैं। हमें देश के पांच लाख गांवों की गरीबी और शहरों में रहने वाले गरीबों की गरीबी को दूर करना है और इस कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और इस दृष्टि से सभी नीतियों के पुनर्विन्यास की आवश्यकता है।

सभापति महोदया, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं यह कहूंगा कि भारत जैसे देश में विकास परियोजनाओं के परिणामस्वरूप ही अधिकाधिक लोग गरीबी की रेखा से नीचे जा रहे हैं। मेरे विचार में जो लोग गरीबी के स्तर से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं हम उन्हें अपने विकास के फलस्वरूप हुए अनाथ लोग कह सकते हैं। और देश में विकास के साथ-साथ ऐसे अनाथों की संख्या बढ़ती जा रही है। यही इस देश की त्रासदी है।

गरीबी की समूची समस्या का विश्लेषण करते हुए और इस बात का ध्यान रखते हुए कि किस प्रकार गरीबी की समस्या हल की जा रही है और इसे दूर करने के लिये किस प्रकार की परि-योजनाओं और नई विकास योजनाओं की आवश्यकता होगी। इन बातों पर चर्चा करने से पहले हम गरीबी की अवधारण जान ले। विभिन्न देशों में गरीबी की परिभाषा अलग-अलग दी गई है लेकिन जहां तक हमारे देश का संबंध है वर्तमान निर्वाचन आयोग ने भी गरीबी के स्तर की एक विशेष सीमा स्वीकार की है और इस चर्चा के दौरान मैं उसी को आधार बना रहा हूं।

योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे लोग जिन्हें दिन भर में 2400 कैलोरीज़ और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे लोग जिन्हें दिन भर में 2100 कैलोरीज़ प्राप्त नहीं होती उन्हें गरीबी के स्तर से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों की कोटि में रखा जा सकता है। यह पुरानी अवधारणा थी और वर्तमान योजना आयोग ने भी इस अवधारणा को स्वीकार किया है। यह तो कैलोरीज़ का पैमाना है। यदि आय के संदर्भ में देखा जाए तो यह स्तर 1979-80 के मूल्यों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में 76 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 88 रुपये प्रति माह है। यह गरीबी रैखा के समकक्ष की आय मानी गई है।

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : यह सीमा 65 और 75 रुपये है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं 'इक्नामिक एण्ड पोलिटकल' साप्ताहिक पत्रिका से आंकड़े उद्धृत कर रहा हूं और यह आंकड़े आपके योजना आयोग के भावी योजना प्रभाग के सलाहकार ने अपने हस्ताक्षर के अन्तर्गत दिये हैं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : छठे योजना दस्तावेज़ में ग्रामीण क्षेत्र के लिए यह आय सीमा 65 रुपये और शहरी क्षेत्र में 75 रुपये दिया गया है। मूल्यों का आधार वर्ष 1970-71 है।

प्रो. मधु दण्डवते : मैं आपके निष्कर्षों के आधार पर कह रहा हूं जिन्हें मैंने उन दस्तावेजों से लिया है जो कुछ लोगों द्वारा लिखे और हस्ताक्षरित लेखों पर आधारित है। यदि आप 1983 के मूल्यों के संदर्भ में देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में यह आय प्रति व्यक्ति प्रति माह 108 रुपये और शहरी क्षेत्र में 130 रुपये प्रति माह बैठती है। यह आकलन न्यूनतम खाद्य आवश्यकताओं और खद्येतर और कतिपय अन्य जरूरतों पर आधारित है। यदि आप इसे गरीबी की रेखा की परिभाषा मानें तो आपको पता चलेगा कि देश में गरीबी कितनी व्यापक है। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर भी गरीबी के आयाम का पता लगाया जा सकता है।

मैं बिना संदर्भ के नहीं बोलूंगा। जहां तक हो सकेगा मैं सभा के समक्ष प्रामाणिक जानकारी रखूंगा। मेरे पास अप्रैल 1984 की 'इक्नामिक एण्ड पोलिटिकल' साप्ताहिक पत्रिका है। उसमें योजना आयोग के भावी योजना प्रभाग के सलाहकार श्री एस०पी० गुहा का एक लेख है। मैं इन आंकड़ों को उद्धृत कर रहा हूं। गरीबी के स्तर से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की सही संख्या क्या है ? यह सही है कि इस संबंध में लगाए गए अनुमान भिन्न-भिन्न हैं, लेकिन मैं उन्हीं आंकड़ों को लूंगा जो श्री गुहा को स्वीकार्य हैं क्योंकि वह आपके योजना मंत्रालय के भावी योजना प्रभाग के परामर्शदाता हैं। अनुमान है कि 1961 में 24 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे का जीवन यापन कर रहे थे और 1978 में 30.9 करोड़ लोग गरीबी के स्तर से नीचे जीवन यापन कर रहे थे। इस संबंध में एक और भी अनुमान है। इस विषय में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं है लेकिन कुछ अनुसंधान वैज्ञानिकों ने इस संबंध में काम किया है। उनका अनुमान इस प्रकार है। 1978 में 37 करोड़ लोग गरीबी के स्तर से नीचे जीवन यापन कर रहे थे न कि 30.9 करोड़। अतः हमारे पास दो अनुमानित आंकड़े उपलब्ध हैं : 30.9 करोड़ और 37 करोड़। उसी लेखक ने ये आंकड़े दिए हैं। गरीबी के स्तर से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या में प्रति वर्ष 37 लाख की वृद्धि हुई है। लेकिन इसके साथ-साथ इसमें इस तथ्य को भी माना गया है कि सरकार द्वारा गरीबी दूर करने के लिये अपनाए गए विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप कुछ लोग जो पहले गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे उस रेखा से उपर उठे हैं। लेकिन साथ ही बेरोज़गारों की संख्या बढ़ जाने से अथवा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विशेष उत्पादक परिसम्पत्तियों के उपलब्ध न करा पाने के फलस्वरूप कुछ नए वर्ग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या में जुड़ गए हैं। यदि आप औसत संख्या लें तो यह अनुमान लगाया गया है कि प्रति वर्ष गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या में औसतन 37 लाख व्यक्तियों की वृद्धि हो जाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि देश में गरीबी के स्तर से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उनमें प्रति वर्ष 37 लाख लोग और जुड़ जाते हैं। इस हालत में निर्धनता का अनुपात क्या होगा ? निर्धनता का एक महत्वपूर्ण संकेतक वह अनुपात है जो देश की कुल जनसंख्या को गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या से विभाजित करने से हमें प्राप्त होती है। पूर्वानुमानों के आधार पर यह अनुपात 46.45 प्रतिशत बैठता है। यदि बाद के 37 करोड़ के अनुमान को सही

मान लें तो उस स्थिति में निर्धनता अनुपात 56.6 प्रतिशत आता है। इन तथ्यों से यही बात सामने आती है कि देश की 46.45 प्रतिशत जनसंख्या अथवा 56.6 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : लेकिन मध्यावधि मूल्यांकन के अनुसार यह केवल 42 प्रतिशत है। यह योजना आयोग के छठी योजना दस्तावेज़ के अनुसार है। पहले यह संख्या 50 प्रतिशत थी।

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : शायद इस तरह आंकड़े उद्धृत करना उन्हें अच्छा लगता है।

प्रो० मधु दण्डवते : जी हां, लेकिन आप उत्तर देते समय कुछ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठा सकते हैं। जो आंकड़े मंत्री महोदय ने दिये हैं अर्थात् 42 प्रतिशत वह भी जहां तक निर्धनता का संबंध है काफी खराब हैं। 2000 ईस्वी में तो 39 करोड़ 40 लाख लोग गरीबी की रेखा से नीचे होंगे, ऐसा अनुमान लगाया गया है और यह अत्यन्त भयंकर स्थिति होगी। निसंदेह भविष्य के संबंध में भी उन्हीं आंकड़ों का यांत्रिक रूप से अनुमान लगाना उचित नहीं है, फिर भी अर्थशास्त्र में हमेशा बाह्याकलन की पद्धति का उपयोग करके आंकड़ों का अनुमान लगाया जाता है। मैंने भी उसी पद्धति का उपयोग भविष्य के आंकड़ों को जानने के लिए किया है। यदि इसी रफ्तार से गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या में 37 लाख लोग प्रति वर्ष जुड़ते रहे तो 2000 ईस्वी तक हमारे देश में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या 39.4 करोड़ हो जाएगी। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि 2000 ईस्वी में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या सन् 1947 की जनसंख्या से अधिक हो जाएगी, जबकि हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। चाहे हम विपक्ष में हों या सत्ताधारी दल में तथ्य यह है कि 2000 ईस्वी में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग 39.40 करोड़ हो जाएंगे। यह एक भयावह स्थिति है और हमें इसका सामना करना है। आज सुबह श्री बीजू पटनायक, जो कि उड़ीसा के मुख्य मंत्री रह चुके हैं, मेरे निकट बैठे थे मैंने उनसे उड़ीसा के सम्बन्ध में, जो हमारे देश का अत्यन्त अविकसित क्षेत्र माना जाता है, कुछ जानकारी प्राप्त की, तो मुझे बताया गया कि 1961 में जब श्री बीजू पटनायक वहां के मुख्य मंत्री थे, उन्होंने उड़ीसा के मुख्य मंत्री के नाते सभा में कुछ आंकड़े प्रस्तुत किये थे। तब यह आंकड़े 35 प्रतिशत थे–अर्थात् 60 लाख लोग उड़ीसा में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे। और 1984 में यह आंकड़े 85 प्रतिशत हो गए। इसका अर्थ यह है कि उड़ीसा में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या 2.70 करोड़ है। मैं जानबूझ कर देश के एक अत्यन्त अविकसित क्षेत्र का उदाहरण दे रहा हूं जहां कि प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, जहां विकास गतिविधियों को भी सबसे कम प्राथमिकता दी जाती है और जहां आर्थिक गतिविधियों का क्षेत्र भी सबसे कम है। 1983 के राष्ट्रीय प्रतिदर्श संगठन के निष्कर्ष के बारे में आपके क्या विचार हैं। मैं राष्ट्रीय प्रतिदर्श संगठन की अद्यतन रिपोर्ट का जिक्र करूंगा। अद्यतन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 1983 में कराया गया। पर अर्थशास्त्रियों के बार-बार कहने के बावजूद अनुसंधान कर्त्ताओं और वैज्ञानिकों की निरतंर मांग के बावजूद आज तक राष्ट्रीय प्रतिदर्श संगठन के निष्कर्षों को जनता को उपलब्ध नहीं कराया गया है और मैं इस पर कड़ा रोष प्रकट करता हूं। मैं आशा करता हूं कि हमारे नए युवा प्रधानमंत्री सभी संबद्ध विभागों को निर्देश देंगे कि वह राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा 1983 में उपभोग व्यय के संबंध में कराए गए सर्वेक्षणों के निष्कर्षों को मंगाए जिससे कि हम उपलब्ध किए गए नए आंकड़ों के संदर्भ में इस विषय पर चर्चा कर सकें।

इन निष्कर्षों पर जिनमें गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों का मामला भी है सरकार चुप बैठी हुई है। नवीनतम आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। हम पिछले कुछ निष्कर्ष जो उपलब्ध हैं, ही ले रहे हैं। यदि हम पंचवर्षीय योजना में जो कुछ कहा गया है उस पर ही निर्भर करें तो हम पुराने आंकड़ों का ही सहारा लेंगे। मेरे मित्र मुझसे सहमत होंगे कि 1983 के नवीनतम आंकड़े इस सदन को उपलब्ध नहीं कराये गए हैं। हमें इन आंकड़ों को उपलब्ध कराने की स्थिति में ही संसद को गरीबी की नवीनतम तस्वीर का पता चलेगा।

1961 से 1978 तक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि केवल 1.4 प्रतिशत हुई है और इस विशेष अवधि में गरीबी के अनुपात में प्राय: परिवर्तन नहीं हुआ है, इसी कारण इस देश में गरीबी की समस्या इस प्रकार अति विशाल हो गई है। इससे पूर्व कि हम इन उपायों पर विचार करें तथा इन उपायों में सुधार करें, जो इस देश में गरीबी रोधी उपाय हैं, हम इस देश में इस गरीबी के कारणों पर विचार करने का प्रयास करें।

सर्वप्रमुख कारण भूमि और अन्य उत्पादक आस्तियां तथा दक्षताओं का असमान वितरण है। हम मोटे तौर पर भली-भांति अनुमान लगा सकते हैं कि ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत जनसंख्या भूमिहीन है और 8 प्रतिशत जनसंख्या बेरोजगार है। भारत में किसी भी समय देख लें कि लगभग 2 करोड़ 15 लाख व्यक्ति बेरोजगार पाये जाते हैं। कुछ व्यक्तियों को जिन्हें रोजगार मिल गया है, इस बीच बेरोजगार हो सकते हैं और कुछ व्यक्तियों को रोजगार मिल सकता है। यदि हम समग्र स्थिति पर विचार करें तो यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में किसी भी समय 2 करोड़ 15 लाख व्यक्ति बेरोजगार पाये जाते हैं। इससे भी गरीबी के विस्तार में वृद्धि हुई है।

इसके अतिरिक्त हमारी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कम है और इसलिये गरीब लोगों को लाभ नहीं पहुंच रहा है। भूमि की जोत छोटी है। बीज, पानी तथा उर्वरक जैसे आदानों की उपलब्धता भी नहीं है और यहां पर महोदय मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि इस चर्चा पर आप कुल समय लगभग दो घंटे देने जा रही हैं और स्पष्टरूप से मुझे जो समय लेना चाहिये वह कुल समय के अनुपात में हो। अत: मैं इस सदन का समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं अपितु मैं एक अत्यन्त रुचिकर प्रलेख का उल्लेख करता हूं।

मेरे पास वित्तीय प्रबंध और अनुसंधान संस्थान, मद्रास द्वारा तैयार किया गया 'एन एकोनामिक एसेस्मेंट ऑफ पावरटी इरेडीकेशन एण्ड रूरल अनएम्प्लायमेंट एलीवीएशन प्रोग्रामज एण्ड देयर प्रास्पेक्टस' है। यह सामाजिक तथा आर्थिक वैज्ञानिकों का एक विख्यात संगठन है। उनके पास कर्मचारियों के कई दल हैं और वे आर० एम० हनवार, वी० एम० गुमास्ते, के० सीताराम और काला रंगाचारी का सहयोग भी प्राप्त कर सके हैं। इन विख्यात व्यक्तियों की सहायता से वे प्रतिवेदन का संकलन कर सके हैं। उन्होंने विभिन्न चार्ट तथा आंकड़े दिये हैं जिनसे हमें पता चल सका है कि इस देश में विभिन्न आस्तियां वास्तव में अत्यन्त कम हैं। मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं अपितु केवल इन आंकड़ों का उल्लेख करूंगा। जहां तक इन चार्टों का संबंध है, उनसे यह संकेत देने का प्रयास किया गया है कि आस्तियों का वितरण कितना असमान है। आस्तियों तथा आय का वितरण अत्यन्त खराब है। उदाहरणार्थ इस प्रतिवेदन के पृष्ठ 3 में दिये गए चार्ट से संकेत मिलता है कि जहां तक स्थायी घरेलू आस्तियों का संबंध है, वे केवल 5 प्रतिशत हैं, पशुधन 6 प्रतिशत, उपकरण तथा मशीनरी 3 प्रतिशत, भूमि 66 प्रतिशत और मकान 20 प्रतिशत है। विभिन्न आस्तियों का यह वितरण है। जैसा मैंने आपको पहले बताया है, 25 प्रतिशत लोग भूमिहीन हैं।

अब मैं भारतीय गांवों की अन्य बातों का उल्लेख करूंगा। वर्ष 1981 में इस देश में 5.5 लाख गांवों में से लगभग 2 लाख गांवों में पेय जल के संतोषजनक अथवा निश्चित साधन उपलब्ध नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप पानी से उत्पन्न होने वाले रोग जैसे हैजा तथा गिनी कृमि होना सामान्य बात थी। योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा हाल ही में किये गए अध्ययन से पता चला है कि जहां इस प्रकार की सुविधायें उपलब्ध थीं, वहां भी अनुसूचित जातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों को इनसे अधिक लाभ नहीं हुआ। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है।

इस प्रतिवेदन में आगे कहा गया है कि इस चर्चा से यह स्पष्ट है कि भारतीय गांवों में गरीबी और पूर्ण अभाव का कष्ट व्यापक रूप से है। छठी पंचवर्षीय योजना के प्रलेखों के अनुसार, वर्ष 1979-80 में ग्रामीण भारत में हर दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति नितांत गरीब था।

क्योंकि मेरे मित्र माननीय मंत्री महोदय योजना प्रलेख के प्रति अत्यन्त अनुरक्त हैं, इसलिए मैं अब इस प्रलेख से उद्धृत कर रहा हूं। छठी पंचवर्षीय योजना प्रलेख के अनुसार 1979-80 में ग्रामीण भारत में प्रत्येक दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति नितांत गरीब था। इसका तात्पर्य यह है कि ग्रामीण भारत में 50 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे रह रही है। यह स्थिति है। प्रलेख तथा कार्यक्रम बहुत से हैं। और इनके परवर्ती परिणामों का इस विशेष प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है।

मैं इनका उल्लेख करके सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं। लेकिन इसका समाधान क्या है? इस देश में गरीबी दूर करने के लिये क्या किया जा रहा है? विद्यमान साधनों और सरकार द्वारा अपनाये गये विभिन्न उपायों में कमी क्या है? वृद्धि दर में 6 से 7 प्रतिशत तक की बढ़ौतरी अवश्य होनी चाहिये। मैं समग्र वृद्धि अर्थात् कृषि और औद्योगिक विकास का उल्लेख कर रहा हूं। जब तक हम इस देश में 6 से 7 प्रतिशत तक की समग्र वृद्धि सुनिश्चित नहीं करते तब तक इस देश में गरीबी उन्मूलन के कार्य की आवश्यकताओं को पूरा करना हमारे लिये संभव नहीं होगा। ऐसा होने पर ही हम भरोसा कर सकते हैं कि बेरोजगारी में कमी होगी। प्रासंगिक रूप से मैं उल्लेख करूंगा कि गत बीस वर्षों में वृद्धि दर लगभग 5 प्रतिशत है। तब भी यह समस्या पूरी तरह से हल नहीं हुई है। लेकिन वे काफी हद तक गरीबी दूर कर सके हैं। गत बीस वर्षों में इस देश में जनसंख्या की वृद्धि दर 2.2 प्रतिशत है। इसे कम से कम इसका आधा होना चाहिए। वास्तव में यदि हम जनसंख्या की शून्य वृद्धि दर प्राप्त कर सकें तो यह आदर्श समाधान होगा। लेकिन मुझे आशंका है कि इस देश में लोगों की क्षमताओं को जानते हुए शायद शून्य वृद्धि दर प्राप्त नहीं होगी। लेकिन कम से कम हमें इस दर को आधा तो करना ही चाहिये।

विभिन्न राज्य सरकारों की कार्य-सूची में प्रायः भूमि सुधार नहीं हैं। निस्संदेह कुछ राज्य सरकारों ने थोड़े से आमूल परिवर्तन किये हैं लेकिन अधिकांशतया भूमि की अधिकतम सीमा की समस्या है और भूमि सुधारों का प्रभावी कार्यान्वयन नहीं हो रहा है और इसके परिणमस्वरूप आपको पता चलेगा कि गरीबी उन्मूलन की समस्या अत्यन्त विकट हो गई है। शहरी क्षेत्रों में, जहां तक संगठित क्षेत्रों का संबंध है, यह प्रभावी ढंग से स्वयं को संगठित कर सका है और इसके फलस्वरूप संगठित क्षेत्र को कुछ आर्थिक बातों का लाभ हुआ है। लेकिन जहां तक असंगठित क्षेत्रों का संबंध है, चाहे यह शहरी क्षेत्र अथवा ग्रामीण क्षेत्र हों, उसकी पूरी तरह से उपेक्षा हुई है और परिणामस्वरूप गरीबी की समस्या अत्यन्त विकट हो गई है।

इसका रास्ता क्या है ? उपायों में सुधार करने की आवश्यकता है। गरीबी रोधी विभिन्न उपायों में सुधार करना चाहिये। हमारे पास समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी०पी०) है। हमारे पास राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन०आर०डी०पी०) है। हमारे पास ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आर०एल०ई० जी०पी०) है। इन सभी कार्यक्रमों में सुधार लाये जाने की आवश्यकता है। आप अपने अनुभव को देखें। किन तरीकों से इन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है ? जब तक प्रत्येक ग्रामीण श्रमिक को, जो आवश्यक रूप से भूमिहीन नहीं है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की इस योजना में शामिल नहीं किया जाता तब तक हम इस समस्या को प्रभावी ढंग से हल नहीं कर सकते। मैं एक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जो 90 से 95 प्रतिशत तक ग्रामीण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है और यह मैं आपको अपने ग्रामीण संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र, तथा राज्य के बहुत से अन्य भागों, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, के अपने अनुभव से बता सकता हूं। मैं आपको बता सकता हूं कि चाहे वे सत्तारूढ़ दल के लोग हों अथवा विपक्ष के, प्रायः सभी इस समय अपने अनुभव से इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ग्रामीण श्रमिक को, जो आवश्यक रूप से भूमिहीन नहीं है, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम योजना (आई०एल०ई०जी०पी०) में शामिल किया जाना चाहिये। इसका कारण यह है कि छोटा किसान जिसके पास केवल आधा हैक्टेयर अथवा एक हैक्टेयर भूमि है और जो अपनी भूमि पर कार्य करता है उसे तथा अन्य सदस्यों को भी, जो इस भूमि पर कार्य करते हैं, शामिल किया जाना चाहिये और इसके लिये परिवर्तन जरूरी है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम का विलय नितांत आवश्यक है। इस समय इन योजनाओं के कार्यान्वयन में एक श्रमिक को कितने दिन कार्य करना है, उस पर प्रतिबंध है। दुर्भाग्यवश ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति इस प्रकार है कि दिनों की संख्या, जिसके लिये श्रमिकों को बाध्य होकर काम करना पड़ता है, के बारे में यह विशेष प्रतिबंध पूरा नहीं किया जा सकता है और इसके परिणामस्वरूप वे इन विशेष योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकते हैं। और इसलिये मैं आगे प्रस्ताव करता हूं कि काम के दिनों की संख्या के बारे में इस विशेष शर्त को लागू करने की आवश्यकता नहीं है।

अब हम काम के बदले अनाज कार्यक्रम को लें। यह एक महत्वपूर्ण योजना है। मैं इसका स्वागत करता हूं। जब जनता पार्टी सत्ता में थी तो हमने इस योजना को लागू करने के लिये अपना भरसक प्रयास किया। मैं संक्षेप में यह दोहराते हुए बहुत खुश हूं कि जनता शासन के दौरान, जब हमने इसे 1977–79 के दौरान कार्यान्वित किया, तो 50 लाख टन खाद्यान्न इसके लिये उपलब्ध कराया गया था जो उन श्रमिकों को, जो इस योजना के अन्तर्गत कार्य कर रहे थे, दिया जाना था। इसे अत्यधिक सफलता मिली।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : इसे सफलता नहीं मिली।

प्रो० मधु दंडवते : जी हां, इसे सफलता मिली है इससे मंत्री महोदय मुझसे सहमत होंगे। मैं योजना आयोग को उद्धृत करूंगा (**व्यवधान**) आप अनभिज्ञता के अपने अधिकार का प्रयोग क्यों करना चाहते हैं ? माननीय सदस्य की ज्ञान वृद्धि के लिये और माननीय मंत्री महोदय से पुष्टि कराने के लिये मैं मूल्यांकन समिति से उद्धृत करूंगा। स्वयं योजना आयोग ने हाल ही में काम के बदले अनाज कार्यक्रम और अंत्योदय कार्यक्रम की सफलता का मूल्यांकन करने के लिये एक मूल्यांकन समिति नियुक्त की है जो उनके अपने शब्दों में ही है—मैं इन्हें कभी नहीं भूल सकता। मैं योजना आयोग की मूल्यांकन समिति ने जो कुछ कहा है, उसे उद्धृत करूंगा। इस समिति ने कहा है कि

1977 और 1979 के बीच शुरु किये गये काम के बदले अनाज और अंत्योदय कार्यक्रमों की योजनाओं से अत्यन्त गरीब लोगों को सहायता मिली है। योजना आयोग की मूल्यांकन समिति द्वारा ये शब्द प्रयुक्त किये गये हैं। ये शब्द मधु दंडवते के नहीं हैं। कृपया इस पर ध्यान दें। अत: मैं इसे पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण से नहीं देखता हूं। जब वतमान सरकार भी योजना शुरू करती है और इसका विस्तार करती है और इसे कई क्षेत्रों में लागू करती है और यदि यह योजना सफल होती है तो काम के बदले अनाज कार्यक्रम को लागू करने के लिये सरकार को बधाई देने वाला मैं पहला व्यक्ति हूंगा। मैं केवल आपको बता रहा हूं कि मूल्यांकन समिति ने भी........

श्री योगेन्द्र मकवाना : आपको बीच में टोकने के लिये पुन: खेद व्यक्त करता हूं। यह कार्यक्रम अभी जारी है। केवल इसके नाम में परिवर्तन हुआ है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम की बजाए यह राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के रूप में जाना जाता है। इसके नाम में पविरवर्तन हुआ है लेकिन यह कार्यक्रम अभी तक जारी है। यह कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन है जो समय-समय पर इसका मूल्यांकन करता है।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैंने अत्यन्त सोच-समझ कर कहा है कि काम के बदले अनाज योजना को नहीं छोड़ा गया है। मैंने यह बिल्कुल स्पष्ट किया है। मैंने कहा है कि इसे अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जाना चाहिये। अधिक खाद्यान उपलब्ध कराया जाना चाहिये।

श्री बूटा सिंह : यह कार्य बड़े पैमाने पर किया गया है।

प्रो मधु दंडवते : मैं माननीय मंत्री महोदय को आंकड़े भी दूंगा। इससे पहले काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिये 50 लाख टन अनाज उपलब्ध कराया गया था। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 5 लाख टन अनाज उपलब्ध कराया गया था। अत: मेरा रचनात्मक सुझाव है कि इस सप्लाई को बढ़ाते जायें। सौभाग्यवश आप काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिये अधिक खाद्यान्न सप्लाई करने की स्थिति में हैं। मैं आपको बधाई देता हूं, आपके सुरक्षित भंडार (बफर स्टाक) में 210 लाख टन खाद्यान्न है।आप उनका उपयोग उपभोक्ताओं और उचित दर की दुकानों को देने के लिए कीजिए। आप खाद्यान्नों का उपयोग आपने जो विभिन्न स्कीमें चलायी हैं उनके लिए और उन स्कीमों के लिए कीजिए जिनका आप विस्तार करना चाहते हैं। मैं सुझाव यह दे रहा हूं कि आप इन स्कीमों को बंद न होने दीजिए। उनमें चुस्ती लाईये। यदि आज काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत 5 लाख टन खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है तो उसमें और वृद्धि कीजिए।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की योजनाओं के कार्यान्वियन में अत्याधिक भ्रष्टाचार फैला है। अनेक लोगों ने जो ग्रामीण क्षेत्रों में इन कार्यक्रमों से सम्बद्ध हैं इस प्रकार का आरोप लगाया है। इसलिए मैं यह आरोप लगा रहा हूं। मैं आपको बता सकता हूं कि सतारूढ़ दल के कुछ सदस्यों ने इसकी शिकायत की है और इस प्रकार लेख लिखे हैं कि इन स्कीमों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार फैला है। महाराष्ट्र में और विभिन्न राज्यों में ऐसे लेख प्रकाशित हुए हैं। भ्रष्टाचार देखकर मुझे खुशी नहीं होती है। मैं नहीं चाहता कि मेरी राजनीति अन्य लोगों के भ्रष्टाचार पर फले फूले। मैं चाहता हूं कि भ्रष्टाचार का उन्मूलम हो।

[हिन्दी]

4.00 म०प०

श्री बापू लाल मालवीय (शाजापुर) : सभापति महोदय, जनता पार्टी के कार्य-काल में जो जनता पार्टी सरपंच थे, उन्होंने सब बेच खाया।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : सत्तारूढ़ दल के एक सदस्य मेरी बात की पुष्टि कर रहे हैं। अतः मैं कोई दलगत दृष्टिकोण नहीं अपना रहा हूं। ग्रामीण चुनाव क्षेत्रों से चुने जाने वाले सभी व्यक्तियों का यही अनुभव है कि गांव के प्राधिकारी, विभिन्न अधिकारी और नौकरशाह भ्रष्टाचार के अनेक मामलों में अन्तर्ग्रस्त हैं। अतः इस स्कीम विशेष को और अधिक कार्यकुशल बनाना है। मैं नहीं चाहता कि कुछ लोगों के भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण स्कीम ही समाप्त कर दी जाए सरकार ने जो अच्छी स्कीमें चलाई हैं मैं नहीं चहता कि उन्हें बंद किया जाए। मैं केवल यही चाहता हूं कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन हो, क्योंकि यदि ये स्कीमें सफल होती हैं तो उनसे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दूर करने में काफी सहायता मिलेगी। अर्थ शास्त्रीय पत्रिकाओं में मोटे अनुमान लगाये गए हैं। कुछ अर्थ शास्त्रियों और वैज्ञानिकों ने इस भ्रष्टाचार के प्रभाव का निर्धारण किया है और उन्होंने कहा है कि इन स्कीमों में व्याप्त भ्रष्टाचार के फलस्वरूप गरीबों को जो 60 प्रतिशत लाभ पहुंचना चाहिए वह उन तक नहीं पहुंच पाता। इन स्कीमों में व्याप्त भ्रष्टाचार का यह नतीजा निकलता है। अतः इन्हें दूर किया जाना चाहिए। आई० आर० डी० पी० स्कीमों में तकनीकी कमियां हैं। सही बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराकर इन कमियों को दूर किया जाना चाहिए। आप उन अधिकारियों के पास जाइये जो इन स्कीमों के चलाने से सम्बद्ध हैं आप उन योजनाकारों के पास जाइये जो इन स्कीमों के समर्थक हैं; आप गांवों में रहने वाले सत्तारूढ़ दल के सदस्यों से सम्पर्क कीजिए, वे कहेंगे, स्कीमें तो अच्छी हैं किन्तु बुनियाती ढांचा नहीं हैं। अतः यदि एक बुनियादी ढांचा वनाया जाए तो इन स्कीमों से बेहतर लाभ हो सकता है।

इन स्कीमों के लाभार्थियों में 25 प्रतिशत से अधिक लोग वर्षों तक गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। यदि आप आंकड़े देखें आप को पता लगेगा कि कितने लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठे हैं और आप देखेंगे कि 25 प्रतिशत से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठे हैं।

इसके अलावा अन्त्योदय की स्कीम भी है। इस स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक गांव में 5 निधनतम परिवारों का पता लगाया जाता है और उन्हें उत्पादक वस्तुएं तथा विभिन्न प्रकार के औज़ार देकर अपने पावों पर खड़ा होने में समर्थ बनाया जाता है। मैं समझता हूं कि यह स्कीम अभी तक कुछ सीमित प्रदेशों में लागू की गई है। मेरा विश्वास है कि इस स्कीम का लगभग सभी क्षेत्रों में विस्तार किया जा सकता है। यहां वयोवृद्ध गांधीवादी प्रोफेसर रंगा जैसे सदस्य बैठे हैं। मुझे आशा है कि वह मुझसे सहमत होंगे कि अन्त्योदय स्कीम और कार्यक्रम आर्थिक समस्याओं के प्रति गांधीवादी दृष्टि-कोण की आत्मा है। एक बार गांधीजी ने कहा था "देश में आर्थिक उत्थान में किसे वरीयता दी जानी चाहिए ? सबसे गरीब व्यक्ति को।" समाज का सबसे गरीब व्यक्ति पूरे समाज का बोझ अपने कंधों पर उठाता है और जब उस सब से गरीब व्यक्ति का उत्थान किया जायेगा तो पूरे समाज का उत्थान होगा और पूरा समाज स्वतंत्र हो जायेगा। अतः मैं चाहता हूं कि वर्तमान सरकार यह सुनिश्चित करें कि इस योजना-विशेष के लिए और अधिक आवंटन किया जाए।

अंत में मैं इस सरकार से और नये प्रधान मंत्री से एक अपील करना चाहता हूं। कछ भावी विकासात्मक योजनाएं सामने रखी गई हैं। सरकार की ओर से दिये गए विभिन्न वक्तव्यों को मैंने पढ़ा है और नयी सरकार की आर्थिक नीति और भावी योजनाओं का अध्ययन करने का प्रयत्न किया है। मैं नये और युवा यधान मंत्री को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि गांधी जी के इस देश में आप केवल अधुनातन कम्प्यूटरीकृत प्रशासन के पीछे नहीं भागिये। निस्सन्देह कम्प्यटर से परिणाम जल्दी सामने

आयगे किन्तु यदि आप केवल कम्प्यूटरीकृत अधुनातन प्रशासन, जो समाज के उच्च वर्ग की विकास की आवश्यकताएं ही पूरी करता है, लाने के लिए ही प्रयत्नशील रहेगें और यह आशा रखेंगे कि उच्च वर्ग के लिए किये गए विकास का लाभ गरीबों तक पंहुचेगा और उसीसे गरीबों को लाभ होगा तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इस सिद्धान्त को भूल जाइये क्योंकि यह सिद्धान्त गांधीवादी विचार धारा के अनुकूल नहीं है ।

मैं इस सदन के बुजुर्ग सदस्यों का ध्यान सुप्रसिद्ध गांधीवादी श्री प्यारेलाल की एक बृहद पुस्तक "गांधीजी– द लास्ट फेज" की ओर दिलाना चाहता हूं । उन्होंने उस पुस्तक की एक प्रस्तावना लिखी है । उस प्रस्तावना के अंत में प्रो० रंगा–श्री प्यारे लाल कहते हैं जब महत्वपूर्ण विदेशी व्यक्ति इस देश में आते हैं हम उन्हें गांधी समाधि ले जाते हैं । हम उन्हें पांच सितारा होटल ले जाते हैं; हम उन्हें बड़े बड़े इस्पात कारखाने दिखाते हैं और जब वह वापस जाते हैं, वे कहते हैं हमने भारत देख लिया है लेकिन "गांधीजी का भारत" कहां है? श्री प्यारे लाल यह पूछते हैं—और यह प्रश्न केवल सरकार से ही नहीं पूछा जाना चाहिए बल्कि यह प्रश्न गांधीवादी विचारधारा में विश्वास रखने वाले इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं से पूछना चाहिए क्योंकि हम स्वयं अपने ऐश्वर्यपूर्ण जीवन को नया रूप देना चाहते हैं । इसलिए यह पहलू भी महत्वपूर्ण है । मैं चाहता हूं कि नये प्रधानमंत्री विकास के उपरोक्त सिद्धान्त को अस्वीकार करें क्योंकि वह समृद्ध और अर्ध-समृद्ध वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने का सम्भ्रांतवादी दृष्टिकोण है । विकासात्मक गतिविधियों से समृद्ध और अर्ध-समृद्ध लोगों की आवश्यकताओं को पूरा होने दें पर इस प्रकार के विकास को गरीबों तक भी पंहुचने दें और यदि वह गरीबों तक पहुंचता है तो बस यही विकास होगा गरीब लोगों के लिए । इस प्रकार की योजनाओं को अस्वीकार कीजिए । यह महात्मा गांधी की विचारधारा के अनुरूप नहीं है और मुझे विश्वास है कि यदि ऐसा किया जाता है..........

सभापति महोदया : आप आधा घंटा बोल चुके हैं । मुझे स्थिति स्पष्ट करने दीजिए । इस प्रस्ताव पर सदस्यों को बोलना है । अत: आप कृपया अब समाप्त कीजिए ।

प्रो० मधु दण्डवते : सभापति महोदया, आप देखेंगी कि मैं एक अनुशासित सांसद हूं । आपकी इच्छा के अनुसार मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

सभापति महोदया : आप थोड़ा समय और लेकर अपना भाषण समाप्त कर सकते हैं । आप अचानक समाप्त कर रहे हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने पहले ही आपकी बात का अंदाजा लगा लिया था ।

सभापति महोदया : एक संशोधन पेश किया गया है । श्री मूल चंद डागा, आपको अपना संशोधन पेश करना है ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) मैं प्रस्ताव करता हूं कि संकल्प में—"वर्ग को" के पश्चात् निम्नलिखित अन्त: स्थापित किया जाए—"जनसंख्या में वृद्धि के कारण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ।"

सभापति महोदया : संकल्प प्रस्तुत हुआ । "कि यह सभा अधिकांश जनता को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने में सरकार की विफलता पर चिन्ता व्यक्त करती है और यह मांग करती है कि देश से गरीबी को मिटाने के लिए ठोस कदम उठाएं जांए ।" अब श्री रामप्यारे पनिका ।

[हिन्दी]

श्री रामप्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : मैडम चेयरमैन, मैं माननीय दण्डवते जी का बड़ा सम्मान करता हूं, सदन के वरिष्ठतम सदस्य हैं और आज मैं उनकी कई बातों से सहमति व्यक्त करता हूं।

सबसे पहले तो जो उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किए है परसेंटेज के बारे में, स्वयं माननीय कृषि मंत्री जी ने उन्हें करेक्ट कर दिया है कि छठी पंचवर्षीय योजना का जो मिड-टर्म अप्रेजल है, उसमें 42 परसेंट सरकार ने ही माना है, इसमें कोई मतभेद नहीं है। दूसरा उन्होंने बताया कि गरीबी के क्या कारण हैं, उनसे भी मेरी अहसमति नहीं है, लेकिन चेयरमैन महोदया, इन्होंने जनता पार्टी की अपनी उपलब्धियों पर जो प्रकाश डाला, उससे मेरा मतभेद है। उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा कि इस देश से गरीबी तभी मिट सकती है जब कृषि का उत्पादन 6.7 परसेंट पर-इयर हो, इससे मैं सहमत हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : आपकी इजाजत हो, तो मैंने जो कुछ जनता पार्टी की उपलब्धियों के बारे में कहा है उसको वापिस लेता हूं।

श्री रामप्यारे पनिका : मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं उस सरकार के बारे में, जिस में वे रेल मंत्री थे। जनता पार्टी के समय में अर्थव्यवस्था को इन्होंने इस तरह से जर्जरित कर दिया था और आज हमसे अपेक्षा करते हैं कि 6.7 परसेंट एग्रीकलचर प्रोडक्शन हो। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 1979-80 में इन्होंने अर्थ व्यवस्था को इतना खराब कर दिया था कि एग्रीकलचर प्रोडक्शन 17 परसेंट नीचे आ गई और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो कि एमरजेंसी के समय 10 परसेंट पर थी, उसको इन्होंने –1.4 परसेंट कर दिया। यह इनकी उपलब्धियां थीं। एक अर्थ व्यवस्था जो उत्तरोत्तर प्रगति करती जा रही थी, इन्होंने प्लान को रोल करके उसको भी समाप्त कर दिया और अर्थ-व्यवस्था को ठीक करने के लिए जो प्लान चल रहा था, उसको भी इन्होंने समाप्त कर दिया। इस देश में जितनी इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री थी, उसको भी इन्होंने चौपट कर दिया जो कि देश की आर्थिक बुनियादी की बात होती है, जिन पर विकास निर्भर करता है, वह सब समाप्त हो गया। चाहे स्टील का प्रोडक्शन हो, चाहे सीमेंट का प्रोडक्शन हो, चाहे इलैक्ट्रिसिटी का हो, चाहे कोयले का हो, सब में कमी आई। कोयले की कमी के कारण जहां पावर स्टेशन बंद हुए, वहीं पैसिंजर और गुड्स ट्रेन्स भी बंद हुई।

1980 में हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री ने नेतृत्व संभाला। उन्होंने वादा किया कि हमारी सरकार वह होगी, जो देश में समृद्धि लाएगी और जो डिस्पैरिटी, जो सामाजिक विषमता है, वह दूर होगी और इसी लाइन पर उन्होंने देश का शासन चलाया और नतीजा क्या हुआ वह आपने चार साल में देखा।

आपने देखा होगा कि कल ही हमारे राष्ट्रपति जी ने कोयला, सीमेंट और बिजली के उत्पादन के बारे में बताया। छठी पंचवर्षीय योजना में 19 हजार मैगावाट का हमारा लक्ष्य था। लेकिन, सब कमियों के बावजूद भी हमने 14 हजार मैगावाट तक बिजली का उत्पादन किया। बिजली की पर-कैपिटा यूटिलाइजेशन को देखकर ही डेवलप्ड कन्ट्रीज को आंका जाता है। इस प्रकार यह हमारा बहुत ही आशाजनक एचीवमेंट हुआ। कोयले में 70 परसेंट तक ......(व्यवधान)

मैं यह कहना चाहता हूं कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए हमने एन०आर०इ०पी० और आर० एल० जी० इ० पी० जैसे कार्यक्रम चलाए। कल ही राष्ट्रपति जी ने कहा कि किस प्रकार से हमने 14 मिलियन से ऊपर लोगों को इन चन्द वर्षों में गरीबी की रेखा से ऊपर उठा दिया। प्रो० मधु दण्डवते जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि उस समय बैंकों की क्या स्थिति थी। मैं यह मानने के लिए तैयार हूं कि जब कुछ नयी स्कीमें आती हैं, तो कठिनाइयां भी पैदा हो जाती हैं। इसके बावजूद भी नेशनलाइज्ड बैंकों से हमारे सारे कार्यक्रमों में सहयोग देने के लिए कहा गया। जिस गति से हमने इन सारे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, वे आज राष्ट्र के सामने हैं। यही कारण है कि यहां पर आज वही लोग बैठे हुए है, जिन पर "पूनर्मूषकोभव" वाली कहावत चरितार्थ होती है। बी०जे०पी० के लोगों ने "हम दो-हमारे दो" का नारा दिया। इसके लिए बी०जे०पी० के लोगों को बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने इस नारे को अपने लिए अपना लिया। हिन्दुस्तान का जन-मानस जाग गया है। गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने की बात हो या कृषि-उत्पादन की बात रही हो, देश की जनता ने उसका स्वागत किया है। मैं अपने नए प्रधान मंत्री जी को बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने उन सारी नीतियों को अपनाया है, जिनको हमारी स्वर्गीय प्रधान मंत्री जी ने अपनाया था। मैं अभी विस्तार में नही जाना चाहता। यहां पर अभी यह कहा गया है कि जमीनों का वितरण सही नहीं हुआ है। क्या यह बात सही नहीं है कि हमने इस दिशा में सुधार करने के लिए उत्तरोत्तर कदम बढ़ाए हैं ? यह बात सही है कि समाज में कुछ ऐसे तत्व हैं...... (व्यवधान) शुरू से ही कांग्रेस ने काम किया है। जमींदारी और रियासतों को खत्म किया तथा सीलिंग एक्ट हम लोग ले आए। आवश्यकता पड़ेगी, तो और भी कठोर कदम उठाए जायेंगे। बी०जे०पी०के लोग शुरू से ही, जो सदाजवाद की तरफ बढ़ने के कदम थे, उसके विरोधी रहे हैं, चाहे वह बैंकों के नेशनलाइ-जेशन, रियासतों को खत्म करने या लैण्ड सीलिंग के प्रश्न हों।

जिस परिवार नियोजन की बात आज आप करते हैं, मैं मानता हूं कि वह समय की मांग है और हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। यह पूरे देश की ज्वलन्त समस्या है। यदि हम इस समस्या को एक शब्द में कहें, तो ग्रोइंग पॉपूलेशन के कारण, हम जितनी प्रगति कर रहें हैं, वह सब समाप्त हो रही है, यह कह सकते हैं। इसलिए जहां 1977 में पूरे देश के लोगों को जय प्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में समग्र क्रान्ति लाने के भ्रम में आपने डाला था, क्या यह बात सही नहीं है कि उस समय इधर बैठने वाले लोगों ने पूरे जन-मानस को भ्रमित किया था और परिवार नियोजन कार्यक्रम का विरोध करके ही इस तरफ इतने बहुमत में आये थे। बाद में लोगों ने उसको समझ लिया, देश की जनता उसको समझ गई और यही कारण था कि जहां आप 5 साल तक चलने वाले थे, वहां आप ढ़ाई साल भी ठीक से नहीं चल सके। उसके पीछे मुख्य कारण आपके अंदर का अन्तर्विरोध था। आपके पास कोई कार्यक्रम नहीं था।

यहां पर प्रो० दण्डवते जी ने अन्त्योदय की बात कही, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वह आपके समय का कोई कार्यक्रम नहीं था। वह कार्यक्रम तो मात्र, इनके जितने वर्कर्स थे, उनको पालने पोसने का कार्यक्रम था और इसके सिवाय कुछ नहीं था। यदि आप इनके समय के कार्यक्रमों को देखें, इन्होंने कहा कि फूड फार वर्क के लिए हमने 5 लाख दिया लेकिन मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि आप आंकड़े देख लीजिए आपके कार्यक्रमों से कितने लोगों को फायदा पहुंचा, कितने विकास के कार्य हुए, कितनी आपने नलबंदी या दूसरी उपलब्धियां हासिल की, गांवों में कितनी सड़कों का निर्माण किया। यहां 5 लाख का महत्व नहीं है, लेकिन प्रश्न यह है कि आपने 5 लाख

खर्च करके, देश के लिए कितनी परिसम्पत्ति तैयार की, कितना निर्माण का काम हुआ। वह कुछ नहीं हो सका। दूसरी तरफ आप हमारे कार्यक्रमों को देख लीजिए, इन कार्यक्रमों के मातहत हम गांवों से गरीबी मिटाने का काम कर रहे हैं और दूसरे विकास के काम कर रहे हैं।

इसलिए सभापति महोदया, मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए, सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं कि आज देश जाग चुका है। अब देश की जनता को भ्रम में नहीं डाला जा सकता। हम प्रो० मधु दण्डवते जी का आदर करते हैं, लेकिन उन्हें उन सारी बातों को भी सामने लाना चाहिए जो उन्होंने ढाई-तीन साल में कीं और हमारे समय में जो उपलब्धियां हमने हासिल कीं, उनकी तुलना उन्हें पहले करनी चाहिए। हमने 1980 में वह सरकार बनाई, जो काम करती थी और काम करने का नतीजा आपने देख लिया। मैं आपका ध्यान 1982-83 की ओर दिलाना चाहता हूं, जब देश में 21 करोड़ जनता को सूखे, बाढ़, तूफान आदि प्राकृतिक आपदाओं का समाना करना पड़ा। जब सारे देश में प्राकृतिक आपदाओं के कारण तबाही हुई, जिसकी मिसाल पूरे इतिहास में कभी नहीं मिलती, लेकिन उस समय भी हमने किसी आदमी को भूख से नहीं मरने दिया। उन तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी हमारी अर्थ-व्यवस्था उत्तरोत्तर दृढ़ होती गई। हमने उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी, उसमें निरंतर सुधार आया। क्या यह बात सही नहीं है कि अर्थ-व्यवस्था में सुधार के ही कारण हमने आई०एम०एफ० से मिलने वाल 1.4 एस०डी०आर० को छोड़ दिया? क्या यह इस बात का द्योतक नहीं है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था में सुधार आया? क्या यह इस बात का द्योतक नहीं है कि गरीबी मिटाने की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यह बात भी सही है कि जब तक हम देश में उद्योगों के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं पनपायेंगे, तब तक देश में इंडस्ट्रीज नहीं बढ़ सकती, एग्रीकल्चर नहीं बढ़ सकता। क्या कोई इस बात से इंकार कर सकता है कि इन सब मामलों में हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे ह, सफलता प्राप्त करते जा रहे हैं हमें पूरा विश्वास है कि अपने नये युवा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम इन कार्यक्रमों को उत्तरोत्तर बढ़ाते जाएंगे। साथ ही दण्डवते जी से भी यह अपेक्षा रखेंगे कि वे सदन के सामने कोई रचनात्मक सुझाव दें, कुछ ऐसी बात करें जिससे लोगों को लगे कि आप सदन के सीनियर सदस्य हैं। आपकी तरफ से सही बात आनी चाहिए। इसलिए जहां मैं दण्डवते जी को यह रिजोल्यूशन लाने के लिए धन्यवाद देता हूं, साथ ही अपने इस बहस में मुझे भाग लेने का मौका दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन इस बहस से एक बात अवाम के सामने स्पष्ट हो जाती है कि कौन सही है और कौन गलत, किस की नीतियों पर चल कर देश आगे बढ़ सकता है, देश में एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ सकता है, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हो सकती है। जैसा मैंने कहा, तमाम प्राकृतिक कमियों और खामियों के बावजूद हमारे राष्ट्रीय उत्पादन में छठी पंच वर्षीय योजना में हमने जो लक्ष्य रखा था, हम उससे काफी आगे बढ़ गए हैं और वर्ष के पूरा होने तक उसमें और भी बढ़ोत्तरी होगी। साथ ही हमारा फौरन एक्सचेंज का रिजर्व साढ़े 6 हजार करोड़ रुपये का हो गया है। यह सब इस बात का द्योतक है कि हमारी नीतियां कारगर सिद्ध हुई हैं और हम निरंतर प्रगति करते जाएंगे और उनसे देश की जनता को लाभ होगा। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं।

धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री वड्डे शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा): सभापति महोदया, मैं अपने सम्मानित साथी द्वारा पेश किये गए संकल्प का समर्थन करते हुए कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

यह विडम्बना ही है कि स्वतन्त्रता और स्वराज्य के 37 वर्ष बाद भी हमारे देश में 32 करोड़ से ज्यादा लोग अर्थात् हमारी जनसंख्या का 44 प्रतिशत अब भी गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं जिन्हें दो जून की रोटी भी नसीब नहीं है। इसमें से 26 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्रों के हैं तथा 6 करोड़ शहरी क्षेत्रों के हैं। यह वास्तव में शर्मनाक बात है कि गरीब आदमी को शहरों में बड़े-बड़े भोजों की जूठन को पाने के लिए कुत्तों से लड़ते पाया जाता है।

सभापति महोदया : क्या आप इसे पढ़ रहे हैं ?

श्री बड्डे शोभानेद्रीश्वर राव : मेरा यह पहला भाषण है।

प्रो० मधु दण्डवते : वह एक नये सदस्य हैं जो अपना पहला भाषण दे रहे हैं।

सभापति महोदया : मेरा इनसे अनुरोध है कि वह पढ़ कर भाषण न दें। वह अपने टिप्पणों पर नज़र डाल सकते हैं।

श्री बड्डे शोभानेद्रीश्वर राव : मैं केवल अपने टिप्पणों की ही सहायता ले रहा हूं। मेरी मातृभाषा तेलुगु है। मैं पहली बार अंग्रेजी में बोल रहा हूं।

सभापति महोदया : इससे इस सदन में एक नया दृष्टान्त स्थापित हो जाएगा।

प्रो० मधु दण्डवते : जहां तक पूर्वोदाहरणों का संबंध है अध्यक्ष महोदय ने अनेक बार निर्णय दिया है कि पहले भाषण के मामले में सदस्यों के साथ उदारता बरती जायेगी लेकिन ऐसा हर बार नहीं होना चाहिए।

सभापति महोदया : यथासंभव इससे बचना चाहिए।

श्री बड्डे शोभानेद्रीश्वर राव : यह वास्तव में शर्मनाक बात है कि गरीब आदमी को शहरों में बड़े-बड़े भोजों की जूठन खाने को पाने के लिए कुत्तों से लड़ना पड़ता है।

यद्यपि इस देश में विश्व का चौथाई पशुधन है किन्तु अनेक डेरी विकास निगमों के बावजूद हम विश्व के कुल दुग्ध उत्पादन का 5 प्रतिशत ही उत्पादन कर रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता जो 1951 में 132 ग्राम थी 1974 में घटकर 110 ग्राम रह गई है जबकि योजना आयोग ने 210 ग्राम का लक्ष्य निर्धारित किया था।

प्रोटीन की प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति उपलब्धता 1951 में 2.15 आउंस थी जबकि 1974 में यह घटकर 1.4 आउंस रह गई है। प्रति वर्ष लाखों गर्भवती महिलाएं और पांच वर्ष से कम आयु के बच्चे हमारे देश में प्रौष्टिक आहार की कमी के कारण मरते हैं। मुझे बताया गया है कि भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने 27 फरवरी, 1975 को सदन में यह बताया था कि लगभग 15,000 बच्चे प्रतिवर्ष विटामिन 'ए' की कमी के कारण अंधे हो जाते हैं।

यह एक विरोधाभास है कि जबकि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खाद्यान्न की उपलब्धता केवल 450 ग्राम है जेल में श्रेणी 'क' और 'ख' के कैदियों के लिए 505 ग्राम खाद्यान्न और श्रेणी 'ग' में कैदियों के लिए 587 ग्राम खाद्यान्न निर्धारित किया गया है। इस देश में एक कैदी जो गम्भीर अपराध करने के कारण दण्डित किया जा रहा है जेल में एक स्वतंत्र नागरिक से बेहतर भोजन पा रहा है। एक कैदी को तो 50 ग्राम खाद्य तेल और 50 ग्राम चीनी प्रतिदिन मिलती है लेकिन जेल से बाहर नागरिकों के लिए यह सुनिश्चित नहीं होता कि उन्हें प्रतिदिन 9 ग्राम तेल और 18 ग्राम चीनी भी मिल जायेगी।

महोदया, मुझे आपको यह स्मरण कराने की आवश्यकता नहीं कि हमारे देश के 70 प्रतिशत लोग 5,75,000 गांवों में रह रहें है जो कृषक, किरायेदार, कृषि मजदूर और कारीगर हृ जो अपनी आजीविका के लिए अप्रत्यक्ष रूप से कृषिकों पर निर्भर हैं। बड़े बड़े नेताओं जो समाजवादी समाज लाने और गरीबी हटाने की बातें करते थे के 37 वर्ष के शासन के बाद भी लगभग 60 प्रतिशत लोग अपढ़ हैं और 2,50,000 गांव ऐसे हैं जिन्हें किसी भी प्रकार की सड़क से नहीं जोड़ा गया है। लगभग 50 प्रतिशत गांवों तक अभी बिजली पहुंचायी जानी है। लाखों ग्रामिणों को पेय जल उपलब्ध कराया जाना है। करोड़ों गरीबों को बम्बई और कलकत्ता जैसे महानगरों के फुट पाथों पर सोना पड़ता है। यह देखकर बड़ा दुख होता है कि हजारों परिवार शहरों में पड़े आर० सी० सी० के पाइपों में रह रहे हैं।

महोदया, गरीब और गरीब होता गया है तथा अमीर और अमीर होता गया है। कुछ परिवारों में से प्रत्येक के पास 1800 करोड़ रुपये की आस्तियां होना यह दर्शाता है कि सरकारी नीतियों का किन्हें लाभ पहुंचा है निसंदेह आर्थिक विषमताएं बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। महोदया, यह सोचा भी नहीं जा सकता कि किस प्रकार यह सरकार चालू रजिस्टर में दर्ज 1 करोड़ 80 लाख बेरोजगारों को रोज़गार दे सकेगी। महोदया क्या कांग्रेस (आई) की गलत नीतियों और प्राथमिकताओं के कारण ही यह निराशाजनक स्थिति नहीं आयी हैं ? क्या सत्तारूढ़ दल की नीतियों का सूक्ष्म विवेचन नहीं करना चाहिए, स्थिति का जायजा नहीं लेना चाहिए और नीतियों में परिवर्तन नहीं करना चाहिए तथा प्राथमिकताओं का पुर्ननिधारण नहीं करना चाहिए ? महोदया, हमें आशा है कि कम से कम युवा प्रधान मंत्री वस्तुस्थिति को साहसपूर्वक स्वीकार करेंगे और गरीबी दूर करने, आर्थिक विषमताओं को कम करने और सभी को सामाजिक न्याय दिलाने में पथ प्रदर्शन करेंगे।

महोदया, आप इस बात से सहमत होंगी कि करोड़पतियों के मुकाबले गरीब लोग ही राजकोष में अप्रत्यक्ष करों के रूप में कर दे रहे हैं। तो क्या यह भारत सरकार का अनिवार्य कर्तव्य नहीं है कि वह यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक परिवार को कम से कम दो जून की रोटी तो मिले ? महोदया, इस संबंध में मैं आपके माध्यम से इस सदन के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि श्री एन० टी० रामाराव के मुख्य मंत्रित्व में आंध्र प्रदेश सरकार गरीबों को 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल उपलब्ध करा रही है। हमारी सरकार यह महसूस करती है कि यह हमारा परम कर्तव्य है कि गरीब से गरीब लोगों की सहायता की जाए और कोई आदमी भूख से न मरे। महोदया, हमारी सरकार इस योजना पर 160 करोड़ रुपये खर्च कर 1.4 करोड़ गरीब परिवारों की सहायता कर रही है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस योजना को समूचे देश में लागू कर सब से अधिक गरीब व्यक्तियों की सहायता की जाए।

महोदया, यदि भारतीय खाद्य निगम की हानि को कम से कम किया जाए और शहरी अथवा ग्रामीण मध्य अथवा उच्च मध्य वर्ग के लोगों को चावल की सप्लाई के लिये अब दी जा रही राजसहायता को बन्द कर दिया जाए तो इस कार्यक्रम से गरीबों की निश्चय ही सहायता की जा सकती है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से यह बात याद रखने का अनुरोध करता हूं कि राष्ट्रपिता ने बताया था कि "कृषि ही इस देश की जनता का एक निश्चित एवं निरन्तर आधार है।" कृषि ही एक मात्र ऐसा आधार है जिससे खाद्यान्न प्राप्त होता है, उद्योगों के लिए अनेक प्रकार का कच्चा माल उपलब्ध होता है। और यही वह क्षेत्र है जिसमें निश्चित पूंजी लगाने पर रोजगार के अधिकतम अवसर उपलब्ध होते हैं। दुर्भाग्य से, चूंकि सरकार इस क्षेत्र को उचित महत्व नहीं दे रही है और कृषि उपज के लिये लाभकारी मूल्य नहीं दे रही है इसलिए अनेक देशों की तुलना में हमारी उत्पादकता काफी कम रही है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने ट्रैक्टर, इस्पात, सीमेंट आदि औद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों में दिन-प्रति-दिन वृद्धि होने दी है, जिससे किसानों को बहुत कम मुनाफा हो पाता है और उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है। महोदया, मुझे एक उदाहरण देने की अनुमनि दें। आप को ज्ञात ही है कि किसान को दिन रात कितना परिश्रम करना पड़ता है, उसे मानसून की मनमानी और प्राकृतिक आपदाएं सहन करनी पड़ती हैं। महोदया, सरकार को यह बताना चाहिये कि पिछले पांच वर्षों में सीमेंट का मूल्य प्रति बोरी लगभग 35 रुपये बढ़ाने का क्या औचित्य है जबकि पिछले पांच वर्षों में गन्ने का मूल्य केवल 10 रुपये प्रति टन ही बढ़ाया गया है. इसका क्या औचित्य है।

महोदया, इसके बाद दूसरी प्राथमिकता कुटीर एवं छोटे उद्योगों को दी जानी चाहिए। 70 करोड़ जनसंख्या वाले देश में, जहां भूमि अपेक्षाकृत कम है, पूंजी की कमी है, कुटीर एवं छोटे उद्योग जरूरतमन्द लोगों को रोजगार के अधिकतम अवसर उपलब्ध कर सकते हैं। महोदया, इस सम्बन्ध में मुझे महात्मा गांधी को उद्धृत करने की अनुमति दी जाए. उन्होंने कहा था :

> "मैं यन्त्रों के विरुद्ध नहीं हूं। किन्तु मैं इनकी अन्धाधुंध वृद्धि के विरुद्ध हूं। मैं यन्त्रों का विरोध नहीं करता अपितु इनके लिए सनकीपन का विरोध करता हूं। लोग परिश्रम से बचना चाहते हैं किन्तु उससे लाखों लोग बेरोजगार हो जाते हैं, गलियों की खाक छानते फिरते हैं और भुखमरी का शिकार हो जाते हैं। मैं इसके विरुद्ध अपनी पूरी शक्ति से संघर्ष करता हूं। मानव ही सर्वोच्च है। यन्त्रों को मानव अवयव नहीं करने चाहिये
>
> उन्होंने यह भी कहा था :
>
> करोड़ों व्यक्तियों को बेरोजगार कर भारत इस प्रकार के बड़े बड़े यन्त्र नहीं ले सकता जिससे श्रमिकों का स्थान यन्त्र ले लेगें। इससे लोग बेरोजगार हो जाएंगे और तबाह हो जाएंगे। हमारी समस्या है कि करोड़ों लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था कैसे की जाए, हमारी समस्या यह नहीं है कि श्रमिकों को परिश्रम से कैसे बचाया जाए। निरन्तर बेरोजगार रहने से अभी भी उनमें आलस्य की ऐसी भावना घर कर गई है जो बिल्कुल नैराश्य लाने वाली है।"

मैं माननीय प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे महात्मा गांधी के इन शब्दों को ध्यान में रखें और बेरोजगारी कम करने के लिये कुटीर, छोटे एंव मध्यम दर्जे के उद्योगों को प्रोत्साहन देने

के लिए ठोस कदम उठाएं और 1985 के इस युवा वर्ष में लाखों युवकों को लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराए । मैं उनसे यह भी अनुरोध करता हूं कि इस क्षेत्र को भारी उद्योगों अथवा बड़े उद्योगों की प्रतिस्पर्द्धा से बचाये और अगर आवश्यक हो तो कानून बना कर ऐसा करें ।

महोदया, मैं युवा प्रधान मंत्री से यह भी अनुरोध करता हूं कि चूंकि कपड़े की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कमी आ गई है इसलिए अत्यधिक गरीब जनता को सस्ती दरों पर हैंडलूम की धोतियां तथा साड़ियां उपलब्ध करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जायें ।

महोदया, अनेक हरिजनों एवं पिछड़ी जाति के अनेक लोगों को घर बनाने के लिये भूमि नहीं मिली है । मैं अपनी ओर से तथा अपने दल की ओर से अनुरोध करता हूं कि भारत सरकार इसके लिए और धनराशि का आवंटन करे ताकि श्री जवाहरलाल नेहरू के सपने एवं उनके द्वारा 14 अगस्त, 1947 की मध्यरात्रि को दिये गये ऐतिहासिक संदेश को पूरा किया जा सके ।

महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर): सभापित महोदया, मुझे प्रसन्नता है कि आठवीं लोक सभा में हमने अच्छी शुरुआत की है और इस संकल्प को प्रो० दंडवते ने प्रस्तुत किया है । हमने छठी योजना के एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का उल्लेख कर उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया है और राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी इस कार्यक्रम का उल्लेख किया गया है ।

महोदया, हमारी स्वर्गीया प्रधान मंत्री के 20-सूत्री कार्यक्रमों में गरीबी हटाने का कार्यक्रम एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रम था तथा सरकार इस कार्यक्रम को पूरी गम्भीरता से लागू करेगी ।

छठी योजना में यह विचार था कि योजनावधि में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 47 प्रतिशत से कम हो कर 30 प्रतिशत रह जाएगी । और 1979-80 में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के बारे में आंकड़े पुन: संशोधित किये गये और उस समय उनकी संख्या लगभग 33.9 करोड़ थी और यह अनुमान लगाया गया था कि ऐसे लोगों की संख्या कम हो कर 1981-82 में क्रमश: 41.5 प्रतिशत और 28.2 करोड़ रह जाएगी । अत: यह अनुमान लगाया गया कि 1980 और 1982 के बीच योजना में लोगों के बारे में रखे गये कुल लक्ष्य का 34 प्रतिशत ही प्राप्त किया जा सका । किन्तु योजना आयोग के मध्यावधि मूल्यांकन से फिर अनुमान लगाया गया है कि छठी योजना के पहले दो वर्षों में 570 लाख लोग ही गरीबी की रेखा से ऊपर उठ सके और छठी योजना में 10 20 लाख लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का लक्ष्य रखा गया था और मुझे आशा है कि 1982 से 1984 के दो वर्षों के दौरान हमें कुछ और प्रगति करनी चाहिये थी तब हम छठी योजना में निर्धारित लक्ष्य को लगभग प्राप्त कर सकते थे । चूंकि हम लोग गांवों में जाकर यह देखते हैं कि इन को कैसे लागू किया जा रहा है, मैं कुछ अर्थशास्त्रियों के एक दस्तावेज को देख रहा था । उन्होंने यह गणना की है कि इस योजना की पूरी अवधि में गरीबी हटाने के लिए लागू किये गये इन कार्यक्रमों में लगभग 20,000 करोड़ रुपयों का निवेश किया गया है । मैंने एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में किये गये निवेश सम्बन्धी आंकड़े भी देखे । 1980-84 में

में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1352.97 करोड़ रुपये लगाये गये और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में 1453.22 करोड़ रुपये तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम में 100 करोड़ रुपये लगाये गये। एक अन्य कार्यक्रम था ग्रामीण युवक स्व-रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम। यह 20-सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत था और अन्य अनेक कार्यक्रम भी हैं जिन्हें 1980-84 की अवधि के दौरान छठी योजना में सम्मिलित किया गया था। इस प्रकार यह सुनिश्चित करने के लिये विपुल धनराशि का निवेश किया गया. कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली जनता को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाकर उनका जीवन स्तर सुधारा जा सके। एक अन्य कार्यक्रम न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम था और इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जातियों एंव अनुसूचित जनजातियों के लिए एक विशेष संघटक योजना भी थी। बंधक श्रमिकों के पुनर्वास की भी एक योजना है। इसके अतिरिक्त गरीबी दूर करने की राज्य सरकारों की भी अपनी योजनाएं हैं। उड़ीसा में, गरीब ग्रामीण लोगों के पुनर्वास तथा कमजोर वर्गों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए एक योजना है। महोदय, यदि हम इन सब कार्यक्रमों को देखें तो आज हमें क्या पता चलता हैं ? इस समय गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या के बारे में ताजा आंकड़े इस प्रकार हैं :

आन्ध्र प्रदेश	42.18 प्रतिशत
असम	51.10 ,,
बिहार	57.49 ,,
मध्य प्रदेश	57.73 ,,

और जहां तक मेरे राज्य उड़ीसा का संबंध है, यह आंकड़े सब से अधिक हैं। उड़ीसा में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या 66.40 प्रतिशत है। मेरे विचार से यह 1983 के आंकड़े हैं।

महोदय, मैं खाद्य एवं कृषि संगठन के उस अध्ययन दल का प्रतिवेदन पढ़ रहा था जिसने सभी विकासशील देशों में, ग्रामीण जनता की दशा के बारे में अध्ययन किया है। इसके द्वारा किये गये अध्ययन से यह पता चलता है कि 1980 में विकासशील देशों में ग्रामीण क्षेत्रों की लगभग 70 करोड़ जनता घोर गरीबी में जी रही थी। इनमें से भारत सहित 31 देश पहले वर्ग में आते हैं जहां संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्ययन के अनुसार 50 प्रतिशत से अधिक जनता गरीब है।

अब, किन्हीं हलकों में यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारी योजना सन् 2000 तक गरीबी हटाने की है और हमने इन कार्यक्रमों में इतना धन लगाया है। इस संबंध में दो विचार-धाराओं पर जोर-शोर से बहस की जा रही है। एक तो यह है कि योजना आयोग ने मध्यावधि मूल्यांकन कर देश के सामने जो आंकड़े प्रस्तुत किये हैं, उनके अनुसार 570 लाख लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जा चुका है। दूसरी ओर यह कहा जा रहा है कि गरीबी की रेखा से ऊपर लाये गये लोगों की संख्या 570 लाख से कम है। अत: ऐसा प्रतीत होता है कि इन आंकड़ों के बारे में कुछ विवाद बना हुआ है। मेरे विचार से प्रो० मधु दंडवते ने जो उल्लेख किया है वह पिछले वर्ष राज्य सभा में दिये गये आंकड़ों के बारे में है। मेरे विचार से यह प्रश्न वहां उठाया गया था और शायद तत्कालीन योजना मन्त्री श्री चव्हाण को यह स्वीकार करना पड़ा था कि जो आंकड़े योजना आयोग ने दिये हैं और देश में जो वास्तविक स्थिति है, इन दोनों में शायद कुछ अन्तर है। किन्तु मैं इस समय उस समस्या का उल्लेख करने नहीं जा रहा हूं।

महोदय, विभिन्न अर्थशास्त्रियों के भिन्न-भिन्न विचार हैं। ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ अर्थशास्त्री यह सोचने लग जाते हैं कि यदि वे किसी विशेष तरीके का विकास करें अथवा एक विशेष तरीके से कार्य करें तो 10 अथवा 15 वर्षों के पश्चात् गरीबी दूर हो जाएगी। मेरे विचार से अनेक अर्थशास्त्री इस प्रकार की विचारधारा रखते हैं। मेरे विचार से उनका चिन्तन रचनात्मक नहीं है क्योंकि भारत में गरीबी का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। किन्तु हम इस प्रकार की नीति बना रहे हैं। हम स्पष्ट देखते हैं कि समूचे भारत में 90 प्रतिशत से भी अधिक लोग गरीब हैं। सातवीं योजना के अन्तर्गत भी गरीबी हटाने का एक ओर प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कुछ अर्थशास्त्री यह सोच रहे हैं कि यदि इस प्रक्रिया से गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता तो, हमें एक प्रकार का तरीका विकसित करना चाहिए जिससे लोगों की कैलोरी की खपत की मात्रा में कमी की जाए तो 70 प्रतिशत जनता को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जा सकता है।

प्रो० मधु दण्डवते : इस प्रकार तो गरीबी की रेखा को पुनः परिभाषित करना है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : हमें जनता ने जो इतना भारी समर्थन दिया है, वह इस देश में सबसे बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन है। इस समय हमारा देश सबसे कड़ुवे, दुःखद समय से गुजर रहा है। जनता ने यह निर्णय दिया है कि भारत अखण्ड और मजबूत हो, खुशहाल हो और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली जनता को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो और उनका जीवन स्तर ऊंचा हो।

अभी भी अनेक देशों में गरीबी की परिभाषा नहीं की जा सकी है। मुझे एक बार एक सेमीनार में भाग लेने का अवसर मिला, इसमें तीसरे विश्व के लगभग 200 अर्थशास्त्री इस बात पर बहस कर रहे थे कि गरीबी क्या है और उसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए। गरीबी को परिभाषित करने की जितनी ही वह कोशिश करते थे, उन्हें लगता था कि उसकी परिभाषा करना उतना ही कठिन है क्योंकि उन देशों में ऐसे लोग रहते थे जो यह सोचते थे कि उस प्रकार के जीवन स्तर को उन देशों में अमीरी का स्तर माना जाता था। किन्तु हमारे देश में हम सोचते हैं कि हमें दो जून का खाना, सिर छिपाने को छत और हमारे बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिये। इस प्रकार हम गरीबी की परिभाषा करने का प्रयास करते हैं। हमें एक वैज्ञानिक सूत्र एवं तरीका विकसित करना चाहिये जिसके आधार पर हम गरीबी हटाने का प्रयास कर सकें।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमने चाहे जितना भी उद्योगिकरण कर लिया हो, हम 10 वर्षों के अन्दर गरीबी नहीं हटा सकते हैं। यदि हम यह अवधि 20 वर्ष कर दें, तो हमें ऐसी योजना बनानी चाहिये कि हम धीरे-धीरे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। हम इन कार्यक्रमों में अत्याधिक धन का निवेश कर रहे हैं। हमें यह देखना होगा कि इन सभी कार्यक्रमों से होंने वाले लाभ जनता तक पहुंचे और इसके लिए हमें इनका सही कार्यान्वियन करना होगा।

कुछ दिन पहले मैं गरीबी, आयोजना और नौकरशाही पर लिखा एक लेख पढ़ रहा था। यह बड़ा रोचक लेख था। मुझे यह पता चला कि कुछ लोगों ने इस संबंध में अनुसंधान किया है। इन कार्यक्रमों का एक भाग राजसहायता से संबंधित है अर्थात् एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम एवं ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम इस संबंध में यह बताना चाहता हूं कि होता क्या है। मैं स्वंय जाकर लाभभोगियों से मिला हूं। जो राज सहायता दी जाती

है, राजसहायता का अंश इस प्रक्रिया में लगे अधिकारी आपस में बांट लेते हैं। मैं ऐसी कोई बात नहीं कह रहा जिसे सहन न किया जा सकता हो। इन विभिन्न कार्यक्रमों में राजसहायता का भाग इन कार्यक्रमों को लागू करने वाले अधिकारियों द्वारा आपस में बांट लिया जाता है। अतः होता यह है कि राजसहायता लाभभोगियों तक नहीं पहुंच पाती। इसे इस कार्य में लगे अधिकारियों द्वारा हड़प लिया जाता है और इसमें लाभ-भोगियों को केवल ऋण अंश ही मिल पाता है और उस पर वह ब्याज देते हैं। मान लीजिए हमने 1980–84 के दौरान लगभग 3000 करोड़ रुपये निवेश किये हैं, मैं यह गणना कर रहा था कि यदि इसमें से 30 प्रतिशत बिचौलियों को चला जाता है और वास्तव में यह लाभ-भोगियों को नहीं मिलता तो योजना आयोग, सम्बद्ध मन्त्रालयों तथा सरकार के प्रयासों द्वारा लागू किये जा रहे हमारे ये सभी कार्यक्रमों वास्तव में उन लोगों तक नहीं पहुंच पाते जो उनसे लाभ उठाना चाहते हैं। हमारे सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे हैं। किन्तु इन्हें भली-भांति क्रियान्वित करना होगा।

योजना आयोग ने जो विवरण दिया है मैं उसका एक अंश पढ़ना चाहता हूं। योजना आयोग ने कहा है कि गरीबी मिटाने की दिशा में भूमि सुधार कार्यक्रम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। हम केवल यह कर पाये हैं कि केवल 21.96 लाख भूमिहीन परिवारों को, जो कुल भूमिहीन परिवारों का कठिनाई से 10 प्रतिशत ही बनता है, कुल 14.70 लाख हैक्टेयर भूमि ही आवंटित कर पाये हैं। हमने बहुत सारी भूमि ले ली है, फिर भी फालतू भूमि बची हुई है, परन्तु हम अभी तक उस सारी फालतू भूमि को वितरित करने में सफल नहीं हुए हैं जिसे हमने विभिन्न हदबन्दी कानूनों के अधीन अधिग्रहण किया है। मैं यहां यह सुझाव देना चाहता हूं कि हमें भूमि सुधारों को लागू करने की राजनीतिक दृढ़ इच्छा रखनी चाहिये। इसके अतिरिक्त ग्राही की गरीबी उसे पूरक निवेश की अनुमति नहीं देती है। छठी योजना के अनुसार :

> "यदि भूमि सुधारों में प्रगति संतोषजनक नहीं रही है तो, इसका कारण नीति में त्रुटि नहीं, अपितु असंतोषजनक कार्यान्विति है।"

4.45 म.प.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

यह मुख्य मुद्दा है। जो भी कार्यक्रम है, हमें उन्हें लागू करना चाहिये, फिर चाहे यह 20-सूत्री कार्यक्रम हो, भूमि सुधार कार्यक्रम हो, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम हो या गरीबी उन्मूलन से सम्बद्ध हमारे अन्य सभी कार्यक्रम। मुख्य मुद्दा यह है कि हम यह देखें कि हमारे सभी कार्यक्रम ईमानदारी से शतप्रतिशत रूप में लागू किये जायें और यदि ऐसा किया जाता है कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक दशाब्दि में हम यह पायेगें कि इस देश से गरीबी मिट गई है।

4.46 म० प०

राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकर गतिविधियों के सम्बन्ध में की गई गिरफ्तारियों के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधान मंत्री महोदय एक वक्तव्य देगें ।

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण घटना पर मैं सभा को विश्वास में लेना चाहता हूं । जैसा आप जानते हैं प्रत्येक सरकार को गोपनीय सूचना और आसूचना को गुप्त रखने के बारे में पूरी सतर्कता बरतनी होती है मैंनें इसकी समीक्षा की है और सुरक्षा प्रणाली को सशक्त बनाया है । सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि महत्वपूर्ण पदों पर काम करने वाले कुछ कर्मचारी राष्ट्रीय हित के विरुद्ध गतिविधियों में लगे हुए हैं। छानबीन चल रही है और कुछ गिरफ्तारियां की गई हैं । मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इस अवस्था पर और अधिक कुछ कहने के लिए मुझ पर जोर नहीं डालेंगे, क्योंकि इससे छानबीन में बाधा उपस्थित होगी ।

गरीबी समाप्त करने के लिए उपायों के बारे में संकल्प—जारी

[अनुवाद]

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी (हावड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के सदस्य प्रो० मधु दण्डवते के संकल्प की विषय वस्तु का समर्थन नहीं करता हूं, परन्तु मैं इसकी भावना में सहभागी हूं । प्रो० मधु दण्डवते सभा में उपस्थित विद्वान सदस्यों में से एक हैं तथा वह आर्थिक विज्ञान और देश की अर्थव्यवस्था का ज्ञान रखते हैं । जब वह ऐसे मामलों तथा विषयों पर सभा के बाहर और भीतर बोलते हैं तो राजनीति और अर्थशास्त्र के छात्र होने के नाते हम कुछ सीखते हैं और अधिक सीखने का प्रयास करते हैं । परन्तु दुर्भाग्य से आज सदन में मुझ बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रो० मधु दण्डवते के विचारों से सहमत होते हुए और उन के ज्ञान एंव विवेक से कायल होते हुए भी उनकी धारणा से सहमत नहीं हूं । उन्होंने बुद्धिमत्तापूर्वक कुछ मूल मामलों को छोड़ दिया है जो कि घोर गरीबी के लिए उत्तरदायी हैं और इसे और विकट बना दिया है ।

4.47 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

प्रो० मधु दण्डवते ने अपने भाषण के अन्तिम भाग में, संकल्प पर बोलते हुए, बड़ी शालीनता से फिर से महात्मा गांधी को घसीटने का प्रयास किया है तथा हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री, जो कि कार्य कर रहे हैं, के बारे में कुछ बातों को उजागर किया है और आशंका प्रकट की है तथा यह कहा है कि गांवों में गरीबी रेखा को मिटाने के लिए कम्प्यूटर-प्रौद्योगिकी को नियमित रूप से नहीं अपनाया जाना चाहिए । इस प्रकार उन्होंने प्रधान मंत्री के इरादे के बारे में शंका प्रकट की । अत्यन्त विनय और आदर सहित मैं प्रो० मधु दण्डवते को यह याद दिलाना चाहूंगा कि महात्मा

गांधी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विरुद्ध नहीं थे और सभवतया प्रो० दण्डवते यह मानेंगे कि यहां तक कि गुरुदेव टैगोर के भी महात्मा गांधी से राष्ट्रीय चर्खा के बारे में गंभीर मतभेद थे। यद्यपि बहुत से कांग्रेसी टैगोर द्वारा अभिव्यक्त विचारों से अप्रसन्न थे और अन्ततः यह पाया गया था कि अपनी धारणा में टैगोर भी गलत नहीं थे किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि टैगोर और महात्मा गांधी में कोई मुकाबला था। हम दोनों को ही उनके सही परिप्रेक्ष्य में, उचित स्थान पर रखने का प्रयास करते हैं। जब हम वर्तमान प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी महोदय के विज्ञान और अन्य मामलों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी पर विचारों के बारे में सोचते हैं तो मैं अनुभव करता हूं कि यह वास्तव में ही देश का बड़ा सौभाग्य है कि उनके ऐसे विचार हैं, क्योंकि गरीबी वास्तव में केवल योजना आयोग के आंकड़ों तथा राजनीतिक दलों के भाषणों और यहां-वहां बातों की लड़ाई से दूर नहीं की जा सकती। आज समस्त विश्व में अर्थव्यवस्था का अनिवार्य घटक है, गरीबी की जड़ों में प्रहार करने के लिए अधिकाधिक उन्नत विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी का प्रयोग अतः, यदि प्रो० दण्डवते अपने आधारहीन सर्वोत्कृष्ट विचारों से उतरकर नीचे आते हैं, तो मुझे आशा है कि वह हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी महोदय के इन विचारों से सहमत होंगे कि गांवों में भी आज की आर्थिक वृद्धि को, चाहे यह जनता शासन में रही हो या कांग्रेस शासन में, आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बिना गति प्रदान नहीं की जा सकती इसलिए हम महात्मा गांधी का विरोध नहीं करते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते एक उस पर्यटक के कथन का उदाहरण दे रहे थे जिसने पंच-तारा होटल और बड़े मिलों को देखकर कहा था कि उसने महात्मा गांधी के दर्शन नहीं किये थे। मैं यह तो नहीं जानता कि उसके साथ कौन गया था। परन्तु उस समय उसको यह बता देना चाहिये था कि महात्मा गांधी होटलों या मिलों में नहीं रहते हैं। वह भारतीय सभ्यता में रहते थे और अभी भी उस में रह रहे है जो सारे विश्व में आज सर्वाधिक सम्पन्न एंव शक्तिशाली है। और महात्मा गांधी हमारे इस महान देश की सभ्यता में सदैव जीवित रहेगें।

गरीबी की समस्या कोई ऐसा मामला नहीं है जिसकी व्याख्या सभा में एक या दो घन्टे में की जा सके। परन्तु संकल्प प्रस्तुत करने वाले सदस्य ने कुछेक मुद्दों को छोड़ दिया है, जिन्हें मैं इस संकल्प से सम्बद्ध मन्त्री महोदय के विचारण हेतु उनके ध्यान में लाना चाहता हूं। आज विकास के कौन से अभिकरण हैं ? योजना आयोग राष्ट्र का मार्गदर्शन करने और राशियों के आवंटन का निर्णय करने संबंधी नीति निर्धारक प्राधिकरण है। अपने विभिन्न अभिकरणों के माध्यम से राज्य सरकार अन्तिम रूप से कार्य निष्पादन करने वाला प्राधिकरण है। हमें इन अभिकरणों पर भी दृष्टिपात करना चाहिये। यद्यपि हमने न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया हुआ है, फिर भी कार्यपालिका देश के विकास एंव वृद्धि पर अपना पूरा समय नहीं दे सकती है। संसद नाम की हमारी एक संस्था है और संविधान के नाम से हमारा एक ग्रंथ है जो राज्य के विधानमण्डलों तथा विभिन्न अन्य निकायों को शक्ति प्रदान करता है। देश के विकास के लिए जिला स्तर तक सारे देश में आपने योजना आयोग के अधिकारी नियुक्त कर रखे हैं। आप उसके कलैंडर से यह पता करने का प्रयास कीजिए की कोई विशिष्ट अधिकारी अपने उस समग्र ज्ञान को जो उसने अपने छात्र जीवन में प्राप्त किया है और भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा के दौरान अर्जित किया है, विकास कार्यक्रम में लगाने के लिए कितना समय दे पाता है। उसे संसदीय चुनाव और उप-चुनाव कराने होते हैं तथा फिर उसे विधान सभाओं के लिए भी चुनाव तथा उप-चुनाव कराने होते हैं। साथ ही उसे दिन-प्रति दिन प्रशासनिक कार्य भी देखना

होता है। उसे पंचायत और जिला परिषद के लिए चुनावों को भी देखना होता है। मैंने देखा है कि सबसे निचले स्तर का कोई अधिकारी विकास कार्यक्रम के लिए एक वर्ष में मुश्किल से सात दिन का ही समय दे पाता है। मैं कई जिलों में अधिकारियों के साथ बैठ कर देख चुका हूं कि उसे विकास कार्य के लिए एक वर्ष में वास्तव में केवल सात दिन का ही समय मिलता है, शेष समय में तो वह कागज पत्रों को ही निपटाता रहता है। क्योंकि हमारे युवा प्रधानमंत्री ने सोच-समझ कर कार्मिक प्रशासन तथा प्रशासनिक सुधारों के लिए नया मंत्रालय बनाया है इसलिए मैं इस संकल्प से संबद्ध मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह इस पर ध्यान दें और यह देखें कि आने वाले वर्षों में किसी अन्य उत्तरदायित्व का भार जिले के विकास प्राधिकरण पर न पड़े, जिससे कि प्रत्येक जिले और खंड में बिना किसी व्यवधान के वृद्धि और विकास हो सके। मैं एक उदाहरण दूगां। यह घटना गत-चुनावों में घटी थी। मेरे चुनाव -क्षेत्र के किसी क्षेत्र-विशेष में पीने के पानी की समस्या थी। लोगों को इस तथ्य के बावजूद कि वहां जिला परिषद और पंचायत समिति है, गत ढाई वर्ष से पीने का पानी नहीं मिल रहा है। हुआ यह कि चुनाव से तीन मास पूर्व चुनाव आयोग ने अधिकारियों से कहा कि वह पूर्णतया चुनाव के कार्यों में लग जायें और इसलिए वे फाइल पर ध्यान नहीं दे सके, जिसके परिणाम-स्वरूप उस क्षेत्र के लोगों को आज तक पीने का पानी नहीं मिल सका है। यही वह मुख्य समस्या है जिसे न तो योजना आयोग समझ पाता है और न ही हम उसकी जांच-पड़ताल करने का प्रयास करते हैं। मुख्य समस्या तो विकास कार्यक्रमों के समग्र प्रशासनिक ढांचे में दबी पड़ी है।

दूसरे, मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से प्रो० मधु दण्डवते को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। यह सच है कि जनता पार्टी के शासन के दौरान काम के बदले अनाज कार्यक्रम लागू किया गया था जो कि अन्ततः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम बन गया। उन्होंने अपने भाषण में बताया है कि समस्त विकास कार्यक्रम को भ्रष्टाचार ने निष्प्रभावी बना दिया। उनके अपने शासन काल के दौरान पश्चिम बंगाल के श्री पी० सी० सेन जैसे नेता ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री मोरारजी देसाई का ध्यान इस ओर खींचा था कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम के नाम पर पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपयों की लूट की गई है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम अक्षरशः एक विशिष्ट पार्टी के लिए ही खाने पीने का धंधा और रोजगार प्राप्ति का साधन बन गया ; अनाज जनता के लिए थोड़ा ही था। इतना ही नहीं, न्यायालयों में मुकदमें चले और लोगों को दण्डित किया गया है। मैं किसी दल का नाम नहीं ले रहा हूं। श्री पी० सी० सेन ने स्वयं ही इस ओर श्री मोरार जी देसाई का ध्यान दिलाया था और वह भी एक बार नहीं पांच बार परन्तु वह उनसे किसी प्रकार का सहयोग पाने में असफल रहे। प्रो० मधु दण्डवते इस बात की सराहना करेंगे कि समय-समय पर राजनीतिक सुविधा हेतु हम सब कुछ हजम करने का प्रयास करते हैं और समयानुसार उपयुक्त सिद्धांत की बात को संकल्प के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमें एक बार फिर यह शपथ लेनी चाहिये कि भविष्य में हमें ऐसी बातें नहीं करनीं चाहियें।

जहां तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का सम्बन्ध है, मैं एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं आज एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता था, परन्तु मैंने अपने को रोक लिया। मैंने अध्यक्ष महोदय को पत्र लिखने की बात सोची। 5जनवरी को जारी किए गये समाचार मैं मैंने देखा है कि लोक सभा सचिवालय ने सभा के सभी सदस्यों को चेतावनी दी है कि वे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम या समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के बारे में जिला-स्तर की सूचना मांगने संबंधी प्रश्न न उठाएं। मैं समझता हूं कि यह विलक्षण बात है। संसद

सदस्य यह जाने बिना अपने चुनाव क्षेत्र मे काम कैसे कर सकते है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत क्या कुछ हो रहा है ? समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए तो भारत सरकार शतप्रतिशत धन जुटाती है और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए पचास प्रतिशत । हम विकास के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं ले सकते हैं। लोक सभा सचिवालय के यही निर्देश हैं। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में हमें सूचना देने के मामले में सारी सभा सहमत है ।......

श्री राम प्यारे पनिका : इसे वापिस लिया जाना चाहिये।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : गरीबी के बारे में कुछ आंकड़े तथा कुछ प्रतिशतता उद्धृत की गयी थी। मध्यावधि मूल्यांकन के अनुसार यह 42% है, तेलगू देशम के श्री रेड्डी के अनुसार यह इससे अधिक है और कुछ पत्रिकाओं के अनुसार यह 50% है। मैं आंकड़ों के इस विरोधाभास में नहीं पड़ रहा हूं। परन्तु सच्चाई यह है कि गरीबी है और घोर गरीबी है।

प्रो० मधु दण्डवते द्वारा उठाए गऐ अन्य मुद्दों की जहां तक बात है, क्या वह विश्व के किसी भी भाग से ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं, जहां पर जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने के प्रश्न पर ध्यान केन्द्रित किए बिना वास्तविक विकास हो सका हो ?

प्रो. मधु दण्डवते : मैंने यह बताया है।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : उन्होंने चीन का उदाहरण दिया है। चीन ने जो तरीका अपनाया है, यदि हमारे प्रधान मंत्री महोदय भी उसे अपनाकर यहां लागू करने का प्रयास करते हैं तो मेरे विचार से विपक्ष प्रतिदिन ही सदन से उठकर बाहर चला जाया करेगा । और कांग्रेस सदस्य भी इसका विरोध करेंगे और इसे अस्वीकार करेंगे। महोदय, मैं इस मामले में सोवियत संघ और चीन का जिक्र नहीं करना चाहता। मैं सोवियत संघ में साइबेरिया केम्प के इतिहास को और चीन के इतिहास को याद नहीं रखना चाहता हूं। मैंने हाल ही मैं चीन की यात्रा की है। मैंने वहां देखा कि वे अपने राष्ट्रीय एककों को निजी क्षेत्र को सौंप रहे हैं। चीन अपने अनुभव से वास्तविकता को समझ रहा है और राष्ट्रपति माओ के दर्शन का अब जोर नहीं रहा है । मार्क्स के दर्शन की स्थिति भी ऐसी ही है।. मैं इससे सहमत हूं या नहीं यह महत्वपूर्ण नहीं है। जिम दिन कम्प्यूटर का प्रचलन हुआ, उस दिन यदि महात्मा गांधी जीवित होते तो हम उनकी प्रतिक्रिया जान सकते थे । जब परमाणु ऊर्जा और सौर ऊर्जा का प्रयोग आरम्भ हुआ, उस समय यदि लेनिन जीवित होते तो हमें उनकी प्रतिक्रिया मिल जाती। जो लोग अब जीवित नहीं है, उन लोगों की काल्पनिक प्रतिक्रिया के नाम पर और इस बहाने पर कि महात्मा गांधी ने यह कहा था और लेनिन ने यह कहा था, यदि आप विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को रोकना चाहते हैं तो हम आधुनिक नहीं रहेंगे, हम सभ्य नहीं रहेंगे। परन्तु यदि हम अपनी विरासत को बनाए रखते हुए आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई प्रगति के साथ कदम मिला कर चलते हैं तभी हम आधुनिक और सभ्य हैं।

वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य गरीबी से लड़ना है और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का भी यही उद्देश्य है। परन्तु मैं इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम क्या है ? मैं गांवों में देख चुका हूं वे क्या करते है कि गांव में एक हजार आदमियों को लाते हैं और कहते हैं 'यह सड़क बनाओ' और वे उन्हें तीन महीनों के लिए

भोजन/खाद्यान्न देते हैं। तीन महीनों के बाद सड़क पक्की है या कच्ची यह महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। अधिकतर यह कच्ची होती है और अगली बरसात में बह जाती है और पूर्णतया नष्ट हो जाती है और लोग बेरोजगार हो जाते हैं। हमें नियमित योजनाएं और कार्यक्रम चाहिएं जिससे लोग यह अनुभव करें कि हमें नियमित रूप से रोटी मिल रही है। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और योजना आयोग ने यह समझा कि भरपूर उत्पादन होगा, हमारी भरपूर फसल होगी और एक अच्छा सुरक्षित भंडार बन जाएगा और हम गरीब लोगों को खाद्यान्न बांट देंगे। परन्तु हम नहीं चाहते कि अपने लोगों के साथ भिखारियों जैसा व्यवहार किया जाये। हम नहीं चाहते कि वे केवल भाड़े की भावना से काम करें। हम चाहते हैं कि वे रोटी और भोजन के मामले में हमारी सभ्यता के सहभागी बनें। अब गति धीमी है और हम उसमें तेजी लाना चाहते हैं।

आज मैं अपने राज्य का एक उदाहरण दे सकता हूं। आप हैरान होंगे—मैं किसी व्यक्ति विशेष पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं। मैं विपक्ष के सभी सदस्यों को आमन्त्रित कर रहा हूं कि वे चाहे किसी भी जिले में चले जाएं और यदि मैं गलत साबित हुआ तो इस संसद से हट जाऊंगा। महोदय, गरीबी के नाम पर जो राहत और अनुदान बांटे जा रहे हैं वे गरीबी के हिसाब से नहीं बल्कि राजनीतिक प्रेरणा कार्यक्रम के हिसाब से बांटे जा रहे हैं........

(व्यवधान)

डा० सरदीश राय (बोलपुर)। यह सच नहीं है। हम इस पर आपत्ति करते हैं........

(व्यवधान)

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : मैंने विपक्ष को आमन्त्रित किया है और मैं आपको यह कहता हूं कि यदि मैं गलत साबित हुआ तो मैं संसद से त्याग पत्र दे दूंगा

(व्यवधान)

श्री अमर रायप्रधान (कूच बिहार) : मैं चुनौती स्वीकार करता हूं........

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए ; इन्हें बोलने दीजिए।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : महोदय उनके अपने जेल और कारागार मंत्री ने जो पिछली सरकार में पंचायती राज और विकास मंत्री थे, कहा है........

(व्यवधान)

उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था, और मेरे पास समाचार-पत्र की कतरन भी है कि भ्रष्टाचार की वजह से इस कार्यक्रम में निम्नतम वर्ग के साथ न्याय नहीं हो रहा है। इन मंत्री जी का नाम है श्री देवव्रत बनर्जी। वह आर. एस. पी. के हैं। **(व्यवधान)** महोदय कार्यवाही न्यायालय में मौजूद है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। इन कारणों से इनकी पकड़ कमजोर पड़ती जा रही है। **(व्यवधान)**

महोदय, श्री चौबे यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि उनके विरोधी भ्रष्टाचार करते हैं तो वामपंथी राज्य भी भ्रष्टाचार कर सकता है ? मैं उनकी वामपंथी बुद्धि का कायल हूं ।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए ।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : मैं समाप्त कर रहा हूं । इस संकल्प का जहां तक संबंध है, मैं कह चुका हूं कि मैं इसके पीछे निहित भावना से सहमत हूं परन्तु इसके पाठ से सहमत नहीं हूं । मैं इसके पाठ का विरोध करता हूं । मैं आपके माध्यम से इस संकल्प के प्रस्तावक से और मंत्री जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि हम अब सभा में चुन कर आ गए हैं चाहे इस ओर से आए हैं या उस ओर से, और हमारे युवा प्रधान मंत्री ने न केवल जनादेश के कारण बल्कि अपनी दूरदर्शिता से भी गरीबी

5.00 म०प०

दूर करने पर अत्यधिक जोर दिया है और योजना आयोग अगली योजना का मूल्यांकन कार्यक्रम तैयार कर रहा है, इसलिए विकास संबंधी पहलू को कार्यकारी प्रमुखों की दैनिक प्रशासनिक गति-विधियों से न जोड़ा जाए । जिला परिषदों और पंचायत समितियों में जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन के साथ चाहे वे मेरे दल के हों या अन्य दल के, संसद द्वारा अधिनियमत कठोरतम कानूनों से निपटा जाए । क्योंकि वे गरीब लोगों का खून चूस कर अपना पेट भरते हैं। मुझे यही निवेदन करना था । हम गरीबी के विरुद्ध प्रभावी ढंग से तभी लड़ सकते हैं ।

श्री डी. बी. पाटिल (कोलाबा) : सभापति महोदय, मैं प्रो. मधु दण्डवते द्वारा प्रस्तुत किए गए संकल्प का समर्थन करता हूं । जहां तक हमारे देश के निर्धन लोगों का संबंध है, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण संकल्प है । सर्वप्रथम मैं 'गरीबी रेखा' की परिभाषा को ही चुनौती देता हूं । छठी योजना के प्रलेख में इसकी परिभाषा इस प्रकार की गई है :

> "छठी योजना में स्वीकृत निर्धनता की परिभाषा का संबन्ध उस प्रति व्यक्ति व्यय स्तर से है जो एक दिए गए वर्ष में (1973–74) कैलोरी की दैनिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु जरूरी है । ग्रामीण क्षेत्र के लिए यह 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आवश्यकता के लिए 49.9 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिमास निर्धारित किया गया था और शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कलोरी प्रतिदिन के लिए 56.64 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिमास निर्धारित किया गया था"

मैं यहां विस्तार में नहीं जाना चाहता परन्तु मैं प्रारम्भ में ही "गरीबी रेखा" की परिभाषा को चुनौती देता हूं क्योंकि यह माना गया है कि गांवों में व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ती है । मेहनत कश के लिए 2400 कैलोरी पर्याप्त नहीं है । मेहनत कश के लिए न्यूनतम 3500 कैलोरी की आवश्यकता है । अत: मैं यह कहता हूं कि इसकी परिभाषा ही त्रुटिपूर्ण है ।

अब जहां तक शहरी क्षेत्रों का संबंध है, यह 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित की गई है । शहरी क्षेत्रों में भी मेहनत करने वाले लोग हैं और उनको कैलोरी की आवश्यकता 3500 है । अतः मैं यह कहता हूं कि "गरीबी रेखा" की परिभाषा ही सही नहीं है । इसे संशोधित करना होगा ।

एक अन्य पहलू यह है कि जहां तक गरीबी रेखा का संबंध है , गरीबी की परिभाषा करने के लिए केवल भोजन संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है । यदि हम आवास, कपड़े, शिक्षा

संबंधी आवश्यकताओं को और चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखें तो हमारे देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग 80 प्रतिशत होंगे। यदि गरीबी हटानी है तो इन सभी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए।

गरीब व्यक्ति को न केवल दो समय का भोजन उपलब्ध कराया जाना चाहिए बल्कि हमें उनकी आवास, कपड़ों, शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं आदि की भी पूर्ति करनी चाहिए। इन आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

महोदय, यह तर्क दिया गया है कि सरकार द्वारा गरीबी हटाने के लिए किए गए प्रयासों जैसे समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम तथा अन्य कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप वे गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। अन्य भी ऐसे कई कार्यक्रम हैं जिन पर गरीबों के नाम पर अब तक करोड़ों रुपये खर्च किए जा चुके हैं। परन्तु वास्तव में इन, कार्यक्रमों से गरीब लोगों को कितनी सहायता मिली है? यहां मैं आपको एक ज्वलंत उदाहरण देता हूं। जहां तक समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का संबंध है, इसके अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में भ्रष्टाचार के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। यह मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में है और यह तब की बात है जब मैं चुनाव के लिए प्रचार कर रहा था।

नौ आदिवासी परिवारों को एक-एक भैंस दी गई थी। जब उन्होंने वहीं दूध निकाला तो एक समय तीन लीटर दूध मिला। जब वे भैंस को घर लाये तो एक समय में उन्हें कठिनाई से आधा लीटर अथवा एक लीटर दूध मिला। मैंने जब उनसे पूछा कि उन्हें कितनी आर्थिक सहायता मिल रही है तो मुझे उन्होंने बताया कि उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं है। उन्होंने केवल यह बताया था कि उन्हें पशु दिया जा रहा है और इससे प्रतिदिन छः लीटर दूध मिलेगा। परन्तु वास्तव में उन्हें कठिनाई से दो लीटर दूध मिल रहा है। उनके सामने यह समस्या थी कि इन पशुओं को कैसे रखा जाए, कैसे उनको चारा आदि उपलब्ध कराया जाए और कैसे अपने परिवारों का भरण-पोषण किया जाए। उनके समक्ष यह समस्या थी। उनके साथ इस प्रकार का धोखा किया गया था। इन पशुओं का रखना उनके लिए वास्तव में एक समस्या थी। यह मामला भ्रष्टाचार का एक स्पष्ट उदाहरण हैं।

महोदय, यह तर्क दिया गया है कि इन योजनाओं के साथ-साथ 'काम के बदले अनाज, योजना भी क्रियान्वित की जा रही है। जहां तक महाराष्ट्र का संबंध है, हमारा यह अनुभव है कि 'काम के लिए अनाज' योजना क्रियान्वित नहीं की जा रही है। सभापति महोदय, आपको संभवतः याद होगा क्योंकि आप महाराष्ट्र से आए हैं। हम सब विपक्षी 'काम के बदले अनाज' योजना को क्रियान्वित करने की मांग करते रहे परन्तु महाराष्ट्र सरकार इस संबंध में अटल रही और हमारे इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि महाराष्ट्र में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को ऊपर उठाने के लिए 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम महाराष्ट्र में भी आरम्भ किया जाए। महाराष्ट्र में 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम आरम्भ हीं नहीं किया गया। वहां यह स्थिति है।

विभिन्न योजनाओं के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। परन्तु वास्तव में उपलब्धि क्या है? मैं केवल एक उदाहरण दूंगा। मैं 14 अप्रैल, 1984 की 'इकोनोमिक एंड पोलीटिकल वीकली' से उद्धृत कर रहा हूं। यह पृष्ठ 635 पर है। सारणी II में 'प्रति व्यक्ति मासिक घरेलू खर्च' दिखाया गया है। यह 1960–61 के मूल्य स्तर के अनुसार है। 1960–61 में ग्रामीण क्षेत्र के आंकड़े 21-53 थे। 1981–82 में ये 23.22 थे। वास्तविक वृद्धि केवल 0.36% थी। यह

ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति है। अब मैं आपको शहरी क्षेत्र की स्थिति बताता हूं। 1960–61 में प्रति व्यक्ति घरेलू खर्च 29.61 रुपये था और 1981–82 में यह 31.81 रुपये था। यह वृद्धि कठिनाई से 0.32% प्रतिवर्ष बैठती है। यदि स्थिति यही रहीं तो यह आशा नहीं की जा सकती कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले गरीब और दलित लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया जा सकेगा। जब तक गरीबी हटाने के लिए प्रबल कदम नहीं उठाए जाते तब तक हम इस समस्या को हल नहीं कर सकते। उनकी आय में वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम तत्काल उठाए जाने चाहिएं।

इन गरीब लोगों को रोजगार की गारंटी देने का जहां तक संबंध है सरकार को इन सभी अनपढ़ और दलित व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिएं।

जैसा आप जानते हैं महाराष्ट्र में रोजगार गारंटी योजना है। भारत सरकार ने भी सिद्धान्त रूप में इसे स्वीकार किया है। परन्तु भारत में इसे वास्तविक रूप में क्रियान्वित नहीं किया गया है।

यह महाराष्ट्र सरकार का कानूनी दायित्व है कि वह प्रत्येक अनपढ़ को और गांवों में रोजगार तलाश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार दे।

वे अधिकार के रूप में भी अपने लिए रोजगार की मांग कर सकते हैं। जब तक सारे देश में इन योजनाओं को लागू नहीं किया जाता तब तक यह समस्या बनी रहेगी और लोगों की गरीबी दूर नहीं की जा सकती।

महोदय, इसके बाद देश में विभिन्न क्षेत्रों में हुए विकास के फलस्वरूप जो लाभ अथवा सुविधाएं पैदा हुई हैं उनके पुनर्वितरण का प्रश्न है। जहां तक इनका संबंध है, अनुभव यह है कि गरीब अधिक गरीब तथा धनी अधिक धनी बनते जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि विकास से उत्पन्न लाभों का पुनर्वितरण ठीक ढंग से नहीं किया गया है।

महोदय, इस संबंध में, यह मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जहां तक निर्धन और पददलितों के उत्थान का संबंध है, आवश्यक वस्तुओं के लिए समुचित सार्वजनिक वितरण प्रणाली बनाई जानी चाहिए। सरकार द्वारा कई बार प्रचार किया गया है कि निर्धनों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा सभी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएंगी। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है, सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति प्रति माह 10 किलोग्राम चावल दिए जाने का जो कोटा निर्धारित किया गया, गांवों में निर्धनों को उतना कोटा नहीं दिया जाता है। उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा प्रति माह केवल 1 किलों ग्राम चावल या बाजरा भी प्राप्त नहीं होता है। अतः मेरा सुझाव है कि निर्धनों के उत्थान तथा उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाने का एक उपाय यह है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को इस तरह सुदृढ़ किया जाए कि इस प्रणाली के द्वारा बड़े पैमाने पर और पर्याप्त मात्रा में कम मूल्यों पर कई आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाना चाहिए। यदि सरकार इन सभी योजनाओं को कार्यान्वित करे तथा इन्हें व्यवहार में लाए तो काफी हद तक भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा जिससे निर्धनों को, जिन्हें वास्तव में ऐसी सहायता चाहिए, लाभ मिल सके।

अंत में मैं सुझाव दूंगा कि जब तक निर्धनों, पददलितों और उन सभी व्यक्तियों को जो रोजगार की तलाश में हैं, को रोजगार की गारन्टी नहीं दी जाती, तब तक हम गरीबी को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते। इसका एकमात्र समाधान यह है कि इस संबंध में विद्यमान कानून में आवश्यक संशोधन इस सदन के समक्ष पेश किए जाएं, ताकि निर्धनों और पददलितों को रोजगार की गारंटी दी जा सके और हम इस बड़ी समस्या का स्थायी समाधान ढूंढ सकें।

सभापति महोदय : श्री मूलचन्द डागा।

डा. सरदीश राय (बोलपुर) : आपको विपक्ष की ओर से बुलाना चाहिए।

सभापति महोदय : मैं उसी क्रम से नाम बुला रहा हूं जिस क्रम में मुझे नाम दिए गए हैं।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : यह प्रक्रिया नहीं है। आपको विपक्ष का सदस्य बुलाना चाहिए।

सभापति महोदय : श्री डागा को बोलने दीजिए उसके बाद में विपक्ष के सदस्य को बुलाऊंगा।

श्री के० डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : वास्तव में सरकारी पक्ष के चार तथा विपक्ष से एक सदस्य बुलाना चाहिए।

डा० सरदीश राय : यह उचित नहीं है। आप कृपया विपक्ष के सदस्य को बुलाइये।

सभापति महोदय : श्री डागा।

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति जी, यह जो संकल्प रखा गया है, मैं समझता हूं कि यह बड़ा समय के अनुकूल है और इस पर गहराई से विचार होना चाहिये।

सवाल यह है कि देश से गरीबी हटाने के लिये जो आंकड़े, सरकार देती है वह सही हैं या जो आंकड़े इकनामिस्ट्स दे रहे हैं, वह सही हैं? यह बात कैसे मालूम की जाये? मैं यह पूछना चाहता हूं कि योजना के बड़े विशेषज्ञ जो गरीबी के मामले में आंकड़े देते हैं वह सही हैं या जो आर्थिक जगत के बड़े पंडित आंकड़े देते हैं, वह सही है?

मैं अपने मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वह इस बात का जवाब दे कि हिन्दुस्तान की भूमि पर आज कितने लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं और उनका आधार क्या है, किस आधार पर वह अपने फिगर्स देते हैं? वह किन्हें गरीब मानते हैं और उस आधार पर कितने लोग गरीब है?

आपने बताया था कि 1961 से लेकर 1972 तक 12 साल के अन्दर गरीबी की रेखा का आंकड़ा नीचे नहीं हुआ। यह आपके फिगर्स हैं। 1960–61 से 1972–73 तक 12 साल के जो फिगर्स योजना विभाग ने दिये हैं, उनसे मालूम होता है कि कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। गवर्नमेंट ने ये फिगर्स दिये हैं कि 1961–62 से 1972-73 तक 12 साल के अन्दर गरीबी की रेखा वैसी की वसी ही रही।

इन्होंने तमिलनाडु के 8 डिस्ट्रिक्ट का एक सर्वे कराया और कहा कि 40 परसैंट लोग जो बिलो पावर्टी लाइन में थे, वह पावर्टी लाइन से आगे आ गये। गुजरात में 194 ब्लाक थे, उसमें केवल 1 परसैंट लोग पावर्टी लाइन से बाहर हैं। यह है नेशनल सैम्पल सर्वे जो कि इनके द्वारा किया गया। आज हम जानना चाहते हैं कि इसके बारे में आपका साइंटिफिक फार्मूला क्या है जिसके आधार पर आप लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर मानते हैं?

[व्यवधान]

हम चाहते हैं कि गरीबी मिटनी चाहिये। गरीबी देश के लिए अभिशाप है और आपके विचारों की गरीबी भी अभिशाप है।

गरीबी के बारे में चिन्तन होना चाहिये। गरीबी बड़ा पाप है जिसका हमें मुकाबला करना है।

इन्होंने जो तमिलनाडु में सर्वे किया, कि जो 40 परसैंट गरीबी की रेखा से नीचे थे वह पावर्टी लाइन से ऊपर आ गये और गुजरात में जो सर्वे किया तो क्या वहां 1 परसैंट ही गरीबी की रेखा से ऊपर आये हैं?

महोदय, मुझे इन फिगर्स का जवाब दीजिए कि 1982–83 और 1983–84 इन दो सालों में कितने लोग गरीबी रेखा के ऊपर आ गये। आपने यह बताया कि 1981–82 के अन्दर हम 5.10 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर ले आये, लेकिन आपके आर्थिक पंडित कहते हैं कि केवल 77.7 मिलियन लोग गरीबी के नीचे आये। प्रो० राज कृष्ण का एक आर्टिकल है "रिडक्शन इन पावर्टी"

[अनुवाद]

और इनका कहना है कि पहले दो वर्षों में 77 लाख लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए न कि 570 लाख लोग।

[हिन्दी]

गांवों में गरीबों को जो आप सहायता देते हैं, वह उन तक नहीं पहुंच पाती है। बैंक अधिकारी कहता है कि फलां सहायता दी, ब्लाक अफिसर भी लिख देता है कि फलां सहायता दी। हर कोई अलग-अलग आंकड़े दे देता है।

आज मेरा क्वश्चन नं० 9 इसी सब्जेक्ट पर था कि आपका लोन बढ़ रहा है। वह कर्जा आज बहुत ज्यादा हो गया है। उस कर्जे की फिगर्स जब मैंने पूछी थी, तो आपने बताया कि 23 हजार 268 करोड़ के कर्ज पर हमें 418.4 करोड़ ब्याज देना पड़ता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन-जिन पर आपने कर्जा लिया है, उनका रिटर्न क्या मिला है। अगर इस सब को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि हम को कितना घाटा हुआ है। यह घाटा आप अपने आंकड़ों से देखें। हमारा इनवेस्टमेंट काफी हो गया है और हमने बराबर कर्जा लिया है और कर्जा लेने के बाद हमारा जो इनवेस्टमैंट है, वह इसमें हमें कम मिला है [अनुवाद] प्रत्येक मद पर चाहे, वह कोयला हो, बिजली हो, एल्युमीनियम हो या इस्पात, कितना लाभ हुआ है?

[हिन्दी]

ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर, बैंक आफिसर और पुलिस आफिसर सारा पैसा खा जाते हैं।

गरीबी दूर करने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है उसका लाभ गरीब को नहीं मिल पाता है, बीच के आदमियों को मिल जाता है ये मिडिलमैन उस सारे पैसे को खा जाते हैं। जो रुपया सरकार गरीबों के विकास के लिए खर्च करना चाहती है वह उनके लिए खर्च नहीं होता है। सरकार इसका कोई नैशनल सैम्पल सर्वे कराए या और किसी साइंटिफिक मेथड से इस की जांच कराए कि क्या जो लोग गरीब थे, वह वाकई गरीबी रेखा के ऊपर आ गए।

यह आप का बहुत बड़ा योजना भवन है, उसमें जो लोग बैठे हैं प्लानिंग कमीशन में उनके बारे में ऐनिवर्सरी ईश्यु आफ दी वीक में एक रिसेंट आर्टिकल निकला है, जिसमें उन्होंने एक अप्रेजल दिया है, वह मैं आप के सामने रखना चाहता हूं कि हाउ वे वर्क एण्ड हाऊ वे फंक्शन। उस पर आप का ध्यान मैं खींचना चाहता हूं और यह बताना चाहता हूं कि उन की जो थिंकिंग है वह किस प्रकार की है और कैसे वह अपनी गलतियों को छिपाते हैं। इसमें दिया है:

[अनुवाद]

योजना प्रक्रिया न्यूनाधिक रूप से एक आम बात हो गयी है। यह गतिहीन प्रक्रिया है और अपने ही दायरे में सीमित होकर रह गई है, हम केवल इसकी कल्पना ही कर सकते हैं। यह वास्तविकताओं का सामना करने में असमर्थ है। योजना आयोग अथवा सरकारी तंत्र में अन्यत्र ऐसी कोई विशिष्ट इकाई नहीं है जिस पर मूल्यों में स्थिरता लाने की जिम्मेदारी हो यद्यपि इस पर प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में स्पष्टतः बहुत महत्व दिया जाता है।

[हिन्दी]

आप काइंडली इस को नोट करें कि प्लानिंग कमीशन और इतना बड़ा जो योजना भवन है वह करता क्या है। आप मुझे यह बता दें कि आज तक योजना भवन ने जों योजना बनाई है। उस में क्या कभी उन्होंने अपना टार्गेट अचीव किया है। एक भी योजना ले लें, उसमें योजना भवन ने जो टार्गेट रखा उसको वह अचीव नहीं कर सके है – पहली योजना, दूसरी योजना, तीसरी योजना, चौथी योजना, पांचवी योजना और छठी योजना किसी को भी ले लें, इन सारी में जो प्लानिंग हुआ है उस में हम लोगों ने टार्गेट अचीव नहीं किया है और आज 37 सालों के बाद भी गांवों में पीने का पानी नहीं है, आज भी गरीबी रेखा के नीचे लोग बढ़ रहे हैं। तो आप किस फिगर से, किस आधार पर यह बात कहना चाहते हैं कि आप लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ला रहे हैं।

आज कीमतों के बारे में और होर्डिंग वगैरह जो होती है उसके बारे में सरकार ने जो निर्णय लिया है, वह निर्णय सरकार का सही है कि स्वच्छ और साफ प्रशासन दिया जाएगा, ईमानदारी और निष्ठा से काम करने वाले लोगों को आगे बढ़ाया जायेगा और बेईमान और भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। यह कार्यवाही जब की जायेगी तो आप की योंजनाएं सही माने में लोगों को राहत पहुंचा सकेंगी, वरना एन० आर० ई० पी०, एन० आर० डी० पी० या और भी जो इस तरह के प्रोग्राम हैं उन में जो शैडयूल एरिया प्रोग्राम आपने बनाए थे, उनका 30 परसैंट भी अचीव नहीं कर सके हैं। अगर आप चाहें तो मैं फिगर्स पेश कर सकता हूं। तो इस पर आप को विचार करना चाहिए कि जो प्रोग्राम आप बनाते हैं उनका इम्पलीमेंटेशन उसी प्रकार से हो जैसे कि आप ने बनाया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अगले वक्ता को बुलाने से पूर्व मैं यह बताना चाहता हूं कि इस संकल्प के लिए निर्धारित समय पूरा हो चुका है। क्या सदन चाहता है कि समय और बढ़ाया जाए।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : समय तीन घण्टे और बढ़ाया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : हम इसका समय एक घण्टा और बढ़ायेंगे। आज हम 6 बजे तक बैठेंगे। शेष समय हम अगले अवसर पर देंगे।

श्री गदाधर साहा (बीरभूम) : सभापति महोदय, मैं प्रो० मधु दण्डवते द्वारा पेश किए गए संकल्प का समर्थन करता हूं। इस संबंध में मुझे आशा है कि सभी माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि हमने गरीबी रेखा और निर्धन शब्द को प्रभावित करने के लिए जीवन का निम्न स्तर स्वीकार किया है। गरीबी रेखा को परिभाषित करने के लिए प्रयुक्त मानदण्ड यह नहीं दर्शाता है कि यह जीवन का न्यूनतम स्तर नहीं है बल्कि मानदण्ड मात्र जीना ही है।

ऐसे कई उदाहरण और साक्ष्य हैं जिनसे यह पता चलता है कि यह आय, भूमि, औद्योगिक आस्तियों का असमान वितरण हुआ है और हमारे समाज में असमानता है। मैं सरकारी रिपोर्टों तथा रिजर्व बैंक की रिपोर्ट से उद्धरण देना चाहता हूं। इस संबंध में मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि 1977-78 में नीचे के 50% लोगों ने देश की सभी वस्तुओं और सेवाओं का 29% उपभोग किया जबकि ऊपर के 30% लोगों ने 52% का उपभोग किया। नीचे के 10% ने देश में वस्तुओं और सेवाओं का 3.5% उपभोग किया। जबकि ऊपर 10% ने 26% का उपभोग किया। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसर 1961 में नीचे के 10% ग्रामीणों को 0.1% ग्रामीण आस्तियों पर स्वामित्व प्राप्त हुआ, 1971 में भी ऐसा ही हुआ। ऊपर के 30% व्यक्तियों को, जिनका 1961 में पहले से काफी बड़े हिस्से 79% ग्रामीण आस्तियों पर स्वामित्व था, यह हिस्सा बढ़कर 1971 में 82% हो गया। यह भी सूचना दी गई कि लघु और सीमांत कृषक, जिनकी संख्या कुल कृषकों का 73% है, केवल 23% भूमि पर खेती करते हैं जबकि बड़े कृषक जिनकी संख्या 3% है कुल भूमि 26% भाग पर खेती करते हैं। सम्पत्ति तथा भू-स्वामित्व में इस असमानता के कारण कुछ बहुत अमीर हो गए हैं और अन्य लोगों की आय का स्रोत विद्यमान कानून के होते हुए भी श्रम करने के अलावा कुछ नहीं है। उनके श्रम का मूल्य उन्हें बहुत कम मिलता है, हालांकि उसके लिए कई कानून बनाए गए हैं। इस असमानता के कारण निर्धन लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है।

अब मैं राष्ट्रीय आय में हिस्सा संबंधी रिपोर्ट के उद्धरण दना चाहता हूं। समाज के नीचे के 40—60% श्रमिकों के हिस्से में जो राष्ट्रीय आय आती है, वह पिछली तीन दशकों से स्थिर रही है और हाल ही में उसमें कमी आई है। उपभोक्ता व्यय से इस बात का पता चलता है। इसके मुख्य कारण हैं सामाजिक और व्यक्तिगत असमानता, आय, भू-स्वामित्व, औद्योगिक आस्तियों तथा आवास संबंधी असमानताएं, जिसके परिणामस्वरूप कुछ व्यक्ति अमीर हो जाते हैं बाकी गरीब। गरीबी के मुख्य कारण हैं—भूमि, आय, उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं, भू-स्वामित्व और औद्योगिक आस्तियों का असमान वितरण तथा बढ़ता हुआ काला धन और गैर-कानूनी अर्थ-व्यवस्था क्षेत्र।

ब्रिटेन के एक अर्थशास्त्री के अनुसार, 1953-54 में काला धन लगभग 600 करोड़ रुपये था। प्रत्यक्ष कर जांच समिति, वांचू समिति के अनुसार 1968-69 में यह बढ़कर 1,400 करोड़ रुपये हो गया। 1978-79 में यह 46,867 करोड़ रुपये था। इसका अर्थ यह है कि अर्थव्यवस्था में काला धन 1953-54 में जो 6% था वह बढ़कर आज हमारी राष्ट्रीय आय का 50% हो गया है। अर्थ व्यवस्था में काले धन के कारण कुछ लोगों के आय के स्रोत बढ़ रहे हैं और अधिकांश लोग निर्धन होते जा रहे हैं। जिन थोड़े से लोगों के पास काला धन है वह अवैध तरीकों से शेयर खरीद कर, संपत्ति बनाकर, सोना-चांदी लकर, यात्रा पर खर्च करक, स्कूलों की अधिक फीस देकर, उच्च जीवन व्यतीत करके, धर्मार्थ कार्यों में दान देकर, और चुनावों में पैसा लगाकर अपना धन छिपाने का प्रयत्न करते हैं। इससे गरीबों का धन अमीरों के हाथ में आ जाता है और इस तरह हमारे देश में गरीबों की संख्या बढ़ रही है।

गरीबी के विरुद्ध दो तरह से लड़ा जा सकता है। एक गरीबों के लिए सहायता कार्यक्रम बनाकर और दूसरे गरीबी के मूल कारणों को दूर करके पहला काम यह करना होगा कि निर्धनों को अपर्याप्त भोजन, अल्पपोषण, कुपोषण, आवास की कमी, असुरक्षित पेय जल, अपर्याप्त वस्त्रों, अस्वस्थता, निरक्षरता, शिक्षा सुविधाओं की कमी और आर्थिक असंतुलन के कारण होने वाले परि-

णामों से मुक्त कराया जाए। इस सहायता कार्य में न्यूनतम आवश्यकताएं कार्यक्रम, और भारतीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम आदि शामिल हैं।

1980—85 के दौरान छठी पंचवर्षीय योजना में निर्धनों को इनसे होने वाले परिणामों से मुक्त कराने के लिए कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और मैं समझता हूं कि सहायता कार्यक्रमों के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह राशि अपर्याप्त है। इस संबंध में, मैं इस कार्यक्रम तथा इसके कार्यान्वियन में होने वाली कमियों के बारे में बताना चाहता हूं।

नवम्बर, 1981 में सरकारी स्तर पर कराए गए पुनरीक्षण से पता चला है कि इस कार्यक्रम के लिए संस्थागत ऋण प्रदान करने का कार्यक्रम संतोषजनक नहीं था और सभी स्तर की कार्यात्मक एजेंसियों को क्रियान्वयन तंत्र को सुदृढ़ करना चाहिए, ताकि लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें।

बंगलौर के जांच दल द्वारा किए गए अध्ययन से पता चलता है कि जहां तक दिए गए कुल ऋण का संबंध है बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में दिया जाने वाला अग्रिम धन 1970 में 8% से कम होकर 1980 में 4.88% रह गया है। यह जो कमी आई है, उसमें से ऋण का बड़ा भाग धनी किसानों को ट्रैक्टर, पंप सैट, मोटर तथा अन्य बड़े उपकरण खरीदने के लिए दिया गया है।

संस्थागत ऋण की अनुपलब्धता के कारण ग्रामीण निर्धनता और बढ़ी है। इस समस्या का अन्त न होने का सबसे बड़ा कारण यही है।

ग्रामीण निर्धनता का मुख्य कारण यहां भूमि का उचित वितरण नहीं होना है और धन तथा भूमि का कुछ हाथों में संचित होना है। हमें देश में इसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। भूमि वितरण क्षेत्रों में अनेक राजनीतिक तथा प्रशासनिक और वैधानिक अड़चनें हैं। इन्हीं बाधाओं और अड़चनों के कारण राज्य सरकारों, जो कि इन योजनाओं के क्रियान्त्रयन के लिए जिम्मेदार ह, को इनके उचित क्रियान्वयन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से हम यह उल्लेख करना चाहते हैं कि भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी विद्यमान कानून की कमियों को दूसरे भूमि संशोधन विधेयक, 1981 में दूर किया गया है। इसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए केन्द्र सरकार के पास भेज दिया गया है। अधिक अतिरिक्त भूमि प्राप्त करने के उचित कारण भी हैं और गुंजाइश भी है। हमारा अनुरोध है कि इस संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा शीघ्र अनुमति दी जानी चाहिए।

मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा कोई निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम, जिनमें भूमि सुधार मुख्य संघटक रूप में हो तभी प्रभावी और सफल हो सकता है, जबकि उसका आयाम व्यापक हो, क्योंकि देश में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की वृद्धि के साथ-साथ निर्धनता और अभावग्रस्त में भी उसी अनुपात से वृद्धि हुई है। आर्थिक विकास के लाभ उतने नहीं मिले जितनी की आशा की गई थी। इससे 30 वर्ष पहले की अपेक्षा भखे, आवासहीन, अशिक्षित, कुपोषित, बीमार और निराश्रित लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। अतः पश्चिम बंगाल में बनाए गए और लागू हुए भूमि सुधार कार्यक्रम की मुख्य विशेषताओं में 'बरगा कार्यक्रम में' बरगादारों अथवा बंटाईदारों के नामों का शीघ्र अभिलेखन, भूमिहीन मजदूरों में परती भूमि तथा भूमि की अधिकतम सीमा के परिणामस्वरूप उपलब्ध हुई अतिरिक्त भूमि

का वितरण, अधिकतम सीमा से अधिक भूमि का पता लगाना, निर्धन कृषकों और दस्तकारों को समुचित संस्थागत ऋण देना, सभी भूमिहीन श्रमिकों, दस्तकारों, मछुआरों आदि को वास भूमि का स्थायी पट्टा देना और सिंचाई की सुविधा प्राप्त करना और राज सहायता के रूप में वित्तीय सहायता तथा पुरानी राजस्व प्रणाली का निरसन सम्मिलित है ।

इस संबंध में मैं सदन का ध्यान राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की ओर दिलाना चाहता हूं :—

"राज्य अपनी ऐसी नीति बनाएगा जिससे कि अर्थ-व्यवस्था के फलस्वरूप संपति तथा उत्पादन के साधनों का केन्द्रीकरण न हो और वह आम आदमी के लिए अहितकर न हो ।"

हम सब जानते हैं कि अधिक धन और अधिक आस्तियों का संचय करने से राज्य के इस नीति सिद्धांत तथा हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा घोषित नीति का उल्लंघन होता है ।

राष्ट्र आज संकट में है । हमारे स्वतंत्रता संग्राम के अनमोल लोकतंत्रीय मूल्य खतरे में हैं तथा कुछेक हाथों में धन और शक्ति को केन्द्रीकरण करने की जो प्रवृति हो गई है, उसके फलस्वरूप देश के कुछ भागों में अलगाववाद की स्थिति पैदा हो गई है । इस प्रवृत्ति को रोकना होगा । राष्ट्रीय सुरक्षा को विदेशों से जो भय तथा खतरा है, उससे हम अवगत हैं । अतः हम चाहते हैं कि केन्द्र मजबूत हो और साथ ही राज्य भी मजबूत होने चाहिएं क्योंकि राज्यों के मजबूत हुए बिना निर्धनों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का कोई भी कार्यक्रम, भले ही उसका लक्ष्य कुछ भी निर्धारित किया गया हो, पूरा नहीं किया जा सकता । मैं इस संबंध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं ।

कुल संसाधनों का 70% भाग केन्द्र सरकार के हाथ में है और 22 राज्यों को इसका केवल 30% उपलब्ध है ।

वित्तीय संसाधनों के वितरण का ऐसा उदाहरण संघीय व्यवस्था में और कहीं नहीं मिलता । इसमें आधारभूत परिवर्तन किए जाने चाहिएं ।

कर राजस्व के अधिक लचीले स्रोत केन्द्र के लिए आरक्षित रखे जाते हैं । राज्यों को निगम-करों की आय में से कोई हिस्सा नहीं मिलता और आजकल ये कर आयकर से कहीं अधिक हैं । केन्द्र, राज्यों को आयकर पर अधिभार शुल्क से प्राप्त राजस्व का भी कोई भाग नहीं देता । राज्य सरकारों के संसाधनों में ह्रास के यही उद्गम हैं । इसे बदला जाना चाहिए और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन तथा समाज के पुनर्निर्माण के लिए राज्यों को अधिक शक्ति दी जानी चाहिए ।

मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं ।

गरीबों को निर्धनता की रेखा से ऊपर उठाने के लिए एक सुझाव यह है कि राज्यों को निर्धनता मिटाने के कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिए और अधिक धन दिया जाना चाहिए । इस समय जब योजना के लिए धन जुटाना होता है तो केन्द्र सरकार अप्रत्यक्ष करों के रूप में मुख्यतः गरीबों से ही धन जुटाती है । यह नीति तथा मूल्य नीति जो आय जुटानें तथा आय का वितरण करने का स्रोत है, दोनों में परिवर्तन किया जाना चाहिए । हमारा सुझाव है कि जब तक मूल्य नीति में मूलभूत परिवर्तन नहीं कर दिए जाते, केन्द्र सरकार को 15–20 मुख्य खाद्यान्नों, औद्योगिक कच्चा माल तथा आवश्यक जिन्सों की सारे देश में उचित मूल्यों पर सप्लाई की जिम्मेदारी लेनी चाहिए । यदि आवश्यक वस्तुएं सभी राज्यों में बराबर मात्रा में सुगमता से उपलब्ध नहीं होती या उनमें से कुछ, कुछ स्थानों पर तो

समान मूल्यों पर उपलब्ध हों, लेकिन अन्य स्थानों पर नहीं तो राष्ट्रीय एकता के सिद्धान्त में वह भव्यता नहीं रहती। केन्द्र सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये सारी कमियां और असंतुलन दूर हों।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : मान्यवर, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे देश की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीबी की रेखा से नीचे आज भी जीवन-यापन कर रहा है। चाहे हमारे ग्रामीण क्षेत्र हों, चाहे शहरी क्षेत्र हों, उनमें बहुत बड़ा हिस्सा आज भी बुनियादि सुविधाओं से वंचित है जो कि उनको दी जानी चाहिएं।

लेकिन जिस रूप में संकट प्रस्तुत किया गया है और दिखाया गया है या दिखाने की कोशिश की गई है कि सरकार के द्वारा जितने भी कदम उठाये गये हैं, वे सब गरीबी को दूर करने में असफल रहे हैं, मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है।

चूंकि गरीबी को दूर करना हमारा एक राष्ट्रीय संकल्प है और बिना इस संकल्प की पूर्ति के हर अपनी व्यवस्था को और व्यवस्था के साथ-साथ हम अपनी राष्ट्रीय अनिवार्यताओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि सरकार इस व्यवस्था की ओर इस व्यवस्था के साथ जुड़ी हुई अन्य बातों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। यही कारण है कि पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर आज तक बराबर इस दिशा में नये-नये कदम उठाये गये हैं।

योजना के द्वारा विकास का जो हमारा लक्ष्य है, उसके बारे में यह कहने की गुंजाइश तो है कि जितनी भी योजनाएं प्रारंभ की गई, उनमें कहीं-कहीं कमियां रही हैं। मगर उन कमियों के रहने का यह अर्थ नहीं है कि हम यह कहें कि हमारी योजनाओं के द्वारा विकास नहीं हुआ है। यदि ऐसा होता तो भारत आज जिस स्थिति में है, वह नहीं होता। भारत में 1947 से लेकर आज तक जो परिवर्तन दिखाई देता है, वह नहीं दिखाई देता। जहां भारत में औद्योगिक उत्पादन में अपनी जरूरत की एक चीज भी हम उत्पन्न नहीं करते थे, वहां आज औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से हमारा देश दुनिया का सातवां सब से बड़ा राष्ट्र है और हमारे पास आज इतनी बड़ी तकनीकी जन-शक्ति है कि हम उसके जरीये से अपने देश की आमदनी को बढ़ा रहे हैं और उससे हम अपनी देश की पूरी जनसंख्या के जीवन को चेंज करने में सफल हो सकते हैं।

हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्र के नाम अपना संदेश दिया, उसमें भी उन्होंने इस संकल्प को व्यक्त किया है। मैं समझता हूं कि अगर हमें सब तरफ से सहयोग मिले तो हम इस बड़े काम को कर सकते हैं। जहां हम इस देश में और भी बड़े-बड़े काम कर रहे हैं, वहां मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि हम एक तरफ अन्तरिक्ष में मानव को भेजने की कल्पना कर रहे ह और दूसरी तरफ झोपड़पट्टी में रहने वालों के जीवन-स्तर को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उससे यह पूछने की चेष्टा की जा रही है कि सरकार उनकी क्या मदद कर सकती है, किस तरह से मदद कर सकती है।

आई० आर० डी० पी० का कार्यक्रम बहुत अच्छा कार्यक्रम है। छठी पंचवर्षीय योजना में इस प्रकार काफी पैसा खर्च किया गया है और मैं समझता हुं कि करीब तीन हजार परिवारों को प्रत्येक विकास-खण्ड में इसके जरिये लाभान्वित करने की कोशिश की जा रहीं है। लेकिन एक बात मैं यहां पर कहना चाहता हूं, जो सामयिक है, कि योजना को लागू करने के पीछे जो मशीनरी में उत्साह होना चाहिए, उमंग होनी चाहिए, कमिटमैंट होना चाहिए, वह उत्साह, वह कमिटमेंट हमारी

मशीनरी में नहीं है। उसके अभाव में जो वांछित परिणाम निकलने चाहिए थे, वह नहीं निकल पा रहे हैं। जो लोग व्यक्तिगत तरीके से फायदा उठाने की स्थिति में हैं या उठाना चाहते हैं, उन्होंने यकीनन इस योजना से लाभ उठाया है, मगर सामान्य व्यक्ति, जो संभावनाओं का फायदा उठाने की स्थिति में नहीं है और जिसको कोई ठीक से मदद नहीं कर रहा है, उस व्यक्ति को इस योजना से लाभ नहीं पहुंच पाया है। चाहे गांवों में रहने वाला हरिजन हो, चाहे गरीब किसान हो, चाहे आर्टिजन्स हों, उनको ऋण तो बैंकों ने दिया है, मगर उस ऋण का एक बड़ा हिस्सा दूसरे लोगों के पास चला गया है। जैसा डागा साहब ने कहा और मैं समझता हूं कि यह सदन निर्वाचित प्रतिनिधियों का समूह है और सब लोग इस बात को महसूस करते हैं कि आई० आर० डी० पी० कार्यक्रम में जो पैसा खर्च किया जा रहा है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अधिकारियों के पास चला जा रहा है और हमारे पास कोई ऐसी एजेंसी नहीं है, जिसके जरिये हम ठीक से मानेटरिंग कर सकें। जिसके फायदे के लिए योजना बनाई गई है, उसको ठीक तरह से फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. इसकी व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, हमने इस योजना के साथ ग्राम प्रधानों को जोड़ा है और जिला स्तर पर भी अभिकरण की स्थापना की है जो इसको देखे मगर ग्राम प्रधान और जिला स्तर पर जो अभिकरण मानेटरिंग का काम करता है, उसके पास इतने अधिकार नहीं हैं कि वह व्यावहारिक रूप से इसके कार्यान्वयन को सफल बनाने में योगदान दे सके। मेरा निवेदन है कि सरकार यदि सातवीं योजना में उससे वांछित रिजल्ट चाहती है, तो उनको यह देखना होगा कि जिला स्तर पर और ब्लाक स्तर पर ऐसी मानेटरिंग कमेटीज बनें, जो डिफाल्टर्स के विषय में निर्णय ले सकें और जो अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, उनसे भी ठीक से काम करवा सकें, ताकि जिसको फायदा पहुंचाने का इरादा है, उसको फायदा पहुंचे।

हमारा जो एन० आर० डी० पी० प्रोग्राम है, वह प्रोग्राम अपने आप में बहुत व्यावहारिक कार्यक्रम है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने में काफी मदद मिल रही है और इस समय आर० एल० जी० ई० पी० कार्यक्रम के जरिये हमारे गांवों में बहुत सारे नए कार्य प्रारंभ हुए हैं और बहुत सारे लोगों को इससे रोजगार मिल रहा है, मगर इसमें जो धनराशि दी जाती है, मेहनताना दिया जाता है वेजेज के नाम पर, वह इतना कम है, अपर्याप्त है कि उससे गुजारा नहीं हो सकता। इसके लिए मिनिमम वेजेज एक्ट को रिवाइज करने के लिए राज्य सरकारों से कहना होगा। कम से कम एक व्यक्ति को 11-12 रुपया तो मिलना चाहिए और अगर 11-12 रुपया एक व्यक्ति को नहीं मिलता है, तो मैं समझता हूं कि वह ठीक से रोजी नहीं कमा सकता। इसके अन्तर्गत नौजवान बहुत बड़ी संख्या में काम कर रहे हैं और उन नौजवानों को यदि हम कहीं नौकरियां नहीं दे सकते हैं और यहां भी पूरा मेहनताना उनको नहीं देंगे तो वे इसमें काम नहीं कर सकते हैं तो हम यंग मैनपावर को ग्रामीण विकास के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : रावत जी, आप अगली बैठक में अपना भाषण जारी रख सकते हैं। सभा 21 तारीख को 11 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.00 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 21 जनवरी, 1985/1 माघ, 1906 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

85-M/S182LSS—250—14-10-85—GIPS